खण्ड-203, अंक-9
शनिवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(21 मार्च, 1959 ई0)

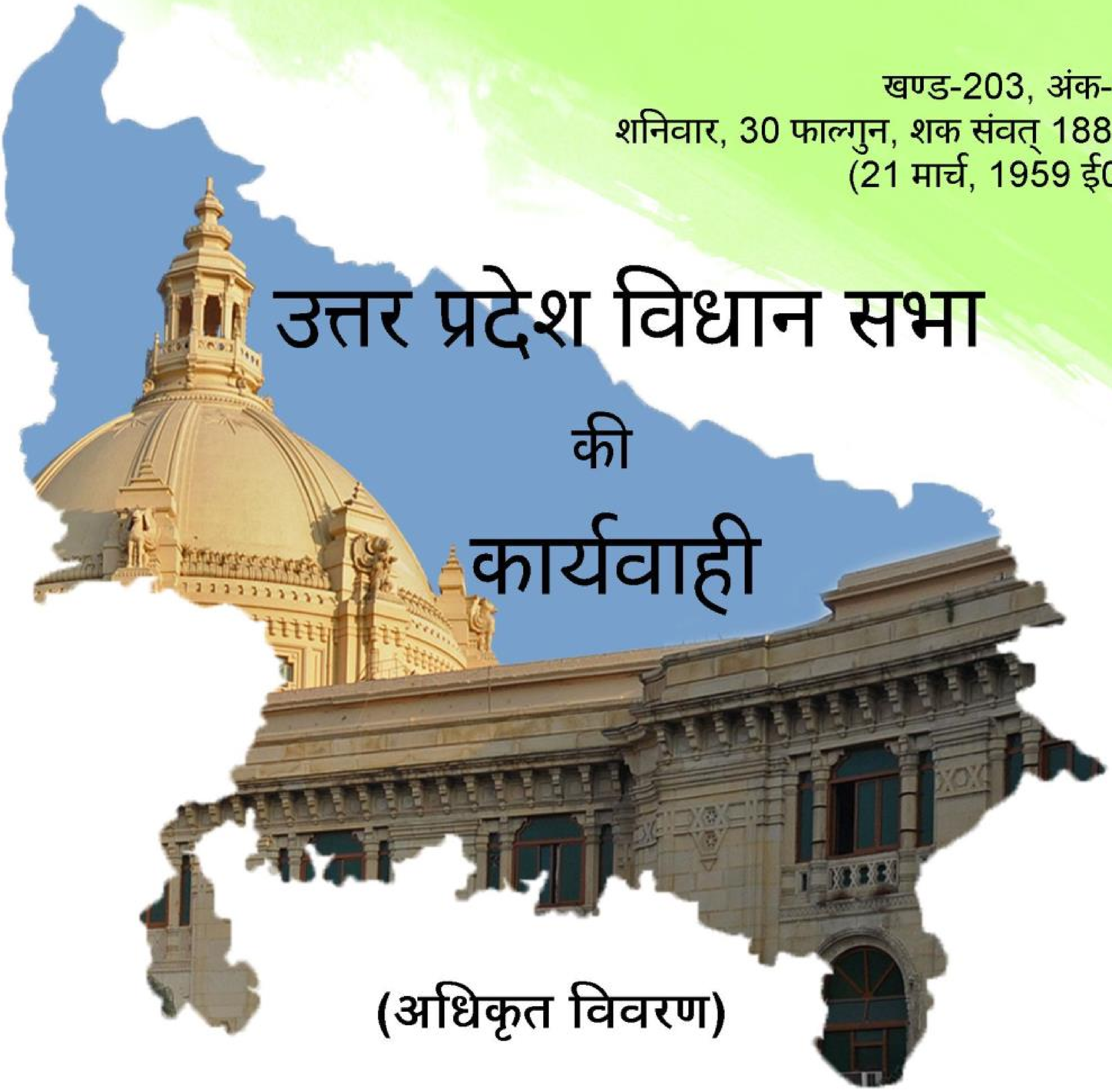

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 203 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २१ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में १० बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६८

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० प्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाश नारायण गुप्त, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवी प्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती

विधान सभा उत्तर प्रदेश

प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकी राम , श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री

रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायक सिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर

उत्तर प्रदेश सभा

सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह विसेन, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शनिवार, २१ मार्च, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

महापालिकाओं के चुनाव संबंधी आदेश

****१---श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि स्वायत्त शासन मन्त्रालय द्वारा चुनाव अधिकारी को मई, १९५९ के आखिरी सप्ताह में तथा जून, १९५९ तक महानगरपालिका के चुनाव कराने के आदेश चुनाव अधिकारी के पास भेज दिये गये हैं ? यदि हां, तो वे आदेश क्या हैं ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---सरकार के निर्वाचन विभाग से संबंधित जिलाधीशों तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों को ये आदेश चले गये हैं कि महापालिका के चुनाव जून, १९५९ के दूसरे पक्ष में होंगे। निर्वाचक नामावलियों को तैयार कराने के सम्बन्ध में भी आवश्यक आदेश दिये गये हैं।

****२---श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि किस-किस पार्टी ने चुनाव मई में न कराने के लिये लिखित प्रार्थना की है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई लिखित प्रार्थना-पत्र नहीं आया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि वे जो आवश्यक आदेश दिये गये हैं उनमें खास-खास बातें क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह आदेश दे दिये गये हैं कि जो वोटर लिस्ट तैयार करने के लिये चेकिंग हो रहा है वह ३१ मार्च तक खत्म हो जाना चाहिये। अगर कोई खास बात हो तो ७ अप्रैल तक खत्म हो जाना चाहिये और उसके अतिरिक्त जो उनके संशोधन हों उनको छपा कर जल्दी कर देनी चाहिये और १ से १५ के बीच में छप कर टंग जानी चाहिए।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें कार्यक्रम भी उन आदेशों में दे दिया है कि किस तिथि को नामजदगी होगी और वोट किस तिथि को पड़ेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह आदेश दे दिया गया है कि दूसरे पक्ष जून में ये चुनाव होंगे, उसके लिये तैयारी करने के पहले लिस्ट तैयार हो जायगी। उसके बाद में जब डिलिमिटेशन के अनुसार वार्ड बनेगा तो घोषणा की जायगी।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने लिखित प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है तो सरकार से मौखिक बात-चीत किस किस पार्टी ने की है कि चुनाव मई में न कराये जायें ?

श्री रामस्वरूप यादव---कुछ व्यक्तियों ने जरूर कहा था, वे कई पार्टियों के थे। वे किस पार्टी के थे उसको उल्लेख करने की आवश्यकता इस वजह से नहीं है कि जून में हम चुनाव करा ही रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों ने उनसे कहा था उनमें से किसी पार्टी के कोई नेता भी थे और जो व्यक्ति थे उन्होंने व्यक्तिगत हैसियत से कहा था या पार्टी के प्रतिनिधि की हैसियत से कहा था ?

श्री रामस्वरूप यादव---बहुत से सज्जनों ने कहा था, मैं स्वयं दौरे पर गया हुआ था कि अगर आप मई में चुनाव करायेंगे तो पानी का भी प्रबन्ध नहीं हो सकेगा। बाकी किसी नेता ने, यहां पर जो दल हैं, उनके किसी नेता ने कहा या नहीं, इसका तो स्मरण नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---सरकार के पास क्या आधार है इस तरह का बुद्धि विभ्रम पैदा करने के लिये कि विरोधी दल के नेताओं ने या अन्य सदस्यों ने कह दिया कि मई में चुनाव न कराने चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---यह किस जवाब से संबंधित है ? सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई लिखित प्रार्थना-पत्र नहीं आया।

श्री राजनारायण---उन्होंने जो उत्तर दिया कि कुछ सदस्यों या नेताओं ने कहा; किसी ने कुछ कहा तो उसका क्या आधार है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने यह नहीं कहा था कि विरोधी दल के नेताओं ने कहा। मैंने कहा मुझे स्मरण नहीं है, कुछ व्यक्तियों ने जरूर कहा। उन व्यक्तियों में इस आदरणीय सदन के सदस्य भी आ सकते हैं, इसके अतिरिक्त और भी जो संस्थाओं से सम्बन्ध रखते हैं वे भी आ सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी ने जून में चुनाव इसलिये रखे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने यह कहा था कि मई में पानी का भी प्रबन्ध नहीं हो सकेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---इतना हिस्सा तो सही है कि मई में ज्यादा तकलीफ होगी। जून के दूसरे हिस्से में रखने से कुछ न कुछ शावर हो ही जायगी जिससे लू कम हो जायगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी ने इस सम्बन्ध के आदेश भी दिये हैं कि कांस्टीटुएंसीज का डिलिमिटेशन ३१ मार्च तक खत्म कर दिया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने तो यह निवेदन किया था कि ३१ मार्च तक वोटर्स लिस्ट की जो चेकिंग हो रही थी वह खत्म कर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष---डिलिमिटेशन के बारे में वह पूछ रहे थे।

श्री रामस्वरूप यादव--डिलिमिटेशन के बारे में मैंने यह निवेदन किया था कि आपत्ति आने की तिथि तो निकल चुकी है। कुछ जगहों से आपत्तियां सरकार के पास आ चुकी हैं कुछ आपत्तियां शेष हैं, वे भी आ जायंगी। सरकार उसमें फैसला जल्द ही कर देगी।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--मंत्री जी ने कहा कि जून में शावर हो जायगी, लेकिन अगर किसी कारण शावर न हुई तो क्या वह चुनाव हटाने की बात सोचेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--चुनाव तो कराना ही है। शावर नहीं होगा तो कम से कम जून के दूसरे पक्ष में लू तो खत्म हो ही जायगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या मंत्री महोदय को पता है कि जून में शावर पहाड़ी प्रदेशों में होती है और आगरा में जुलाई के पहले हफ्ते में होती है ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह चुनाव तो पांच महापालिकाओं में हो रहा है और इस साल तो मैं आशा करता हूं कि आगरे में भी जल्दी शावर हो जायगा।

श्री राजनारायण--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि बरसात का मौसम अपने प्रदेश में जून की किस तारीख से शुरू होता है ?

श्री अध्यक्ष--वे तो यज्ञ कराने वाले हैं मथुरा में !

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आवश्यक आदेश दिये गये हैं उनमें वार्ड की दुरुस्तगी के लिये भी कुछ कहा गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने तो अभी निवेदन किया कि वार्ड्स के बारे में जो अन्तिम तिथि एतराजात की थी वह खत्म हो चुकी है। वे कागज सरकार के पास आ गये हैं; एक आध जगह अगर बाकी रह गयी है तो वहां से भी आ जायंगे और सरकार उनके बारे में जल्द ही फैसला कर देगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--जिस शब्द का अभी हाउस में उच्चारण किया गया है वह "शौहर" है या "शावर" है ?

श्री अध्यक्ष--आप निरंकुश होते चले जा रहे हैं कवि की हैसियत से।

श्री शिवप्रसाद नागर--गलतफहमी दूर करना चाहता हूं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सूची वार्ड की नगरपालिकाओं ने भेजी थी वह यहां से निर्णय हो कर वापस भेज दी गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, मैंने अभी निवेदन किया कि ५ महापालिकाओं में से कुछ की आ गयी है क्योंकि अन्तिम निर्णय सरकार की ओर से होगा डिलिमिटेशन के बारे में, और कुछ की अभी नहीं आयी थी। दो-तीन दिन पहले की मुझे सूचना है, लेकिन आशा की जाती है कि वह जल्दी आ जायगी और उन पर जल्दी ही निर्णय कर दिया जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या जो आदेश मंत्री जी ने भेजे हैं उनमें यह आदेश भी सम्मिलित है कि प्रान्तीय राजनीतिक पार्टियों से भी सलाह ले ली जाय ताकि चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस समय जो आदेश भेजे गये हैं वे तो चुनाव कराने के सम्बन्ध में हैं, राजनीतिक पार्टियों का कोई सम्बन्ध नहीं जोड़ा गया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी ने नगरपालिकाओं के चुनाव का पूरा कार्यक्रम सभी पोलिटिकल पार्टीज को भेज दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने अभी निवेदन किया कि कार्यक्रम तैयार नहीं हुआ है कि किस-किस तारीख को नामजदगी होगी और किस तारीख को वोट पड़ेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी महानगरपालिकाओं के चुनाव एक ही तारीख को होंगे या विभिन्न तारीखों को ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस पर विचार किया जा रहा है कि कैसे होगा और कब होगा।

श्री अब्दुलरऊफ लारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि बहुत तोड़-मरोड़ कर वार्ड बनाये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसी बातें तो आई हैं और उन पर विचार करके जल्द ही निर्णय होगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी भी शिकायतें आयी हैं कि वाराणसी महानगरपालिका में मडुवाडीह लोकोमोटिव कम्पनी को नहीं मिलाया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि महानगरपालिका के चुनाव, चुनाव-चिन्ह द्वारा कराये जायेंगे या निशान लगवा कर ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रचलित प्रथा यही है कि निशान वोटर अपने हाथ से लगायेगा।

श्री ऊदल---मडुवाडीह लोकोमोटिव कम्पनी को क्यों नहीं मिलाया गया क्या माननीय मंत्री जी इसके लिये अधिकारियों से जांच-पड़ताल करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---जब उन्होंने उसके लिये सूचना की मांग की है तब यह प्रश्न नहीं उठता।

काटन ट्रांसपोर्ट ऐक्ट, १९२३ के अधीन *विज्ञप्ति एवं नियम के आलेख्य

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, मैं काटन ट्रांसपोर्ट ऐक्ट, १९२३ की धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति एवं धारा ७ के अधीन नियम के आलेख्य उक्त ऐक्ट की धारा ८ के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री राजनारायण द्वारा श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना—(क्रमागत) †

श्री अध्यक्ष---श्री राजनारायण जी ने एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी श्री बहुगुणा जी के किसी भाषण के सम्बन्ध में। मैंने उस पर यह कहा था कि जब श्री बहुगुणा मौजूद होंगे उस वक्त मैं उसको लूंगा। मैं उनके आक्षेप की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं :

"सरकार की ओर से श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी ने श्रम आन्दोलन पर बोलते हुये यह कहा कि सरकार का उक्त विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। बहुगुणा जी का उपरोक्त कथन जानबूझ कर सत्य पर पर्दा डालता है जिससे सदन का अवमान होता है।" मैंने राजनारायण जी से कल ही

---

*छापी नहीं गयी।

†२० मार्च, १९५९ की कार्यवाही से।

जानना चाहा था लेकिन बहुगुणा जी उपस्थित नहीं थे इस कारण आज उनके सामने मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से श्री राजनारायण जी यह समझते हैं कि उनके भाषण का उक्त भाग जानबूझकर सत्य पर पर्दा डालने के लिये था। इसका स्पष्टीकरण माननीय राजनारायण जी कृपया संक्षेप में दें ।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---(माइक पर ठोंकते हुये) हमारे यहां का माइक बहुत ही खराब रहता है ।

श्री अध्यक्ष---मालूम होता है कि आप माइक से बहुत खींचतान करते हैं (हंसी) ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैंने बहुत सोच समझकर बहुत गम्भीरता के साथ माननीय बहुगुणा जी पर यह दोषारोपण किया था। उस तथ्य को मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, यदि आप कार्यवाही देखेगें तो २ साल पहले से ही यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, कोई आज का विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष---उस दिन के भाषण में उन्होंने ऐसी क्या बात कही थी ?

श्री राजनारायण---जब वे उस अनुदान पर बोल रहे थे . . .

श्री अध्यक्ष---उनके शब्द क्या थे ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जब वह अनुदान पर बोल रहे थे तो मैंने उनसे यह प्रश्न किया था कि क्या आपको पता है कि बनारस काटन मिल चौकाघाट चल रही है। उसका एक ही सेक्शन चल रहा है। इस सम्बन्ध में बहुत ही कड़क और आवेश में कहा कि इससे प्रान्तीय सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है और यह केन्द्र का विषय है। अब जरा देखेंगे कि, श्रीमन्, हमें उनके एग्जेक्ट शब्द याद नहीं हैं। एक मुसीबत और है और वह यह कि जब हम आपके सचिवालय से कोई कार्यवाही मांगते हैं तो हमें यह उत्तर मिलता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से मिलेगी। एक उत्तर तो हमें यह मिला है कि कार्यवाही जब छप जायगी तब मिलेगी।

श्री अध्यक्ष---आप कार्यवाही बराबर देख सकते हैं, इसके लिये मैं आदेश दे देता हूं; और जिनके भाषण के ऊपर आप विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहते हैं उस भाषण के शब्द आप नोट भी कर सकते हैं। उसके लिये मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन दफ्तर की तरफ से किसी के भाषण की सही नकल नहीं दी जा सकती। जब तक अपना भाषण संबंधित सदस्य द्वारा दुरुस्त न किया जाय, तब तक नकल देना मैं अनुचित समझता हूं। लेकिन आप कार्यवाही देख सकते हैं। यह सदन के अन्दर की बात है, अगर आप कोई बात गलत कह गये हों तो उसकी सफाई दे सकते हैं। लेकिन अगर दफ्तर से नकल मिल जायगी कि यह सही भाषण की नकल है और बाद में सदस्य ने उसे सही नहीं बताया तो इस तरह से किसी माननीय सदस्य के ऊपर बिला वजह आरोप लगाया जा सकता है। इसलिये अगर थोड़ी सी आपको सुनने में गलती भी हो गई हो, तो आप बाद में कह सकते हैं कि हमने अमुक बात सुनी थी। आप अपनी सुनी बात यदि बता देंगे तो मैं आप से कहूंगा कि आप कार्यवाही पढ़ लें।

श्री रूर्मासिह (जिला शाहजहांपुर)---अध्यक्ष महोदय, कल मैं आपके दफ्तर में गया था तो मुझ से यह कहा गया कि आप देख सकते हैं, नोट नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष---यह बात ऐसी नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर दफ्तर ने ऐसा किया है तो मुझे खेद होगा। मैं दफ्तर को हिदायत दे दूंगा और आप किसी भी सदन के कार्य के लिये कार्यवाही से नोट कर सकते हैं। यों आप बिला वजह नोट करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यदि बता देंगे कि हम अमुक कार्य के लिये नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं निवेदन कर दूं । मान लीजिये कि कोई कार्यवाही १६ तारीख को हुई और मेरी समझ में यह आता है कि जो कार्यवाही हुई है वह संविधान के अनुसार उचित नहीं है तो उसके लिये हमें रिट में जाने के लिये ही रास्ता है । लेकिन यदि हमें उसी दिन कार्यवाही नहीं मिलेगी तो हम कैसे रिलीफ मांग पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---आपको सदन की पूरी कार्यवाही नहीं मिलेगी । लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की कार्यवाही आपको जल्दी मिल जाय तो मैं तत्काल जिनसे संबंधित भाषण है उनको लिख दूंगा कि आप अपने भाषण को दुरुस्त कर दें और यदि उनका उचित तौर पर शुद्ध किया हुआ भाषण आ जायगा तो मैं आपको दे सकता हूं । सदन की पूरी की पूरी कार्यवाही इतने शीघ्र आपको नहीं दी जा सकती है ।

श्री राजनारायण---जी नहीं, पूरी कार्यवाही हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हम यदि रिलीफ मांगेंगे तो उसके लिये हमें मिल जाय, जैसे अभी ४५ दिन का सवाल आया था ।

श्री अध्यक्ष---वह तो खत्म हो गया ।

श्री राजनारायण---हम नहीं कर पाये ।

श्री अध्यक्ष---अच्छा हुआ नहीं कर पाये ।

श्री राजनारायण---इसमें हमारा नुकसान है । कल बहुगुणा जी ने जो कुछ कहा उसका तात्पर्य यह था कि बनारस काटन मिल में एक सेक्शन खुला है, दूसरा नहीं खुला है । यह मिल १३ जून, १९५४ से बन्द है । पहले दोनों सेक्शन्स चलते थे । यह मिल लिक्विडेशन में आगयी और फिर यह तय हुआ कि अगर कोई इस मिल को लेना चाहता है तो इतना रुपया देकर ले सकता है । इस शर्त के मुताबिक कलकत्ता के किसी फर्म ने रुपया जमा कर दिया । जब रुपया जमा हो गया तो मिल खुलने की परिस्थिति पैदा हो गई । लेकिन कहीं से वायर पुलिंग हुआ कि उनको मिल खोलने के लिये न दी जाय । बीच में कानपुर के जैपुरिया साहब प्रवेश कर गये और उन्हें इस मिल को चलाने को कहा । अब फिर से मामला बिगड़ गया । वह उस चीज को ले कर हाई कोर्ट में चले गये कि जब हमारे साथ कंट्रैक्ट हो चुका था, हमने रुपया जमा कर दिया था तो हमको न दे कर फिर जैपुरिया साहब को दें, यह कैसे हो सकता है । जब यह प्रश्न हमने उस समय उठाया तो जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया १३ फरवरी, १९५८ को यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश किया था---

"बनारस काटन व सिल्क मिल्स लिमिटेड (वाराणसी) १३ जून, १९५४ को चलती हालत में बन्द कर दी गयी । इसमें ५०० लूम वीविंग सेक्शन के तथा ५२१ लूम स्पिनिंग सेक्शन के हैं । ये दोनों सेक्शन चलते थे और इसमें २,००० मजदूर काम करते थे । यह मिल ४ मई, १९५५ को लिक्विडेशन में चली गयी । सम्पूर्ण मिल को पट्टे पर चलाने के लिये विज्ञापन भी निकाला गया । पूरा मिल चलाने के लिये टेंडर भी आये, मगर तत्सम्बन्धी ....."

श्री अध्यक्ष---इतना पढ़ने की क्या जरूरत है ? उन्होंने जवाब क्या दिया था ?

श्री राजनारायण---थोड़ा ही है । "सरकारी अधिकारियों ने बिना देखे यह रिपोर्ट दे दी कि स्पिनिंग सेक्शन नहीं चल सकता । अतः चालू करने के लिये आज्ञा मिल गयी । इस प्रकार बुनाई विभाग को ही चालू करने से करीब १,९०० मजदूर अब भी बेकार हैं और सरकारी टैक्स करीब चालीस लाख सालाना प्रति वर्ष नुकसान हो रहा है ।

सरकार ने जिस प्रकार बनारस काटन व सिल्क मिल्स (वाराणसी) के एक सेक्शन को चालू करने की सिफारिश की उससे प्रदेश के उद्योग को बड़ा भारी धक्का लगा है और जनहित तथा जन-कोष का नुकसान हुआ है ।"

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि चूंकि यह मामला विचाराधीन है हाई कोर्ट में इसलिये इस पर विचार नहीं होगा। वह मामला हट गया। इसके बाद जब हाई कोर्ट से मुकदमे का फैसला हो गया तब हमने फिर यहां प्रश्न उठाया; तब आपने कहा कि बड़ा पुराना मामला हो गया है, यह कोई अर्जेन्सी नहीं है, इसलिये इजाजत नहीं दूंगा। वह मामला अपनी जगह पर रह गया।

स्थिति यह है कि एक्साइज कमिश्नर बम्बई में रहता है। वह केन्द्रीय सरकार से सम्बद्ध है। वह एक सेक्शन चलाने की इजाजत दे ही नहीं सकता। दे सकता है तभी जबकि प्रान्तीय टेक्सटाइल्स कंट्रोलर, जो प्रान्तीय सरकार से संबंधित है, सिफारिश करे। इनकी सिफारिश पर सारा मामला वहां जायगा और जब माननीय सम्पूर्णानन्द जी वाराणसी के रहने वाले हैं और माननीय कमलापति त्रिपाठी जी भी वाराणसी के रहने वाले हैं....

श्री अध्यक्ष---उनके रहने से क्या मतलब है ?

श्री राजनारायण---हमने इस बात को सरकार से कहा और सरकार की जानकारी में यह पूरा तथ्य था कि बनारस काटन मिल को मजदूर ६ महीने तक कोआपरेटिव बेसिस पर चलाते रहे थे....

श्री अध्यक्ष---आप मेरिट्स पर जा रहे हैं।

श्री राजनारायण---इसलिये सरकार की जानकारी में पूरा तथ्य था। कोई चीज छिपी नहीं थी। फिर भी प्रान्तीय टेक्सटाइल्स कंट्रोलर ने टेक्सटाइल्स कमिश्नर को सिफारिश की कि इसका एक सेक्शन खराब है, केवल एक ही सेक्शन को चलाने दिया जाय। ऐसी सूरत में जब सदन में यह चीज बार-बार आ गयी और सरकार को इसकी जानकारी थी तब सरकार की ओर से माननीय बहुगुणा जी का यह कथन कि इससे हमारी सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मेरा कहना है कि माननीय बहुगुणा जी सरकार की ओर से जब कि इस तरह पर यह बात कहते हैं तो सत्य पर पर्दा पड़ता है और मैं यह कहने का अधिकार लेना चाहता हूं कि इसको जानबूझ कर छिपाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, आपको अपने शब्द याद होंगे ? पहले आप अपने शब्द क्या थे, बता दीजिये। मुझे इस कार्यवाही में तत्काल मिल नहीं रहे हैं। आप अपनी स्मरण शक्ति के भरोसे ही कहियेगा कि आपने क्या कहा था।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---मान्यवर, राजनारायण जी के इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं दो प्रिलिमिनरी बातें आबजेक्शन की शक्ल में कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि परम्परा इस आदरणीय सदन की रही है कि विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी का स्रोत माननीय अध्यक्ष को हमेशा बताया जाता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रान्तीय टेक्सटाइल्स कमिश्नर ने क्या सिफारिश की थी, इसको माननीय राजनारायण जी कहां से और कैसे जाने और जाने तो इसको लिखकर इसके साथ ही आपको उन्होंने क्यों नहीं दिया। अगर वह यह नहीं देते हैं तो उनका जो कनटेन्शन है वह गिर जाता है, विशेषाधिकार का जो सवाल उठाना चाहते हैं उसकी जड़ नहीं रह जाती और बिना जड़ के पत्ते लगाना मुमकिन उनके लिये हो सकता है ! मैं यह नहीं कर सकता।

दूसरी बात, उन्होंने एक खासी तकरीर की। उतनी तकरीर में तो मैं जाता नहीं। शिव जी से लेकर माननीय कमलापतिजी तक और अपने सब का उन्होंने नाम लिया कि वाराणसी के रहने वाले हैं। मुझे मालूम नहीं कि कौन रहते हैं वाराणसी में। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा उस कहने को वह स्वयं कहते हैं कि निश्चित चीज उनको मालूम नहीं है कि मैंने क्या कहा। अपनी याददाश्त से कहते हैं। तो क्या यह उचित न होता कि माननीय राजनारायण जी मुझको लिखते कि आपने ऐसा कहा और आप यह बतावें

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

कि आपने ऐसा कहा या नहीं कहा और अगर आपने ऐसा कहा तो मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं ? चूंकि ये दो बातें नहीं हुईं, इसलिये पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी व्यवस्था दे दें कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न वैध है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। वैधता की बात तो दूसरे स्टेज में आती है। अभी तो सिर्फ सवाल यह है कि मैं प्रश्न उठाने की इजाजत दूं या नहीं दूं और यह बिलकुल डिस्क्रीशनरी चीज है मेरे लिये। मैं देख लूं उसमें कोई तथ्य है तब तो कंसेन्ट (consent) दूं और फिर उसके बाद वैधता या अवैधता के बारे में निर्णय दूंगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो यह कह रहा था कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करने के पहले आपने कई बार इस सदन में कहा है कि अपनी जानकारी बतावें। मैं कहता हूं कि इस विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करने की एक क्षण भी आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि इसमें कोई फाउन्डेशन नहीं थी। बिलकुल कोई जड़-बुनियाद इस विशेषाधिकार के प्रश्न में नहीं है, लेकिन मैं इस बात से हटना नहीं चाहता। उसकी जानकारी मैं इस माननीय सदन को और आपको करा दूं। जो मैंने कहा था वह यह है। मैं फिर दोहराता हूं "हमारी सरकार को न तो अधिकार था उस मिल को किसी को देने का और न हमारी सरकार ने उस मिल को किसी को दिया"। इससे अधिक न तो मैंने उस रोज कुछ कहा था और न आज कहने को तैयार हूं। हमारी प्रदेशीय सरकार का उस मिल को किसी साहब के देने के सम्बन्ध में कोई हाथ नहीं था।

श्री अध्यक्ष—इस विषय में निर्णय कार्यवाही देखने के बाद ही दूंगा। दोनों की बातें मैंने सुन लीं। मुझे कार्यवाही में शब्द अभी तक मिले नहीं कि माननीय बहुगुणा जी द्वारा क्या कहा गया था। तो मैं यह अनुचित समझता हूं कि बगैर जानकारी किये, बगैर निश्चित किये कि क्या कहा गया, इस विषय पर अनुमति दूं या न दूं। अब अनुमति दूं या न दूं, इसका निर्णय देना बाकी रह गया। यह बाद में दूसरे दिन निश्चय करूंगा कार्यवाही पढ़ने के बाद।

श्री देवनारायण भारतीय द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब देवनारायण जी भारतीय के विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में मैं अपना निर्णय स्पष्ट कर दूं। मैंने उन्हें बुलाने का प्रयत्न किया अपने कमरे में, किन्तु भीड़ आ गई और वह आ नहीं पाये। मैं यह प्रश्न उठाने की उन्हें इजाजत नहीं देता हूं। उन्होंने यह प्रश्न उठाया है। जिस वक्त मैंने सदन छोड़ा था जबकि मुझे हटाने के बारे में एक प्रस्ताव सदन में उपस्थित था। इस सम्बन्ध में मैं यह कह कर उठ गया था कि मैं इस प्रस्ताव को वैध करार देकर चला जाता हूं। मैंने बाद में अपने कमरे के माइक एम्प्लीफायर द्वारा सुना कि किसी ने प्रस्तावित वैधता पर आक्षेप किया तो मैं खुद फिर से सदन में आने वाला था। मैंने सोचा था कि कहीं इस आक्षेप के ऊपर बहस ज्यादा न हो इस कारण मैं आकर बता दूं कि मैं उस पर निर्णय दे चुका हूं। मैं आने ही वाला था कि इतने में जो वैधानिक आक्षेप उठाया गया था किसी नियम के अनुसार, शायद श्री रामेश्वर प्रसाद जी ने, उसको उपाध्यक्ष ने नामंजूर कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अध्यक्ष ने जो फैसला दे दिया है उसको मैं रिवाइज खुद नहीं कर सकता हूं। उक्त शब्द सुनकर मैं सदन में फिर से नहीं आया। इस प्रकार के नियमों के आधार पर आक्षेप गलतफहमी में कोई सदस्य उठा सकता है। नियम के हिसाब से वैधानिक प्रश्न पर किसी समय भी अध्यक्ष का अटेंशन ड्रा करना उचित ही है। उपाध्यक्ष या जो कोई भी प्रिसाइडिंग आफिसर अध्यक्ष के स्थान पर बैठता है वह अध्यक्ष की ही हैसियत रखता है, तो उनका अटेंशन ड्रा कर देना जिस वक्त कि कंसिडरेशन के लिये प्रस्ताव आ जाय तो वह कुछ अध्यक्ष की आज्ञा का पालन न करने के लिये या उसकी अवहेलना करने की दृष्टि से नहीं होता। वह तो इस दृष्टि से होता है

कि नियम की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाय । अगर मैं ही उस समय बैठा होता तो मेरा भी ध्यान किसी सदस्य को आकृष्ट करने का अधिकार था । श्री रामेश्वर प्रसाद जी को नियम की सूक्ष्मता का पता नहीं था तभी तो उनका आक्षेप शीघ्र नामंजूर कर दिया गया और वह बात तत्काल खत्म हो गयी । अब अध्यक्ष के सामने कोई प्वाइंट आफ आर्डर रेज करे, उसके लिये विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय तो एक बड़ी गलत-सी बात होगी । मैं समझता हूं कि इसके उठाने की इजाजत देना अनुचित होगा ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष--निवेदन आप मेरे कमरे में करें ।

श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक श्री रामस्वरूप वर्मा जी का है । इस विषय में माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने नोटिस माननीय गृह मंत्री को दे दिया है । वह इस प्रकार है :

> "दिनांक १३ फरवरी, १९५९ ई० को माननीय उग्रसेन आदि के प्रश्नों का उत्तर देते हुए माननीय गृह मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि छबैला गोली कांड में दो व्यक्ति बाद में मर गये थे । दिनांक २०-३-५९ ई० को श्री राजनारायण जी के पूरक प्रश्नों के उत्तर में सारांश रूप में माननीय गृह मंत्री ने कहा कि वह छबैला गोलीकांड में किसी के मरने को स्वीकार ही नहीं करते । स्पष्ट है कि मंत्री जी ने सत्य को छिपाकर असत्य सूचना सदन को दी, जिससे इस सदन का अवमान हुआ है । आशा है आप हमें माननीय कमलापति जी त्रिपाठी गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की आज्ञा देंगे ।"

नियम के अनुसार मैं इजाजत देने के पहले माननीय गृह मंत्री से पूछूंगा कि उनको कुछ इस विषय में कहना है या आक्षेप है अनुज्ञा देने के बारे में ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, श्री राजनारायण द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ६१-६२ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय सदन में कल मेरे उपमंत्री जी ने यह कह दिया था कि गोली से कोई व्यक्ति नहीं मरा । यह बात गलत थी और इसके लिये मुझे खेद है ।

इस गोलीकांड की जांच गोरखपुर के ए० डी० एम० द्वारा की गई । पुलिस की फायरिंग के फलस्वरूप गोलियों से ११ व्यक्ति घायल हुये, और उनमें से २ बाद को मर गये, जैसा कि सदन में १३ फरवरी, १९५९ को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर में कहा गया था । इसकेअतिरिक्त ३ व्यक्तियों को लाठी के प्रहार से चोट आई ।

श्री अध्यक्ष--मैं यह जानना चाहता हूं कि कल यह उत्तर किस वजह से दिया गया । कल जो उत्तर दिया गया था आज के उत्तर के विरुद्ध, वह किस आधार पर दिया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, जो कल प्रश्न किया गया था उस प्रश्न के लिये जो अनुपूरक सामग्री आयी हुई थी उसमें गोली से मरने की कोई चर्चा नहीं थी और न ऐसा प्रश्न में ही था कि इस प्रकार का प्रश्न होगा ....

श्री अध्यक्ष--यानी मूल प्रश्न में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । वह रिपोर्ट जो थी उसमें गोली से कौन आदमी मरे और कितने मरे इसका उल्लेख नहीं था और उसी सामग्री के आधार पर--उपमंत्री जी को पहले का स्मरण नहीं था कि पहले क्या उत्तर दिया जा चुका है--उन्होंने वह बात कह दी थी ।

श्री अध्यक्ष--उसके लिये आप खेद प्रकट करते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उसके लिये मुझे खेद है ।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, जो गृह मंत्री जी ने स्पष्टीकरण अभी दिया और जो खेद व्यक्त किया है उसके लिये तो एक परम्परा मानने के नाते वह बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने खेद प्रकट किया । लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि प्रश्नों के सम्बन्ध में किस प्रकार का बर्ताव सरकारी विभाग करते रहे हैं और किस प्रकार से अनुपूरक सामग्री देते रहे हैं । अब इसके लिये कौन उत्तरदायी है यह तो माननीय मंत्री जी जानें और सरकार जाने, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अनुपूरक सामग्री देने के नियम या तो स्पष्ट नहीं हैं या इतने भ्रामक उत्तर दिये जाते हैं, क्योंकि एक उदाहरण गोविन्द सिंह जी का कल का ही रहा और यह दूसरा कल ही का है । तो हम यह समझते हैं कि साधारणतया जो भी अनुपूरक सामग्री विभाग प्रस्तुत करता है वह अधूरी होती है और अपर्याप्त होता है । उसके आधार पर यहां अपूर्ण उत्तर दिये जाते हैं । विशेषाधिकार के प्रश्न से तो इसका सम्बन्ध नहीं है, लेकिन फिर भी यह प्रश्न आपके सामने आ चुका है इसलिये आप इसका निर्णय करें ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, कमलापति जी ने जो आपको गलत सूचना दी उसके सम्बन्ध में कल का प्रश्न हमारे सामने मौजूद है। उस ६१ नम्बर के प्रश्न को मैं पढ़े देता हूं : "क्या सरकार को पता है कि ७ जनवरी, १९५९ को ग्राम छबेला, जिला गोरखपुर, में पुलिस द्वारा गोली चलाने पर मरे हुये तथा घायल लोगों को घटनास्थल पर ही छोड़कर पुलिस चली गई और बाद को घायल लोग अस्पताल पहुंचाये गये ?" जब यह स्पष्ट है कि वे बाद को पहुंचाये गये तो फिर वे कैसे बतलाते हैं ...

श्री अध्यक्ष--अभी जो उत्तर दिया कि उस वक्त घटनास्थल पर कोई मरा हुआ नहीं पाया गया था तो उनका उत्तर यही है कि पहले वे दो व्यक्ति आहत हुये और वह बाद में जाकर मरे हैं । इसलिये प्रश्नकर्त्ता ने इसके ऊपर महत्व दिया कि पुलिस को उन व्यक्तियों को अस्पताल भेज देना चाहिये था जो कि आहत हुये थे । पुलिस ने उनको अस्पताल नहीं भेजा तो पुलिस का यह व्यवहार एक तरह से बर्बरता का हुआ । इसलिये सरकार की ओर से उत्तर उन्होंने दिया कि जो आहत थे उनको उठाने के लिये पुलिस की हिम्मत नहीं थी या थोड़े आदमी थे, ऐसा उनका जवाब दिखाई देता है और फिर उनको पुराने दिये हुए उत्तर के बारे में मालूम नहीं था । मैं कल ही यह महसूस कर रहा था कि यह केवल कल्पना से उत्तर दिया गया है कि उनमें से कोई मरा ही नहीं है। उनको यह भी मालूम नहीं था कि पहले सदन में इसी तरह के प्रश्न पर क्या उत्तर दिया गया है । इसलिये मंत्रियों और उपमंत्रियों को आगे से इस विषय में अधिक से अधिक सतर्कता बर्तनी चाहिये क्योंकि यहां पर सदन में अनुपूरक प्रश्न यकायक पूछे जाते हैं । मैं यह भी जानता हूं कि उपमंत्री को सदैव सारी फाइल देखने का मौका नहीं मिलता है । उनको अगर मालूम न हो तो अपना अन्दाजा न लगाया करें बल्कि कह दिया करें कि उन्हें नोटिस चाहिये; तो यह कहना अधिक उचित होगा । क्योंकि मंत्री जी को मालूम रहता है कि पिछली क्या बात हुई थी तो इस विषय में आइन्दा के लिये मंत्री जी से भी बात कर लिया करें । अब इस विषय में, क्योंकि गृह मंत्री जी ने खेद प्रकट कर दिया है, मैं समझता हूं कि रामस्वरूप वर्मा जी इस प्रश्न को उठाने पर जोर नहीं देंगे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--जो माननीय गृह मंत्री जी ने खेद प्रकाशित किया है उससे मुझे सन्तोष हुआ है और यह एक अच्छी परम्परा है । मैं इसको वापस लेता हूं और भविष्य के लिये यह उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार का उत्तर नहीं मिलेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--मैं भी यह आशा करता हूं कि जो प्रश्न नारायण दत्त जी तिवारी ने उठाया उसमें मैंने आपको यह सूचना देदी कि सब से आसान तरीका यही है कि जब आपको कोई बात मालूम न हो तो कह दें कि हमको सूचना की आवश्यकता है। ऐसा कहने से सदन में थोड़ी सी हंसी लोग जरूर करने लगते हैं परन्तु वह बरदाश्त करनी चाहिये। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहां पर तो सब एक ही परिवार के लोग हैं।

श्री उग्रसेन--आप कृपया माननीय मंत्री जी से कह दें कि २ महीने बाद इसको भूल न जायं कि कोई मरा था या नहीं।

श्री अध्यक्ष--अब वह स्वयं इसको भूलेंगे नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--सरकार पहले यह अन्दाजा लगाती है कि इस मूल प्रश्न पर क्या-क्या पूरक प्रश्न हो सकते हैं। इसी अनुमान पर वह अनुपूरक प्रश्न तैयार करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि जो अनुपूरक प्रश्न आसानी से तैयार रहते हों और यहां पर पूछे जायं तो उनके उत्तर अवश्य मिलने चाहिये। इनमें नोटिस मांगने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। अनुपूरक सामग्री के लिये कुछ नियम होना चाहिये और हर मामले में नोटिस न मांगे।

श्री अध्यक्ष--इसमें यह बात जरूर है कि थोड़ा सा अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर की सामग्री देने में कल्पना या इमेजिनेशन का उपयोग करना पड़ता है और स्थानीय अधिकारियों को आदेश देना पड़ता है क्योंकि जब कोई तारांकित प्रश्न जिले में जाता है तो स्थानीय अधिकारी अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देने के लिये सामग्री भेजते हैं जिसमें कभी-कभी वे सतर्क नहीं होते। तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि अगर सामग्री पूरी नहीं आयी है तो स्थानीय अधिकारी से उसे प्राप्त करें। मंत्री जी अधिक सतर्क हैं और वह समझते हैं कि इस सदन के सदस्य किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। अगर सामग्री पूरी न आयी हो तो स्थानीय अधिकारियों को फिर लिखा जाय कि इन-इन बातों को ध्यान में रखकर पूरा उत्तर आना चाहिये। यह मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि यह आप कर सकते हैं और उसका यह तरीका हो सकता है। लेकिन इसके लिये कोई कोड या नियम सदन या मैं नहीं बना सकता। यह तो मंत्रियों और स्थानीय अधिकारियों के इमेजिनेशन पर ही निर्भर रहेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कोई कोड तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर मंत्रिगण अपने अधिकारियों को इस तरह का निर्देशन कर दें कि वह अनुपूरक प्रश्नों की सामग्री भेजते समय अधिक सावधानी से काम लें तो अधिक सुधार हो जायगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी--आपकी जो आज्ञा है और आप लोगों के जो सुझाव हैं वे तो सही हैं ही और यही तरीका बरता जाता है कि जो अनुपूरक प्रश्नों में क्वैरीज की जा सकती हैं, जितने भी संभव प्रश्न हो सकते हैं उनके उत्तर की सामग्री उपलब्ध हो। लेकिन मनुष्य मनुष्य है और उससे भूल हो जाती है। सैकड़ों प्रश्नों में एक भूल हो गयी और उसके लिये खेद प्रकाश किया गया और क्षमायाचना भी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--अच्छी परिपाटी आपने डाली है।

श्री राजनारायण--हमारा निवेदन इतना ही है कि माननीय सदस्यों ने केवल पूरक और अनुपूरक प्रश्नों के ऊपर ही जोर दिया। मैं यह भी कह रहा हूं कि सरकार को आप यह भी कह दें कि वह मूल प्रश्नों के उत्तर भी ठीक से दिया करें।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--कल मुझे, श्रीमन्, पालीवाल जी ने कहा था कि टीकाराम जरा खड़े रहो। आपका नाम होली में बदला जायगा। क्या नाम रखा जायगा, जब मैंने पूछा तो.....

श्री अध्यक्ष—आपका विशेषाधिकार का प्रश्न क्या है ?

श्री टीकाराम पुजारी—विशेषाधिकार का प्रश्न यह है कि १० मिनट मुझे रोज बोलने के लिये मिलने चाहियें । श्रीमन्, इसी में सदन की मर्यादा रहेगी । मैं किसानों का नेता हूं और ये अमीरों के नेता हैं । इतना ही फर्क है । पालीवाल जी मेरा नाम रख रहे हैं नेता-मार पुजारी । मैंने किसी नेता को नहीं मारा है । पालीवाल जी के साथ अगर कभी हो गया हो तो उन्हें पता होगा ।

इलाहाबाद में जहर के इंजेक्शन लगाने की अफवाह के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पर वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार कई प्रश्न उठाने के लिये हैं और मंत्री जी के पास मैं उन्हें भेजूं और वह वक्तव्य दें इसीलिये ये प्रश्न भेजे गये हैं । श्री कल्याणचन्द मोहिले जी का इसमें मैं सब से महत्व का समझता हूं और इसलिये उसको पढ़ देता हूं । मंत्री जी यदि आज अपना वक्तव्य दे सकते हों तो दें नहीं तो किसी दूसरे दिन दे सकते हैं ।

"इलाहाबाद नगर में दो दिन १८ और १९ मार्च, १९५९ से जनता में परेशानी है । वहां पर कुछ लोग प्लायजन के इंजेक्शन लोगों को जबरदस्ती लगा रहे हैं जिसका प्रत्येक समाचार-पत्रों में प्रकाशन हो रहा है और लोग भयभीत हो कर अपने बालकों को शिक्षा केन्द्र से परीक्षा देने के समय वापस ला रहे हैं । नगर के किसी अधिकारी ने अभी तक इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है । परीक्षा का समय है । प्रदेश में इस काम की चर्चा बहुत जोरों में है । सरकार से आशा करूंगा कि इसका स्पष्टीकरण करे ।"

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी इसका स्पष्टीकरण देंगे ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—मैं समय चाहूंगा । इत्तला मिलने पर दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—तो आप ३० तारीख को देंगे ।

*गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—आपकी आज्ञानुसार जो सूचना मुझे मिली है वह मैं दे दूं । यह प्रश्न कल ही आ गया था ।

श्री अध्यक्ष—जो प्रश्न पूछे जायंगे फिर उनका उत्तर भी आप देंगे ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना यह मिली कि कल मैंने जांच-पड़ताल की । इलाहाबाद में कोई इस प्रकार का आतंक नहीं है और परीक्षायें ठिकाने से चल रही हैं और लड़के उनमें पूरी तरह से सम्मिलित हो रहे हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि इलाहाबाद में इस समय प्रत्येक मोहल्ले में पुलिस का पहरा लगा हुआ है और पी० ए० सी० के गार्ड घूम रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गार्ड किस वजह से लगाये जा रहे हैं, यह मैं नहीं जानता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्रीजी को पता है कि मोहल्लों में छुटपुट हमले भी हुये हैं इनजेक्शन लगने के खयाल से ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—किसी चीज के इंजेक्शन की कोई बात वहां नहीं है। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ सूचना बुलन्दशहर के बारे में मिली थी, जहां के बारे में यह सवाल पहले भी उठाया गया था। एन्टी डिपथीरिया के इंजेक्शन दिल्ली की सरकार लोगों को महामारी के विरुद्ध दे रही थी। दिल्ली में यह शोर हुआ कि जहर के इंजेक्शन लगाये जा रहे हैं और छात्रों का स्कूलों में जाना बन्द हुआ। मुमकिन है कि उसका कुछ असर गाजियाबाद और आस-पास के इलाके पर पड़ा हो। वह इंजेक्शन दिल्ली में बन्द कर दिये गये और फिर उसकी कोई जरूरत नहीं थी। इलाहाबाद में ऐसी कोई बात नहीं उठी और लड़के परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि इस समय भी अस्पताल में १ या २ आदमी इस प्रकार के पड़े हुये हैं जिनके इंजेक्शन लगाया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी मुझे सूचना नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मंत्री महोदय इस तरह का इंजेक्शन माननीय मोहिले जी के और माननीय बहुगुणा जी के लगाने की आवश्यकता पर विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—भगवान न करे किसी के इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़े।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—इलाहाबाद से जो सूचना मंत्री जी को प्राप्त हुई है वह किस आधार पर है, क्या शिक्षा के उच्चाधिकारी से है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—परीक्षाओं से सम्बन्धित यह सवाल था, इसलिये वहां के इंसपेक्टर आफ स्कूल्स से पूछा गया था।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्रीजी का ध्यान परसों के उस समाचार-पत्र की ओर गया है जिसमें लिखा था कि एक रिक्शे वाले ने बयान दिया है कि उसे रास्ते में पकड़कर उसके इंजेक्शन लगा दिया गया और वह बेहोश है और आज भी अस्पताल में पड़ा हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा ध्यान इस ओर नहीं गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मुझे कल खबर लगी है कि बुलन्दशहर के स्कूलों में बच्चे जा ही नहीं रहे हैं, तो क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष—इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—मेरी सूचना है कि इलाहाबाद में काफी आतंक है। मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी इसकी जांच करा लें और उचित कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष—आप लिखकर भेज दें, वह जांच करा लेंगे।

बाजपुर सहकारी चीनी मिल के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टी के संबंध में वक्तव्य

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—मान्यवर, बाजपुर सहकारी चीनी मिल, बाजपुर, जिला नैनीताल, को इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा ६० लाख रुपये का ऋण दिया गया है। उक्त ऋण के प्रतिदान के लिये भारत सरकार और राज्य सरकार ने ५०:५० के आधार पर गारंटी दी है। मिल के लिये मशीन सप्लाई करने वालों के पक्ष में स्थापित की गई बैंक गारेंटियों के अन्तर्गत समस्त धनराशियों के भुगतान के सम्बन्ध में तथा बाजपुर मिल को स्टेट बैंक आफ इंडिया, लखनऊ, द्वारा दिये गये १० लाख रुपये के

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

अन्तरिम ऋण के प्रतिदान के लिये भी राज्य सरकार ने स्टेट बैंक आफ इंडिया, लखनऊ, को गारन्टी दी है। बाजपुर सहकारी चीनी मिल के लिये राज्य सरकार द्वारा की गई गारन्टी इस प्रकार कुल ६० लाख रुपये के लिये है, जो इस प्रकार है :

	लाख रुपये
(१) इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली —	
६० लाख रुपये के ऋण के सम्बन्ध में १७ वर्ष की अवधि के लिये अर्थात् लगभग सन् १९७५ तक, दो वर्ष पश्चात् गारन्टी प्रति वर्ष २ लाख रुपये कम होती जायगी	३०
(२) स्टेट बैंक आफ इंडिया, लखनऊ —	
(क) बाद में किये जाने वाले (डेफर्ड) भुगतानों के सम्बन्ध में—	
जून १९६० तक .. २० लाख रुपये,	
जून १९६१ तक .. १० लाख रुपये	२०
(ख) १० लाख रुपये के ऋण के सम्बन्ध में, जून १९५९ तक या लगभग	१०
योग	६०

राज्य सरकार ने बाजपुर चीनी मिल से ३० लाख रुपये के लिये, अर्थात जितनी धनराशि के लिये राज्य सरकार ने स्टेट बैंक आफ इंडिया, लखनऊ, को गारन्टी दी है, प्रति गारन्टी काउन्टर गारन्टी प्राप्त कर ली गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि बाजपुर सहकारी मिल के पास इस समय इतना पर्याप्त धन नहीं है जिससे वह किसानों को गन्ने का मूल्य भी ठीक समय से दे सके और मजदूरों का वेतन भी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--सहकारी समिति की अपनी वर्किंग एक्सपेंसेज, वर्किंग कैपीटल, को उठाने के लिये खुद की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार की वह जिम्मेदारी नहीं है। फिर भी, चूंकि यह पहला प्रयास है इसमें जितनी सहायता हो सके उतनी करने के लिये हमने १० लाख रुपये की गारेन्टी जो हाल में दी है वर्किंग कैपिटल की तरफ और दूसरी बातों की तरफ ही देखते हुये दी है। हम समझते हैं कि किसानों और मजदूरों का भुगतान वैसे भी हो सकेगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--पहले तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के वक्तव्यों की प्रति, जैसी परिपाटी कि लोकसभा में है, सदस्यों को पहले से दे दी जावे ताकि वे समझ-बूझ कर सवाल करें और सदन का ज्यादा समय न लगे। दूसरी बात यह है कि बाजपुर फैक्टरी पर सारे प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की और चीनी मिल वालों की आंख लगी है। अब तो वह फैक्टरी चलने लगी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी स्थिति और भविष्य क्या दिखाई देते हैं। जिसके ऊपर सरकार ने इतनी बड़ी गारेन्टी दी है।

श्री अध्यक्ष--यह ठीक है कि सभी सदस्यों को एक-एक प्रति मिलनी चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार आइन्दा से ऐसा करेगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--यह पहला सहकारी प्रयास है। श्री गेंदासिंह जी के सवाल की सब डिटेल इस समय मेरे पास नहीं है। हमारा विश्वास है कि यह सफल होगा और मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि इसे सफल बनाने में कोई कोताही हमारी तरफ से नहीं होगी। हमें यह भी विश्वास है कि हमें इस काम में सभी का सहयोग मिलेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि इसमें प्रदेशीय सरकार के कितने शेयर्स हैं, किसानों के कितने शेयर्स हैं और मजदूरों के कितने शेयर्स हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस वक्तव्य में किस तरह की बात थी, उसमें शेयर कैपिटल की कोई बात नहीं है और मेरे पास इस वक्त यह सूचना नहीं है कि कितना शेयर कैपिटल किस का है ।

महेश्वरी देवी जूट मिल की बन्दी के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पर वक्तव्य

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैंने महेश्वरी काटन मिल के बन्द हो जाने के सम्बन्ध में जो जानकारी चाही थी, उसका भी यदि इस समय स्पष्टीकरण हो जाता तो अच्छा था ।

श्री अध्यक्ष---वह बाद में लिया जा सकता है ।

श्री उग्रसेन---यह महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह मिल परसों से बन्द होने वाली है ।

श्री अध्यक्ष---यदि माननीय मंत्री जी इसके लिये तैयार हों, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---श्रीमन्, महेश्वरी देवी जूट मिल की बन्दी का सिलसिला आने वाली २४ तारीख से शुरू होने वाला है । हमारी कोशिश इसमें यह है कि हम मजदूरों को जितनी सहायता कर सकें, करें । मुझे भरोसा नहीं है कि हम इस मिल को चला सकें, क्योंकि मिल चलाने का अधिकार हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं इस सम्बन्ध में इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि हम मजदूरों के प्रतिनिधि से बात करें, मिल मालिक के प्रतिनिधि से बात करें और इसके साथ ही हमने अपने यहां के अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है और आज या कल में हमारे अधिकारी वहां से लौट भी आयेंगे । केन्द्रीय मंत्री से भी इस सम्बन्ध में मेरी बातचीत हुई थी और हमारी बराबर यही कोशिश है कि यदि हम इसके लिये कोई रास्ता निकाल सकें, तो यह बेहतर होगा, लेकिन अभी तक इसमें दिखलायी यह पड़ता है कि इसमें कोई रास्ता निकलने की गुंजायश बहुत कम है या बिल्कुल नहीं के बराबर है । हमें इस बात का बहुत दुःख है कि यह मिल बन्द हो रही है । लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हम इस बात की बराबर कोशिश कर रहे हैं, यदि कुछ भी न हो सके, तो कम से कम हम इस बात की व्यवस्था तो अवश्य ही कर दें कि मजदूरों को उनका पैसा मिल जाय । इस सम्बन्ध में हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि कानपुर के मजदूर संघ और ट्रेड यूनियन ने जानकारी प्राप्त करके हमारे कामों की प्रसंशा की है । महेश्वरी जूट मिल बन्द होने जा रही है और हमारी काफी चेष्टा इसमें यही रही है कि हम इसके लिये कुछ कर सकें । इससे अधिक इस सम्बन्ध में इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता हूं ।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह लिखा है कि महेश्वरी जूट मिल को अपने लूम्स को कलकत्ते भेजने का अधिकार न दिया जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मेरी राय यह है कि मैं इस सम्बन्ध में थोड़ी सी सफाई कर दूं । इन्डियन जूट मिल एसोसियेशन का यह इन्टर्नल इन्तजाम है कि वहां पर लूम्स लिये जायें या न लिये जायें, इसमें प्रदेशीय सरकार या केन्द्रीय सरकार का कोई दखल नहीं है और यह इस प्रदेश की जानकारी में भी नहीं है, क्योंकि हमारा इस पर कोई दखल नहीं

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

है। हमने तो केन्द्रीय सरकार से कहा है कि इस मिल के बन्द होने से मजदूरों को जो हानि होगी, वह उचित नहीं है, हमें उनका खयाल रखना है। मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि इसके लिये जिस तरह की बातें कही जाती हैं, वैसा करना इस सरकार की दृष्टि में, मिल मालिकों के दृष्टि में और जूट मिल एसोसियेशन की दृष्टि में गैर-मुनासिब है। जितना हमारा दखल था और हमारा विश्वास था, उसी के अनुसार हमने केन्द्रीय सरकार से बातचीत की है और जितना हम इसके लिये कर सकते हैं, वह हमने किया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मिल के बन्द होने के फलस्वरूप कितने मजदूर बेकार हो रहे हैं और उनके वेतन का कितना रुपया मिल पर बाकी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसमें लगभग १,३०० श्रमिक काम करते हैं जिन पर इसका असर पड़ेगा, बकाया वेतन कोई नहीं है। लेकिन जो करीब-करीब ७० हजार रुपया बाकी है, वह प्राविडेन्ट फण्ड तथा दूसरे फण्डों को मिलाकर है, और किस-किस तरह से उनका कुल टोटल होता है, जितना रुपया उनको निकालना चाहिये, उस टोटल का ब्योरेवार हिसाब मेरे पास नहीं है।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---एक महत्वपूर्ण सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---अब आप बाद में पूछ लीजियेगा।

भावी कार्यक्रम के विषय में जानकारी

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---अगला कार्यक्रम प्रारम्भ होने से पहले मैं आप की आज्ञा से सदन के सदस्यों की सुविधा के लिये यह जानना चाहता हूं कि ३० मार्च से जो उपवेशन प्रारम्भ होने वाला है उसमें क्या होने वाला है।

श्री अध्यक्ष---आज यह कार्यक्रम भेज दिया गया है। ३० मार्च से १२ अप्रैल तक का कार्यक्रम आज ही भेज दिया गया है। नोटिस आफिस से आपको मिल जायगा।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बिल अगर सरकार जल्द से जल्द पेश कर दें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---१२ अप्रैल तक तो वह नहीं उपस्थित होगा।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४२-लेखा शीर्षक ५७---अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का सुधार और उत्थान (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५९-६० के आय-व्ययक पर विचार होगा। श्री ताराचन्द माहेश्वरी बोल रहे थे। वह ५ मिनट बोल चुके हैं, अब आगे जारी रखेंगे।

***श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान अपराधशील जातियों को भूमि पर बसा कर उनके उद्धार हेतु जो धन रखा गया है, उस तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें ८ लाख १ हजार रुपये के लगभग रखे गये हैं। वैसे तो यह मद नयी मालूम पड़ती है इसलिये माननीय मंत्री जी इसके

---

†२० मार्च, १९५८ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये बधाई के पात्र हैं इस मद को कायम रखने के लिये। मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि इस मद में अगर और अधिक रुपया रखा गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। इसके द्वारा हम उन व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं जिनकी अगर मदद न कर पाये होते तो समाज में अनेक अनैतिक काम होते। उन कामों को करने से समाज को नुक्सान ही होता। जब हम उनको पैसा देते हैं, उनके खाने पीने और जीविका के लिये साधन देते हैं, तो एक तरफ जब इसमें हमारा खर्चा होता है, दूसरी तरफ जो खर्चा पुलिस पर हमारा होता है या उन जुर्मों का फैसला करने के लिये जो मैजिस्ट्रेटों पर खर्चा होता है, वह कम हो जाता है। मैजिस्ट्रेटों के पास काम कम होता है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि वे इस मद में और रुपया बढ़ाने की कृपा करेंगे तो वे मानवता का कल्याण करेंगे।

इसके अतिरिक्त अस्पृश्यता निवारण के हेतु गत वर्ष के तखमीने से करीब १२ हजार रुपया अधिक तो जरूर रखा गया है, लेकिन आप देखें कि जितना भी धन इस मद में रखा गया वह इस मद के महत्व को ध्यान में रखते हुए बहुत कम है। आज भी हरिजन समाज अंध-विश्वासों से जकड़ा हुआ है और कुरीतियों में फंसा हुआ है। कुरीतियां समाज में बढ़ती जा रही हैं और वे लोग अपना जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठा पा रहे हैं। इन सब बातों के कारण इस मद में और अधिक रुपया बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि हरिजन समाज के उद्धार के लिये हमारे राष्ट्रपिता पूज्य बापू ने बड़ा भारी काम किया था। जिस समय अंग्रेजों ने हरिजन समाज को छिन्न-भिन्न करने के लिये प्रयास किया तो उन्होंने आगा खां के महल में अपने प्राणों की बाजी को लगा दिया था और अंग्रेजी सरकार से कह दिया था कि मेरा उपवास उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक यह फैसला नहीं बदला जायगा। उसी के फलस्वरूप हिन्दू आर्य समाजी और सनातन धर्मी सब इकट्ठा हुए, हरिजन भाई इकट्ठा हुए और इसके बारे में पूना में समझौता हुआ कि यह अंग-भंग न किया जाय। उसी का परिणाम है कि आज आप देखते हैं कि इस देश में और प्रदेश में तमाम हरिजन लोग अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और आज भी वे समाज का एक गौरवपूर्ण अंग बने हुए हैं। इसीलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस मद में और रुपया रखा जाय ताकि हमारे राष्ट्रपिता बापू का स्वप्न साकार हो और यह बहुत जल्दी ही जो पिछड़ा हुआ समाज है, उस समाज के बराबर आ जाय जो समाज कि अपने को आगे बढ़ा हुआ कहता है।

अब मैं अपने उस भाई की एक बात का जवाब देना चाहता हूं जिन्होंने कल इस हाउस में निवेदन किया था कि सुरक्षित सीटें समाप्त कर दी जायं। कहा जाता है कि इससे हरिजन समाज का बड़ा कल्याण होगा। मैं मानता हूं कि सम्भव है ऐसा हो, लेकिन मेरा इस सम्बन्ध में निश्चित मत है और मैं कहना चाहता हूं कि अगर हरिजन समाज के लिये सीटों के संरक्षण को हटा दिया जाय तो हरिजन समाज का कल्याण किसी भी हालत में, इस समय जो हालत है उसमें, सम्भव नहीं है। मैं उनका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि आज भी जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उनमें कहीं भी रिजर्वेशन नहीं है, तो क्या उनमें आसानी से हरिजन भाई प्रवेश पा सकते हैं? अगर यह सही है कि वे नहीं पा सकते हैं तो सरकार द्वारा मिली हुई रियायत को आप अपने ही तरीके से क्यों वापस करना चाहते हैं? इसमें मुझे कोई राजनीतिक चाल भी नजर नहीं आती है। जब मैं राजनीतिक चाल कहता हूं तो मैं उसे अपने तर्क से सिद्ध करना चाहता हूं। मैं यह मान कर चलता हूं कि यदि सुरक्षित सीटें समाप्त कर दी जायं तो हमारे वे भाई हरिजन भाइयों के बीच में जाकर कहेंगे कि इस सरकार ने और कांग्रेसियों ने जो आपके लिये सुरक्षित सीटें थीं उनको वापस कर लिया है। इसका परिणाम यह होगा कि सभी हरिजन भाई कांग्रेस की तरफ से उदासीन हो जायंगे और उनको मौका मिलेगा कि इस तरह से वे विद्रोह करें।

*श्री मन्ना लाल (जिला खीरी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हरिजन कल्याण मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं कि आज

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मन्नालाल]

२१ मार्च हो गया है और २३ मार्च से परीक्षा आरम्भ होने जा रही है। २० मार्च परीक्षा की फीस दाखिल होने की अन्तिम तिथि थी, लेकिन आज तक हरिजन छात्रों को वजीफा नहीं मिल पाया है। उनको वजीफा मिलना चाहिये था जुलाई से, लेकिन आज तक वह नहीं मिल पाया जिसके कारण हरिजन छात्र अपनी फीस नहीं दाखिल कर सके हैं। इसका परिणाम यह होगा कि बहुत से भाई ऐसे भी हैं जो अपनी परीक्षा देने से वंचित रह जायेंगे। इसलिये मैं उनको बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं कि वे बधाई के पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज १२ साल हमारी सरकार को हो गये और उसने दावा किया था कि हरिजनों को हम आगे बढ़ायेंगे, उनको आराम देंगे, उनको रोटी कपड़ा देंगे, लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आज उनकी दशा सुधर सकी? आज उनकी वही दशा है जो कि पहले थी। हजारों वर्ष पहले वे जिस तरह से गुलामी में जकड़े हुए थे, उसी गुलामी में वे आज भी जकड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा विश्वास न हो तो मैं उनको चल कर दिखलाऊं और यहां तक मैं कहने के लिये तैयार हूं कि जिस जिले के दो दो मंत्री हैं, यानी बिजनौर जिले में, आप जाकर देख सकते हैं कि वहां के हरिजनों की दशा कैसी है। एक-एक हरिजन को एक एक कमरा रहने के लिये है जब कि उनके एक एक परिवार में १०, १० व्यक्ति हैं। उनको अपना मकान बनाने के लिये, झोपड़े डालने के लिये दो हाथ जमीन भी नहीं मिलती है। क्या यह माननीय मंत्री जी की उदासीनता नहीं है? मुझे अफसोस होता है और खेद है कि हमारे माननीय हरिजन मन्त्री जी इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। वे हरिजनों के नुमाइन्दे हैं और हरिजनों की सीट से चुन कर आये ह, फिर उनको इतनी उदासीनता हरिजनों के प्रति नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जो विश्वास दिलाया गया था कि हम हरिजनों के लिये जमीन देंगे, रोटी, कपड़ा देंगे, तो क्या उनको जमीन दे दी गयी? मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि जिन हरिजनों के पास जोतने के लिये जमीन थी उसे भी सवर्ण लोगों ने और खासकर कांग्रेसियों ने उनसे जबरदस्ती छीन लिया और आज उनके पास जमीन नहीं है कि जहां वे अपने रहने के लिये मकान बना सकें।

मैं एक सुझाव पेश करना चाहता हूं कि हरिजनों के लिये मुकदमे की पैरवी के लिये सरकारी वकील होने चाहिये और उनको ऐसी सहायता मिलनी चाहिये जिससे वे अपने मुकदमे की ठीक पैरवी कर सकें। उनके पास पैसे नहीं होते जिससे वे मुकदमे की पैरवी नहीं कर पाते हैं। और वे अपनी जमीन से वंचित रह जाते हैं। कहा गया था कि भूमिहीन काश्तकारों को भूमि मिलेगी, लेकिन जितनी पड़ी हुई बंजर जमीनें हैं, ग्राम समाज की जमीन है, जंगलात की जमीनें हैं, उनके बड़े-बड़े पट्टे होते चले जा रहे हैं और वे सभी बड़े काश्तकारों को मिलते हैं। किसी भूमिहीन हरिजन को कोई पट्टा नहीं दिया जाता है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा अछूत उद्धार के विषय में। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह केवल ढोंग है। हम लोगों के प्रति वैसा ही छुआछूत अभी तक मौजूद है। एक उदाहरण दूं। २३ फरवरी को बनका गांव, जिला खीरी में हरिजन मुहल्ले में रविदास जयन्ती मनायी गयी थी जिसके एक कांग्रेसी सज्जन जो भूत पूर्व एम० एल० ए० थे उनको प्यास लगी तो हरिजनों की सभा में हरिजनों के हाथ का उनके ग्लास में पानी नहीं पिया, बल्कि एक ब्राह्मण के यहां से मंगाकर पानी पिया। यह छुआछूत और हरिजन उद्धार का ढोंग नहीं है तो क्या है?

सुरक्षित स्थानों के सम्बन्ध में अभी कहा गया कि हम उनके लिये सुरक्षित स्थान रखते हैं। मैं जहां तक देखता हूं किसी भी सरकारी नौकरी में कोई भी सुरक्षित स्थान उनके लिये ठीक तरीके से नहीं बरता जाता है। १८ परसेंट के बजाय यदि २ परसेंट भी जगहें मिली होतीं तो भी हमको संतोष होता। पिछले साल की बात है मुन्सिफी के लिये १३ हरिजनों की सीटें थीं उनमें से १२ को इंटरव्यू में बुलाया गया और केवल एक को लिया गया और शेष १२ हरिजन सीटें सवर्णों को दी गईं। इतना ही नहीं आई० ए० एस० में चार सीटें हरिजनों की

थीं उनमें से एक ऐसा हरिजन था जिसने सवर्णों को भी टाप किया था, लेकिन उसको हरिजन की सीट ही दी जाने की बात चल रही है इसलिये कि हरिजनों की जो ४ सीटें हैं वे उतनी ही रहें, ५ न हो जायं। एक तरफ कहा जाता है वे अयोग्य हैं, लेकिन जो योग्य निकलते हैं उनको भी नीचे ढकेल कर लिया जाता है। यह गौर करने की बात है।

छूआछूत का जो नारा लगाया जाता है वह केवल एलेक्शन क लिये ही लगाया जाता है। इस तरह से यह समस्या दूर नहीं हो सकती। मैं तो कहना चाहता हूं जिस भारतवर्ष में मनुष्य पैदा नहीं होते, बल्कि ब्राह्मण, ठाकुर, भंगी, चमार पैदा होते हैं वहां छुआछूत दूर नहीं हो सकती। १२ साल में मैंने देखा है कि कांग्रेस सरकार जो प्रयत्न कर रही है उसमें सफल नहीं हुई है। इस छुआछत को अगर खत्म कर सकता है तो केवल भारतीय जनसंघ ही खत्म कर सकता है।

नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया के हरिजनों के लिये कोई भी सुविधाएं नहीं रखी गयी हैं। तहसील मोहम्मदी टाउन एरिया में रहने वाले हरिजन मेहतर भाइयों के लिये जो स्थान बनाये गये हैं वे इतने नीचे हैं कि बरसात में टखनों तक पानी भरा रहता है लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो हमारे मेहतर भाई इस देश में सब से बड़ा काम करते हैं सफाई का, उनको बहुत कम तनख्वाह दे कर अधिक काम लिया जाता है। उनकी तरफ इतनी उदासीनता क्यों दिखलायी जाती है?

मैं एक बात और कहना चाहता हूं हमारे सरकारी अधिकारीगण जो हैं उनके पास जब हरिजनों की जो शिकायतें होती हैं ले जाते हैं तो वे उनको सुनने के लिये तैयार नहीं होते हैं और बाहर भगा दिये जाते हैं और काफी परेशान होकर दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। एक तरफ तो हरिजन वर्ग इतना नीचा समझा जा रहा है, इतना गरीब है, उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, दूसरी तरफ इतने बड़े-बड़े मकान और अट्टालिकाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं चाहता हूं कि हमारे हरिजन भाइयों को दूध, मक्खन, मलाई मिले, लेकिन उनको रोटी चाहिये, मोटा कपड़ा चाहिये, बच्चों के स्वास्थ्य के लिये दवा चाहिये, रहने के लिये मामूली जगह चाहिये। इसका भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। केवल थोड़ा सा यह दिखा दिया गया है कि हमने तुमको यह सहायता दी है, वह दी है। सहायता जो दी जाती है उसमें से अधिकांश भाग उनकी दौड़-धूप और सरकारी अधिकारियों में ही चला जाता है। आधा वही लोग खा लेते हैं। तब जाकर कहीं मिल पाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि रिजर्वेशन का ढोंग रचा रखा है, रिजर्वेशन पर काफी ध्यान रख कर उनकी सीटों का ध्यान रखना चाहिये वरना सुरक्षित स्थानों को खत्म ही कर देना चाहिये।

श्री सुक्खन लाल (जिला मुरादाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि दो साल का समय व्यतीत होने पर आपने पहली मर्तबा इस उपस्थित अनुदान के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया है। मैं हरिजन विभाग के अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज हमारी स्वतंत्रता के बारह साल व्यतीत हो रहे हैं। हम यह आशा करते थे कि स्वतंत्रता के समय में जो हरिजन समस्या है, वह पूर्ण रूप से हल हो जायगी। जब हम विदेशियों के पंजे में थे तो हरिजन समस्या इस देश में बड़ी कठिन समस्या थी। लेकिन पूज्य महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार हम समझ रहे थे कि यह समस्या जो हमारे देश में कलंक बनी हुई है वह जल्दी ही दूर होगी और हरिजन समस्या सुधर जायगी। यह जो अनुदान हरिजन उत्थान के लिये रक्खा है और हरिजन समस्या को दूर करने के लिये रक्खा है, इसमें जो बातें हरिजन समस्या को दूर करने के लिये रखी हैं, उनके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन जितने सुधार की आशा की जाती थी, जितनी हम आशा लगाये हुए थे, उतना नहीं हो पाया।

[श्री सुक्खनलाल]

अभी शिक्षा के बारे में कहा गया और यह ढोल पीटा जाता है कि हरिजन शिक्षा के लिये बड़ा सुधार किया गया है, फीस की माफी की जाती है। लेकिन जब मैंने इसके अनुपात को देखा तो मालूम हुआ कि हरिजन छात्रों की संख्या हमारे प्रदेश में ढाई परसेंट है जिस पर हम फीस माफी का ढोल बजाते हैं और समाज में जितने भी छात्र हैं उनकी फीस माफी पर ६० लाख का खर्च करते हैं। यहां केवल हरिजन के ऊपर ५१ लाख की क्षति पूर्ति का बजट में आयोजन है।

हमारे एजूकेशन कोड में यह साफ है कि जितनी भी फीस है उसमें १७ परसेंट कम्पलसरी माफ की जाती है और उसके अलावा हरिजनों की जब हम सहायता की बात सोचते हैं तो उसमें हरिजन हमारे ढाई परसेंट ही आते हैं, क्योंकि सरकार ने छठी क्लास तक की फीस तो कम्पलसरी कर ही दी है। उसको निकाल कर बाकी छात्र जो रह जाते हैं तो हमारे ढाई परसेंट छात्रों को फीस माफी का लाभ हो पाता है। इसलिये मैं यह कहने में संकोच नहीं करूंगा कि आज जितनी भी हम हरिजनों का उत्थान करने की भावना प्रकट कर रहे हैं वह कागज पर ही रह जाती है, पूरे रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाती है। जहां आर्थिक दशा सुधारने की बात आती है वहां पर मैं यह बात मानने के लिये तैयार हूं कि सरकार ने इस समाज को उठाने के लिये तरह-तरह की योजनायें बनाई हैं। इस अनुदान में जो कुटीर उद्योग के लिये मद रखी है, उसके लिये सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वह एक आंसू पोंछने वाली बात है। जहां इतनी बड़ी उनकी गरीबी की समस्या है, जिसका हाल बयान नहीं किया जा सकता, जिनके पास कोई साधन नहीं, उनके लिये थोड़ा सा अनुदान देकर ही आशा की जाय कि उनका सुधार हो जायगा तो यह मैं नहीं मानता। कुटीर उद्योगों के लिये ही जिला स्तर पर जितना अनुदान दिया जाता है वह थोड़े से ही चन्द आदमियों में मशीनों के लिये, सुअर पालने के लिये या मुर्गी पालने के लिये बट कर रह जाता है, परन्तु जो बड़ी आर्थिक समस्या है वह हल नहीं हो पाती। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस नीति में कुछ परिवर्तन कर दिया जाय तो बड़ा लाभ हो सकता है। शिक्षा आदि पर अधिक व्यय किया जाय तो अच्छा है। छात्रवृत्तियों की बात कही जाती है, जैसा कि हमारे अन्य साथियों के द्वारा भी कहा गया कि हरिजनों के बच्चों को छात्रवृत्ति से जो लाभ मिलना चाहिये, परन्तु वह नहीं हो पाता। कारण यह है कि वह कभी समय पर नहीं दी जाती और वे ऐसे समय पर दी जाती हैं जब बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं या उनकी परीक्षा खत्म हो जाती है और उनको बड़ी परेशानी के साथ तमाम खर्च स्वयं पूरा करना पड़ता है।

अस्पृश्यता निवारण की बात कही जाती है। इसके लिये भी अनुदान रखा गया है, लेकिन वह जिस तरह से खर्च होता है और जिस तरह से अस्पृश्यता निवारण का कार्य किया जाता है वह मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में इस तरह से वह छुआछूत दूर नहीं हो सकती कि हरिजनों की जमातों को कुछ रुपया जल्सों के लिये या किसी फंक्शन के लिये दे दिया और इससे अस्पृश्यता दूर हो जाय ऐसा मैं नहीं मानता। अब तक इस मद का रुपया केवल इस में ही खर्च हो रहा है कि कहीं हरिजन सेवक संघ के जलसे के लिये रुपया दे दिया गया, इससे कोई प्रचार नहीं हो पाता। बस आपस में मिल लेते हैं और अपनी बात कह लेते हैं, कोई अस्पृश्यता निवारण नहीं हो सकता, इस तरह से ऐसा मेरा मत है।

पीने के पानी की बात कही जाती है। ठीक है कि हरिजनों को तमाम काम सिखाये जा रहे हैं और हम पीने के पानी की व्यवस्था भी उनके लिये कर रहे हैं, परन्तु यह तो हरएक नागरिक का अधिकार है कि वह आजादी से पानी, हवा और जमीन का प्रयोग कर सके। लेकिन यहां हमारी स्वतंत्र सरकार के आने के बाद, आज १२ साल हो चुके अब भी ऐसी बात सुनने में आती है कि पीने का पानी का प्रबन्ध नहीं है, नल की जरूरत है, बैठने-रहने के लिये जमीन की जरूरत है, इससे हमें बड़ा दुःख होता है। पानी एक ऐसी चीज है कि जिसकी जरूरत अगर पूरी न हो सकी तो और कौन-सी चीज हो सकती है कि जिसकी जरूरत सरकार पूरी

कर सकती है। पानी तो ऐसी चीज है कि जानवरों और परिन्दों तक के लिये हम उसका प्रबन्ध करते हैं, लेकिन अभी तक मनुष्य के लिये पानी का प्रबन्ध नहीं हो पाया यह बड़े खेद की बात है।

इसके अलावा नई बस्ती बसाने की बात भी कही जाती है। हरिजनों के लिये बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। उनके परिवारों की यह दशा है कि रात को पैर फैलाने तक का उन के पास स्थान नहीं है। जो धन उनके मकान बनाने के लिये रखा गया है उससे बहुत कम लोगों को लाभ हो सकता है। आज बाहर से आये हुये शरणार्थियों की दशा उनसे अच्छी है, परन्तु हरिजनों की जो दशा है उसको देखकर तो दुख होता है। आज देश के हर रहने वाले को खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने को स्थान मिलना चाहिये। वह अभी तक हम नहीं कर पाये हैं, क्या यह दुःख की बात नहीं है ?

कृषि उत्पादन की बात आती है, आज हमारे यहां बड़े-बड़े जंगलात पड़े हैं, फार्मों पर तमाम जमीनें बेकार हैं, लेकिन फिर भी हरिजनों को जोतने के लिये जमीन नहीं मिल सकती। जो जिसका खास पेशा रहा है, जिसका दूसरे का हल जोतकर अपनी रोटी कमाने का धंधा रहा है उसको जमीन जोतने को नहीं मिलती। अगर उसको मिल जाती है तो जो उसके शोषण-कर्त्ता हैं वे उसको हड़पने की कोशिश करते हैं। सरकार की तरफ से मैंने अभी तक यह नहीं पाया कि कोई ऐसा उपाय किया गया हो, कोई मद रखी गयी हो, जिसमें हरिजनों की जो जमीन है उसके संरक्षण के लिये कोई कदम उठाया गया हो या उनको जमीन देने के लिये कोई ऐसी व्यवस्था की गयी हो कि जो पड़ी हुई जमीन है, फार्म हैं, जंगल हैं। जिनको दूसरे नहीं जोतते तो वे वहां जाकर रह सकें, उनके गांव बसाये जा सकें। मैं यह अर्ज करूंगा कि जो इस वक्त हरिजन समस्या चल रही है इसको हल करने के लिये एक ही तरीका है कि उनकी आर्थिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये अधिक से अधिक कदम उठाया जाय जिससे हम देहात में उन हरिजनों की कुछ मदद कर सकें। जय हिंद।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--अध्यक्ष महोदय, कल से इस अनुदान पर जो बहस चल रही है और उसके संबंध में आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उससे साफ, प्रत्यक्ष है कि जिस मनोवृत्ति से यह हमारा हिन्दू समाज भूत काल में बना था वह आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। उसका आभास आज भी इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के भाषणों में सभी में प्रदर्शित हुआ और हो रहा है। मैं यह भी कहने से संकोच नहीं करूंगा कि इस मनोवृत्ति का आभास उस सदन तक ही सीमित नहीं है अपितु इसके बाहर भी साफ-साफ अनेक रूप में यह प्रकट हो रही है और इसकी सारी जिम्मेदारी, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में किन्तु बहुत ही दुस्साहस के साथ इस नौकरशाही पर डालता हूं जो आज शासन व्यवस्था में है।

अध्यक्ष महोदय, आपके सामने माननीय सदस्यों ने यह भावना व्यक्त की कि १८ प्रतिशत हरिजनों का रिजर्वेशन जो है आज भी उसकी पूर्ति नहीं हो रही है और उससे साफ साफ चार्ज नौकरशाही की व्यवस्था में लगा हुआ है। यह साफ कहा गया है कि वहां पर जो एप्लीकेंट्स आते हैं उनमें कम से कम योग्यता मिलती है नौकरियों में, लेकिन वह भी नहीं लिये जाते हैं। कुछ दिन हुये माननीय रामस्वरूप यादव, उपमंत्री, ने अपने जवाब में कहा था कि वहां ७ सीटें रिजर्व थीं, ७ उम्मीदवार आये थे, लेकिन ४ ही लिये गये जब कि उनकी मिनिमम योग्यता थी। तो उस पर क्या ऐक्शन लेने जा रहे हैं और लेंगे या नहीं लेंगे ? मैं साफ बता देना चाहता हूं कि इस नौकरशाही का दिमाग नहीं बदला है और न बदलेगा और अगर यही व्यवस्था रही तो समाज में जो गड़बड़ी पैदा होगी उसकी जिम्मेदारी राजनीतिक नेताओं के अलावा नौकरशाही पर होगी। जो सरकार के चलाने वाले हैं वे चाहे किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हों वे इससे अवगत हो जायं कि ज्यादा समय नहीं है, इसकी

[श्री रामशरण यादव]

चिनगारी फूट निकलेगी तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, इतिहास इसका साक्षी है। जब-जब इस मनोवृत्ति के खिलाफ किसी ने आवाज उठायी समाज के विकास के लिये तो उसका दुर्दमन किया गया। महात्मा गांधी ने हरिजनों की बात कही थी तो उनको गोली से मार दिया गया। महर्षि दयानन्द को जहर दे दिया गया क्योंकि उन्होंने इस हिन्दू मनोवृत्ति का दुर्दमन करके राष्ट्रीय भावना के प्रसार की कोशिश की थी। डा० अम्बेदकर जिन्होंने हरिजनों के लिये इतना बड़ा कदम उठाया और उनको ऊपर उठाने का प्रयत्न किया उनको भी जहर देकर मारा गया। अनेक कारण हैं द्वापर और त्रेता युग के पहले से भी जिनका इतिहास साक्षी है। मैं अध्यक्ष महोदय, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से कहना चाहता हूं कि अब वह दिन दूर नहीं है जब कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्रांति इस मुल्क में भड़क उठने वाली है अगर इनका नियंत्रण न किया गया, इस वक्त जो नौकरशाही है वह अगर अपने रवैये को दुरुस्त नहीं करती तो बहुत भयंकर बात होने वाली है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बाद इस अनुदान से संबंधित बातों पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं इस संबंध में स्पष्ट रूप से इस सरकार से कह देना चाहता हूं कि संविधान में यह प्रतिज्ञा की गयी है कि जस्टिस, लिबर्टी ईक्वलिटी और फ्रैटर्निटी, इन उसूलों को भारतीय गणतंत्र में पैदा करना होगा। हमें ऐसा समाज बनाना है जिसमें ये सब चीजें हों। आज सभी कल्याणकारी–समाजवादी समाज की बातें करते हैं, सभी पार्टियां इसकी बात करती हैं और इस आदरणीय सदन में भी इस बात की घोषणा की गयी है किन्तु यह सरकार उसमें सर्वथा असफल रही है। उसका एक ही प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मैंने अपने भाषण में सामान्य वादविवाद में हिस्सा लेते हुये कहा था कि जब मैं इस बजट को इस कटौती पर कसता हूं कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिये गये हैं संविधान के द्वारा उनको भी पूरा नहीं किया गया है और जगह भले ही पूरा किया गया हो, लेकिन जहां तक पिछड़ी कौमों की और हरिजनों की बात है वहां तो पूर्ण रूप से असफल यह सरकार रही है। संविधान के अनुच्छेद १५ और १६ में जो मूल अधिकार बताये गये हैं उनके ऊपर सरकार ने एक इंच भी कदम नहीं उठाये हैं और जो सरकार मौलिक अधिकारों को पूरा करने में असफल होती है, मैं समझता हूं कि वह सरकार जनतंत्रीय नहीं है, समाजवादी नहीं है और वह धोखेबाज सरकार है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय उपमंत्री, श्री रामस्वरूप यादव ने कहा था कि चूंकि पिछड़ी कौमों की तादाद ज्यादा है इसलिये नौकरियों में उनका संरक्षण होना नामुमकिन है। मैं उनसे साफ कहना चाहता हूं कि अगर यह नामुमकिन होता तो संविधान के अनुच्छेद १६ में मौलिक मूलाधिकारों की चर्चा होती। आज से १२ साल पूर्व राष्ट्रपति हमारे जो कन्स्टीट्यूएंट असेम्बली में बैठे हुये थे उनके समक्ष महात्मा गांधी जी ने जो वादे किये थे उनके अनुसार संविधान की यह धारा बनायी गयी थी। अनुच्छेद १६ में कहा गया है कि सर्विसेज में संरक्षण उन कौमों को मिलेगा जिनकी नौकरियों में बहुत कम संख्या है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख है और निराशा भी है क्योंकि माननीय नेता सदन ने भी एक दफा कहा था कि चूंकि पिछड़ा वर्ग कमीशन केंद्रीय सरकार ने बैठाया था, वह कमीशन केंद्रीय सरकार का था इसलिये उसकी सिफारिशों को हम मानने के लिये तैयार नहीं हैं। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद १६ के खंड ४ में साफ साफ कहा है कि केंद्रीय सरकार चाहे कमीशन नियुक्त करे या न करे, चाहे वह संरक्षण करे या न करे किन्तु राज्य सरकारों को पूरा अधिकार है कि वे इस संबंध में जो स्कीम चाहें चलावें। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं श्री रामस्वरूप जी यादव की सूचना के लिये पढ़ना चाहता हूं कि कहां पर राज्य सरकार उनसे बाधित हैं। संविधान का अनुच्छेद १६ और उसके खंड ४ में स्पष्ट कहा गया है:

> "१६(४) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुये किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।"

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र से राज्य सरकार के लिये कहां बाधा पड़ती है कि वह पिछड़ी कौमों के लिये नौकरियों में संरक्षण न कर सकें? मैं कहता हूं कि अगर संरक्षण उनका न किया गया और पिछड़े वर्ग, जो कम से कम ७० फीसदी हैं और हरिजनों को जो उनकी समस्यायें मिली हुई हैं उनकी शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द न किया गया और अगर साल भर के अन्दर संरक्षण न किया गया तो एक आग भभकेगी और इस सदन में ही वह सीमित नहीं रहेगी बल्कि बाहर भी फैलेगी।

मैं आपके द्वारा साफ साफ कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य चुनाव समितियों में यदि नौकरियों में संरक्षण न हो तो सरकार के द्वारा हरिजनों और पिछड़े वर्गों के सदस्य बिठाये जायं। यह सही है कि चाहे जितनी अच्छी पालिसी और प्रोग्राम हो अगर सरकार की मशीनरी उसको पूरे तौर से कार्यान्वित नहीं करती तो बहुत बड़ी बाधा पड़ सकती है और उससे बहुत नुकसान हो सकता है। बार बार इस सदन में शिकायत आयी है कि १८ प्रतिशत हरिजनों का संरक्षण पूरा नहीं हो रहा है और इसलिये नहीं हो रहा है कि यह नौकरशाही उसे पूरा नहीं होने देती। यह नौकरशाही पूरी जिम्मेदारी है और यहीं से जातिवाद फैलता है और उसका भयंकर रूप बाहर भी दिखायी पड़ता है। मैं आपकी सेवा में विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वक्त जो हालत है वह अच्छी नहीं है। बहुत से यहां पर कल बोलने वाले माननीय सदस्यों ने बड़ी दुहाई दी पुराने हिन्दू समाज की, उस हिन्दू समाज की जिसमें जातिवाद के सिवाय कोई दूसरी चीज नहीं दिखायी देती। हम उस हिन्दू समाज को मानने वाले नहीं हैं जिसने भारत को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित किया। भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाली यही पिछड़ी कौमें थीं। आज जो लोग यह कहते हैं कि उनको संरक्षण देने से समाज और देश टुकड़ों में बंट जायगा वे गद्दार हैं। कमीशन ने साफ लिखा है कि नौकरशाही के दिमाग में यह बात भरी पड़ी है कि अगर पिछड़ी कौमों को संरक्षण दिया गया तो हम लोग गद्दी से उतार दिये जायंगे। ऐसा नहीं है। जो आने वाले रिक्त स्थान होंगे उनके लिये कमीशन ने सिफारिश की है। आप कितने दिन रोक सकते हैं? अब ज्यादा दिन इस बात को नहीं रोक सकते। यदि हममें विद्या है, साहस है, बुद्धि है और राजनीति है तो जब इस सदन में चुन कर आ सकते हैं तो आई० ए०एस० और पी०सी०एस० में भी आ सकते हैं। मैंने कई बार लिखा कि जहां पर पी०टी०सी० और चुनाव संस्था बनती है, जहां गैर-सरकारी एम०एल०एज० बैठते हैं वहां हरिजन और पिछड़ी कौमों के एम०एल०एज० भी बैठाये जायं। उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार कहती है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। हमने बारह साल तक विश्वास किया, अब हम अधीर हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

*__श्री गंगाप्रसाद__ (जिला गोंडा)--अध्यक्ष महोदय, आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज इस अनुदान पर, जिसे माननीय हरिजन कल्याण मंत्री ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है, हमें बोलने का मौका दिया। यह अनुदान उत्पीड़ित, शोषित जनता के लिये माननीय मंत्री जी ने रखा है। आज जो हमारे हरिजन, पिछड़े हुये और मोमिन भाई हैं उनके लिये यह अनुदान है। लेकिन आज इस सदन के उच्च से उच्च नेता, भाई झारखंडेराय, त्रिलोकीसिंह जी, पालीवाल जी और भाई राजनारायण जी मौन और चुप्पी साधे बैठे हैं। जिस प्रकार द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था और लोग खामोश बैठे थे उसी प्रकार आज ये लोग चुप्पी साधे बैठे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--आप नाम लेकर न कहिये, अनुदान पर बोलिये, व्यक्तियों पर मत बोलिये।

श्री गंगाप्रसाद--श्रीमन्, आज मैं आपके द्वारा इस अनुदान पर उन भाइयों की बात कहना चाहता हूं जो ३० अगस्त, १९५२ तक क्रिमिनल ट्राइब्स कहे जाते थे। आज उनकी आवाज़ उठाने के लिये कोई तैयार नहीं है। उनकी दशा आज भी वही है जो अंग्रेजी साम्राज्यशाही के वक्त में थी। गांधी जी के वक्त में उन्हें थोड़ा सा बढ़ावा मिला था। आज बहुत से भाई कहते हैं कि हरिजन भाइयों को बढ़ने का कोई मौका नहीं मिला, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले २०,२५ हरिजन एम०एल०ए० चुन कर आते थे और आज ८७--८८ हैं। अगर रिजर्वेशन बन्द हो जायगा तो जो आज मुसलमान भाइयों की दशा है वही हरिजनों की भी हो जायगी। आज जो यह कहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म कर दो वे किस होश में हैं, जरा जनता की हालत तो देखें। इसी कांग्रेस राज्य में हमें कुछ बढ़ने का मौका मिला है। आज हमें यह मौका है कि अपनी बात और अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आज १२ साल में हमें इस बात का मौका मिला है कि हम अपनी बात जनता के सामने रख सकें और हम अपनी बात शासन के सामने रख सकें और हम धीरे धीरे प्रगति करते करते ऊपर तक पहुंच सकें।

आज, श्रीमन्, देखेंगे कि हरिजन पिछड़ा है, दबा हुआ है, उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। आज भी हमारे हरिजन भाइयों के साथ वही अत्याचार और अनाचार हो रहा है जो सदियों से उनके साथ होता चला जा रहा है और उसकी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। यह तो आज हम कांग्रेस शासन की बदौलत आगे बढ़ रहे हैं और आज हम इस शासन में हर दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम आज शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको मालूम है, श्रीमन्, कि आज से दस साल पहले कोई भी हरिजन डिप्टी कमिश्नर नहीं हो सकता था, पुलिस कप्तान नहीं हो सकता था। लेकिन आज हमने काफी प्रगति की है और आज हम लोग पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक हो सकते हैं और बहुत से भाई पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहे तो हम एक दम नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे पूज्य बापू जी ने कहा था कि एक दिन वह आयेगा जब हिन्दुस्तान की गद्दी पर एक हरिजन बालक बैठेगा। जब देश के प्रधान मंत्री की गद्दी पर एक हरिजन बालक बैठेगा, आज उसी दिन के लिये हम लोग जीवित हैं। उसी दिन के लिये यह सब प्रयास हो रहा है। आज पिछड़ी जाति के लोगों में एक चेतना जाग्रत हो रही है और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि थोड़े दिनों के बाद यानी सन् १९६२ में जब नये एलेक्शंस होंगे तो इनमें से बहुत से लोग जनरल सीट्स से भी चुनाव जीतकर आयेंगे। लेकिन फिर भी मैं यह कह देना चाहता हूं कि अभी हमें रिजर्वेशन की नितान्त आवश्यकता है क्योंकि आज भी देहातों में लाठी का जोर है। आज भी जनतंत्र प्रणाली में अत्याचार और अनाचार फैला हुआ है। वह दूर नहीं हुआ है। इसलिये हमें आज भी रिजर्वेशन की जरूरत है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हरिजन बालकों की शिक्षा इंटरमीडियट तक मुफ्त होनी चाहिये। उनको किताबें मिलनी चाहिये तथा वजीफे दिये जायं। जो बालक तेज हों उनके खाने पीने आदि सब बातों का प्रबंध किया जाय जिससे उनको प्रोत्साहन मिले और वे आगे शिक्षा प्राप्त कर सकें। अगर आज हमारे बालक शिक्षा में उन्नति करते हैं तो हमें आशा है कि हमारे पूज्य बापू जी का महान संकल्प पूरा हो सकेगा।

श्रीमन्, आज मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कुछ क्रिमिनल ट्राइब्स की बस्तियां बसाई जायंगी और इसके लिये बहराइच में शायद ७०० एकड़ जमीन मिली भी है। लेकिन हम कहेंगे कि यहां भी ऐसा न हो जैसा कि लखीमपुर खीरी में हुआ है और उसी की तरह से यहां बस्तियां बसा दी जायं। हमें आशा है कि इसके लिये माननीय मंत्री जी एक कमेटी बनायेंगे और गोंडा तथा बहराइच में इस कमेटी के द्वारा ही बस्ती बसाये जाने की कृपा की जायगी जिसमें यह हमारी विमोचित जाति के लोग अच्छी तरह से बस सकें और अपनी खेती वगैरा का ठीक तरह से प्रबंध कर सकें।

श्रीमन्, आज क्रिमिनल ट्राइब्स की यानी विमोचित जाति की हालत बहुत ही खराब है। उनको कहीं भी कोई स्थान नहीं मिलता है वे चोर डकैत कहे जाते हैं। वे कितने भी सभ्य हों, लेकिन उनको समाज में उसी दृष्टि से देखा जाता है। आज हरिजन लोग भी उनसे नफरत करते हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस जाति के ऊपर वे विशेषरूप से ध्यान दें। सात साल हो गये हैं, लेकिन हालत बदस्तूर ज्यों की त्यों बनी हुई है। मंत्री जी विमोजित जाति के लिये एक कमीशन बिठायें और उसकी सिफारिशों के अनुसार कार्य करने की कृपा की जाय।

श्रीमन्, उनको नौकरियों में स्थान मिलना चाहिये। आज अगर चपरासी वगैरा होता है तो उसको कुछ दिन बाद निकाल दिया जाता है कि यह चोर है, यानी पानी नहीं पिला सकता है, आदि तरह तरह के बहाने किये जाते हैं क्योंकि वह घर का काम नहीं कर सकता है। इस लिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इनकी ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्रीमन्, तीसरी चीज हमें यह कहनी है कि जो हरिजन अधिकारी रखे गये हैं उनको पावर दी जायं क्योंकि आज कोई उनकी बात नहीं सुनता है। यदि वह कुछ करता भी है तो उसको धमकी दी जाती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इनको पावर्स दी जायं जिससे वे हरिजन कल्याण की बात कर सकें। आज हर विभाग के लोगों को टी० ए०, डी० ए० दिया जाता है, लेकिन हरिजन सहायक विभाग को कोई सुविधा नहीं मिलती है। वहां सुपरवाइजर्स तथा सोशल वर्कर्स को टी०ए० नहीं मिलता जिससे वे घर बैठे डायरी लिखते हैं। हमारे जिले में २ सुपरवाइजर्स हैं। मैं मांग करता हूं कि ६ सुपरवाइजर्स और ४ सोशलवर्कर्स रखे जायं जिससे जिले का कल्याण हो सके। साथ ही साथ हर गांव में एक कुआं स्थापित किया जाय और हरिजनों के मुहल्लों में कम से कम एक रेडियो दिया जाय जिससे वहां प्रचार का काम हो सके कि सरकार क्या करती है, वह उसको गांव में सुन सकें। अभी मैं कश्मीर गया था। वहां हर गांव में रेडियो लगा है। पंचायतघर में वहां लोगों को काफी सूचना मिल जाती है। उसी तरीके से हमारे प्रदेश में हर गांव सभा को एक रेडियो दिया जाय। एक हरिजन प्रोग्राम भी रेडियो पर कराया जाय।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)––माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने सदन में पेश किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान है। इसलिये मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब ऐसे महत्वपूर्ण अनुदान पर विचार विमर्ष हो तो भावावेश में नहीं आना चाहिये और सरकार को न तो विरोधी दल पर कटाक्ष करना चाहिये और न विरोधी पक्ष को सरकारी पक्ष पर अनावश्यक ढंग से कटाक्ष करना चाहिये। हमें यह देखना है कि यह अनुदान क्यों आया पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये, क्या यह सही नहीं है कि भारत को स्वतंत्र हुये १२ वर्ष व्यतीत हो गये? क्या यह सही नहीं है कि प्रतिवर्ष पिछड़ी जातियों और हरिजनों के उत्थान की चर्चा समय-समय पर हर जगह होती रहती है। क्या यह सही नहीं है कि साल में कई बार माननीय मंत्री महोदय भी बैकवर्ड फेडरेशन या पिछड़ी जाति संघ के जलसों का जाकर उद्घाटन करते हैं? सारी बातें हो रही हैं। मगर मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगा कि आज हरिजनों की स्थिति कुछ मानों में पहले से और ज्यादा खराब हुई है, आज पिछड़ी जातियों की स्थिति कुछ मानों में पहले से खराब हुई है। क्या कारण है? जब नित्य प्रति कहते चले जाते हैं कि उनका उत्थान हो, विकास हो, तरक्की हो, इन शब्दों के बावजूद भी उनकी दैनिक स्थिति खराब होती चली जाती है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी वाणी और कर्म में कितना बड़ा अन्तर हो गया है। इसीलिये मैं कनफ्युसियस का वह वाक्य अक्सर दोहराया करता हूं कि समाज में तभी सच्चाई और ईमानदारी होगी तब मनुष्य अपने बचनों से जाना जाय। क्या आज हम अपने को इस हैसियत में पाते हैं कि जो हम कहें उसको दूसरे लोग समझ पायें कि हम उस के मुताबिक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

करेंगे ? हमारा आचरण होना चाहिये कि चाहे हम से कोई रंज हो जाय, लेकिन हम से गुमराह न हो। महात्मा गांधी ने एक बार सेवाश्रम में कहा था हमें गुमराह नहीं करना चाहिये चाहे कोई रंज हो जाय ।

दूसरी बात मैं यह भी निवेदन कर दूं । जहां पर परस्पर विरोधी सिद्धांतों का संघर्ष होता है वहां पर टक्कर अनिवार्य हो जाती है । इसलिये सम्मानित सदस्य इस पर विचार करें कि १ करोड़ ५१ लाख का जो अनुदान है यह कैसे खर्च हो रहा है। यह एक बात है । इसमें क्या होना चाहिये यह दूसरी बात है । मैं कल से इस सदन में जब से चर्चा चल रही है अक्सर बैठा रहा हूं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने सुरक्षित सीट को हटाने की मांग की । क्या उन्होंने हमारे हरदयाल जी के भाषण को अच्छी तरह से सुना था ? उनको सुनना चाहिये था और उसको पढ़ना चाहिये था । माननीय हरदयाल जी ने क्या कहा था हरिजनों के लिये ? उनका भूमिकर माफ कर दें । हरिजनों के लिये भूमि कर माफ कर दिया जाय, उनके बच्चों की पढ़ाई अनिवार्य की जाय और मुफ्त शिक्षा दी जाय, घरों की व्यवस्था कर दी जाय, उनकी बेकारी हटा दी जाय, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा दिया जाय, उनके लिये नौकरियों में आबादी के मुताबिक सीटें सुरक्षित कर दी जायं । ये तमाम बातें हो जायं । उनके पुराने कर्ज माफ कर दिये जायं । ये सारी बातें हो जायं तो सुरक्षित सीटों की आवश्यकता नहीं होगी । आखिर आज हरिजन पिछड़ा हुआ समाज है, पिछड़ी हुई जातियां पिछड़ी हैं इसलिये तो यह अनुदान रखा गया है और रुपया देकर मदद की जा रही है । क्यों हम विद्यार्थियों की फीस माफ करने की मांग करते हैं, क्यों हम उनकी दवा की व्यवस्था मुफ्त होने की मांग करते हैं, क्यों हम यह मांग करते हैं कि जो उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उनके लिये मुफ्त उनको वकील मिले ? इसलिये तो यह मांग करते हैं कि वे साधन विहीन हैं ।

जब हम कहते हैं कि अलाभकर जोत पर से लगान माफ कर दिया जाय तो क्या इससे हरिजनों की या पिछड़ी जातियों की आर्थिक दशा नहीं सुधरेगी ? हरिजन छोटे किसान हैं, पिछड़ी जातियां और छोटे किसान जो हैं ये साढ़े छः एकड़ के अन्दर आयेंगे और इससे इनकी दशा सुधरेगी । जब हम इन चीजों को कहते हैं तो क्यों इन चीजों को परोक्ष किया जाता है ? जब हम कहते हैं कि अन्न सेना बनाइये जिस से पूरी तरह से अन्न की पैदावार बढ़े तो अन्न सेना में कौन भरती होगा ? यही हमारे हरिजन भाई होंगे । यह क्यों नहीं किया जाता ? इस अनुदान में देखा जाय, कई तरह की व्यवस्था की गई है । उनसे कई तरह के काम लेने की बात की जाती है । लेकिन जो मूल व्यवस्था इस सदन में प्रस्तुत की जाती है उसे सरकार कभी नहीं करेगी । माननीय हरीसिंह कहते हैं कि हरिजन खानदान में पैदा हुये हैं, मैं मानता हूं वह हरिजन खानदान में पैदा हुये हैं । मैं इस मत का मानने वाला नहीं हूं कि हरिजन खानदान में पैदा होने वाला हरिजन है । मैं तो मानता हूं "समान प्रसवा जाति", एक ढंग एक प्रकार से जो पैदा होता है वह एक जाति है। एक ब्राह्मण हो या चमार हो, जब एक स्त्री का पुरुष से संभोग होगा तो क्या पैदा होगा ? ईंट, कंकड़ नहीं पैदा होगा, मान्यवर, पैदा होगा मनुष्य । नीच कौन है ? जो खुद अपने को नीच समझे वह नीच है । हमारे सामने वे यह बात करते हैं कि चमार के घर में पैदा हुये हैं वह । क्यों अपने को चमार मानते हो, क्यों किसी दूसरे को ब्राह्मण मानते हो ? यह दोनों मनोवृत्तियां एक ढंग की हैं । ब्राह्मण को अपना ब्राह्मणत्व खत्म करना पड़ेगा और चमार को चमारत्व, तब जाकर सच्ची मानवता प्रतिष्ठित होगी । इधर उधर लम्बे नारे लगा देने से बातें, कर लेने से नहीं होगा ।

श्रीमन्, मैं कुछ खास बात कहना चाहता हूं । अभी यहां पर माननीय सदस्य रईसे लखनऊ ने बड़ी लम्बी चौड़ी तकरीर दी । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय सम्पूर्णानन्द जी कभी भी यह कह सकते हैं कि वह हरिजन उत्थान को नहीं करना चाहते, क्या माननीय कमलापति जी कह सकते हैं कि वह हरिजनों का उत्थान नहीं चाहते ? कोई व्यक्ति इस समय ऐसा नहीं है जो यह कह सके कि हरिजनों का उत्थान नहीं होना चाहिये या पिछड़ी जातियों को उठाना नहीं है ।

मगर हमें अफसोस है और निहायत अफसोस है कि हमारे जो हरिजन भाई अपने को मानते हैं हरिजन या पिछड़ी जाति का वह जब कोई हरिजन सम्मेलन करते हैं तो उसका उद्घाटन उस व्यक्ति से कराते हैं जो कि काशीनरेश महाराज के साथ काशी में राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद को ब्राह्मणों का चरणामृत पिलवाते हैं और ११, ११ रुपया दान दिलवाते हैं। क्या आज इस अनुदान के अवसर पर मैं सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूं कि वह अपनी धारणाओं को देखें, अपनी भावनाओं को परखें, उन तमाम परम्पराओं को देखें। क्या कारण है कि यह काम हुआ ? हमारे प्रदेश में हुआ, काशी की पुण्य नगरी में हुआ। यह किस परम्परा का द्योतक है, किस विचारधारा का द्योतक है ? आज मैं चाहता हूं, अगर आप हमें समय दें तो हमारे और माननीय सम्पूर्णानन्द जी के बीच में हरिजन मन्दिर आन्दोलन को लेकर जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसको मैं यहां पढ़ दूं। थोड़ी सी बातें उसकी मैं बता दूं। वाराणसी के अन्दर विश्वनाथ मन्दिर प्रवेश के समय जिस समय हम लोग पकड़े गये, मारे गये, घसीटे गये, जेल गये उस समय माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने लिखा है कि मैं हिन्दू धर्म की व्यवस्था को इस हरिजन मन्दिर आन्दोलन के कारण परिवर्तित नहीं करना चाहता। क्या मानी हैं ? क्या हिन्दू धर्म की वर्ण-व्यवस्था है ? अगर माननीय सम्पूर्णानन्द जी हिन्दू धर्म की वर्ण-व्यवस्था को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हरिजन समाज का उत्थान नहीं हो सकता, पिछड़ी जातियों का उत्थान नहीं हो सकता। केवल मौखिक नारे का प्रचार है। जाओ, जिस मिनिस्टर के राज्य में जिसकी पुलिस हमें गोली मारे, उसी को माला पहनाकर अपने सम्मेलनों का उद्घाटन कराओ। कहां हम जा रहे हैं ? जरा इन बातों पर सोचा जाय, इन कामों को परखा जाय। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। बैकवर्ड कमीशन की रपट क्यों नहीं लागू हुई ? कानपुर जेल से माननीय सम्पूर्णानन्द जी को मैं बराबर लिख रहा हूं। उनकी बड़ी इनायत है, उन्होंने कहा है कि हमारे तुम्हारे बीच में जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसका एक अच्छा खासा संकलन बना डालो, मैं उसकी भूमिका लिख दूंगा। लिखेंगे अगर कभी समय मिल जायगा।

यह, श्रीमन्, कांस्टीट्यूशन से मैं पढ़ना चाहता हूं, अफसोस है कि हिन्दी की कापी नहीं है। आर्टिकिल १६ (४) है--

"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

श्रीमन्, थोड़ा समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--१२ मिनट हो गये हैं। १५ तक आपका समय कर दिया है। और क्या चाहिये ?

श्री राजनारायण--इसमें यह लिखा हुआ है कि कोई भी स्टेट की सरकार कोई कानून पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये बनाये, नौकरियों में उनकी सीट की सुरक्षा के लिये, तो उसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती है। क्या कारण है ? आज मैं चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय गम्भीरता से इस पर चिन्तन करें, विचार करें। क्यों नहीं किया गया ? जो सरकार कहती भी है कि १८ फीसदी हरिजनों का प्रतिनिधित्व होगा और दूसरी जातियों का प्रतिनिधित्व होगा वह प्रतिनिधित्व घोषित नीति के बावजूद भी क्यों नहीं किया गया ? क्या इसका कारण है ? है कोई उत्तर ? एक है। बराबर इस सदन के उत्तरों में आप देखेंगे। माली हैं। चपरासी हैं, दूसरी जगहों पर जहां टेक्निकल नालेज की जरूरत नहीं होती है वहां पर भी हरिजन दुत्कारे गए हैं, उनको जगह नहीं दी गई है, पिछड़ी जातियों को जगह नहीं दी गयी है। क्या कारण है, इस पर विचार होना चाहिये। सरकार का आदेश व्यवहार में क्यों नहीं आया ? और अगर सरकारी आदेश व्यवहार में नहीं आता है तो यह सरकार अपनी जगह पर बैठी क्यों है ? उसके प्रायश्चित स्वरूप वह इस्तीफा क्यों नहीं देती है ? फिर मैं कहना चाहूंगा, एक ही

[श्री राजनारायण]

उदाहरण दूंगा । मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन ले रहा हूं । डाक्टर सीताराम के पास कितने पोर्टफोलियो थे ? डाक्टर सीताराम से रजिस्ट्रेशन वापस क्यों हटाया गया ? रजिस्ट्रेशन विभाग उनसे हटाकर दूसरे मंत्री को क्यों दिया गया ? क्या जिस मंत्री को दिया गया उसके पास दूसरे पोर्टफोलियो नहीं थे ? एक हरिजन मंत्री जो उस काम को कर रहा था उससे वह विभाग हटाकर दूसरे मंत्री को, जिसके पास कि पहले से ही काफी विभाग थे, दिया गया । यह हरिजनों के उत्थान की बात है ? जरा सरकारी पक्ष के सदस्य इस पर सोचें, अच्छी तरह सोचें. . . .

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)---उससे क्या फर्क पड़ा ?

श्री राजनारायण---यह अब आप नहीं समझ पायेंगे ।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यही केरल में हुआ था । यह मैं आपको बता दूं कि मेरे लिये चाहे वह कांग्रेस का सवाल हो, चाहे वह कम्युनिस्ट का सवाल हो, चाहे वह सोशलिस्ट का सवाल हो, अगर कथनी और करनी में एकता नहीं है तो वह सब पाप के रास्ते पर जाने वाले होंगे । हम भी अगर अपनी कथनी और करनी में एक नहीं हैं तो हम भी पापी होंगे । इसलिये हम सही बात को खुलकर कहते हैं । सौराष्ट्र, बम्बई, मैसूर, केरल, मद्रास, इन सब सूबों में बैकवर्ड क्लास के लिये सीटें सुरक्षित हो गईं । उसके मुताबिक काम हो रहा है । हमारा सूबा क्यों पिछड़ा रहा ? हमारे सूबे में बैकवर्ड कमीशन की रपट जो हरिजन और पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये है, उसको आज तक सरकार ने लागू क्यों नहीं किया ? क्या उत्तर है ? मैं चाहता हूं कि हरिजन और पिछड़ी जाति हमारे देश में ३२ करोड़ के करीब हैं उसमें सारे प्रदेशों के हिसाब से हमारे प्रदेश में ९० फीसदी से कम आबादी नहीं है । अगर उनके सामाजिक उत्थान के लिये काम किया जाय और दूसरे कामों को रोककर इनके उत्थान के लिये रुपया रख दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है । आज उनकी सामाजिक आवश्यकतायें और दूसरी जीवनोपयोगी आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पाई हैं । यह हमारे प्रदेश के लिये बड़ी लज्जा की बात है । माननीय सदस्यों को मालूम है कि आज भी हरिजन बस्तियों में पानी पीने के कुयें नहीं हैं । इस पर भी यह सरकार श्रेय लेना चाहती है ।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला फर्रुखाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया । यों तो जब से यह अनुदान पेश हुआ है बहुत से सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये और मैं उनको सुनता रहा । कहना नहीं चाहिये, लेकिन यह जरूर मुझे महसूस हुआ कि यहां पर इसके पेशतर बहुत से हरिजन भाइयों ने अपने विचार प्रकट किये । इसके साथ-साथ मुझे विवश होकर यह कहना पड़ता है कि बहुत से नकली हरिजनों ने भी अपने विचार प्रकट करते हुये इस विवाद में भाग लिया । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह केवल इसलिये कि वे सही मानों में हरिजनों का सुधार नहीं चाहते हैं बल्कि एक पार्टी लाइन्स पर प्रचार मात्र बहुत सी बातें यहां पर कहते हैं । इससे और यह प्रतीत होता है कि हमारे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर हमें एक विरोधी नेता राजनारायण जी दीख रहे हैं और किसी पार्टी का विरोधी नेता हमको दिखाई नहीं पड़ता है । इसका मतलब यह है कि वास्तव में इसको वे इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते । कुछ लोगों न जो कहा उसको सुनकर तो मुझे आश्चर्य हुआ । जनसंघ की तरफ से माननीय सदस्य ने खड़े होकर यह भी दावा कर दिया कि भारतीय जनसंघ के बिना कोई अस्पृश्यता का निवारण नहीं कर सकता । इसको सुनकर सब लोगों को हंसी आई, लेकिन मैं यह कहता हूं कि यह तो केवल प्रचार मात्र है । मैं समझता हूं यह तो वही बात है कि "जाके फटे न पैर बिवाई-वह क्या जाने पीर पराई" ।

शुरू में, सन् १९५० में इस रिजर्वेशन को रखा गया था और तब यह महसूस किया गया था कि १० वर्ष के अन्दर हरिजनों की आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है । यह भी कहा गया कि हम अपनी गति तेज करेंगे और दस वर्ष के अन्दर यह सरकार सामाजिक विषमता दूर कर सकेगी और किसी आदमी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी । आज

सन् १९५९ में हम यह विचार कर रहे हैं कि वास्तव में हम उस तेजी के साथ उस सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर करने में सफल हुये हैं या नहीं । मुझे यह स्पष्ट कहना पड़ता है कि इन १० वर्षों के अन्दर जिस गति से हमको बढ़ना चाहिये था हम उतनी तेजी से नहीं बढ़ सके । यह भी सत्य है कि हमारी सरकार ने एक हरिजन समाज कल्याण विभाग की स्थापना की । इसके तहत में उन्होंने तमाम हरिजन-उद्धार के लिये, उनके स्थान के लिये, चाहे वह शिक्षा हो या नौकरी हो, चारों तरफ कोशिश की, लेकिन इस सब के बाद भी मैं तो यह कहता हूं कि शिक्षा की तरफ ध्यान दिया गया और तेजी के साथ दिया गया और हमारे बच्चे निकले, लेकिन साथ ही साथ हमारी यह भी शिकायत है कि जिस तेजी के साथ हम को बढ़ना चाहिये था वह तेजी नहीं आई ।

फीस के लिये भी ऐसा कर दिया गया है कि २५० रुपये आमदनी वाले के लड़के की फीस माफ नहीं होगी । जिनकी आर्थिक दशा ठीक हो उनकी फीस माफ नहीं होना चाहिये, लेकिन इससे कुछ लोगों की कठिनाई बढ़ी । जिन लोगों की आमदनी कम थी उनको भी फ्रीशिप के लिये बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। जो हमारी स्कालरशिप का मामला था वह प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार दो भागों में बंट गया । जो हाई स्कूल से ऊपर के विद्यार्थी थे उनके लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट से तय हुआ और जो नीचे की कक्षा वाले थे उनके लिये प्रान्तीय सरकार से तय हुआ। लेकिन आज यह देखा गया है कि उसमें भी जो पर्याप्त मात्रा में स्कालरशिप मिलना चाहिये वह आज तक नहीं मिले । यही कारण है कि हमारे बच्चों को जिस प्रगति से बढ़ना चाहिये उस प्रगति से वे नहीं बढ़े । मैं सरकार से कहूंगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका स्तर आप कहते हैं कि नीचे जा रहा है, उसकी तरफ आप देखें । इसके ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करें । एक गौर करने के लायक मसला है । इसके साथ ही साथ सरकार ने एक विधान बनाया कि १८ फीसदी रिजर्वेशन हरिजनों के लिये नौकरी में रखा जाय । जब हम लोगों ने देखा तो मालूम हुआ है कि १ या १।। फीसदी से ज्यादा हमारे हरिजन नौकरियों में नहीं आ पाये हैं । देखने से यह पता चलता है कि जितने आदमी उन्होंने रखे हैं उस से ज्यादा आदमी निकाल दिये हैं ।

अभी खबर मिली है कि गवर्नमेंट नार्मल स्कूल, सिसेंडी में थोड़े दिन हुये एक आर्ट टीचर रखा गया था जो यह कहकर निकाल दिया गया कि जूनियर है । एक्साइज विभाग में एक आदमी १० साल तक काम करने के बाद निकाल दिया गया । उस के लिये रिप्रेजेन्टेशन भी किया गया, लेकिन कोई फैसला आज तक नहीं हुआ । यह देखकर अफसोस होता है कि जैसे दूध तो अच्छा हो और उसके रखने का बरतन खराब, वही हाल यहां है । सरकार की नीति तो ठीक है, लेकिन सरकारी अधिकारी नहीं चाहते कि हरिजन रहें । हरिजनों का नाम सुन कर उनको कंपकंपी हो जाती है। मालूम होता है कि सरकार पर वे ही हावी हैं। नाम मात्र के लिये, कागज में १८ फीसदी का रिजर्वेशन है । उनका कहना है कि डिजर्विंग कैन्डीडेट नहीं मिलते । अगर वास्तव में यही हालत है तो हमारे यहां के जो पढ़े लिखे और ग्रेजुएट लड़के हैं उन्हीं में Competition आप रखें । इस के अलावा हम लोगों की एक यह भी मांग रही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मेम्बर हरिजन होना चाहिये । उसके बाद आपको अनुभव होगा कि हमारे यहां के लड़के नौकरियों में आ सकते हैं या नहीं । पक्ष और विपक्ष के, सभी लोग यह महसूस करते हैं कि हमारा यह १८ फीसदी का रिजर्वेशन पूरा नहीं होने पाता । अच्छी-अच्छी सर्विसेज में अगर हम नहीं आ पाते तो ठीक, लेकिन क्या चपरासियों में भी हम हरिजन नहीं रखे जा सकते, उन के लिये भी आपको उपयुक्त लोग हरिजनों में नहीं मिलते ? १० वर्ष के लिये जो कहा गया था और यह कहा गया था कि १८ फीसदी हरिजन रखे जायंगे वह पूरा नहीं हुआ, इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस प्रतिशत को पूरा करावे ।

गृह निर्माण और कूप निर्माण की जो योजना सरकार की है, उस के लिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई योजना बनायी है ? पंचवर्षीय योजना में क्या उसने कोई सर्वे कराया है कि कितने हरिजन ऐसे हैं कि जिनको कुवें या गृह की आवश्यकता है ? ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने अनुभव की बात करता हूं । सरकार ने प्लानिंग के लिये बहुत रुपया दिया

[श्री रामकृष्ण जैसवार]

लेकिन वास्तव में जहां जिस व्यक्ति की आवश्यकता है उसके लिये रुपया न खर्च किया जा कर उसका दुरुपयोग हो रहा है । विकास खंड आपने खोले हैं । मिसाल के लिये मिर्जापुर का हलिया ब्लाक है । वहां जो रुपया खर्च हो कर काम हुआ है उससे क्या गरीबों का उद्धार हुआ है ? क्या उनकी हालत में कोई परिवर्तन हुआ ? नाम मात्र के लिये भले ही परिवर्तन हुआ हो, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं हुआ । तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस बात का वे सर्वे करायें कि कम से कितने कुओं की आवश्यकता है, कितने घरों की आवश्यकता है और फिर उसके आधार पर वे काम करें ।

मकान के लिये आबादी की दिक्कत है । उस के लिये भी सरकार कुछ करे । नागपुर अधिवेशन में जो सरकारी खेती के लिये प्रस्ताव पास किया गया है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके साथ ही सीमा निर्धारण के लिये प्रार्थना है । मंत्री जी ने व्यक्तिगत हैसियत से भले ही ५० एकड़ की सीमा का एनाउन्समेंट किया हो, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिये मंत्रिमंडल की कोई घोषणा होनी चाहिये । हरिजनों की मांग साढ़े १२ एकड़ की है, वह होना चाहिये ।

अस्पृश्यता निवारण के लिये सरकार ने तमाम योजनायें बनायीं, लेकिन वह सब कागज पर ही रह गयीं ? हरिजन कल्याण अधिकारी रखे गये हैं, लेकिन या तो उन्हें अनभव नहीं है या वे कार्य करना नहीं चाहते । उन से काम नहीं हो रहा है । इस से तो अच्छा काम प्लानिंग विभाग वाले करते थे । अगर उनसे काम नहीं होता तो ऐसे अधिकारियों को समाप्त करना चाहिये ।

इन सब बातों के होते हुये यह सवाल आता है कि रिजर्वेशन रहना चाहिये या नहीं । मैं कहना चाहता हूं कि जो १० साल की योजना थी वह पूरी नहीं हुई इसलिये सरकार इस पर भी विचार करे कि अगर इसी गति से रिजर्वेशन के नाम पर वह काम करना चाहती है और हम लोगों को डार्क में रखना चाहती है तो ऐसे रिजवशन की आवश्यकता नहीं है । वह खत्म हो जाना चाहिये । लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सरकार को रिजर्वेशन को बढ़ाना चाहिये । हमको आप अंधकार में न रखें । हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं । जानकार उठ रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि गांधी जी के अहिंसा के सिद्धान्त पर ही हमारा उत्थान हो सकता है । हमारा विश्वास है कि यह कांग्रेस सरकार और मंत्रिमंडल हमारे हरिजनोत्थान में सहायक होगा । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे सुझावों पर विचार किया जायगा ।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सरकार ने सामाजिक और आर्थिक उन्नति में कितनी पिछड़ी और अनुसूचित जातियों की मदद की है इस पर ही हमें विचार करना है । इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि हमारी सरकार पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये कोशिश कर रही हैं और इसलिये आज यह अनुदान पेश है कि साल भर में हरिजनों की दशा में कुछ सुधार हो । लेकिन आप देखिये कि हरिजन और पिछड़ी जातियों की हालत क्या है ? मैं तो जब गांव में देखता हूं तो मालूम होता है कि अच्छे होने के बजाय उनकी हालत बिगड़ती जाती है । हमारे कुछ सदस्यों ने शंका प्रकट की कि यदि रिजर्वेशन रहा तो देश का बंटवारा होगा । यानी अछूतिस्तान की नींव पड़ेगी । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हम कभी भी इस मुल्क को टुकड़ों में देखना नहीं चाहते । हरिजन कभी इस चीज को बरदाश्त नहीं करेंगे । लेकिन आप जरा सोचें तो । किसी खानदान में ४, ५ भाई हैं, यदि आप उनमें समानता का व्यवहार करें तो क्या वे अलग होंगे ? लेकिन अगर आप खामख्वाह उनके हक को छीनें, उनको जलील करें तो क्या हम आशा कर सकते हैं कि वे आपके साथ रहेंगे ? इसलिये आप अपने कर्त्तव्य को ठीक रखिये और फिर देश के विभाजन की बात अपने दिल में कभी न सोचिये । आप देखिये कि जो आपके प्राइमरी स्कूल खुले हुये हैं उनकी हालत क्या है । आज प्राइमरी स्कूलों में हजारों करपात्री

बनाये जा रहे हैं । हरिजन बच्चों को ऊपर से पानी पिलाया जाता है और इस देश में फूट का बीज बोया जाता है । जहां ऐसे अध्यापक पढ़ाते हैं उस जगह के लिये जांच कमेटी बननी चाहिये और ऐसे मास्टरों को कदापि स्कूलों में जगह न दी जाय जो मुल्क में विषमता की भावना पैदा करते हों । हम लोग ऐसे समाज के लोग हैं कि जो भीख मांग कर, मोहताज बन कर खाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम को काम मिले । हम काम करके इस मुल्क को आगे बढ़ावेंगे । दुनिया के मुल्कों से यह आगे बढ़े हम यह चाहते हैं । हमारे श्रम की कीमत कीजिये, उसकी इज्जत कीजिये । गांव में बिना श्रम के लोग बैठे हैं, उनकी तरफ आप ध्यान दें ।

खास तौर से खेती हरिजन और बैकवर्ड लोग करते हैं, लेकिन उनके पास भूमि नहीं है। भूमि तो बड़े-बड़े लोगों के पास है, उन लोगों के पास भूमि है जो बड़े-बड़े चक लेकर बैठे हुये हैं। मैं आप से कहता हूं कि आप इसका सर्वे कराइये और इस बात को मान कर चलिये कि ज्यादा से ज्यादा एक परिवार की १०, १२ एकड़ की सीलिंग हो ताकि भूमि इन गरीब व्यक्तियों को भी दी जा सके जिससे कि वे भी आगे बढ़ने में देश का साथ दे सकें ।

हमारी सरकार आज हरिजन सहायक विभाग खोल कर देश की मदद करती है, लेकिन हरिजन सहायक विभाग की व्यवस्था उसी तरह से है जैसे कि गोशालाओं की होती है । गोशाला में होता क्या है, रेलगाड़ी में लोग उनके नाम पर भीख मांगते हैं, मोटरों पर भीख मांगते हैं, उनके शब्द बड़े लच्छेदार होते हैं, लेकिन अगर आप गोशाला में जायं और देखें तो पता चलेगा कि गाय और बछड़े दूध नहीं दे पा रहे हैं, गाय की हड्डी तो बिलकुल सूखी जा रही है । ठीक यही हालत आज हरिजन सहायक विभाग की भी है । रुपया दिया जाता है, लेकिन हरिजनों तक पहुंचते-पहुंचते उसकी क्या दशा हो जाती है, यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और यहां का हर सदस्य जानता है । इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है कि आप इन अधिकारियों पर कड़ी निगाह रखें, उनकी जांच करते रहें ताकि इनको समय पर अनुदान मिल सके । जब गांवों में इस तरह से काम होगा, तभी हमारे देश की तरक्की होगी ।

मैं कहता हूं कि यदि आप गांव में देखेंगे, तो आपको वहां हर जगह यही दिखलाई देगा कि वर्गीकरण बढ़ रहा है और अछूतों को दूसरों से अलग किया जा रहा है । वे अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन उन को मार-मार कर अलग किया जा रहा है । उनकी बस्ती गांव के दक्खिन की तरफ बसाई जाती है, गांव में उनको बसने ही नहीं दिया जाता । चाहिये तो यह था कि हम उनके साथ प्रेम का व्यवहार करें, लेकिन यह होता नहीं है । जैसे आप बड़े आदमी हैं, लेकिन अगर आप का लड़का ऐसी जगह रख दिया जाय जहां का वातावरण खराब हो, जहां पर ठीक तरह से उसे खाने को न मिलता हो, तो आप का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है । इसी तरह से यदि हरिजन के बच्चे को अच्छा खाना दिया जाय, उसकी शिक्षा अच्छी हो, तो वह जरूर आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि हमारा भारत एक है, हम सब एक जगह के बसने वाले हैं, सब के साथ हमारा एक तरह का व्यवहार होना चाहिये । मगर यहां पर कुछ लोगों की हालत बहुत खराब है, हमें उस खराबी को सुधारने के लिये गांव की तरफ जाना चाहिये । सबसे अधिक खराब हालत व गरीबी की हालत गांवों में हरिजन बस्तियों की है । हमें चाहिये कि हम देखें कि उन की हालत क्या है, कैसे हम उस को सुधार सकते हैं । यह देश का बहुत ही पिछड़ा हुआ वर्ग है और यदि गांवों में लोग जाते हैं या माननीय मंत्री जी जाते हैं, तो वे इन गरीबों के यहां नहीं ठहरते हैं। माननीय मंत्री जी तो वहां ठहरते हैं, जहां पर आलीशान बिल्डिंग हो, जहां सुन्दर-सुन्दर चाय के कप हों, जहां पर सुन्दर-सुन्दर हाथ हों । ऐसी ही जगहों में वे ठहरते हैं । वे हम गरीबों के यहां और पिछड़े हुये लोगों के यहां ठहरने की कोई कोशिश नहीं करते । हमारी दशा अभी बहुत पिछड़ी हुई है । उन्हें यह बात मालूम होना चाहिये कि यदि हमारे यहां का एक भी वर्ग पिछड़ा रहा, तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता । जब तक इस मुल्क के हर कौम में, हर जाति में

[श्री दुर्योधन]

इस तरह की बातें नहीं आवेंगी, हर जाति के लोग जब तक यहां तरक्की नहीं करेंगे, तब तक इस मुल्क को आप तरक्की से दूर ही समझिये। इसलिये मैं माननीय हरिजन सहायक मंत्री जी से, जिन्होंने कि यहां पर यह हरिजन अनुदान पेश किया है, यह कहूंगा कि आपके ऊपर इस बात की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और दूसरे लोग यदि हरिजन बस्तियों में नहीं ठहरते हैं, तो कम से कम आप तो हरिजनों की बस्ती में ठहरिये, वहां जाकर उनकी हालत देखिये, उनसे बात कीजिये, तो वहां आप को इस बात का मर्ज मिल जायेगा। और मर्ज का इलाज करने के लिये आपकी बुद्धि तो प्रखर है ही। और मुझे आपसे इस प्रकार की उम्मीद तो है ही कि आप सोच विचार कर ऐसा मार्ग निकालने की कोशिश करेंगे।

मैंने गांवों में हरिजनों के मकान बनवाने के सिलसिले में छानबीन की और सहयोग दिया और मैंने देखा कि जो बड़े-बड़े लोग होते हैं उनको ही हरिजनों की बस्तियों का ठेका दे दिया जाता है।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल से जो हरिजन कल्याण पर वादविवाद चल रहा है उसके सिलसिले में मुझे कुछ इधर बैठने वाले भाइयों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके पहले कि मैं अपने विचार सदन के सामने रखूं उनके विचारों के बारे में दो एक बात जरूर रख देना चाहता हूं। माननीय भाई यशपाल सिंह जिस समय भाषण कर रहे थे 'जन्मनाजायते शूद्रः' 'ब्राह्मणो मुखमासीत्' इत्यादि। वे कह रहे थे कि हम जातियों को जन्म से नहीं मानते, कर्म से मानते हैं। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि यह विषय आज का नहीं बड़ा पुराना है। जिस समय महर्षि ने जन्म लिया और इस कार्य को किया उसी समय से यह शास्त्र और स्मृतियां चली आयी हैं। उसका अर्थ तोड़ मरोड़ कर चाहे भले ही कर लिया जाय, लेकिन उनमें जातियां कर्म से नहीं मानी गयी हैं, जन्म से ही मानी गयी हैं। जब तक मनुस्मृति को माना जाता रहा रहेगा और स्मृतियों और वेद और शास्त्र की बात मानी जाती रहेगी तब तक जाति भी जन्म से ही मानी जाती रहेगी, कर्म से नहीं। इसलिये संस्कार और कर्म की बात कह कर एक वर्ग विशेष को धोखे में डालना है। मनुस्मृति आज भी कहती है कि यदि शास्त्रों का पाठ करे तो उसकी जीभ काट लो, कान से अगर शास्त्र सुने तो उसके कान में सीसा डाल दो। इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि शूद्र का तो एक ही काम है और वह है सेवा। दंड के लिये ब्राह्मणों की व्यवस्था बतलाई है। उसके लिये कहा गया है कि वह कोई भी बुरा कर्म करता रहे, कोई बात नहीं है। अगर उसके लिये कोई दंड रखा गया है तो यह कि उसका सामान भी न छीना जाय, उसका शरीर क्षत-विक्षत भी न किया जाय, उसको सामान सहित वैसे का वैसा ही भेज दिया जाय। यह व्यवस्था की है। इसमें यह भी लिखा हुआ है---

"विप्रसेवैव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्त्यते। योऽतोन्यद्धि कुरुते तद्भवत्यस्य-निष्फलम् ॥२३॥"

अर्थात् ब्राह्मण की सेवा ही शूद्र को और सब कर्मों से शास्त्र में श्रेष्ठ कर्म कहा है जिससे इसको छोड़ कर जिस कर्म को यह करता है वह इसका निष्फल होता है।

आगे वह कहते हैं कि स्वर्ग के जाने के लिये भी शूद्र ब्राह्मण की सेवा करे।

इस सबके कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मनुस्मृति को पढ़ने वाले सब जानते हैं कि जहां तक शास्त्रों की बात है वह कर्म से उत्पन्न होने की बात कहीं भी नहीं कहते हैं। जो कर्म की बात कहते हैं वह अर्थ को तोड़-मरोड़ कर ही कहते हैं।

इसके साथ ही साथ यशपाल सिंह जी ने यह भी कहा कि आर्य समाज ने कभी इसको नहीं माना, लेकिन मुझे दुःख है कि आज आर्यसमाज को इतने दिन काम करते हो गये, लेकिन वह अपने कार्य में सफल नहीं हो सका। शर्मा, वर्मा, गुप्ता आदि आज भी उसी प्रकार से चलते हैं जैसे पहले चलते थे। एक तरफ तो वे इस बात को कहते हैं और दूसरी तरफ वर्ण व्यवस्था की दुहाई देते

हैं। मुझे दुःख है अभी एक माननीय सदस्य ने आवाज लगाई कि यह तो पुरानी बात है। लेकिन जब तक शास्त्रों और वेदों में लोगों की श्रद्धा रहेगी, यह चीज मिट नहीं सकती है; इसका तो एक ही इलाज है और कभी-कभी आपने वह सुना भी होगा और माननीय बी० आर० अंबेदकर ने अपने जीवन में उसको कई बार कहा भी था। वह इलाज है इस वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना।

(इस समय १२ बजकर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

कल माननीय यशपाल सिंह ने इस हाउस में वर्ण व्यवस्था की दुहाई देते हुए जो शब्द कहे उससे तो मैं यही कह सकता हूं कि वास्तव में वर्ण व्यवस्था के नाम पर वे जाति व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, ऊंच-नीच के भेद को कायम रखना चाहते हैं। यदि वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी तो ऊंच नीच का भेद भी बना रहेगा।

दूसरी चीज हमारे एक भाई ने और कही थी कि भारतीय जनसंघ ही केवल ऐसा है जो वर्ण-व्यवस्था के नाम पर ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करना चाहता है। मुझे उनकी बात सुन कर हैरानी हुई। मैं नहीं जानता कि किस आधार पर उन्होंने यह कहा? हो सकता है कि उनका कोई निजी अनुभव ऐसा हो, लेकिन मैं तो समझता हूं कि जो इधर के बैठने वाले हैं या उधर के बठन वाल हैं, उनमें सब से ज्यादा हिन्दू संस्कृति के नाम पर कोई रोना रोने वाला है तो वह जनसंघ ही है। अभी दो रोज हुए, शिक्षा पर बोलते हुए माननीय दुबे जी ने धर्म के नाम पर दुहाई देते हुए बहुत-सी बातें कहीं थीं। पता नहीं धर्म के नाम पर इस तरह की बातें करके हम समाज को कहां ले जाना चाहते हैं और पता नहीं उससे आगे क्या करवाना चाहते हैं? धर्म के नाम पर अब तक तो देश की यह हालत रही और पता नहीं अब आगे देश की क्या हालत होगी, अगर धर्म के नाम पर यहां इस तरह की चीजें होती रहीं।

श्रीमन्, एक बात मैं और उधर वालों से कहना चाहता हूं और उनसे मेरी विशेष शिकायत है कि इस जाति के लिये यदाकदा बड़े ही सुन्दर शब्द एकाध वे कह दिया करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि वे एकाध सुन्दर शब्द कह दिया करते हैं, लेकिन जहां तक उसे कार्य रूप में परिणत करने की बात होती है तो वहां मुझे विरोधाभास ही दिखाई पड़ता है। यहां तक कह दिया जाता है कि वर्ग व्यवस्था को वे खत्म कर देना चाहत हैं, लेकिन वास्तव में वे ऊंच-नीच के भेद को हमेशा के लिय कायम रखना चाहते ह। इसका कारण यह है कि जितने विरोधी पार्टी के नेता हैं वे एक वर्ग विशेष के हैं, एक पार्टी है जिसके नेता तो उस वर्ग से नहीं आते हैं, लेकिन उनके उपनेता इसलिये उस वर्ग से हैं कि कहीं ऐसा न हो कि कोई दूसरी बात हो जाय। माननीय झारखंडे राय जी ने यहां पर एक आदमी के मरने के ऊपर काम रोको प्रस्ताव रखा था। इसी तरह स सोशलिस्ट पार्टी के लोग भी यहां पर काम रोको प्रस्ताव रखते हैं कि फलां आदमी मर गया, या फलां जगह भुखमरी है। मुझे बड़ा दुःख है कि हजारों वर्ष से सृष्टि के आदि से जो जाति कुचली जाती आयी है उसके साथ आज भी वही व्यवहार हो रहा है, लेकिन उनकी तरफ किसी भी नेता का ध्यान नहीं गया।

श्रीमन्, एक दिन कमरे में श्री राजनारायण जी से बात हो रही थी तो उन्होंने बनारस के चुनाव के बारे में बात करते हुए यह बतलाया कि मैं ऐसे तो चमारों के साथ उठता-बैठता भी हूं, खाता-पीता भी हूं, लेकिन यहां इसलिये नहीं उनके साथ ऐसा कर पाता हूं कि लोगों को कहने का मौका मिल जायगा कि यह तो चमारों के साथ भी उठते-बैठते हैं तथा खाना भी खाते हैं। आर्य जी के कमरे में मेरी यह बातचीत उनसे हो रही थी। तो, श्रीमन्, यह मेरे अनुभव की बात है, और मुझे तो ऐसे लोगों की मनोवृत्ति को जान कर दुःख होता है। श्रीमन्, माननीय सदस्यों को सुनकर आश्चर्य होगा जिसे मैं बतलाना चाहता हूं। मैं उस आगरा जिले से आता हूं जिसका यू० पी० म बड़ा महत्व है। अगर आप देखें तो जो लोग यहां पर हरिजनों की दुहाई देते हैं और खास कर ऐसे बड़े नेता जिन्होंने देश के लिये बहुत कुछ त्याग किया, वे जब अपने मुंह से उनकी दुहाई

[श्री छत्रपति अम्बेश]

देते हैं तो मुझे सुन कर आश्चर्य होता है तथा दुख भी होता है। श्रीमन, एलेक्शन के जमाने में जब वे हमारे इलाके में जाते थे तो लोगों से कहते थे कि कांग्रेस को वोट मत दो क्योंकि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो वे तो चमारों के साथ बैठ कर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इसलिये तुमको भी उन चमारों के साथ उठना-बैठना पड़ेगा। एलेक्शन में उनका यह एक कम्पेन था, यह एक प्रोपेगेंडा था। तो मैं बता रहा था यह भावना की बात है। जिस समय एक माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऊंची जाति का हूं। मुझे बड़ा दुख हुआ जब चुने हुए लोग ही इस तरह की भावना रखते हैं तो यह देश कहां जायगा। इसके अलावा मैं यहां पर भी कुछ लोगों को यदाकदा चमार शब्द का प्रयोग करते सुनता हूं, जिसका इस्तेमाल घृणा की दृष्टि से होता है।

इधर बैठने वालों से भी एक शिकायत है। जहां कर्म की बात आती है मुझे दुख इस बात का है कि किसी ने कोई भी ऐसा कार्य प्रारम्भ नहीं किया कि हम इस जाति का उद्धार करना चाहते हैं। ठीक है, वे यह समझते हैं यह कोई आवश्यक बात नहीं है। मैं मंत्री जी से कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं जिस समय महर्षि के बाद में गांधी जी ने इस बारे में विचार किया और सोचा कि हमें देश में जिन्दा रहना है, देश की हालत अच्छी करना चाहते हैं तो उन्होंने अछूत आन्दोलन का प्रश्न उठाया। परन्तु वास्तव में अगर सच पूछा जाय जितना हमने ढिंढोरा पीटा उसका एक अंश भी काम नहीं किया। लेकिन उससे नुकसान हुआ। कालेजेज में अफसरों में यह भावना है, वे कहते हैं कि गवर्नमेंट तुम्हारे लिये यह कर रही है, जैसे उदाहरण के लिये १८ प्रतिशत की बात कहते हैं, यद्यपि वह बात पूर्णतः इस सरकार के अधिकार में नहीं है, लेकिन कुछ तो है ही? तो ढिंढोरा पीटने से यह हुआ कि लोगों के अन्दर हमारे प्रति विरोध की भावना पैदा हुई। वे कहते हैं कि तुम प्रिवलेज्ड क्लास के हो। वास्तव में बात यह है कि हमें १८ प्रतिशत में से डेढ़ प्रतिशत भी मिल जाता तो भी ठीक था। अच्छा हो हम आज भी उस ढिंढोरे को इस तरह से न पीटें और चुपचाप काम करें तो ज्यादा फायदा होगा।

जहां तक नौकरियों का मामला है वह तो ऐसी चीज है जिसको मंत्री जी भी जानते हैं और सभी जानते हैं। वह तो एक पूर्ति करने की बात है। अगर वास्तव में पूर्ति करना है तो उसकी एक अवधि निश्चित कर दी जाय। मंत्री जी ने इसे स्वीकार किया कि बड़ी अच्छी बात है। परन्तु मुझे सामाजिक दृष्टिकोण से कुछ बातें कहनी हैं जिन पर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। विरोधी दल से तो मैं बिलकुल निराश हूं क्योंकि उनका एलेक्शन प्रोपेगेन्डा मैंने सुना है। वास्तव में जितना सामाजिक उत्थान होना चाहिये वह नाम को भी नहीं हुआ। महर्षि और गांधी जी के बाद, सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी आज तक हम मन्दिरों में प्रवेश नहीं करा सके हैं। ठीक है मन्दिर आज भी छूते ही जाते हैं।

दूसरी बात यह है कि आज भी हमारी दशा गांवों और शहरों के अन्दर बड़ी बुरी है। अभी पहाड़ पर एक घटना हो गई थी। ७ रोज तक बारात नहीं चढ़ सकी। मैं नहीं कह सकता कि हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे।

चौधरी खजान सिंह (जिला उन्नाव)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान पिछड़ी जाति और हरिजनों के उत्थान के लिए बहुत महत्व का है। लेकिन महत्व इसमें यह है कि इतनी बड़ी संख्या का १ करोड़ ५१ लाख रुपये से उत्थान हो जायगा। हमेशा शोषण करने की आदत रही और ऐसी ही बनी रहेगी। पहले तजुर्बे कर चुके हैं। भारत में ऊंचे कहलाने वाले नेता तजुर्बे कर चुके हैं, फिर भी नातजुर्बेकारी करते हैं। अभी पाकिस्तान बन गया कुछ ही दिन हुए हैं। यहां नेकर भी आ चुका है। सवर्ण या द्विज कहलाने वाले हिन्दुओं, तुमने देश को हमेशा बरबाद किया। कल हरीसिंह साहब कह रहे थे कि हम साथ खाना खा लेते हैं। राम ने भी सीता की तलाश में अपने मतलब से भीलनी के जूठे बेर खाये। इसमें तो कोई बात नहीं . . .

श्री उपाध्यक्ष---जरा आप माइक्रोफोन पर बोलिये, सुनायी नहीं पड़ रहा है माननीय सदस्यों को।

चौधरी खजान सिंह---गजनी के महमूद का तजुर्बा किया आपने। याद नहीं रहा तो सुन लीजिये। वह मूर्ति थी सोमनाथ के मंदिर में। दो चकमक के बीच लटकी हुई थी। गजनी आया और हमला किया। पुजारियों ने कहा कि इसको न तोड़ा जाय। उस ने कहा कि मैं बुतपरस्त नहीं हूं--- उसे तोड़ दिया और खजाना ले गया। इकट्ठा था न! यह तुम्हारी शोषण करने की नीति है। रामायण सभी पढ़ते हैं, सब मानते हैं। शूद्र लोगों को पूजा करने का अधिकार नहीं था। सन् १९१४ की लड़ाई की बात बतलाऊं। १९१४ में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की मदद की, हर तरह से सहयोग दिया। १९२१ में अंग्रेजों ने रौलट बिल पास कर दिया लड़ाई खतम होने के बाद और मुआविजा नहीं दिया। कहा कि तुम अयोग्य हो, भारत की हुकूमत लेने के काबिल नहीं हो। १९२९ में राउन्ड टेबिल कान्फ्रेंस हुई इंग्लैन्ड में। जिन्ना साहब और डाक्टर अम्बेडकर भी थे। भारत के मुसलमान जिन्ना के साथ रहे और महात्मा गांधी को सिर्फ १३ तार भारत से हरिजनों के पहुंचे, ३०० तार डाक्टर अम्बेदकर को। बहुत सारे काम आज जो लिये जाते हैं, लेकिन वह शूद्रादि नहीं हैं, मालिक हैं। काम करने वाला, उत्पादक, नीचा नहीं होता है, वह ऊंचा होता है। बैकवर्ड तो देश के साथ थे, देश को आजाद कराने में लगे थे। इस वास्ते उनका कुछ नहीं बना। लेकिन कुछ चाहते थे कि बैकवर्डिस्तान भी बन जाय। सन् १९३९ में फिर लड़ाई शुरू हुई। महात्मा गांधी ने बाईकाट किया कि अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे क्योंकि मुआवजा नहीं दिया, और कहा कि जो फौज में भर्ती होगा वह मेरी कमर पर होकर जायगा। लेकिन चर्चिल ने भुखमरी पैदा की। लोग मरे, और बापू का खयाल नहीं किया गया। फिर आगा खां के महल में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैद किया गया। उस के बाद बम्बई और विजगापट्टम में मालूम हुआ कि सिपाहियों ने असलाह पर कब्जा कर लिया। उस के बाद लड़ाई खत्म हुई और सब लोग छोड़ दिये गये और स्वराज्य हो गया, बिना कमाये आप को राज्य मिल गया आप की हुकूमत बन गयी। अब आप क्यों किसी की सुनेंगे। उस के बाद भी सुन लीजिये, पाकिस्तान बनता है, खून की नदियां बहती हैं, डाक्टर अम्बेदकर ने पाकिस्तान का नारा लगाया और महात्मा गांधी ४ आना की मेम्बरी कांग्रेस की छोड़ कर वहां पहुंचे और आमरण व्रत शुरू किया। डाक्टर अम्बेदकर जो रिजर्वेशन के चक्कर में पड़े थे उनको लोगों ने समझाया। यह उसी वक्त रिजर्वेशन उन को दिया गया है, उन्हीं को यह रिजर्वेशन देन है। आज टिकट के लालच में फूलते हैं। साफ बात कह दीजिये तब उत्थान होगा।

कुछ सदस्य---कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---आप जरा थोड़ा पीछे हटकर बोलिये।

चौधरी खजान सिंह---वे यह नहीं जानते कि गुरुओं ने भागवत में क्या लिखा है। उस में लिखा है कि कलयुग में शूद्रराज। क्यों घबराते हो पालीवाल जी ने कहा था कि बिरादरी रग रग में भर गयी है। वहां भी वर्ग का ही हिसाब है आप देख लें, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। आप राष्ट्रपति देख लें, चीफ मिनिस्टर को देख लें। जो भागवत में लिखा है वह सामने आ रहा है। यह देख लो तजुर्बा। ठीक कह रहा हूं, न्याय के नाते, उदारता के नाते। मैं साफ साफ कह रहा हूं, लेकिन बुद्धि तो आप की दुरुस्त नहीं रही। उन को अपने रहम पर ही करने दीजिये। जो वे श्रम करें उन्हें उन के श्रम की तो कीमत दीजिये। आप उन को उत्पादन का काम तो दीजिये, वह आप की मदद नहीं चाहते। आप ने उन्हीं का उगाया हुआ गेहूं १३ रुपया मन खरीदा और फिर उन्हीं को आप ने ३२ रुपया मन बेचा। अब उन का गेहूं बाजार में आयेगा, २ सेर का तो हो गया

[चौधरी खजान सिंह]

अब साढ़े तीन सेर का हो जायगा, लूट लो। तुम्हारी आदत रही है वही तुम ने फिर शुरू किया। सरकार से कह रहा हूं, तुम से ही कह रहा हूं। वह तो वह, बैठे आप सुनते रहिये। तुम खुद ही जानते हो, कहीं पता थोड़े ही है माननीय सदस्य को। तो अब मामला यह है कि आप इन्साफ को मद्देनजर रख कर अपने जमीर को टटोलो। यह दिखावा करना कि हम जाकर खाना खा आये, हमने उद्धार कर दिया अछूतों का और यह कर दिया, वह कर दिया, इस से कुछ होने वाला नहीं है। उनकी आर्थिक हालत दुरुस्त कीजिये, उन को तालीम दीजिये ज्यादा से ज्यादा, जितनी दे सको। उनकी बस्ती को अच्छा बनाओ और यह जो अनुदान दिया जा रहा है इस को और ज्यादा कर दीजिये। गांव में जो ऊसर जमीन पड़ी हुई है उस पर हरिजनों को लगाइये, मजदूरी देकर उन से ठीक कराइये, फिर उन्हीं को दे दीजिये, तभी उन की हालत कुछ सुधर सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त हो गया।

*__श्री वीरसेन__ (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि इस अनुदान से इस समस्या को हल करने का उद्देश्य जो एक हिमालयन समस्या है जरा मुश्किल है। इसको हल करने के लिए आज से नहीं जाने कितनी सदियों से साधू-सन्त और सामाजिक सुधारकों ने यत्न किया, लेकिन उस में थोड़ा सा भी सुधार नहीं हुआ। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस को हल करने के लिए हम को इस बात को देखने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस मर्ज को दूर कर सकें। साधारण तौर पर जब कभी कोई सामाजिक रोग हमारे सामने आ जाता है तो हम उसका इलाज बाहरी चीजों से करते हैं, मर्ज की तह में नहीं जाते। इस छुआ-छूत की और वर्ण व्यवस्था की समस्या को हल करने के लिए हमें इसकी जड़ में जाना चाहिए। इस के दो मुख्य कारण हैं— एक तो आर्थिक कारण है और एक मनोवैज्ञानिक कारण है। इन दोनों समस्याओं का अगर हम समाधान कर सकें और दूर कर सकें तो यह सारी की सारी असमानता की बात, छुआ-छूत की बात और ऊंच-नीच की बात दूर हो सकती है।

मैं पहले आर्थिक क्षेत्र में जो आजकल की परिस्थिति है उस की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज भी हमारे समाज में ऐसा सिस्टम है, विधान है और ऐसा इन्तजाम है, इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि किसी प्रकार भी वे लोग जो अब तक गुलामी करते रहे हैं, जिनका अभी तक शोषण होता रहा है वे आर्थिक शोषण से मुक्त न हो जायं। आज भी उन को मजदूरी सिर्फ उतनी ही दी जाती है कि वे सिर्फ जिन्दा रह सकें, पेट भी न भर सकें, तालीम न पा सकें, अगर रोग लग जाय तो उसका इलाज न करा सकें। यह पुराना सिस्टम है और इसके पीछे शास्त्रों का समर्थन प्राप्त है। उसमें ऐसा प्रबन्ध कर दिया गया है कि हरिजनों को, शूद्रों को ऐसा ज्ञान न प्राप्त हो जाय कि वे आगे चल करके अपना हक मांगने लगें या अपने श्रम की मजदूरी मांगने लगें। जैसा कि अम्बेश जी ने मनुस्मृति का हवाला दिया कि उस में इस बात का जिक्र है कि अगर कोई शूद्र वेद की बात सुन ले, ज्ञान की बात सुन ले, तो उस के कान में सीसा डाल दो और वेद वाक्य बोले तो जबान कटवा दो। तो इस तरह से हमारे सामाजिक सिस्टम में शास्त्रों का समर्थन रहा है कि जो गरीब लोग और गरीब मजदूर हैं वे किसी तरह से गुलामी से मुक्त न हो जायं। तो हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि वह बन्धन टूटे और आर्थिक क्षेत्र में जो मुनहसिर रहते हैं जिन्दगी के लिए हम किसी तरह से उस से उन्मुक्त हो सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में इस बात की जरूरत है कि अगर हम उन को आर्थिक क्षेत्र में मुक्ति दे सकें और एकोनामिक इन्डिपेंडेंस अगर हम अपने हरिजन भाइयों को दे सकते हैं तो हम समझते हैं कि यह समस्या बहुत हद तक हल हो सकती है। मैं इसके लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहली बात यह है कि आज जमीन पर मजदूरों की तादाद बहुत ज्यादा है। जहां पर मजदूर लोग काम करते हैं वहां की हालत यह है कि जहां पर एक आदमी का काम है वहां पर १० आदमी मिलते हैं। तो सब से पहले सरकार को इस ओर सोचना चाहिए कि जितना भी सरप्लस लेबर है उस को हटा दिया जाय और उन की तादाद इतनी रह जाय कि जो एम्प्लाय करने वाले हैं वे अपने टर्म्स न डिक्टेट कर सक बल्कि मजदूर अपने टर्म्स डिक्टेट करे। तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ उत्थान हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उन चीजों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए जिस से मजदूरों को दूसरों के ऊपर आश्रित न रहना पड़े। मैं समझता हूं कि सरप्लस लेबर को हटाने के लिए दूसरे पेशों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक हरिजनों के पास छोटे-छोटे काम हैं जैसे—जूते बनाना या चमड़े कमाना या अभी कुछ नये पेशे सीख लिये हैं जैसे—दर्जी वगैरह के काम, लेकिन ये पेशे ऐसे नहीं हैं कि जिस से उनकी कोई वास्तविक उन्नति हो सके। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि उसे ऐसे नये पेशे को इन्ट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि वह दूसरों पर मुनहसिर न रह सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी इन्डस्ट्रीज का विभाग है जिस के जरिये काटेज इन्डस्ट्रीज और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का प्रचार होता है। तो हरिजन विभाग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ऐसी इन्डस्ट्रीज, जो कन्ज्युमर गुड्स पैदा करने वाली हैं उनका प्रचलन इन लोगों में होना चाहिए और जो सहायता सरकार की ओर से दी जाती है वह इन कार्यों पर इनके लिए बढ़ानी चाहिए। जिन इन्डस्ट्रीज के लिए सिक्योरिटीज वगैरह की मांग होती है जिन को वह नहीं दे पाते। उन जगहों पर इनके लिए प्रतिबन्धों को ढीला करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जमीन की सीलिंग की बात की जा रही है। मैं समझता हूं कि अगर यह तय होता है और बची हुई जमीनों को अगर हरिजनों को दे दिया जाता है तो उससे जितनी हरिजनों के लिये दूसरों पर निर्भर रहने की समस्या है वह बहुत हद तक हल हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों की आर्थिक समस्या को सुधारने के लिय एक और दिशा में काम करने की जरूरत है और वह यह है कि हरिजनों को ऐसी जमीन ऐक्वायर करके दी जाय मकान बनाने के लिये जिससे उनके रहने की समस्या हल हो सके। हरिजनों के पास अब तक जो मकान हैं वे बहुत पुराने किस्म के हैं और जो कानून है उसमें उनके लिये प्रतिबंध भी बहुत हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि गांवों में और शहरों में भी इस बात का इंतजाम किया जाय कि वे हरिजन जिनके पास जमीन नहीं है उनके रहने के लिये उपयुक्त स्थान में सरकार की तरफ से जमीन ऐक्वायर की जाय और उनको दे दी जाय। इसी तरह से शहरों में ऐसी बिल्डिंग्ज बनायी जायं जैसे रिफ्यूजीज के लिये हुआ कि उनको सरकार ने मकान बनाकर दे दिये, रेंटल बेसिस पर, उसी तरह से हरिजनों के लिये भी इंतजाम किया जाय।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक हरिजनों की बस्तियों का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि वहां से उन स्लम्स को क्लियर किया जाय और इस काम पर सरकार काफी रुपया खर्च करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह जो मेरे सारे के सारे सुझाव हैं उनका अपोजीशन हो सकता है और वह उनकी तरफ से हो सकता है जिनके वेस्टेड इंटेरेस्ट्स हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज से दस-बीस साल पहले हम यह सुना करते थे कि अगर हरिजन लोग पढ़ने लगेंगे या तालीम पाने लगेंगे तो हमारी सेवाओं के लिये कौन आयेगा, जूते कौन बनायेगा या घास कौन खोदेगा या हल कौन चलायेगा। यह बात अक्सर जाहिरा तौर पर पहले जमाने में कही जाती थी। यह सौभाग्य की बात है कि अब उन बातों को दोहराया नहीं जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि उन लोगों के दिलों में अब भी यह भाव है कि अगर ऐसा हो गया

[श्री वीरसेन]

तो एक्सप्लायटेशन बन्द हो जायेगा फिर सवर्ण लोगों का काम कैसे चलेगा। तो ऐसे लोग सीलिंग की बात, कोआपरेटिव फार्मिंग की बात या ऐसे सुझाव जिनसे हरिजनों की आर्थिक मुक्ति हो इन सभी का विरोध करेंगे।

दूसरी बात मैंने मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की कही। जहां आर्थिक कारणों से हरिजन आज भी गुलाम बना हुआ है, वहां मनोवैज्ञानिक कारणों से भी वह गुलाम बना हुआ है। एक तो हरिजनों में इनफीरियारिटी कम्प्लेक्स है और वह आज से नहीं बल्कि सदियों से है। इसको निकालने का सरकार को विशेष प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे यह कि जो सवर्ण कहलाते हैं वे सुपरियारिटी आफ ब्लड में विश्वास करते हैं जिसके कारण वे हरिजन वर्ग के लोगों को नीच समझते हैं और अपने को ऊंच और इस बात में बहुत अहंकार महसूस करते हैं। इसलिए सरकार को ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिनसे इन परिस्थितियों में तब्दीली हो। इसके लिए एक तो प्लैटफार्म, प्रेस, रेडियो आदि से प्रचार होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इतना ही काफी नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि सरकार की तरफ से ऐसे कदम उठाये जायें जिनसे लोगों के दिमाग में तब्दीली हो और मैं समझता हूं कि बचपन से ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। जो बड़ी उम्र के हैं उनमें तो रूढ़ियां पड़ चुकी हैं, लेकिन बच्चों को नर्सरी और प्राइमरी एजूकेशन के समय से ही ऐसी तालीम देनी चाहिए जिससे ऊंच-नीच का भाव खत्म हो।

इसके अलावा कुछ कानूनी काम भी करना चाहिए। मैं समझता हूं कि एबालिशन आफ कास्ट के बारे में कोई कानून बनाना चाहिए जिस के द्वारा लोगों का कास्ट के द्वारा अपने को घोषित करना या किसी की जाति पूछना या किन्हीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे कोई जाति मालूम हो, इस सबको रोकना चाहिए। इसके अलावा हमारे सक्सेशन ला में भी कुछ इस तरह की तरमीम होनी चाहिए कि इन्टर कास्ट मैरेजेज से जो सन्तान हो उस को ऐडवान्टेज पर रखा जाय और सजातीय विवाहों से उत्पन्न सन्तान को डिसऐडवान्टेज पर रखा जाय, जैसे उन पर एक लैवी लगादी जाय जो हमेशा इस बात की याद दिलाती रहे।

हमें ऐसी सहूलियतें भी देनी चाहिये जिससे इन्टर-कास्ट मैरेजेज की तरफ लोगों की प्रवृत्ति हो। उनमें से एक तरीका यह भी है कि जैसे दूसरे देशों में, जहां कहीं आबादी कम हैं वहां आबादी बढ़ाने के लिए रिवार्ड दिया जाता है, इसी तरह से जो इन्टर-कास्ट मैरेज करने वाले लोग हों उनको सरकार की तरफ से रिवार्ड दिये जायं ताकि लोगों की उधर प्रवत्ति बढ़े। इसी तरह से जो हमारे माननीय मंत्री श्री चरणसिंह जी हैं उन्होंने कई दफा पब्लिक स्पीचेज में सुझाव दिया कि सरकारी नौकरियों में उनको प्रिफरेंस दिया जाय जिन्होंने इन्टर-कास्ट मैरेज की है।

इन सुझावों के साथ मैं समझता हूं कि आर्थिक पक्ष में और मनोवैज्ञानिक पक्ष में सरकार कुछ करे तो बहुत-सी समस्यायें हल हो सकती हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हरिजन कल्याण पर बहस चल रही है, उसका दूसरा दिन है और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस अनुदान पर मुझे बोलने का मौका मिला है क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे अनुदान पर बहुत कम मौका मिला करता है। यह शताब्दियों से दबी हुई और पिछड़ी जातियों से संबंधित अनुदान है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन मंत्री महोदय से यह संबंधित विषय है, वह गायब हैं। अगर उनके हाथ में पूरी सत्ता आगे आने वाले वक्त में रही तो मुझे धोखा है कि शायद इन मंत्री जी के रहने से तरक्की जो आगे आने वाली है वह समाप्त हो जाय। वह इस लिये कि आप जानते हैं कि जिस समय इनके पूर्व मंत्री मंगलाप्रसाद जी थे तो उस समय साल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

भर में सूबे भर के हरिजनों की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिये एक मर्तबा स्टैंडिग कमेटी की मीटिंग बुलाया करते थे, लेकिन जब से यह विभाग माननीय कमलापति त्रिपाठी जी को सौंपा गया है तब से एक मर्तबा भी इसकी मीटिंग नहीं बुलायी गयी है। इसलिये कि वह जानते हैं कि अगर सूबे के स्तर पर यह चीज होगी तो निश्चय रूप से हरिजनों का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने अधिकारों को समझ कर सरकार का मुकाबला करने के लिये डटें। खैर, इन बातों को मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि शताब्दियों से दबी हुई जाति को ऊपर उठाने के लिये किन-किन बातों की आवश्यकता है। इस हरिजन समुदाय में ९९ प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं, इसलिये अशिक्षित होने के नाते अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं, ऐसे समाज को शिक्षा देने की जरूरत है। इसके लिये सरकार द्वारा जो रास्ता अख्तियार किया गया है मैं समझता हूं कि वह बहुत कम है।

आप जानते हैं कि देहातों में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा किस तरह से सरकार के कामों का प्रचार किया जाता है। इसका जो सही नक्शा है उसका प्रचार हरिजन कल्याण अधिकारी नहीं कर पाते हैं। जो हरिजन बालकों को छात्रवृत्ति दी जाती है वह इने-गिने बच्चों को मिल पाती है और जिनको जरूरत होती है उनको नहीं मिल पाती है। मैं चाहता हूं कि सरकार ध्यान दे कि ऐसा क्यों होता है। इसी तरह से कृषि तथा घर बनाने के लिये सहायता दी जाती है, लेकिन जरूरत वालों को नहीं मिलती है और बीच के दलाल परेशान करते हैं और खुदा न खास्ता मिल भी जाय तो १००–१५० रुपये के लिये साल-साल भर दौड़ना पड़ता है और जरूरत के समय नहीं मिलता है। यह हालत है आपके हरिजन कल्याण विभाग की। मैं समझता हूं कि हरिजन कल्याण विभाग की तरफ से जो जिला हरिजन कल्याण अधिकारी नियुक्त किये गये हैं उनकी भी खता नहीं है। वास्तव में उनके अधिकार में ऐसी बात नहीं है कि ग्रांट स्वीकृत होने के बाद वह फौरन दे दें क्योंकि जब तक प्लानिंग मुहकमें का आला अफसर चेक पर दस्तखत नहीं करता है, वह आर्डर नहीं करता है, तब तक ग्रांट बट नहीं पाती है। नतीजा यह होता है कि एक साल उस ग्रांट के बटने में लग जाता है।

इसके अलावा हरिजन कल्याण विभाग जो जिलों में कायम है, उनके दफ्तर जेबों में रहते हैं, और अगर दफ्तर हैं तो क्लर्क नहीं, क्लर्क हैं तो सोशल वर्कर नहीं और सोशल वर्कर हैं तो हरिजन आफिसर नहीं है। १९५२ में जिस समय कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी थी तो उस समय हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया था कि हिन्दुस्तान में अगर कांग्रेस को सत्ता पर बैठाने वाली कोई जातियां हैं तो वह हरिजन और मुसलमान हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हरिजन और मुसलमानों को क्या दिया जाता है यह तो आदरणीय सदन जान सकता है।

मैं आपको कुछ बताऊं छात्रवृत्तियों के संबंध में। देहरादून में आयुर्वेदिक कालेज है। १९४७ में यह कालेज बहुत से आदमियों को स्नातक बना चुका था, लेकिन १९५७–५८ में आज विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां नहीं दी गयीं। १९५८–५९ में १९ को नहीं दी गयीं। इस तरह से यह आयुर्वेदिक कालेज का हाल है। सरकार को चाहिये कि इन बातों पर ध्यान दे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे यह न समझें कि यह विरोधी दल के आदमी हैं इसलिये विरोध की ही बातें करते हैं, मैं उनके ही आदमी की बात सुनाना चाहता हूं। केन्द्रीय हरिजन सेवक संघ के प्रधान मंत्री श्री वियोगी हरि जी ने मध्य उत्तर प्रदेश हरिजन सेवक संघ द्वारा हिन्दी भवन, कालपी में आयोजित "अस्पृश्यता निवारण शिविर एवं गोष्ठी" में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए कहा कि मनुष्य की समानता जब तक प्रतिष्ठित न होगी तब तक स्वराज्य का कोई आशय नहीं। योजनाएं चल रही हैं। प्रथम योजना हुई, द्वितीय योजना चल रही है, तीसरी और चौथी योजना भी हो सकती है; किन्तु जब तक इंसान को इंसान न माना जावेगा तब तक सब बेकार है, राष्ट्र

[श्री मूलचन्द]

उन्नति नहीं कर सकता है। इसके अलावा वियोगी जी ने अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि गांधी जी से ११ सूत्री कार्यक्रम के संबंध में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता निवारण एवं खादी प्रमुख हैं।

ऐसी हालत में सरकार को चाहिए कि अगर हम लोगों की बात न माने तो अपने आदमी की बात जरूर माने। इसके अलावा आप जानते हैं कि आप ही के आदमी ने, श्री दाते जी ने एक गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए श्री अम्बेदकर के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया कि जिनमें उन्हें अपमान एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आपने साम्प्रदायिक एकता, गांधी जी का आमरण अनशन, हरिजन सेवक संघ की स्थापना, पूना पैक्ट का भी उल्लेख किया और कहा कि मैं पूछता हूं कि यदि पूना पैक्ट पर अम्बेदकर साहब ने हस्ताक्षर न किये होते तो भारत की क्या स्थिति होती। हमारे नेता यही भूल जाते हैं। पूना पैक्ट न होता तो गांधी जी की मृत्यु निश्चित थी। गांधी जी न होते, भारत स्वतन्त्र न होता और आज जो जवाहर लाल जी, पन्त जी हमारे नेता मंत्रिपद पर आसीन हैं, वहां पर न होते। गांधी जी की उपार्जित संपत्ति के सभी हकदार हैं। बांट बटवारा कर लिया है किन्तु गांधी जी ने जो बचन दिया था, जिस अस्पृश्यता को १० साल में अन्त करने का वादा किया था वह भी उस समय जब हम स्वतंत्र नहीं थे, उसे पूरा करने के लिये सब चुप क्यों हैं? सन् ४२ को दस साल हो गये। उस समय हम एक अच्छी बात में जुटे हुए थे। उसमें पांच साल लग गये, स्वराज्य मिलने के बाद भी १० साल लग गये। गांधी जी ने राष्ट्र की तरफ से बचन दिया था हम सब गांधी जी के देनदार हैं किन्तु भंगी वहीं खड़ा है जहां दस साल पहले था। आज स्वराज्य कैसे चलेगा? हिन्दुस्तान पर कोई कैसे विश्वास करेगा? राष्ट्रपिता का वचन हम पूरा नहीं करना चाहते। राष्ट्रपिता का वचन कैसे पूरा होगा, यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं।

*राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---जो अनुदान शिक्षा मंत्री जी ने इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं और अनुमोदन करता हूं। इस अनुदान के विषय में दो दिन से बहस चल रही है। कल भी बहस थी और आज भी है। इधर के बैठने वालों ने और सामने के बैठने वालों ने इस अनुदान के संबंध में अपने-अपने विचार प्रकट किये और बहुत-सी बातों को कहा। गांधी जी कहा करते थे छुआछूत समाज के लिये एक कलंक है और अगर हम अपने पुराने इतिहास को देखें तो आज जितने भी साहबान इधर बैठे हुए हैं जिनके लिये यह कहा गया कि साहब जब से यह हुकूमत आई है, १२ साल के दौरान में, हरिजन यहां का आगे नहीं बढ़ा है बल्कि पीछे चला गया है तो वह इस बात को भूल जाते हैं कि जब यहां पर अंग्रेजी हुकूमत थी तो क्या उस वक्त हरिजनों के उत्थान के लिये कोई कार्य किया गया था? आज लोग कहते हैं इस बात को कि जब यहां पर अंग्रेजी हुकूमत थी तो उस वक्त हरिजनों के लिये ज्यादा कार्य हुए थे और जब से यह सरकार आई जो जनतंत्र की सरकार है, तब से इस १२ साल के दौरान में हरिजन और पीछे चला गया। वह भूल जाते हैं इस बात को कि अंग्रेज ने केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिये कभी मुसलिम लीग को आगे बढ़ाया कभी वह अंग्रेजियत क्रिश्चियानिटी, ईसाइत्व का, यहां पर प्रचार करने के लिये हरिजनों को हमेशा उल्लू बनाया और अन्त में यहां पर देश को दो टुकड़े करके चला गया।

तो आज यह बहुत आसान है कहना किसी के लिये लेकिन आप भारतवर्ष की मिट्टी उठाकर उसको देखिए हजारों बिरादरी निकल आती हैं, हजारों धर्म निकल आते हैं। किसका दोष है? तो आज यह आसान है कहना और गाली देना कि १२ साल में यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। हम मानते हैं थोड़ी देर के लिये कि जितना यहां पर कार्य होना चाहिये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उतना नहीं हुआ लेकिन क्या इसका अभिप्राय यह है कि बिलकुल नहीं हुआ और हरिजन आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया है। यह बात बिलकुल गलत है। यहां यह कहा गया कि जो कुछ यह अनुदान हरिजनों के लिये दिया गया यह हरिजनों को गुलाम बनाने के लिये दिया गया है। मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस प्रान्त का हरिजन, यदि यह सब अनुदान ले लिया जाय, पूरा छीन लिया जाय तो इसका मतलब क्या यह होगा कि वह मर जायगा या उसी प्रकार से तरक्की नहीं कर सकेगा? तो डेढ़ करोड़ के नाम पर अगर इसमें छः करोड़ रुपया और कर दिया जाय तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन समस्या जो मैदान की समस्या है, जो कि झोपड़ियों की समस्या है, जो गरीबों की समस्या है जो धर्म के ठेकेदार इस समाज को भूल भुलैया रख कर इस तरह का कार्य करते आये और जो उन लोगों की समस्या है वह मैंने निवेदन किया कि कुछ धन देने से हल नहीं होने वाली है। आप १५ करोड़ कर दीजिए, ३० करोड़ कर दीजिए उससे कुछ होने वाला नहीं है। यह हरिजन समस्या तो मनोवृत्ति बदलने से हल होगी। डेढ़ करोड़ रुपये की बाबत कहा गया कि धन बहुत कम है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अस्पताल के लिये पैसा रखा गया है, जो अस्पताल खुलेंगे या जो शिक्षा में पैसा दिया जाता है या और कार्यों के लिये जो पैसा इस सदन के सम्मुख रखा गया है उसका फायदा क्या इस प्रदेश के हरिजनों को नहीं मिलेगा। सड़क जो बनेगी क्या उस पर हरिजन नहीं चलेगा? पिछड़ी जाति के लोगों को क्या उस पर चलने से वंचित कर दिया जायगा? तो जैसा मैंने निवेदन किया जहां तक बजट का संबंध है वह केवल डेढ़ करोड़ रुपया ही नहीं बल्कि और भी जो तरह-तरह के अनुदान इस के सम्मुख आते हैं और यहां से पारित होते हैं वह भी हरिजनों और पिछड़ी जातियों की तरक्की में योग देते हैं।

उसके बाद बात कही गयी "रिजर्वेशन इन सर्विसेज" की। यह बात ठीक है कि १८ फीसदी का पालन होना ही चाहिये। इसमें दो राय नहीं हैं और जहां तक सरकार का संबंध है पूरे तरीके से इस बात की कोशिश की जाती है कि १८ फीसदी रिजर्वेशन का पालन हो और किया भी जाता है। लेकिन मैं रिजर्वेशन के सवाल को हरिजन समस्या के तराजू पर तौलने के लिये तैयार नहीं हूं। हो सकता है कि उससे कुछ लोगों को नौकरी मिले, हो सकता है कि कुछ एम० एल ए० यहां चुनकर आ जायं, उनकी आर्थिक दशा ठीक हो जाय लेकिन वास्तव में, जैसा कि मैंने निवेदन किया था, वह हरिजन समस्या तो झोपड़ियों की समस्या है। इस सदन में जिस तरीके से यहां पर बहस हो रही है, यहां के लोगों में वह नहीं है, वह तो मैंने कहा कि झोपड़ियों में है और मैदान में है। कुछ लोगों को नौकरी मिल जाय, वह अपना पेट पाल लें, भोजन का इन्तजाम हो जाय, वह सर्विसेज के द्वारा हो सकता है लेकिन सर्विस ही कोई लक्ष्य नहीं हो सकता उन तमाम चीजों को प्राप्त करने के लिये, जो कि सामाजिक और आर्थिक विषमतायें चली आ रही हैं इस समाज में।

उपाध्यक्ष महोदय, अनेक बातें कही गयीं। मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग जेलों में गये थे जब विधान बन रहा था तो अच्छी तरह से जानते थे कि हम जो हरिजनों को सहूलियत दे रहे हैं या रिजर्वेशन दे रहे हैं वह कोई इस भय की वजह से नहीं दे रहे हैं कि कोई नया पाकिस्तान बनने वाला है, या कोई इस तरह की चीज बनने जा रही है। हजारों वर्षों से जो एक समस्या चली आ रही थी समाज में, जिसमें किसी का कोई कसूर नहीं कहा जा सकता, केवल उनको एक स्तर पर लाने के लिये, उनको आगे बढ़ाने के लिये यह तमाम सहूलियतें दी गयीं। तो किस प्रकार से आज हरिजन समाज के लिये यह कहा जाता है और पाकिस्तान बनाने की बात किसी को कैसे इस संबंध में याद आती है, यह मेरी समझ में नहीं आया। यदि वे कहते हैं कि हमारे साथ इन्सानियत का बर्ताव किया जाय, यदि वे यह कहते हैं कि हमारे लिये पीने के पानी का इन्तजाम होना चाहिये,

[श्री धर्मसिंह]

यदि वे यह कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये तो मैं नहीं समझ सका कि उधर के बैठने वाले सदस्यों ने जो यह बात कही कि रिजर्वेशन दे दिया गया, पाकिस्तान बना दिया गया, मैं नहीं समझ सका कि इस १२ साल के दौरान में, जब से यह कांस्टीट्यूशन लागू हुआ सन् ५० से तब से लेकर आज तक, किस प्रकार से यहां पाकिस्तान बन गया। टू नेशन थ्योरी की जो दुहाई दी जाती है वह किस प्रकार से हो गया? उपाध्यक्ष महोदय, उधर के बैठने वालों ने बहुत-सी बातें कहीं। एक साहब ने कहा कि यहां पर कुछ नहीं हो रहा है। २५ योजनायें इस प्रकार की उत्तर प्रदेशीय सरकार के द्वारा चलायी जा रही हैं जिनमें बहुत-सी मकानों की हैं, पीने के पानी की हैं, शिक्षा की हैं, टेक्निकल शिक्षा की है और इसके अलावा बहुत-सी इस प्रकार की योजना है जो इस सरकार के द्वारा चल रही हैं। इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में ४७५ लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है इसके साथ ही साथ भारतीय सरकार के द्वारा भी पैसा दिया जाता है जो यहां पर खर्च होता है।

मैं तो यहां पर सुनते-सुनते थक गया जो चारों तरफ से दुहाई दी गयी। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरीके से, थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाय कि इधर के बैठने वालों में जिनमें हरिजन लगभग ८०-८५ के करीब है, वे कुछ सोचते नहीं हैं, उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है कि किस प्रकार से वह हरिजनों का उत्थान करना चाहते हैं तो मैं सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ और कम्युनिस्ट सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि इस १२ साल के दौरान में या उससे पहले आखिरकार उनके पास क्या प्रोग्राम हरिजनों के उत्थान के लिये रहा। उनके पास कौन-सा कांस्टीट्यूशन है या कौन-सी थ्योरी है? और किस तरीके से वह हरिजनों की समस्या को सुलझाना चाहते हैं। इधर के बैठने वालों से साफ-साफ यह कह दिया गया कि वे निकम्मे हैं और हरिजन बहुत पीछे चले गये। जितने मेम्बर साहबान सामने बैठे हुए हैं आखिरकार उनके पास क्या प्रोग्राम है? और किस प्रकार वे हरिजनों की समस्याओं को सुलझाकर उनका उत्थान करना चाहते हैं? इस प्रकार की ये चीजें हैं जिनके ऊपर थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। यहां पर कह देने से या केवल भावुकता में आने से या केवल इस बात को कह देने से कि हम तो ठेकेदार बने हुए हैं और इस तरफ के बैठने वाले कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, काम नहीं बनेगा। इन तमाम समस्याओं के लिये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार यह विषमता जो बहुत समय से चली आती है, किस प्रकार दूर हो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हरिजन समस्याओं का संबंध है, हो सकता है उसके बहुत पहलू हों। मैं तो एक सामाजिक और आर्थिक समस्या समझता हूं। वह किस प्रकार सुलझाई जाय, और किस प्रकार उसका उपचार हो उतनी बात ठीक है। उसके लिये लोगों की मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा, उतनी बात भी ठीक है, लेकिन वास्तव में यदि आर्थिक रूप में इस देश का उत्थान नहीं हो सका, जो योजनायें यहां पर कार्यान्वित की गयी हैं यदि वह पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई और हमने अपने मुल्क के प्रोडेक्शन को नहीं बढ़ाया तो जो विषमता चली आती है वह समाप्त नहीं होगी, उसके लिये आर्थिक समस्या का सुलझाना जरूरी है। इसके लिये सोचना पड़ेगा। आज यहां पर एक बड़ा आदमी है वह कितना ही पढ़ लिख जाय और कितने ही अच्छे विचार वह रखे लेकिन धर्म के ठेकेदार और समाज के ठेकेदार, जो बहुत पुराना तरीका अपनाये हुए हैं, उसको नीचा कहते हैं। आखिरकार इस सामाजिक नीचता को दूर करने के लिये इस पहलू पर सोचना पड़ेगा और तभी वह दोष दूर हो सकता है। जैसा मैंने कहा उसके लिये मुल्क में प्रोडेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तभी आर्थिक पहलू सुलझ सकता है। जो हमारी योजनायें चल रही हैं उनसे यह कोशिश है कि मुल्क में दौलत बढ़े।

भाई अम्बेश जी ने मनुस्मृति का जिक्र किया। जिस समय यहां पर वर्ण व्यवस्था का प्रश्न था और लोगों के सामने सामाजिक सवाल था कि हम किस तरह से सामाजिक बातों

को चलायें तो जहां तक मेरी छोटी अक्ल है, मैं यह समझता हूं कि उस वक्त इस तरह का सवाल सामने नहीं था और यदि यह सवाल होता भी कि जो शूद्र का कार्य करेगा वह हजार वर्ष के बाद, शूद्र, नीचा कहलायेगा चाहे वह कितना ऊंचा कार्य करे, चाहे कितना ही अच्छा कार्य करे, दो हजार या ४ हजार वर्ष के बाद के शूद्र कहलायेंगे। मैं तो यह समझता हूं कि उस वक्त जिनके हाथ में वर्ण-व्यवस्था थी, जिन्होंने यह कहा था, उसमें ब्राह्मण और दूसरी कौमों के लोग भी थे, कि देश का दुर्भाग्य और कलंक है कि यह मनुस्मृति बनायी गयी है। आज समाज जो इस तरह से छिन्न-भिन्न हो गया है और उसमें त्रुटियां आ गईं और दो एक बिरादरी में पैदा होने वाले शूद्र कहलाने लगे, तो उनके लिये जो मनुस्मृति में लिखा है उसका मतलब वह नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा था कि लोग जेलों में जाया करते थे, आजादी प्राप्त करने के लिये लोग आगे बढ़े, गिरे, उठे और फिर आगे बढ़े और अन्त में आजादी प्राप्त हुई। इस सदन में हरिजन समस्या हल नहीं होगी। दोनों तरफ के बैठने वाले अपने दिलों पर हाथ रखें और गांधी जी का रास्ता अपनायें। लोगों को कुरबानी करनी होगी। यह समस्या आसानी से यहां सरकार को दोष देकर कि वह निकम्मी है और उसने १२ साल में कुछ नहीं किया है, हल नहीं होगी। एक-एक झोपड़ी में जाकर मनोवृत्तियों को बदलना होगा। लोगों के हृदयों और आचार-विचारों को बदलना होगा और गांधी जी के रास्ते में विश्वास करने के बाद हरिजन समस्या का कार्य करना होगा। मैं थोड़ी-सी देर के लिये मान सकता हूं कि यदि वास्तव में हरिजन समस्या हल नहीं हुई तो जिस जनतंत्र में हमने विश्वास किया है और यहां पर हम बैठते हैं और यदि अन्त में चल कर ये हरिजन वहीं के वहीं रहे तो, उपाध्यक्ष महोदय, देश का उत्थान नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को गाली न दें कि तमाम जिम्मेदारी उसकी है। वह अपना कर्त्तव्य पालन कर रही है। १२ साल में जितना इस सरकार ने किया है उतना दुनिया की सरकारों ने कहीं नहीं किया। इसके साथ-साथ मैं निवेदन करूंगा कि लोग अपने दिलों को टटोल कर मैदान में काम करें और लोगों में हृदय परिवर्तन करें। केवल मन्दिरों में प्रवेश करने से और दूसरी बातों से यह समस्या हल नहीं होगी।

इन शब्दों के साथ मैं आभारी हूं माननीय सदस्यों का, और उन्होंने जो बातें कही हैं हम उनसे लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। हम समझते हैं कि अगर देश को आगे ले जाना है तो हरिजन समस्या को सुलझाना ही होगा।

*श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)––उपाध्यक्ष महोदय, कल से इस अनुदान पर दोनों तरफ के साथियों के विचार मैंने बड़े गौर से सुने हैं। आज यह भी कहा गया कि हिन्दोस्तान में पाकिस्तान बनने वाला है या बनता जा रहा है। यह एक जातीय मसला उठाया जा रहा है। लेकिन यह बात नहीं है। हरिजन और पिछड़े वर्ग का उत्थान किसी के विरुद्ध नहीं जाता। आज यदि प्रतिक्रियावादी तरीके से या जाति-पांति की भावना उत्पन्न करके इन गरीबों का मसला टाला गया तो ये लोग अब इतने पीछे नहीं रह गये हैं कि जो उनमें यह विश्वास पैदा कर दिया था कि जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है, परन्तु वे अब सजग हो गये हैं। सामाजिक चीज को छोड़ दीजिये। पारिवारिक चीज ले लीजिये। अगर एक मां के दो लड़के हैं और उनमें से वह एक थाली में दूध देती है और दूसरे की में नहीं देती है तो एक दिन वह आवेगा कि दूसरा थाली तोड़ देगा। मंत्री जी मालूम नहीं किस भाषा में भाषण दे गये कि हरिजन आसमान में जा रहा है। यह मैं दावे के साथ कहता हूं कि गृहयुद्ध होगा और अन्त समय सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। मूल प्रश्न यह है कि जब तक इनकी माली हालत की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक इन छोटे-छोटे अनुदानों द्वारा अगर हम चाहें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुवीरराम]

कि पिछड़ी जातियों का उत्थान हम कर सकते हैं तो मेरी समझ से यह नामुमकिन है। यह भी मैं नहीं कह सकता कि सरकार इस तरफ कदम नहीं बढ़ा रही है। सरकार ने कुछ कदम उठाया है लेकिन यह क्षणिकमात्र है।

नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने नारा दिया कि सहकारिता द्वारा खेती होगी। अगर जमीन की हद-बन्दी होती है और फाजिल जमीन इन पिछड़ी जातियों को, इन भूमिहीनों को दी जाय तो उनकी समस्या कुछ हल हो सकती है। सारे सूबे की तो मैं नहीं कह सकता मगर मैंने तो अपने क्षेत्र में देखा कि किसी हरिजन की दरख्वास्त मकान बनाने के लिये सहायता के लिये हमारे सामने आई और उसे लेकर हम हरिजन सहायक अधिकारी के पास पहुंचे तो मुश्किल से केवल १० रुपये उसको मिले। अब भला बताइये कि १० रुपये में तो वह फस भी नहीं खरीद सकता है और फिर मकान कहां से बना सकता है? मान्यवर, जब तक इन की माली हालत नहीं सुधरेगी, इन पिछड़ी जाति के लोगों की हालत में सुधार नहीं होगा तब तक हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। यहां जमीन की हदबन्दी होनी चाहिये, जो जमीन जायद है, वह भूमिहीन हरिजनों को मिलनी चाहिये।

दूसरी बात उद्योगों की है। इस में दिया हुआ है कि छोटे-छोटे उद्योग धन्धों के लिये अनुदान दिया जाता है, ठीक है, यह अनुदान देना चाहिये। मान्यवर, मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि पिछले साल इसके लिये १ करोड़ ६२ लाख रुपया दिया गया था लेकिन पता नहीं कौन-सी ऐसी चीज सरकार ने देखी, हरिजन कितना आगे बढ़ गये हैं जो कि इस साल के बजट में उसने डेढ़ करोड़ रुपया कर दिया है। मान्यवर, साल भर के अन्दर कौन-सी ऐसी बात हो गई कि आपने १ करोड़ ६२ लाख रुपये से घटाकर डेढ़ करोड़ रुपया कर दिया है। मालूम होता है जैसा कि अभी डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा, हरिजन बिलकुल आसमान पर चढ़ गये हैं, वे जमीन पर समाजवाद का पूरा आनन्द ले रहे हैं। उनके विषय में इस तरह की बात सोचना बिलकुल गलत है। मान्यवर, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से इस बात प्रार्थना करूंगा कि जो इस तरह की बात कही जाती है कि हरिजनों के लिये कुओं का निर्माण हुआ है, तो वे इसके लिये प्रदेश में तथा देश में सर्वे करायें। तभी पता चलेगा कि हरिजनों के लिये कितने कुओं का निर्माण हुआ है। मान्यवर, मैं बतलाना चाहता हूं और इस बात को गर्व के साथ कहता हूं कि आज ७५ फीसदी हरिजन बस्तियों में कुओं का निर्माण नहीं हुआ है। इसके लिये मैं सरकार को आप के द्वारा यह सुझाव दूंगा कि कुओं के निर्माण के लिये हरिजनों को रुपया न दिया जाय। मैंने देखा कि कुओं के निर्माण के लिये जो भी रुपया रहता है, तो हरिजनों से कहा जाता है कि वे खुद कुओं का निर्माण करें, मुकम्मल कुआं बना लें, तभी उनको यह अनुदान दिया जायेगा। वे गरीब आदमी हैं, उनके पास खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है और वे बिना मकान के रहते हैं, वे रुपया कहां से लायें कि स्वयं पहले कुआं बना सकें। मान्यवर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि जैसे आप पी० डब्ल्यू० डी० के सारे काम कराते हैं, वैसे ही सरकार को चाहिये कि वह हरिजनों के लिये खुद कुएं बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। जहां पर भी कुएं नहीं हैं, वहां सरकार खुद कुएं बनवाये, तभी हरिजन इस समाजवादी व्यवस्था से लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो उनको इससे कुछ लाभ नहीं मिल पाता है।

मान्यवर, मैंने अपने क्षेत्र में देखा है कि गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ आदि में आम तौर से यह बात पायी जाती है कि यह जगहें ऐसी मालूम होती हैं जैसे कि दुनियां में इनका कोई महत्व ही नहीं है। वे शहरों में नहीं बल्कि जंगलों में रहते हैं। आप वहां जाकर देखें, तो पता चलेगा कि छोटे-छोटे झोपड़े में मां-बाप, भाई-बहिन, पति-पत्नी सब एक साथ ही रहते हैं। सभी लोग एक ही झोपड़ी में रहते हैं। मान्यवर, गाजीपुर जिले के चौबेपुर ग्राम में मैंने देखा कि वहां ८० घर बसे हुए हैं और वहां की हालत यदि आप देखें तो आपको

पता चलेगा कि किस तरह से वहां हरिजन रहते हैं, उनकी क्या हालत है। क्या हम इसी तरह से हरिजनों का उत्थान कर सकते हैं? मान्यवर, मैं चेलेंज करता हूं, मंत्री जी मेरे साथ चलें और देखें, अगर यह बात गलत होगी तो मैं सदन से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। ऐसा कहा जा सकता है कि हमें हरिजनों का उत्थान करना है, लेकिन आप देखें कि क्या आज वे जूठी पत्तलों के लिये नहीं दौड़ते हैं? क्या जनता के हृदय में इन जातियों से मुहब्बत है और क्या इस तरह से वे उत्थान की ओर जायेंगे? आप देखें कि आज वह किस तरह से बारातों की जठी पत्तलों की तरफ दौड़ते हैं। क्या यह बात गलत है? १२ वर्ष के अन्दर आपने कितना उत्थान किया है? आज हरिजन संतान जूठे दाने के ऊपर दौड़ती है आपके राज्य में। इस पर भी आप कहते हैं कि हमने उनका उत्थान किया है, उनको ऊपर उठाया है।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी दोनों पक्ष के भाषणों के सुनने के बाद कुछ इस मत की हुई कि आज मैं इस सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों की सेवा में कुछ निवेदन करूं। यह सत्य है कि हरिजन समस्या एक बहुत पुरानी समस्या है और भारतवर्ष के लिये आज से नहीं सदियों से वह एक कलंक है। तो फिर क्या यह समस्या सहसा भाषण मात्र से सुलझ सकेगी? समस्या आर्थिक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है। सही चीज है कि दरिद्र की कोई सत्ता नहीं होती, दरिद्र का कभी मान नहीं होता, दरिद्र इंसान को इंसान नहीं माना जाता। किसी भी समाज में और किसी भी वातावरण में सदैव ही धन और ऐश्वर्य का ही मान होता है। सही ही कहा गया है "सर्वे-गुणा कांचनमाश्रयन्ति" अर्थात् सारे गुण उसी में समझे जाते हैं, जिसके पास धन होता है, दौलत होती है। इतिहास साक्षी है कि हजारों आतंकवादी और नृशंस राजा हुए लेकिन ऐश्वर्य और लक्ष्मी होने के कारण, राज सत्ता के कारण उनका भी बहुत मान रहा। अतः सभी दृष्टि से आर्थिक उन्नति परमावश्यक है। इस पर गम्भीरता से विचार करना सरकार का कर्त्तव्य है।

हमारे भारत के अन्दर बहुत से साधु, संत, धार्मिक और राजनीतिक नेता हुए और उन्होंने उत्तरोत्तर परिवर्तन की चेष्टा की और इस आधुनिक बीसवीं शताब्दि में भी सत्य और अहिंसा के पुजारी विश्वबंधु बापू जी ने कहा कि मानव मानव होकर मानवता को प्यार करे और किसी में भेद न समझे। क्या हमने इस समस्या को इसी रूप में देखा है? विनोबा जी के अतिरिक्त गांधी जी के अनुयायी जो दोनों ओर हैं, क्या उन्होंने इस समस्या पर उसी प्रकार से ध्यान दिया है? यह वास्तव में सोचने की चीज है, हृदय-मंथन की चीज है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहती हूं कि यह हरिजन सस्मस्या और छुआछूत की समस्या केवल भाषणों से दूर न होगी। इसके लिये आप अपने हृदय पर हाथ रखें, थोड़ा अन्तर्मुखी हों, आत्म निरीक्षण कर, चाहे इस कक्ष के लोग हों या उसके अपनी-अपनी जगह व्यवहार में इस पर क्या अमल है, देखें। मैं उस पार्टी के लोगों से भी कहना चाहती हूं जो कि साम्यवादी भारत में है कि क्या आज भारत के अन्दर उन्होंने, अपने परिवारों के रस्मों में जाति-भेद को, साम्प्रदायिकता को, छुआछूत को जड़ से मिटा दिया है। जहां से हम चुन कर आये, क्या हमने ब्राह्मण के नाम पर वोट मांगे, छत्रिय के नाम पर वोट मांगे, वैश्य और शूद्र के नाम पर वोट मांगे? नहीं, लेकिन यहां के कुछ घटनाचक्र में पड़ने पर मेरा अनुभव है और मुझे तकलीफ है और भारी तकलीफ है इस चीज से कि जहां से हमें ज्योति मिलनी चाहिये थी, जहां से हमारे दिलों में मानव मानव एक है, मानव का हृदय ही भगवान् का मन्दिर है, उसकी पूजा ही सच्ची राष्ट्र, देश व भगवद् भक्ति है, इस का प्रवाह बहना चाहिए था, यह पीयूष जिनके चरणों में बैठ कर मिलना चाहिये था, मैं खेद के साथ कहूंगी कि बिलकुल उससे विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं और उससे मुझे बड़ी भारी निराशा है।

[कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये जैसा कि मेरे एक नवयुवक साथी ने कहा, मेरा निवेदन यह है कि यदि वास्तव में हम इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो अन्तर्प्रान्तीय, अन्तर्जातीय विवाहों को लोक प्रतिष्ठित लोगों को अपने यहां से आरम्भ करना चाहिये "यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।" कि अपने सामाजिक उत्सवों में, अपने धार्मिक उत्सवों में, हर हरिजन भाई को पास बैठा कर भोजन कराना होगा, उसको अपना पूज्य मानना होगा। क्या हम ऐसा करते हैं? मैं इसमें भेद देखती हूं। यहां पर भी बहुत से हरिजन कर्मचारी हैं, क्षमा करेंगे यदि उस कक्ष के लोग भी पावर में होते तो यहां दरिद्र चपरासी को एक मेज पर भोजन ही कराते हरिजन का तो कहना ही क्या आज माननीय मंत्री जी दौरे पर जाते हैं तो मुझे निराशा होती है कि उनका कोई हरिजन साथी और मैं कहती हूं कि उनका दरिद्र चपरासी भी उनके साथ बैठ कर एक मेज पर भोजन नहीं कर सकता है, छोड़िए सरकारी बातें। अगर किसी उत्सव में यह बात नहीं हो सकती तो क्या उसे अपने घरों में बुला कर आप यह चीज कराते हैं? क्या उनके दोस्त नहीं है? मुझे क्षमा करेंगे कि मेरे दोनों कक्षों में बैठने वाले सदस्य जो प्रदेश की क्रीम हैं, इस प्रदेश के नवनीत हैं, जो इस प्रदेश के विधायक और कर्णधार हैं, मैं उनसे माफी चाहती हूं कि क्या वे अपने दिल में जाति द्वेषभाव को, वर्णवाद को लेकर नहीं बैठे हैं। क्या उन्होंने अपने दिलों से छूआछूत को दूर कर दिया है? हां, इसके लिये सबसे अधिक उत्तरदायी सरकार है। पर भाषणों से हम किसको लांछित करते हैं तो इसके लिये इस सम्बन्ध में बैठ कर हम सभी पार्टी के लोगों को एक सम्मिलित योजना बनानी होगी और करना होगा आर्थिक, सामाजिक और नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक कार्य। पैदा करने होंगे आर्थिक, सामाजिक, नैतिकता के प्राण हमको बड़े-बड़े साधु, बड़े-बड़े वाल्मीकि, बड़े-बड़े रविदास और अब्राहम लिंकन जैसे परिवर्त्तन करने वाले व्यक्ति।

क्या यह हरिजन समस्या हमारी स्वतंत्रता के लिये, हमारे भारत की एकता के लिये, हमारी भारतीय संस्कृति के लिये, एक चुनौती नहीं है? मैं नम्रतापूर्वक निवेदन किया चाहती हूं कि दक्षिण भारत की आज जो स्थिति है उसे भुलाया नहीं जा सकता है, उसकी ओर आंखें मूदीं नहीं जा सकतीं। केरल में आज जो स्थिति है उस पर पर्दा डाला नहीं जा सकता है। इसके दो कारण है, एक तो दरिद्रता और दूसरा कारण जाति-भेद है। हमारे दक्षिण भारत में एक नारा है, क्षमा करेंगे सब लोग, उसके शब्द हैं "ब्राह्मण, ठाकुर और लाला, इनका करो मुंह काला" तो यह नारा प्रदेश के विधायक भी सोच लें कि वह आज इस प्रदेश में भी चलता है। तो सिर्फ हम विधायक ३ वर्ष और बने रहें और समस्या सुलझ जायगी ऐसी चीज नहीं है। मेरा नम्र निवेदन है, क्षमा पहले मांग चुकी हूं, धार्मिक व्यक्तियों से, जातिवादी और वर्णवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले बुजुर्गों से, अन्तर्जातीय विवाह करने होंगे, सहभोजों में हरिजनों को बुलाना होगा, बुलाना होगा हर उत्सव में नहीं तो केरल से प्रवाहित खूनी क्रान्ति को नहीं रोक सकते। हरिजन अधिकांश गांवों में रहते हैं वहां की आर्थिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है, उनके लिये निश्चित रूप से एक योजना बननी चाहिये, चाहे वह अगली प्लान में हो और वह योजना हो एक आधार पर, जिस आधार पर शरणार्थियों को बसाने की व उनके सभी विकासों की योजना थी, चाहे वे २ जिलों में बसायें उसी आधार पर चाहे १० जिलों में बसायें, लेकिन उसी आधार पर एक निश्चित योजना बननी चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन है हरिजन जातियों में विमुक्त जातियां आती हैं। विमुक्त जातियों के लिए कुछ बस्तियां बसायी जाती हैं। गवर्नमेंट के अधिकार क्या हैं, मैं उस पर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लाल बत्ती जल गयी है इसलिये समय नहीं है। वहां पर विमुक्त जातियों की लड़कियों को किस तरह से बेचा जाता है, किस तरह से उनसे पेशा कराया जाता है एक दर्दनाक कहानी है, विमुक्त जाति कुछ बड़ी जातियों में भी है। लेकिन नट, कंजर, डोंग, बेहड़िये, बोहड़िये, करवाल, परवाल आदि में दुर्भाग्य से अधिकांश वह परम्परागत वृत्ति होती

थी लेकिन आज अधिकारी पैसा लेकर वह वृत्ति करते हैं। यह हमारे लिये लज्जा की बात है। बड़ी लज्जा की बात है जहां पर उनकी सरकारी बस्तियां हैं वहां पर यह सब चीजें होती हों इस पर कड़ी निगरानी होनी चाहिये। ये लोग चोर कहाते हैं विमुक्ति जाति के लोग जो जेलों के अन्दर हैं उनकी इन्क्वायरी करायें कि कितने लोगों ने उनमें से डाके डाले या पुलिस अपने पैसा बनाने के लिये, जो उन जातियों का बच्चा है जन्म से ही जहां १८, २० साल का हुआ, उसको १०७, ११७ में चालान करती है और निगाह रखती है। डकैतियों में और कत्लों में, विवशता में धीरे-धीरे वह पुलिस का दास-कमाऊ पूत बनता है और कमा करके खिलाता है। इसलिये मैं चाहती हूं कि पता लगाया जाय इन विमुक्त जातियों के लोगों ने कितनी डकैती डालीं, नहीं तो पुलिस ही उनको चोर बनाती है। प्रदेश के स्तर पर विमुक्त जातियों का, जिनका बड़ा भारी समाज को डर है कि वे लुटेरे हैं, उनके लिये सरकार की तरफ से एक विद्यालय होना चाहिये। उनकी आर्थिक, सामाजिक, नैतिक शिक्षा होनी चाहिये मैं आपके द्वारा कहना चाहती हूं कि जो अनुदान रखा गया है वास्तव में बहुत कम है। मंत्री जी कहीं भी कटौती करें परन्तु इस अनुदान को और बढ़ाने की अपनी कैबिनट से तथा मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करें।

अन्त में मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह कहना चाहती हूं कि समस्या गम्भीर है, समस्या चुनौती है। यह समस्या कुछ स्कालर्शिप से हल नहीं होने वाली है और न भाषणों से ही। मुझे पहाड़ी इलाकों का कुछ थोड़ा ज्ञान है। वहां ऊंची धोती और नीची धोती ब्राह्मणों में भेद है। जिन लोगों ने अंग्रेजों के जमाने में घोर कांग्रेस का विरोध किया था उन्हीं रायबहादुरों और खानबहादुरों के शादियां होती हैं। इन भावों के साथ क्या हम परिवर्तन, आज आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, कर सकेंगे? आज परिवर्तन की जरूरत है सभी पार्टी के शिरोमणि नेताओं में हम अपने दिलों के दोषों के जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है कि देश में जातिवाद पनपना नहीं चाहिए और न हमारे प्रदेश के अन्दर।

***श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं माननीय सदस्या मेरठ का व्याख्यान सुन रहा था। कई बातें उन्होंने बड़ी तारीफ के योग्य कहीं, मैं उनका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, हमारे यहां तो हालत खराब है छुआछूत की---जिन्हें हरिजन कहते हैं। भारतीय जनसंघ ऐसे भेद को नहीं मानता है। श्रीमन्, हम लोग सिर्फ भारतीय मानते हैं। श्रीमन्, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा यह दुर्भाग्य रहा है कि न सिर्फ उनको कांग्रेस वालों ने अछूत की संज्ञा दी है, बल्कि हरिजन कहे हुए तथाकथित लोगों के बीच में चमार भंगी के हाथ का पानी नहीं पीता उन्हें भी विभाजित कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि छोटा ठाकुर और बड़ा ठाकुर यह भी कर दिया। इन बातों को हमें दूर करना चाहिए। यही भारतीय जनसंघ का उद्देश्य है।

यहां पर माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसी बातें कहीं। श्रीमन्, जब यहां अनुदान आता है तो अनुदान पर बात कम होती है और इधर उधर की बात ज्यादा होती है। इसलिये---'व्हाइल इन रोम, डू ऐज दि रोमन्स डू' (While in Rome, do as the Romans do)---अनुदान के संबंध में बोलने से पहले माननीय सदस्यों को जवाब देना जरूरी होता है। यह कहा गया कि सरकार तो ठीक है लेकिन सरकारी कर्मचारी खराब हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकारी कर्मचारी आखिर किसके नौकर हैं? कौन उनको चलाने वाला है? जैसा मिनिस्टर होगा वैसे ही नौकर होंगे। अगर कर्मचारी ठीक काम नहीं करते तो मालिक ठीक नहीं करवाता। फिर उनकी छत्र छाया में क्यों बैठे हो? क्यों नहीं नया मिनिस्टर बनाते। कर्मचारियों पर अपना दोष थोप देना गलत चीज है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

यहां पर यह भी कहा गया कि कुछ किताबों को जलाने की बात । श्रीमन्, आपके धर्म में दे रक्खा है, अगर आप देखें:

"रुचीनां वैचित्र्यात् रिजुकुटिलनानां पथजुषां
नृणामेको गम्यस् त्वमसिपर्णा सवियुवः ।"

एक जगह आया है कि यह अलग-अलग भगवान् को पहुंचने के रास्ते हैं जैसे नदियां टेढ़ी-मेढ़ी होकर अन्त में समुद्र में पहुंचती है । चाहे आप किसी की पूजा करें, मिलेगा भगवान् बशर्ते कि सच्ची पूजा हो । हमारे यहां सहिष्णुता बहुत है । जो साक्षात् काल हमारा नाग है उसको तक पूजते हैं । जब हमारी सहिष्णुता इतनी बढ़ी हुई है कि जिस सांप के जहर से मर जाते हैं उसको भगवान् करके पूजते हैं तो क्या हरिजन से नहीं मिल सकते ? आज दुर्भाग्य है कि हर चीज पोलिटिकल एंगिल से देखी जाती है । तो किसको मोह नहीं है, हम सब एक दूसरे से बढ़कर हैं । सब कहते हैं कि हमें उनकी ज्यादा मोहब्बत है । जैसे अकबर इलाहाबादी कहते थे कि "लीडर कौम के गम में घुले जाते हैं ।" छुआछूत इतनी है कि हरिजनों की क्या एक वर्ण विशेष के आदमी पास नहीं बैठ सकते, हरिजनों में भी आपस में छुआछूत है। देहात में यहां की तरह सोफासेट, लिफ्ट या संगमरमर की सीढ़ियां नहीं हैं वहां लोग एक दूसरे को अपने पास नहीं बिठाते । इसके अलावा जैसा इधर के और उधर के साथियों ने कहा कि यह जो अनुदान कम है बढ़ाया जाय लेकिन जो कुछ मिलता है वह आसमान से गिरता है लेकिन खजूर में अटक जाता है । आप जाति-पांति के नाम पर न दें, बल्कि गरीबों के नाम पर दें । इस स्टेट का ८० प्रतिशत गरीबों पर व्यय होगा तब भी जिनको हरिजन कहा जाता है वही अधिक गरीब है, उन्हीं को उसमें प्रायर्टी मिलती । आज भी आर्थिक स्थिति पर ही सब जाति-बिरादरी चलती है । अगर कोई रायबहादुर है या रेलवे कमीशन में भी कोई मौजूद है तो उसके सारे सम्बन्धी भी बड़े-बड़े हरिजनों में ही होते हैं और बच्चे भी उनके दूसरे स्टैंडर्ड से रहते हैं । लेकिन अगर कोई गरीब है तो वह उठने नहीं पाता उसके सारे सम्बन्ध ही गरीबों में ही होते रहते हैं । जो बड़े आदमी हो जाते हैं वह सब अच्छी निगाह से देखे जाते हैं । वह तो गरीब ही है जो मैला रहता है, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता, किसी जाति का हो अगर हैसियत है तो फिर वह नीच नहीं है । हमारे यहां एक ठाकुर थे, पहले उन्हें कोई नहीं मानता था, कोई शादी उनके यहां नहीं करता था लेकिन जब उनके पास कुछ रुपया हो गया तो उनके यहां हर जगह से शादी के पैगाम आते हैं और होती है, उनके पास माल है तो सब जगह शादी हो सकती है ।

मैं ही पूछता हूं कि हमारे मंत्री जी हैं गिरधारीलाल जी उनसे कौन छुआछूत करता है, डाक्टर सीताराम जी हैं उनसे कौन छुआछूत करता है । सभी जातियों में शादी ब्याह इसी हैसियत के हिसाब से होते है अगर मिनिस्टर की लड़की है तो वह भी किसी मोटरकार वाले के यहां ही ब्याही जायगी क्योंकि उसको तो आदत है मोटर की । अगर ऐसे घर जायगी कि जहां मोटर नहीं है तो उसे तकलीफ होगी ससुराल में । अगर आपको हरिजनों का उद्धार करना है तो उनकी बुद्धि का विकास औरों के बराबर किया जाय । उनसे तो श्रमदान कराया जाता है, उनसे मिट्टी के खिलौने बनवाये जाते हैं । अमीरों के लड़के नैनीताल में बिरला कालेज में या लामार्टिनियर में पढ़ते हैं । इस तरह से तो स्वयं सरकार पब्लिक में भेद पैदा कर रही है, उनकी अलग एक नई कौम बन रही है । हमें देखना चाहिये कि सबके लिये समान अवसर हो । सबके लिये एक-सी शिक्षा एक-से स्कूल और एक तरह का प्रबन्ध होना चाहिये । जब भी सरकार से १८ प्रतिशत के रिजर्वेशन के अनुसार हरिजन लेने की बात पूछी जाती है तो कहा जाता है कि उनमें इतने पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति नहीं मिलते लेकिन यह भी तो सरकार का ही कर्त्तव्य था कि १२ साल में वह उनको शिक्षित करती, क्यों नहीं उन

को योग्य बनाया, यह किसका काम था ? किसकी जिम्मेदारी थी ? जो फल हमारे सामने है उसी से देखा जाता है कागज के आंकड़ों से हम नहीं देखते। क्यों नहीं ? १ प्रतिशत भी उनमें शिक्षा फैलायी गयी, उनके मानसिक विकास के लिये ? दूसरी बात यह है कि ताजीरात हिन्द में बड़ी-बड़ी दफायें हैं। जो कत्ल करेगा उसे सजा होगी, किडनैपिंग करेगा उसे सजा होगी लेकिन बावजूद इसके क्या जरायम नहीं होते ? तो छुआछूत कानून से नहीं भगेगा, यह तो दिल के परिवर्तन से, हार्ट के चेंज से भगेगा। अगर हम भावावेश में कोई उत्तेजनात्मक भाषण दें जिससे बहुमत को ठेस पहुंचे तो उधर के लोग स्वागत करेंगे, लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि सबको मिल कर रहना है। अगर हम भावनाओं में बहते रहें तो इस देश का क्या होगा।

आंध्र में एक आन्दोलन चला है कि ब्राह्मण ३ प्रतिशत हैं उनको कत्ल कर दो, हिन्दुस्तान का कांस्टीट्यूशन जला दो, नक्शा जला दो, यह वही प्रवृत्ति है। मुझे दुःख उस दिन हुआ जब उस प्रवृत्ति को चलाने वालों का यहां लखनऊ में स्वागत हुआ। हम तो जान बूझकर गाली खाने वहां गये थे, कसम खाकर गये थे कि कृष्ण की तरह गालियां सुनेंगे और कुछ करेंगे नहीं। हम सुनते रहे, लेकिन इसके बावजूद वहां ऐसी बातें हुई जिनसे मुझे दुःख हुआ। उस आदमी के स्वागत में इस आदरणीय सदन में बैठने वाले भी कुछ माननीय सदस्य मौजूद थे, दोनों तरफ के। तो इस प्रवृत्ति को मैंने अपनी आंखों से देखा। तो इस प्रवृति को हमें बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर हरिजन इस बात पर रहेंगे कि हमारा तो रिजर्वेशन है, हममें योग्यता हो या न हो, लेकिन स्थान तो इतने मिलेंगे ही, पढ़ो या न पढ़ो, लेकिन नौकरी भले ही मिल जाय, आगे चलकर तरक्की पढ़े-लिखों को ही मिलेगी और उनके प्रोमोशन नहीं होंगे। तो जरूरत है कि उनकी काबलियत बढ़ाओ, माली हालत बढ़ाओ, उनको रोजी दो। इन बातों में कुछ नहीं रखा है कि हम तुम्हारा भला कर देंगे। यह वह पार्टी है जो पार्टी धर्म और जाति के नाम पर हरिजनों को हिन्दुओं से अलग बना सकती है, देश के टुकड़े कर सकती है और हरिजनों को तो अब सब अलग समझने लगे हैं। हम तो महात्मा बुद्ध को ही विष्णु का अवतार मानते हैं और उनकी विष्णु की भांति इज्जत करते हैं। तो बुद्ध को तो मानने लगे, लेकिन उनकी शिक्षा जो थी अहिंसा उसको भूल कर प्रतिहिंसा की बातें और मनोवृत्ति शुरू हो गयी। तो ऐसी बात करनी चाहिए जिससे आपस में प्रेम बढ़े। हम तो हरिजन मानते ही नहीं किसी को, हम तो सबको हिन्दू मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। अभी जनरल सीट के लिए एलेक्शन हुआ था नजीबाबाद में उसमें हमने एक ठाकुर के खिलाफ, जिसे आप हरिजन कहते हैं, उसको हमने जनरल सीट से जिताया।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो आपने इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं अब बोलने का समय ८ मिनट ही रहेगा, क्योंकि समय कम है।

श्री रामवचन यादव--मुझे तो आप उतना ही दीजिये, मैं तो इस सेशन में बोला ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--खैर आपको तो १० मिनट, उसके बाद ८ मिनट मिलेंगे।

श्री रामवचन यादव--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हरिजन और पिछड़े वर्ग की समस्या उन्हीं की समस्या नहीं है, बल्कि यह राज्य की और राष्ट्रीय समस्या है और इसको हल करने के लिए सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।

[श्री रामवचन यादव]

अभी-अभी माननीय गोविन्दसिंह जी और कल माननीय यशपालसिंह जी भाषण दे रहे थे तो मुझे लगता था कि इन्होंने इस समस्या पर गौर किया ही नहीं और बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश ही उन्होंने नहीं की, खास करके नेताओं को तो उसे जरूर पढ़ना चाहिए। मुझे इस बात का भी दुःख है कि इस राष्ट्रीय समस्या पर जिस दिन बहस हो, विरोधी दल के नेता सभी गैरहाजिर रहते हैं और इधर के भी मौजूद नहीं रहते। मैं तो सभी नेताओं से अनुरोध करूंगा कि इस समस्या पर जब विवाद हो तो दोनों ओर के लोग मौजूद रहें।

हो सकता है कि कभी आपका राज्य आवे तो आप भी इस समस्या को समझे नहीं रहेंगे। इधर के लिये भी कहता हूं कि यह अनुदान हर विभाग से ताल्लुक रखता है और इसलिये हर मंत्री को यहां रहना चाहिये जब हरिजन विभाग का अनुदान विचार में हो।

यह पिछड़ी और अनुसूचित जाति की समस्या है। अनुसूचित जाति के लोग पिछड़े हुए भी हैं और अछूत भी हैं। अगर उनके अन्दर से समाज इस अछूतपन को नहीं निकालता उस समय तक यह वर्ग ऊंचा नहीं उठ सकता। उसी तरह से पिछड़ी जाति की समस्या भी समझिये। पिछड़ा शब्द तुलनात्मक शब्द है। इस देश के सभी लोग, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, सभी और देशों के लोगों से पिछड़े हुए हैं। तो बैकवर्ड कमीशन ने इस दृष्टि से चीज को देखा है। उसने हर प्रदेश से पिछड़े जातियों की सूची में जातियों के नाम रखे हैं। अपने ही प्रदेश में ज्योतिषी ब्राह्मणों को पिछड़ी जाति में रखा है। माननीय गोविन्दसिंह जी के यहां के पण्डों को भी पिछड़ी जाति में रखा है। जाटों को अपने यहां तो नहीं लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में पिछड़ी जाति गिनाया है और राजपूतों को बम्बई में पिछड़ी जाति में रखा है और यही नहीं अपने प्रदेश में मुसलमान कायस्थों को भी पिछड़ी जातियों में रखा है। कमीशन ने पिछड़े शब्द को तुलनात्मक ढंग से लिया है और इसी आधार पर हमको देखना होगा कि कौन लोग पिछड़े हुए हैं और किस आधार पर उसने सोचा है। जन-गणना के आधार पर उसने इस चीज़ को नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने सोचा है कि किस जाति में कम परसेंटेज में पढ़े लिखे लोग हैं और किसमें सरकारी नौकरियों में कम हैं और समाज में किनको बराबरी में उठने-बैठने और खाने-पीने नहीं दिया जाता। बहुत से लोग इस दृष्टि से नहीं सोचते हैं। मैं आपके द्वारा सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों और हरिजनों में ९९ प्रतिशत लोग वह हैं जो मेहनत करते हैं। चाहे खेतों में काम करते हों, चाहे कारखानों में काम करते हों, चाहे पशुपालन का काम करते हों और चाहे कारीगरी का काम करते हों, देश के असल पैदा करने वाले लोग, ये हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश में जो उत्पादन करने वाले हैं, धन पैदा करने वाले हैं वे नीच समझे जाते हैं और उनकी आर्थिक दशा ऐसी खराब रखी जाती है जिससे उनका इस तरह से पतन हुआ।

आर्थिक दशा का जहां तक सवाल है उसके लिये सोचना पड़ेगा कि कैसे सुधारा जाय। इसके लिये राजनीतिक पार्टियों को कुछ सोचना है और सोचें। मगर सामाजिक स्तर पर उसके लिये विरोधी दल भी ठीक से नहीं सोच रहे हैं। अपने-अपने क्षेत्रों में अपनी बिरादरी के लोगों में इसका प्रचार करें। अभी सबसे पहला कदम है लोगों को चारपाई पर उठने-बैठने के लिये समानता दिलाना। मैं अपने क्षेत्र में देखता हूं कि चमार अगर एक हजार रुपया महीना भी आमदनी करता है और कलकत्ते में रोजगार करता है, लेकिन जब यहां आता है तो एक ब्राह्मण उसको अपने सामने जमीन पर बैठायेगा। यहां ही राजस्व मंत्री जी अपने गांव गये तो एक पुरोहित आया। चूंकि वह चारपाई के एक सिरहाने पर बैठे हुए थे तो वह पैताने नहीं बैठा। उन्होंने

उससे कई बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन वह नहीं बैठा। उनसे कम खेत रखने वाला, उनसे कम जायदाद रखने वाला, उनसे कम पढ़ा-लिखा, उनसे कम-उम्र, मगर नहीं, वह नहीं बैठा। इस बात को हमें दूर करना है। कटुता से नहीं किन्तु गांधी जी के बताये हुये रास्तों से हम इस भावना को दूर करना चाहते हैं। हमें इस अहंकारी मनोवृत्ति का अन्त करना है जिसमें एक दूसरे के बराबर बैठने में हिचक है और जिसमें ८० वर्ष के बूढ़े को एक १०,१५ वर्ष का बच्चा नमस्ते करने तक को तैयार नहीं है, इस अहंकारी मनोवृत्ति को समाप्त होना चाहिये।

हमारे संविधान में लिखा है कि हम वर्गविहीन और जातिविहीन समाज बनाना चाहते हैं। इसके बनाने के लिये जिम्मेदारी अगुआ लोगों पर है। वे हमें जिस रास्ते पर ले चलेंगे हम उसी रास्ते पर चलेंगे क्योंकि जब अगुआ लोग ही इस जाति-वाद को मिटाने के लिये तैयार नहीं हैं और जातिवाद के नाम पर फायदा उठाते हैं तो पिछवा क्या करेंगे? जो लोग जाति के नाम पर जलील होते हैं, जिन्हें तकलीफ होती है वे अपनी जाति को छिपाये रहते हैं; वे चाहते हैं कि किसी तरह से यह जाति-पांति मिटे तो उनका उद्धार हो। मगर वे लोग नहीं चाहते, वोट के नशे में भले ही कह जायं। इसलिये इसको राष्ट्रीय समस्या समझ कर दूर करना है।

अब मैं पहले तो प्रदेशीय सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने जो दो सूचियां थीं, एक शिक्षा विभाग की और दूसरी सेवा विभाग की, इन दोनों को मिला कर एक ही सूची कर दिया है।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने पिछड़े वर्गों के बजट में १५ फीसदी की वृद्धि की है मगर हमारी प्रदेशीय सरकार के इस बजट में कटौती हुई है। इस सम्बन्ध में पहले अनुदान संख्या ४२ के 'ख' में देखा जाय पेज ४५९ पर। इसमें है अनुदान जो घरों की व्यवस्था करने के निमित्त—अनुदान बस्तियों के सुधार के अन्तर्गत उसमें पिछड़ी जातियों के लिये गत वर्ष ५० हजार रुपये इस काम के लिये रखे गये थे। इस वर्ष वह रकम काट दी गयी है। इसके अलावा ४६० पेज पर ८ नम्बर के आइटम में समाजोत्थान के संगठन पर काम करने वाले जो स्वतन्त्र संगठन हैं गत वर्ष उनके लिये २१ हजार रुपया था। इस वर्ष वह काट कर ८ हजार कर दिया गया है। कैसे छुआछूत दूर होगी? दूसरे शिक्षा का प्रसार बहुत बढ़ रहा है। अन्य वर्षों में वजीफे के लिये कुछ न कुछ रकम बढ़ायी जाती थी लेकिन इस साल कुछ नहीं बढ़ायी गयी। केन्द्रीय सरकार ने तो कुछ बढ़ाया भी है। तीसरे जो कृषि का अनुदान था पिछड़ी जातियों के लिये उसे भी काट दिया गया है। इस तरह से लगभग १ लाख रुपया इस साल बजट में गत वर्ष के मुकाबले में पिछड़ी जातियों के लिये काट दिया गया है।

अब मैं दो, तीन सुझाव देना चाहता हूं। एक सुझाव तो यह है कि पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में सुविधा दी जाय। वह इसलिये कि जो लोग सरकारी नौकरी में होते हैं उनका स्तर बढ़ता है, समाज में उनकी इज्जत होती है। एक खास जाति है कायस्थ, उसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने शूद्र कहा है मगर समाज में उनकी बड़ी इज्जत है क्योंकि वे लोग पढ़े लिखे हैं और सरकारी नौकरियों में बहुत काफी हैं। इसी तरह से अगर हरिजन जातियों के लोग सरकारी नौकरियों में हो जायं तो उनका जातीय स्तर ऊंचा हो जायगा। दूसरे, यह कि बजट का ५० प्रति शत रुपया सरकारी नौकरों पर खर्च होता है, तनख्वाहों के रूप में। अब चूंकि हरिजन और पिछड़ी जातियां वैसे तो बहुसंख्या में हैं लेकिन नौकरियों में २ फीसदी हैं और ९८ फीसदी वे लोग हैं जो आबादी

[श्री रामवचन यादव]

के लिहाज से कम संख्या में हैं इसलिये वह बजट लौट कर अधिकतर उन्हीं कम संख्या वालों की जेब में जाता है । इसके अलावा ऐडवान्स बनाने के लिये भी यह आवश्यक है क्योंकि जो आई० ए० एस० या पी० सी० एस० लोग हैं उनके लड़कों की जनरल नालेज ज्यादा होती है बनिस्बत उनके जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है । इन्हीं सब बातों को देखते हुये कमीशन ने दस साल का रिजर्वेशन दिया है ।

अगला सुझाव मेरा यह है कि पुलिस विभाग में जो हरिजन और पिछड़ी जातियों के लिये तीन साल की छूट दी गयी है वह हर विभाग में दी जाय, क्योंकि ये लोग ज्यादा उम्र के हो कर पढ़ते हैं । इसमें सरकार का कोई नुकसान भी नहीं है । इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन और चुनाव समितियों में इनका प्रतिनिधित्व हो । एक बार ऐसा प्रस्ताव आया था और इधर के लोग तो चाहते थे कि पेश हो मगर विरोधी दल के लोगों ने उसका विरोध करके पेश ही नहीं होने दिया ।

एक सुझाव और देना है । वह यह है कि कई प्रदेशीय सरकारों ने टेक्निकल शिक्षा संस्थाओं में ४० तथा ५० प्रतिशत तक हरिजन तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये रिजर्वेशन किया है जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल आदि में । मैसूर ने ४५ प्रतिशत कर दिया है और कमीशन ने भी ७० प्रतिशत के लिये सुझाव दिया है । इसमें किसी का क्या नुकसान होता है ? यदि आप दिल से सोचते हैं कि हरिजन तरक्की करें तो आप यह कर दीजिये । पहले आप थोड़े दिन के लिये कर दीजिये और देखिये इसका क्या परिणाम होता है ।

इसके अलावा मेरा यह भी सुझाव है कि यदि सेंटर बैकवर्ड क्लास कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करता है तो प्रदेशीय सरकार को संविधान ने अधिकार दिया है कि वह अपने यहां उनको लागू कर सकती है । संविधान की धारा १६ की उपधारा (४) में लिखा हुआ है कि जिस राज्य में इनका उचित प्रतिनिधित्व न हो तो वहां प्रदेशीय सरकार रिजर्वेशन कर सकती है । यही मेरे ४-५ सुझाव हैं और हम चाहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय और इसमें देरी न की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति की रकम को दसगुना कर दिया जाय, तब समस्या हल होगी और देश का उत्थान होगा और लोग समझेंगे कि हम अपने देश की आजादी के लिये कटिबद्ध हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त ।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इधर से कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हरिजन मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह इस तरह है जैसे बाप बेटे को चटुरिया दे देता है और बेटा बहला रहता है । इस अनुदान में जितने रुपये रखे गये हैं उनको देखा जाय तो मालूम होगा कि एक आदमी पर साल भर में करीब छः आने पड़ता है । इसमें तो एक दिन के कपड़े भी नहीं धुल पायेंगे । हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन बैकवर्ड जातियां अभी तक गुलाम बनी हुई हैं । पहले यह अंग्रेजों के गुलाम थे

श्री उपाध्यक्ष--आप माइक को सामने कर लें ।

श्री भूपकिशोर--श्रीमन्, आज भी ये गुलाम बने हुये हैं । बैकवर्ड क्लास की गुलामी अभी तक दूर नहीं हुई है और सामाजिक आधार पर उनकी तरक्की नहीं हुई है और आज वे सवर्णों से बहुत नीचे हैं । अगर हरिजन जाति का एक ६० साल का भी बुड्ढा है तो उसको सवर्णों का छोटा सा भी बच्चा जयराम जी या राम-राम नहीं करता है जब कि हमारी हिन्दू संस्कृति में यह है कि छोटे बड़ों को राम-राम करते हैं, पांवलागन करते हैं । ऐसी हालत में नीच ऊंच की भावना हमारे यहां खत्म नहीं हुई है और न होने को है ।

श्रीमन्, मैं देखता हूं कि आज अदालतों में भी पक्षपात होता है और पुलिस में भी पक्षपात होता है, मेरे कहने का मतलब यह है कि सब जगह पक्षपात होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक दफा एक ब्राह्मण ने भंगिन को पकड़ा और पुलिस में जाने पर इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी। दूसरी कहानी यह है कि एक नाई ससुराल जा रहा था, रास्ते में एक चौपाल पड़ी, उसको बहुत प्यास लगी थी, इसलिये वह चढ़ गया और उसने पंडित जी को जयराम जी की कर दी। पंडित जी ने उससे कान पकड़ कर उठने बैठने को कहा और उसके इन्कार करने पर कान काट लिया। इस्तगासा दायर करने पर पंडित जी को केवल एक हफ्ते की सजा दी गई। एक दिन पंडित जी गंगा जी पर उसको मिल गये, उसने उनको धर मारा और मूंछें काट लीं। उसी अदालत में मुकद्दमा गया तो उसको दो साल की सजा हुई। मैं देखता हूं कि सरकारी नौकरियों में बैकवर्ड जातियों का प्रतिनिधित्व न होने के कारण पक्षपात होता है। सामाजिक आधार पर भी मैं देखता हूं कि जब वह जन्म लेता है तो पंडित जी आते हैं, ब्याह होता है तो पंडित जी कराते हैं और जब वह मरता है तो पंडित जी अपना कर लेते हैं और उसकी तेरही होती है और १३ ब्राह्मण खाते हैं जो २५-२६ आदमियों की खूराक खा जाते हैं और जब आशीर्वाद देता है तो कपड़ा ले लेता है। इसलिए ब्राह्मणों को मन्दिरों में पूजा करने और तीर्थों में दक्षिणा लेने के जो अधिकार दिये गये हैं उनको जुर्म करार दे दिया जाय और उनको कानूनन बन्द कर देना चाहिए। यह मन्दिरों और तीर्थस्थानों के काम हरिजनों को दिये जायं। घाटों का नीलाम कराया जाय। जो अधिक पैसा दे उसको दिया जाय चाहे वह हरिजन हो या ब्राह्मण। इससे हजारों रुपया जो ब्राह्मण खा जाते हैं वह बच जायगा और उसको बजट में लाकर रखा जा सकता है जो पब्लिक के काम आयेगा। पं० जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी लड़की को एक खत लिखा था। उसमें लिखा था कि यह बैकवर्ड जातियां और अछूत जातियां पहले हिन्दुस्तान की मालिक थीं और सवर्ण लोग बाहर से आये हैं। उनको इनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए तब तो वह रह सकते हैं। इसी तरह से महात्मा गांधी ने १९३९ में आल इंडिया कांग्रेस में कहा था कि बड़े जातियों के लोग अपने दलित भाइयों को दबा कर अपनी किश्ती डुबा देना चाहते हैं। बड़े जातियों के लोगों ने देश के मूल निवासियों के साथ उतना बुरा व्यवहार किया है जितना अंग्रेज आक्रमणकारियों ने इस देशवासियों के साथ किया है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बैकवर्ड कमीशन नियुक्त किया। उसकी रिपोर्ट में है कि नौकरियों और स्कूलों में सीटों का रिजर्वेशन किया जाय। पेज २०२ और पेज २०३, बैकवर्ड कमीशन रिपोर्ट, में देखिये, लिखा हुआ है--पोस्ट ग्रेजुएट्स का रिसर्च में रिजर्वेशन किया जाय। देहातों में बैकवर्ड जातियों के एजूकेशन के लिए इंन्तजाम किया जाय। वाल्यूम नम्बर एक पृष्ठ २०३ पर लिखा हुआ है "बैकवर्ड जातियों की लड़कियों को एजूकेशन फ्री दी जाय।" पेज १३२, वाल्यूम नम्बर १, पर दिया हुआ है "जो और हिन्दुस्तान में जातियां हैं जैसे ईसाई और मुसलमान हैं यह भी बैकवर्ड हैं, उनका भी रिजर्वेशन किया जाय।" जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने पिछले साल कहा था, हरिजन मंत्री को चाहिए कि वह अपनी लड़की हरिजन को दें। इसका अनुकरण करना चाहिए और अगर वह नहीं करते हैं तो उनको गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अवसर आपने दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रस्तुत अनुदान का मैं हृदय से स्वागत करते हुए समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आदरणीय महोदय, यह जो अनुदान सदन में उपस्थित है यह हरिजनों के उत्थान के लिए है। इसकी बाबत मुझे इतना कहना है कि यह हरिजन उत्थान वास्तव में हरिजन या अनुसूचित जातियां, किसी नाम से भी उन्हें पुकारा जाय, उन्हीं के लिए नहीं है बल्कि यह राष्ट्र के एक कमजोर अंग को बलवान बनाने के लिए है। यही इसका उद्देश्य है। हरिजन उत्थान की बाबत जो कुछ भी इस वक्त मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा और

[श्री खुशीराम]

तमाम अपने अनुभव उपस्थित किये उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। बहुत कुछ उन्होंने कहा। मैं उसमें से सिर्फ हरिजन उत्थान से सम्बन्धित बातों को लेता हूं और जो उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाये हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया इसके मैं विपरीत हूं। मैं कहता हूं कि सरकार ने कमजोरों को उठाने का काम किया है। अभी सरकार को आये हुए कितने दिन हुए हैं? सिर्फ बारह साल हुए हैं। पुरानी जो परम्परा बिगड़ी हुई थी इस क्षेत्र की उसको सरकार ने साफ किया है, सुधारा है और सुधार रही है। हरिजन उत्थान की बाबत मैं इसलिए ऐसा कहता हूं कि मैं ५० वर्ष के अर्से से इस क्षेत्र में काम करता आ रहा हूं और मैंने अपनी जिन्दगी भर हरिजन उत्थान यानी हरिजनों की सेवा करने का काम किया है क्योंकि मैं भी उन हरिजनों में से ही कहा जाता हूं। वैसे मैं तो वही हूं जैसे आप लोग हैं लेकिन इस वक्त जो परम्परा है उसको मानना ही पड़ता है।

मान्यवर, लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, जिन्होंने सब से पहले इस हरिजन उत्थान कार्य को उठाया था उनको भी मैं सन् १९१३ में अपने घर बुला कर के इस काम के लिए ले गया था और उनसे परामर्श किया था। उन्होंने एक सभा उद्घाटित की थी "आर्य शिल्पकार सुधारिणी सभा।" उसमें मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें मुझे यह अनुभव हुआ कि इस वक्त भी जो वातावरण जीवित है हरिजनों के प्रति यानी जो अमानुषिक बर्ताव है यह आज का नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। मनुस्मृति का भी उदाहरण दिया जाता है। मुझे काफी अनुभव है इस क्षेत्र में। और बातें तो दरकिनार रही, हम लोग पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं बैठने पाते थे इस वास्ते कि उसमें विष्णु भगवान का वास रहता है, अच्छा खाना अच्छी जगह नहीं खा सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। इसी तरह और भी कई बातें हैं। मैं इतने थोड़े समय में इतनी बातें नहीं कह सकता। यह उस वक्त का नमूना है। तो इन चीजों को दूर करने के सही मार्ग को जानने के लिए लाला लाजपत राय को बुलाया गया। उस वक्त हम अपने उत्थान के लिये समाज सुधारक हितैषियों की ओर ही देख सकते थे। उन्होंने हमें अच्छी रायें दी और उन्होंने सभा का उद्घाटन किया और अपने बल खड़े होने की प्रेरणा दी। यह आर्थिक समस्या तो हमारी कांग्रेस सरकार के वक्त से आयी है। उस वक्त तो मुख्य प्रश्न यही था कि किसी न किसी प्रकार जो अमानुषिक बर्ताव किया जाता था वह बन्द हो यानी वह एक हिन्दू होते हुए भी अपनी चुटिया में गांठ नहीं दे सकते थे। वह किसी प्रकार का टीका चन्दन नहीं लगा सकते थे, किसी प्रकार का अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे। तो यह किस तरह से दूर हो, इसके लिए हमने समाज सुधारक सभा स्थापित की थी। उसमें इतनी विघ्नव बाधायें पड़ीं कि जो अकथनीय हैं। कितनी जगह तो हमें गोठ में डाला गया। गोठ एक प्रकार की हवालात होती थी जो कि ऊंची जातिवालों के यहां होती थी। दो तीन जगह तो मैं भी उस हवालात में रहा इसलिए कि यह क्यों आता है वहां हरिजनों को बिगाड़ने के लिए। बिगाड़ना मेरा यही था कि उस सभा के जो नियम थे उनके मुताबिक चलने के लिए मैं उनसे कहता था। तो मुझ पर ऐसा आरोप लगाया जाता था और मेरी बेइज्जती भी कई जगह हुई। हमारे साथियों की बेइज्जती हुई। इस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ होता था।

अब जबसे कांग्रेस सरकार हुई है तबसे इन सारी बातों में बदलाव आ गया है और अब वे बातें कम हैं। बावजूद अनेक विघ्न बाधाओं के, बावजूद अनेक परेशानियों के, भी इस सरकार ने अपने उद्देश्यानुसार इसने "सामाजिक अस्पृश्यता बिल" पास किया; इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। इससे हमें बहुत काफी आजादी मिली। तो यह तो सुधार हुआ है। उनकी और बातों की भी मैं प्रशंसा करता हूं। सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा कहने के विपरीत हूं, इसके मैं विरोध में हूं। सरकार ने बहुत कुछ किया।

समय थोड़ा है और अब मुझे थोड़ा सा इनकी आर्थिक दशा के बाबत भी कहना है। इसकी बाबत मैंने ५ बातें रखी हैं इस आदरणीय सदन में। सर्वप्रथम शिक्षा, दूसरे भूमि है, तीसरे उद्योगधंधा, चौथी बात नौकरियां हैं, जो लिखे पढ़े लोग हैं उनको योग्यता के अनुसार नौकरियां

दी जायं, पांचवीं बात है कि अमानुषिक बर्ताव जो छुआछूत का किया जाता है वह दूर किया जाय। इस सरकार ने बहुत कुछ शिक्षा के क्षेत्र में किया है। मैं सन् १९४५ में सदन में जब आया था तब ६, ७ लाख रुपया अनुदान था और आज १ करोड़ ५१ लाख है। इसमें भी प्रगति दीखती है। इतना हो गया है, लेकिन अभी काफी नहीं है। अभी और भी बहुत कुछ होना है, लेकिन अब बमुकाबले उस जमाने के जो मैंने देखा है कुछ न कुछ अवश्य हुआ है। अभी इससे ज्यादा होना है। इसके अलावा आर्थिक समस्या के सुधार के लिए भूमि का सवाल है। १५ हजार दरख्वास्तें सरकार के पास पहुंच चुकी हैं और ३ हजार दरख्वास्तें मालधन चौड़ा में हैं। इस तरफ भी खयाल किया जाय और इस मांग को कार्यान्वित किया जाय।

श्री खयाली राम (जिला लखनऊ)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि इस विषय में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर आपने दिया। मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने कल से इधर बैठने वाले सदस्यों और उधर बैठने वाले सदस्यों की बातें बड़े गौर से सुनीं। मुख्य तौर से मैंने माननीय गृह मंत्री जी की बातें बड़े ही गौर से सुनीं। आज हरिजनों की जो स्थिति है उसके अनुसार इस हरिजन कल्याण मन्त्री के अनुदान की तुलना इस प्रकार की जाय तो ज्यादा अच्छा होगा और इस सरकार की तुलना उस चिड़ीमार से की जाय जो कि मुट्ठी भर दाने बिखेर कर के चिड़ियों के बहुत बड़े झुंड को अपने पिंजड़े में फंसा लेता है तो ज्यादा उचित होगा। उसी प्रकार यह हमारी सरकार एक थोड़ी सी धनराशि बिखेर कर यानी प्रलोभन देकर के एक बहुत बड़ी जमअत को अपने चक्कर में फंसाये हुए हैं, जिससे हमारे प्रदेश के ७० प्रतिशत पिछड़े हुये समाज को बहुत ही नुकसान होता है।

आज पिछड़े हुये लोगों के प्रति जितनी सहानुभूति हमारी सरकार को है वह भी कोई छिपी हुई बात नहीं है। वह हमारी कैबिनेट से ही स्पष्ट हो जाता है कि जिनकी ७० फीसदी जनसंख्या है उनका अब केवल एक उपमंत्री हो पाया है। दूसरी सहानुभूति यह है कि सन् १९४७ में ७० फीसदी जनसंख्या वाले समाज के ३४ गजटेड अफसर थे आज अपनी सरकार ने उसको घटाकर केवल २४ कर दिया है तीसरा उदाहरण यह है कि जिस समय बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन श्रीकान्त जी ने हमारे मुख्य मन्त्री जी से बात की कि उस बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट को यहां पर लागू किया जाय उस समय हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम अपने प्रदेश में बैकवर्ड क्लास को कोई सुविधा देने के लिये तैयार नहीं है। इस प्रकार से ७० फीसदी जनता के साथ इस थोड़ी सी धनराशि के प्रलोभन में हरिजनों को फंसाकर बहुत बड़ी जनसंख्या पर आघात किया जाता है।

श्रीमन्, मैं, आपके द्वारा हरिजन छात्रों के बारे में जो किया जा रहा है, उसकी चर्चा करना चाहता हूं। इस वर्ष एक जी० ओ० निकला था कि हरिजन छात्र एक प्रमाण तहसीलदार से लेकर दें तभी फीस माफ होगी। उससे, श्रीमन्, फीस से मुक्त होने के लिये वे गये, लेकिन अपनी शिक्षा शुल्क से न मुक्त होकर हजारों छात्र शिक्षा से ही मुक्त हो गये। हमारे कमलापति जी ने कहा कि अब १०वें के ऊपर की शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति की जिम्मेदारी हमारी केन्द्रीय सरकार ने ले ली है, अब ज्यादा सुविधा दी जायेगी और ज्यादा छात्रवृत्तियां दी जायेंगी। श्रीमन्, मैं अपने जिले की बात बताऊं कि १९५७–५८ में जिस समय ९५ लाख का बजट हरिजन कल्याण मंत्री का था उस समय मेरे जिले में छठीं क्लास के हरिजन छात्रों को ६३ और नवीं क्लास के हरिजन छात्रों को ४२, ४३ और ११वीं क्लास के छात्रों को २७ छात्रवृत्तियां दी गई थीं और अब जबकि केन्द्रीय सरकार ने दसवीं के ऊपर क्लासों की जिम्मेदारी ले ली और ज्यादा सुविधा दी गई तब ५८–५९ में कितनी रह गई ?

[श्री खयालीराम]

हरिजन छात्रों को अब इस साल जब कि १ करोड़ १२ लाख का बजट सम्बन्धित मंत्री जी का था तब छठें के लिये ४२ और नवीं क्लास को २७ और ११वीं के लिये तो इनकी जिम्मेदारी ही नहीं रही । इस तरह से हरिजन छात्रों के साथ आघात किया जाता है। अब हो सकता है कि किसी किसी माने में यह कहें कि हम तरक्की कर रहे हैं तो मैं इसको मानने के लिये तैयार हूं। इससे मैं इनकार नहीं कर सकता कि इसकी तरक्की नक्शे पर हो रही है और जो कुछ कमी रह जाती है वह लचकदार स्पीचों से पूरी हो जाती है । तो यह इनकी स्कीम है और यह इनकी नीति है ।

हमारे सभा सचिव साहब, धर्मसिंह जी, ने कहा कि अंग्रेजी समय में वे अपना उल्लू सीधा करने के लिये कुछ समाजों को उछाला करते थे, लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अंग्रेजी समय में तो एक ही अपना उल्लू सीधा करते थे लेकिन आज तो सम्पूर्णानन्दन जी, हुकुमसिंह जी और गृह मन्त्री जी तीन-तीन अपना-अपना उल्लू सीधा करने वाले मौजूद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क जो बनी है क्या उन पर हरिजन नहीं चलते हैं ? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सड़क क्या उनके बंगले में बनी है या जहां पर हरिजन रहते हैं उनमें बनी हैं । श्रीमन्, आज हरिजन कहां बसाये जाते हैं ? देहातों में गड्ढों के पास बसाये जाते हैं और शहरों में नालों के किनारे और जहां कहीं अच्छी जगह बसे हुए भी हैं वहां से उनको निकालने का सरकार का विचार है, जैसे दुगावां के लिये हो रहा है । वहां के लिये सरकार की कोई दूसरी स्कीम है ? उनको हर वर्ष नोटिस दी जाती है कि तुम निकल जाओ। तो इस तरह से अछूतों की तरक्की होती है।

हरिजन सम्मेलन किये जाते हैं कार्तिक स्नान के मेलों में और किसान मेलों में । अभी मोहनलालगंज में एक किसान मेला किया गया जिसमें सुल्तान आलम साहब गये थे । शायद वहां दो, चार हरिजन पहुंचे हों, लेकिन वहां हरिजन सम्मेलन हुआ और ३ व ४ सौ रुपये की ग्रान्ट ली गयी होगी। जब मैं पहली बार विधान सभा में आया तो यहां जिला हरिजन कल्याण उपसमिति में, ११ पानी पीने के कुओं के अनुदान फार्म जिला हरिजन कल्याण अधिकारी ने पेश किये। मुझे कुछ शक हुआ और मैंने कहा कि फार्म दिखाइये। वह हिचके। ए० डी० एम० पी० के कहने से अनुदान फार्म लाये गये और उसमें देखने से पता चला कि ६ तो ठीक थे लेकिन ५ फर्जी बनाये गये थे जिनकी ग्रान्ट निकाल कर वही दफ्तर में रह जाती। तो इस तरह से काम किया जाता है और एक आवेदक जब ७५ बार दौड़ता है तो मुश्किल से उसको ३०० रुपया मिल पाता है । पिछली ग्रान्ट वह अधिकारी लोग ही खा जाते हैं ।

*श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए इस अनुदान का स्वागत करता हूं । वर्तमान समय में सरकार ने जो कदम हरिजनों के उत्थान के लिये उठाये हैं वे सराहनीय हैं, लेकिन जितना काम होना चाहिये था, उतना नहीं हो पाया । उससे कम हुआ है और हर जगह वह पूरा नहीं हो पा रहा है । पहले तो १८ फीसदी की बात केवल कागजों में दर्ज की जाती है, कानून बन जाता है, लेकिन किसी भी विभाग में १८ फीसदी पूरे नहीं हो पाते । मुश्किल से दो, तीन फीसदी होते हैं । अपने जिले की बात मैं बतलाऊं । ७, ८ दिन का किस्सा है, हमारे यहां ग्रा.म सेवकों का चुनाव हुआ जिसमें ६०, ७० आदमी चुने गये । उनमें केवल १ हरिजन लिया गया ; और १४, १५ हरिजन आये थे, लेकिन नहीं लिये गये । कहने का मतलब यह है कि अगर १८ प्रतिशत का कोटा पूरा हो जाय और हर जगह हरिजन पहुंच जायं तो वे हरिजनों के हित की बात कर सकते हैं, उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्थान में वे मदद दे सकते हैं । जो सेलेक्शन कमेटी होती है उसमें हरिजन नहीं रखे जाते, न ही उनमें बैकवर्ड क्लास का कोई प्रतिनिधि होता है । इसलिये हरिजनों के कैंडीडेट्स को वे लोग चुनते हैं कि जिनको हरिजनों से घृणा होती है । तो मेरा यह निवेदन है कि जिले के स्तर पर या प्रान्त के स्तर पर जो सेलेक्शन हों, उनकी हर सेलेक्शन कमेटी में हरिजनों तथा बैकवर्ड क्लास के प्रतिनिधि होने चाहिये ताकि हरिजनों के सेलेक्शन में सुविधा हो और १८ फीसदी का कोटा पूरा हो ।

इसके बाद शिक्षा की बात है । इस ओर सरकार ने काफी ध्यान दिया है, लेकिन उनकी आबादी के हिसाब से जितनी सहायता दी जाती है वह कम है । आज शिक्षा का अनुदान भी बहुत कम है । इस बजट में अनुसूचित जातियों के लिये १९,४५,९०५ रुपया और पिछड़ी जातियों के लिये ११,३३,३९० रुपया रखा गया है । यह देखा जाय कि वह कितने आदमियों को उपलब्ध होता है । ३७,७८८ छात्रों को वह मिल पाता है और इसके अलावा प्राइमरी के छात्र हमारे प्रदेश में ४,५९,४१२ हैं जो बच जाते हैं । इस हिसाब से अगर देखा जाय तो ८ फीसदी से ज्यादा हम हरिजन छात्रों को सहायता नहीं दे पाते । जब इस प्रकार की सहायता सरकार की होगी तो हम जल्दी कैसे उठ पायेंगे और कैसे हम दूसरों का मुकाबला कर पायेंगे ? इसलिये मेरा निवेदन है कि शिक्षा के अनुदान में ५० फीसदी बढ़ोत्तरी की जानी चाहिये, नहीं तो हरिजन उठ नहीं सकते । अगर हम में शिक्षा नहीं होगी तो हम कैसे कोई बात या हिसाब समझ सकते हैं ? हम अपने हक की बात भी नहीं कर सकते । आज हरिजन और बैकवर्ड मिल कर ८० फीसदी हैं । तो जिस समाज में ८० फीसदी की कोई कद्र न हो वह दूसरों का कैसे मुकाबला कर सकता है ? राजनीतिक पार्टियां जो आज यह हल्ला मचाती हैं कि हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज को सहायता नहीं मिल रही है, वह ठीक नहीं है । जो सहायता मिल रही है, यह सही है कि वह नाकाफी है और सरकार को हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को जिला तथा प्रान्त के स्तर पर नौकरियों में जगह देने का प्रयत्न करना चाहिये ।

कुटीर उद्योग के लिये या घर बनाने के लिये अनुसूचित जातियों के लिये जो धनराशि है वह बहुत कम है । इसी प्रदेश में कुछ दिन पहले रिपयूजी आये । उन के लिये उद्योग दिये गये, मकान बनवाये गये, उनको पानी दिया गया और दूसरी सुविधायें प्रदान की गयीं । सर्विसेज में उनको सुविधा मिली, लेकिन जो हरिजन यहां अनादि काल से बसते हैं उनके लिये सरकार ने केवल थोड़े से कदम उठाये हैं और वे नहीं के बराबर हैं । गांव का हरिजन आज हमसे सवाल करता है कि हम आपकी सरकार को बनाते हैं, आप को वोट देते हैं, आपने हमारे लिये क्या किया । हम लज्जित हो जाते हैं और बहाना करते हैं कि सरकार और दूसरे जरूरी कामों में फंसी हुई है । इस तरह का बहाना हम कब तक कर सकेंगे ? उस गांव के हरिजन के लिये आज मकान नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है । वह मजदूरी करके आराम से अपने घर में बैठ कर खाना नहीं खा सकता । हरिजन कल्याण विभाग में जो हरिजन कल्याण अधिकारी रखे जाते हैं और जो १००० रुपया प्रचार के लिये रखा जाता है वह प्रचार मार्च की आखिरी तारीखों में शुरू किया जाता है । मार्च में किसान अपने काम में लगा रहता है । मैं १७ तारीख को जिले में गया, वहां १०० आदमी मुश्किल से आये थे, वह भी तब जब कि हमारे निजी वर्कर्स ने काम किया तो मुश्किल से वे इकट्ठा हुए ।

श्री उपाध्यक्ष––आपका समय समाप्त हुआ । श्री उग्रसेन जी, आप केवल ५ मिनट लेंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया))––कुछ और समय दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--आप शुरू तो करिये ।

श्री उग्रसेन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान की कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में कुछ निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, जैसा कि अभी सरकारी पक्ष की ओर से एक माननीय सदस्या ने कहा कि यह प्रश्न सामाजिक है तो मैं इस सम्बन्ध में इस सदन के आदरणीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सही तरीके में यह प्रश्न एक सामाजिक प्रश्न है और हमें यह भी विदित है कि इस प्रदेश की पौने सात करोड़ जनता को उठाने के लिये प्रदेश की सरकार ने क्या सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार के प्रयत्न किये जिससे कि यहां के लोग ऊंचे उठें । सोशलिस्ट पार्टी ने बार-बार यह कहा कि एक और दस का अनुपात यहां समता लाने के लिये होना चाहिये लेकिन सरकार उसे भी नहीं करना चाहती है । जैसा कि अभी यहां पर श्री धर्म सिंह जी ने कहा कि हम यहां पर इस तरह की सामाजिक विषमता को मिटा देना चाहते हैं तो मेरा कहना है कि यह इस तरह से नहीं मिट सकती है । यह तभी मिट सकती है जबकि सरकार सामाजिक क्रान्ति में अपना योग देगी, जो पिछड़े हुये लोग हैं, स्त्रियां हैं, हरिजन हैं, मुसलमान हैं, उन सबको उठाने का प्रयत्न करेगी । जब हम इनको उठाने में अपना पूरी तरह से योग देंगे तभी यहां सामाजिक विषमता मिट सकती है ।

माननीय धर्म सिंह जी ने अपने भाषण में जो भी बातें कही हैं उनके सम्बन्ध में मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़े प्रस्तुत करके इस सम्बन्ध में एक दो उदाहरण देना चाहता हूं । पहले जहां हरिजनों के उत्थान के लिये १९५५-५६ में ३,७९,००० रुपये की रकम रखी गई थी, सन् १९५७-५८ में यह रकम ३,१८,००० रुपये ही रह गई । इसका मतलब यह है कि यह रकम पहले से घट गई । इसी तरह से हरिजनों के सामाजिक कामों के लिये जैसे कुवें और मकान आदि बनाने के लिये सन् १९५५-५६ में ६,७०,००० रुपये की रकम थी, सन् १९५७-५८ में यह रकम ५,०३,००० रुपये ही रह गई; यानी इस रकम में भी पहले के मुकाबले में कटौती कर दी गई । जो इस तरह से रकम घटाई गई है तो क्या यही हमारे उत्थान का तरीका है ? अभी यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी बतलाया कि इसके पूरे बजट में भी कमी हो गई है । सरकार ने पहली योजना काल में २०,९४,००० रुपये कुटीर उद्योगों के लिये रखा था जिसमें केवल ५.१६ लाख कम हुआ है, इस वर्ष अब वह २.९२ लाख ही कम होगा । तो इस तरह से अनुसूचित जाति का विकास कैसे हो सकता है ? इस तरह से हम भूमिहीन को भी जमीन नहीं देते हैं । दूसरी पंचवर्षीय योजना में २० लाख रुपये कृषि विकास हेतु हरिजन, पिछड़ी तथा विमुक्त जातियों के लिये रखा गया है । तीन साल समाप्त हो जाने पर भी अभी केवल ७ लाख रुपया खर्च हुये, १३ लाख बाकी है । इस तरह से यदि आप बातें करके ही पिछड़ी हुई जातियों का उत्थान करना चाहते हैं तो यह सम्भव नहीं हो सकता है ।

श्रीमन्, यहां पर सदन में यादव जी नहीं हैं । उन्होंने एक सवाल उठाया और कहा कि हम उच्च वर्ग से आते हैं । लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह इस भ्रम में न रहें उन्हें एक दिन वर्गविहीन समाज में आना पड़ेगा और डिक्लास होना पड़ेगा । मैं इस सदन में कहता हूं कि कितने माननीय सदस्य यहां पर ऐसे हैं जो कि हरिजनों की बस्तियों में रह सकते हैं और उनकी तरह से गुजर बसर कर सकते हैं । इसके लिये एक ही उपाय है । जब तक हम अपने यहां उच्च वर्ग की बात करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम त्रिपाठी, सिंह, विसेन, चौधरी, मौलाना, चौबे, आदि अपने नाम के अन्त में लगाना नहीं छोड़ेंगे और इस तरह की भावना को अपने हृदय से नहीं निकाल पायेंगे तब तक यह विषमता दूर नहीं होगी । हमें एक न एक दिन इस तरह की भावना को अपने में से हटाना होगा । जो बैकवर्ड क्लास हैं, हरिजन हैं, स्त्रियां हैं, मुसलमान हैं इनको जब तक हम उत्थान की ओर नहीं ले जायेंगे तब तक देश का सुधार नहीं हो सकता है । इनका भी

संगठन होना चाहिये । सोशलिस्ट पार्टी ने बार-बार कहा है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और सही माने में यदि सरकार इनके लिये कुछ करना चाहती है तो उसे बैकवर्ड कमीशन की सिफारिशों को मानना चाहिये । इस कमीशन ने कहा है कि जमीन की एक सीमा रख दी जाय और जो जमीन बाकी बचे वह भूमिहीनों में बांट दी जाय । इसके साथ ही उसने सामाजिक उत्थान के लिये कुंयें, मकान तथा दूसरी सुविधायें इनको देने की भी बात कही है इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । आप खर्चा किस पर करते हैं ? ५,१०,००० रुपये पिछड़ी जाति के प्रचार के लिये होता है और स्कूलों में लड़के उन को खाते हैं जो कि आप सहभोज पर खर्च करते हैं । ये आप प्रचार इस तरह से क्या करते हैं ? माननीय मंत्री जी ने सभा में कहा कि छूआछूत मिटाने के लिये उसमें सारा रुपया खर्च हो गया, लेकिन प्रचार में जितना रुपया खर्च होना चाहिये वह नहीं हुआ ।

एक बात मैंने देखी । जब माननीय मंत्री जी मौदहा या चकिया चंदौली चुनाव में जाते हैं तो वे हरिजनों के साथ बैठते हैं । किसलिये ? वोट पाने के लिये । यह केवल दिखावा है । असली बात तो तब होगी जब कि आप अपने नामों के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको काटें और उनके साथ खायें पीयें । इसलिये यह जो प्रचार का साधन है वह गलत है । माननीय मंत्री जी सूचना विभाग से भी संबंध रखते हैं । उसके द्वारा जो फिल्में बनायी जाती हैं वे वाहियात होती हैं । दक्षिण में अछूत घंटी बांध कर चलता है । घंटी नहीं बांधेगा तो मारा जायगा और दूसरे को स्नान के लिये जाना पड़ेगा । यहां हरिजन बरात के साथ बाजा बजाता हुआ जाता है और बाबूजी का ब्याह कराता है लेकिन जब उसकी बरात बाबू जी के दरवाजे से जाती है तो डंडे से मार कर दूर कर दिया जाता है । जब आप स्टेज पर आते हैं तो लम्बे लम्बे लेक्चर्स दे जाते हैं लेकिन कार्यरूप में कोई चीज परिणत हुई दिखाई नहीं देती । अम्बेदकर साहब ने बाम्बे में ठीक ही कहा था कि इस कानून के बनाने में हमारा योग रहा और दस साल का संरक्षण हमने प्राप्त किया तो क्या अब कांग्रेस सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाये ? मैं सरकार पर चार्ज लगाता हूं कि वह १० सालों के बाद भी हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों के कष्टों को दूर नहीं कर सकी है । इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो अनुदान प्रस्तुत है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मैं पुनः इस बात को दुहराता हूं कि यह हरिजनों और पिछड़े हुए लोगों की जो समस्या है उसको राजनतिक स्तर पर न सुलझाया जाय, उसको सामाजिक स्तर पर सुलझाया जाय । चन्द साथियों ने कहा कि डाक्टर अम्बेदकर ने जिस रास्ते को बताया था उसी पर चलने से हरिजनों का कल्याण हो सकता है । मैं उसको बिलकुल गलत और मिथ्या समझता हूं । हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण केवल महात्मा गांधी के उसूलों पर चल कर ही हो सकता है जिसका जीता जागता सबूत है कि पूज्य महात्मा गांधी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रम में सबसे प्रथम स्थान हरिजनोत्थान को दिया था । उन्होंने यह निश्चय किया था कि जब कभी मैं देहात में या बाहरी क्षेत्रों में जाऊं, मुझे सौभाग्य मिले कि मैं अपने को हरिजनों की बस्तियों में रख सकूं । हरिजन संबंधी जो कार्य उनके द्वारा किये गये वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं । इस सदन के सभी माननीय सदस्य इसको जानते हैं ।

अब मैं अनुदान की तरफ आना चाहता हूं । मुझे उन साथियों की बातों को सुनकर बड़ी तकलीफ होती है जो यह कहते हैं इस मद में केवल डेढ़ करोड़ रुपया ही रखा गया है । मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का जो समूचा बजट है चाहे वह शिक्षा विभाग का हो, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग का हो या किसी

[श्री शिवप्रसाद]

और विभाग का हो, जो भी बजट बना है और जिसको हमने स्वीकार किया है उस सारे बजट में हरिजनों का हिस्सा है । जैसे कहीं पर कोई विद्यालय का निर्माण किया जाता है, कहीं कोई सड़क बनायी जाती है उस विद्यालय में हरिजनों के लड़के पढ़ते हैं, सड़कों का व्यवहार (उपयोग) हरिजन भी करते हैं; अगर उनके पास गाड़ी है या और कोई सवारी है तो वह भी उन सड़कों का उपयोग कर सकता है । इसलिये यह सोचना बिलकुल गलत है कि उनके लिये केवल १५१ लाख रुपया ही दिया जा रहा है । और दुर्भाग्य है इस देश के लिये कि आज ऐसी स्थिति है कि सरकार को खासतौर से एक निश्चित रूप से हरिजनों के लिये बजट लाना पड़ता है वरना इस चीज की आवश्यकता ही नहीं होती कि हम उनके लिये कल्याण के रास्ते आदि की बातों को अलग सोचते, यदि उनकी हालत पहले ही से अच्छी होती । इस प्रकार की बात कहना कि चन्द चांदी के टुकड़ों की दुहाई दी गई है मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है ।

यहां पर भाई राजनारायण जी ने विश्वनाथ मन्दिर प्रवेश आन्दोलन का भी जिक्र किया, जब विश्वनाथ मन्दिर प्रवेश का प्रश्न आया तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जब तक हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता तब तक हम भी इस मन्दिर में प्रवेश नहीं करेंगे । तो यह एक कैरेक्टर की बात है । हमारे सामने बहुत बड़े आदर्श की बात है जो उन्होंने खुले तौर पर देश के सामने रखा था । इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात उस सम्बन्ध में कहना मुनासिब नहीं है । हमारे भाई गेंदा सिंह जी आज यहां पर नहीं हैं । अगर वे होते तो हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों के बारे में कोई निश्चित सुझाव देते । लेकिन मैंने पहले भी देखा है कि ऐसे मौके पर वे बराबर हाउस से खिसक जाते हैं और आज भी यहां मौजूद नहीं हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सहकारिता के आधार पर जो कृषि का कार्य हमारे प्रदेश में होने वाला है दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि उधर भी वह हरिजनों के कल्याण की बात सोचेंगे और जहां तक जमीन के संरक्षण की बात आयेगी तो उसमें भी वह हरिजनों के लिये सोचेंगे और सरकार को यह एक अवसर मिलेगा कि वह हरिजनों के कल्याण के लिये एक निश्चित कदम उठा सके ताकि हरिजन उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें ।

दूसरी बात यह है कि हरिजन और पिछड़ी जातियों के लिये सरकार इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में करीब ३ करोड़ रुपया केवल शिक्षा पर खर्च कर रही है जिससे हम काफी लाभ उठा सकते हैं । इसी तरह से उद्योग विभाग की तरफ से सहकारिता के आधार पर हरिजनों को उद्योगों में इस तरह से लगाया जाय जिससे छोटी-छोटी समितियों का निर्माण हो और उससे काफी हरिजन लाभ उठा सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त ।

***श्री अहमद बख्श** (जिला मुजफ्फर नगर) --उपाध्यक्ष महोदय, एक तो हम खुद अखिलयत दर अखिलयत हैं, दूसरे आपके करम से, आपकी इनायत से वक्त भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, वह भी थोड़ा कर दिया गया है । इस सिलसिले में मुझे चन्द बातें आपके सामने अर्ज करनी हैं । सब से पहली बात तो यह है कि यदि हम इस बैकवर्ड क्लास और हरिजनों का उद्धार करना चाहते हैं तो हमको राजनीतिक किस्म की बातें कह कर इसको बेगार में टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिये । मैं समझता हूं कि यदि हरिजनों की और बैकवर्ड क्लास की उन्नति होगी तो यह नहीं है कि केवल उनका ही इससे फायदा होगा बल्कि जो ऊपर क्लास की कहलाने वाली जातियां हैं उनको भी इससे फायदा होगा । जितने भी ये काम हैं वे सियासी, सामाजिक, आर्थिक एतबार से मजबूत नहीं हो सकते हैं । आज जितनी बैकवर्ड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्लास और हरिजन तबके की तादाद है उन सब का शुमार किया जाय तो हिन्दुस्तान की आबादी का करीब २/३ वह तादाद है जो जेहनी तौर पर अपने को पस्त और पसमांदा हालत में महसूस करते हैं। उनके भविष्य और मुस्तकबिल का कोई ठीक नहीं है कि वह क्या होगा। कोई भी हुकूमत की मार्फत इन तरह की चीजों का उद्धार करना चाहे तो नहीं कर सकता है। इसकी बुनियादी आवश्यकता यह है कि जेहनी तौर पर उनके हृदय को बदलने की कोशिश करें। यदि जेहनी तौर पर उनके दृष्टिकोण को, उनके नुक्तेनिगाह को, बदला जाय तो मैं समझता हूं कि समाज इस काबिल हो सकता है कि उनको अपने अन्दर आसानी से खपा सके। सरकार बजट में इतना रुपया रख कर उनकी तरक्की के लिये सर्फ करती है, लेकिन यहां पर कुछ इस किस्म की बातें कह करके उसके तमाम किये धरे पर पानी फेर दिया जाता है, जिसे मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत चीज है। बड़े से बड़ा चाहे किसी कौम का हो और बड़ी से बड़ी गलती करे तो वह छिप जाती है इसलिये कि वह बड़ी जाति का है। तो यह चीज न रुपयों से, न हुकूमत से ठीक हो सकती है, बल्कि यह तभी हो सकती है जब कौम का दिल और दिमाग बदला जाय। आज मैं यह कह सकता हूं कि गुलाम हिन्दुस्तान में जब आजादी की जंग लड़ी जा रही थी तो मौजूदा मोमिन कौम भी ऐसी थी जिसने कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला आजादी में साथ दिया, कभी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। कोई हिन्दुस्तान की बिरादरी, कोई बड़ी से बड़ी जाति इस बात का दावा नहीं कर सकती सीना उभार कर और माथा तान कर कि उसी ने जंगे आजादी में काम किया। हमने कभी पीठ मोड़ कर नहीं देखा और बड़ी खुशी के साथ हर मुश्किल का मुकाबला किया।

आज एक साहब ने यह सवाल उठाया कि हमने बिजनौर से एक सीट हरिजन को जितवा दी काश इस चीज को सियासी जामा न पहनाते। लेकिन मैं उन्ही जनसंघ के नेता से पूछना चाहता हूं कि जनरल इलेक्शन में कितनी सीटें हरिजनों को दीं और मैं तब समझता जब जनरल सीट पर किसी हरिजन को खड़ा करते और उसमें कामयाब होते। यह कह करके कि इत्तफाक से बिजनौर में एक सीट जीत ली, जिसमें सभी पार्टियों के लोग खड़े हुए थे इत्तफाक था कि हरिजन उम्मीदवार जीत गया, कोई बहादुरी की बात नहीं है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि जिसके पैर न फटी बिवाई वह क्या जाने पीर पराई। जब तुमको तकलीफ नहीं होती तो तुम समझ नहीं सकते कि गरीबों को क्या दुख और तकलीफें होती हैं। आज मैं आपसे कहूंगा कि जब तक हम जेहनी तौर पर यह न समझ लें कि हमें इन्हें ऊपर उभारना है तब तक इनका उद्धार नहीं हो सकता। जब तक हम यह न समझ लें कि सही माने में हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक इसका कोई भी हिस्सा कमजोर रहता है तब तक वह मसला हल होने वाला नहीं है।

नौकरियों का जहां तक सवाल है, आज बैकवर्ड क्लासेज का जहां तक मामला है मैं चाहता हूं कि ईक्वल मेरिट्स के आदमी हों तो प्रिफरेंस बैकवर्ड क्लास के आदमी को दिया जाय, लेकिन आज प्रिफरेंस भी नहीं मिलता है। वे कम्पीटीशन्स में बैठते हैं। जाहिर है कि जिनके घरों में सदियों से तरक्की खेलती रही उनका वे दबे हुए लोग मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिये हिन्दुस्तान के एक बड़े तब के से और हरिजनों से यह तववको करना कि वे अभी मुकाबले में ठहर सकेंगे नामुमकिन है, कुछ वक्त लगेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हरिजनों के नीचे एक भंगी तबका है वे भी उनके साथ बराबरी का सलूक करें। मैं आपसे कहूंगा कि मुलाजमत में प्रिफरेंस मिले, तालीमी इदारों में प्रिफरेंस मिले।

इसी के साथ-साथ सरकार या तमाम राजनीतिक दल अपने प्रोग्राम में यह भी शामिल कर लें कि जहां उनका सियासी फायदा है वहां हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेस को इसलिये उठाना है कि मुल्क का कोई भी हिस्सा कमजोर न रहे। आज कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता कि १०,२० साल तक यही सरकार रहेगी। हो सकता है और कोई पार्टी आये। लेकिन अगर सभी तबके मजबूत रहेंगे तो वही फायदा उठा सकते हैं।

[श्री अहमद बख्श]

इसके अलावा यह भी कहा गया कि चिड़िया को दाना डाल कर पाला जा रहा है । मैं कहता हूं कि उनको दाना तो मिला । पहले तो वह भी नहीं मिलता था । अगर उनको दाना मिलता है ताकि वे उड़ने लगें और ऐसे मुकाम पर बैठ सकें जो उनके आराम के मुआफिक हो तो इसमें किसी को क्या गुरेज हो सकता है ? कहा गया कि बाजार की चीज है । अगर हम बाजार की चीज हैं, बाजार की चीज वही खरीदता है जो ज्यादा पैसा लगाये, तो यह कोई अच्छी बात नहीं है । हो सकता है कि कल को उनकी भी कीमत लग जाय बाजार में तो हम बाजार की चीज नहीं जो पैसे से खरीदी जा सकती है ।

मैं इन शब्दों के साथ इस अनुदान का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सियासत से अलग रखकर हम इस मसले को देखेंगे ।

*डाक्टर खमानीसिंह (जिला मुरादाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । साथ ही मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने चार करोड़ आदमियों की तरक्की के लिये डेढ़ करोड़ रुपया रक्खा । छः आने फी कस साल भर के लिये दिया जब कि छः आने की अफीम अगर दी जाय तो एक भी नहीं मरेगा । यह रकम इतनी तुच्छ है कि हमको शर्म आती है इसको मंजूर करने में । मैं तो उनको यह मश्विरा दूंगा कि इस रकम को हटा कर, इस अनुदान को दूर करके इस रकम को कहीं और किसी काम में लगा दें, कोई बिल्डिंग बना दें या एम० एल० सी० बढ़ा दें । एम० एल० सी० बढ़ाने के लिये पैसा है, लेकिन अछूतों की तरक्की के लिये, उनके कुओं के लिये, एग्रीकल्चरल कुओं के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है !

मान्यवर, कई दफा इधर के भी, उधर के भी लोगों ने यह कहा कि यह कांग्रेस सरकार है कि जिसने अछूतों के लिये इतना काम किया है और उनको इतनी तरक्की दी है । मान्यवर, आप इससे ऐग्री करेंगे कि आज तक जितनी सरकार हिन्दुस्तान में बनी वह डंडे की हुकूमत थी, वोट के आधार पर नहीं बनीं । लिहाजा, अछूतों का सवाल नहीं था । आज जरूरत है अछूतों के वोट की, इसलिये हर शख्स कहता है कि उनको मदद दें । कांग्रेस ने जो कुछ उनके साथ किया वह कोई हमदर्दी नहीं की, महज अपने पांव जमाने के लिये, अपने आप को एम० एल० ए० बनाने के लिये, मिनिस्टर बनाने के लिये, जैसा कि एक भाई ने कहा, उनको थोड़ा-सा दाना डाल दिया । बड़ी बात कही जाती है कि महात्मा गांधी ने इन अछूतों के लिए और इन हरिजनों के लिए व्रत किया और जान की आहुति लगाई । हर्गिज नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है । अगर आज अछूत और हरिजन लोग इस हिन्दू जाति से निकल गये होते तो पाखाना कौन कमाता, कौन झाड़ू लगाता ? महात्मा गांधी ने जो कुछ किया वह हिन्दू समाज के लिए किया, अछूतों के लिए, हरिजनों के लिए नहीं किया । इसलिये नहीं किया कि वे आगे बढ़ें, बल्कि इसलिए किया कि अगर ये अलग हो गये तो इनका पाखाना कौन उठायेगा, जूते कौन साफ करेगा । मैं जो इन्टरप्रेटेशन लगाता हूं वह यह है । अगर आज चमार और भंगी हिन्दू कौम से अलग हो गये होते तो आज हिन्दू कौम खत्म हो गई होती । जो कुछ भी आगे है, अगर डाक्टर अम्बेदकर ने यह सवाल न उठाया होता, तो यह अनुदान ही न आता ।

मान्यवर बड़े-बड़े लेक्चर दिये जाते हैं । हर शख्स कहता है कि हम वर्ग विहीन समाज बनायेंगे इस कदर बड़े-बड़े लेक्चर्स दिये जाते हैं । क्या कहूं जिस तरह से प्रोफेशनल आरेटर्स होते हैं इस किस्म की बात कहीं जाती है, लेकिन होता क्या है ? वर्ग-विहीन नहीं बल्कि वर्गीय समाज बनाया जा रहा है । जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ ऐसा किया जाता है कि वह ऊपर न उठ सकें ।

मान्यवर, अभी थोड़ी देर पहले मंत्री जी ने कहा कि कुओं की बड़ी तकलीफ है, इतने कुंये हों तो पानी की समस्या हल होगी । वक्त तो जल्दी खत्म हो गया, कहना तो बहुत था । कुओं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की समस्या है। कहा जाता है कि उनके लिये अलग कुंवे बनाये जायेंगे। हमेशा वह अपना पानी अलग क्यों पियें ? क्या जरूरत है उनके लिये अलग कुओं की ? क्यों नहीं उनको सब कुओं से पानी लेने की इजाजत दी जाती ? क्यों नहीं पुलिस के आदमी हर गांव में जाकर उनको कुओं पर चढ़ने की इजाजत दिलवाते ? अगर उनको मन्दिर में जाने की इजाजत है तो जो मन्दिर बने हुए हैं उनमें क्यों नहीं उनको पूजा करने दिया जाता ? क्यों उनके लिये अलग कुओं और मन्दिर की बात की जाती है ? इस तरह से तो हमेशा यह छुआछूत का रोग बना रहेगा। अगर वाकई आप सिंसियर हैं और एक वर्गहीन समाज चाहते हैं तो सबके लिये स्वतन्त्रता दीजिये, महज लेक्चर से कुछ नहीं होगा, आप प्रैक्टिकल काम कीजिये। मैं जानना चाहता हूं कि आज दस-बारह साल हो गये लेकिन आज तक किसी एक भी लीडर ने अपने लड़के या लड़की की शादी किसी अछूत या हरिजन के साथ की है। जब शादी का मौका आता है तो पंडित जी पंडित जी को ढूंढते हैं, लाला जी लाला जी को ढूंढते हैं, बहुत आगे बढ़े तो पंडित जी और लाला जी आपस में शादी कर लेंगे, लेकिन एक भी पंडित जी ने या लीडर ने एक भी शादी हरिजनों में नहीं की, धोखे में कोई हो गई हो तो बात दूसरी है। मेरा कहना है कि कहो कम और करो ज्यादा। अगर आप वर्गविहीन समाज चाहते हैं तो कम से कम इतना कर दें कि जितने स्कूल कालेज हैं उनमें से यह जातियों के नाम हटा दें, जैसे क्षत्रिय कालेज, कायस्थ पाठशाला, रस्तोगी कालेज। इन चीजों को आप नान-कम्युनल बनाइये और सरकार उन सबको अपने कब्जे में ले ताकि आपके बच्चों के दिमाग में यह बात पैदा न होने पाये कि हम तो रस्तोगी हैं, रस्तोगी पाठशाला में पढ़ रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद कुरील (जिला कानपुर)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका विशेष आभारी हूं कि आपने २ साल बाद मुझे बोलने का मौका दिया। कल से माननीय सदस्यों ने इस हरिजन उत्थान के संबंध में जो अनुदान है उस पर अपने विचार प्रकट किये और इस बीच में बड़ी तेजी और ओज के साथ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जो कुछ चमक-दमक हरिजनों में आई है वह डाक्टर अम्बेदकर की करामात है। मैं मानता हूं कि डाक्टर अम्बेदकर को भुलाया नहीं जा सकता। भारतवर्ष में और हिन्दू समाज में जो बीसवीं सदी में जागृति आई है उसका श्रेय दो डाक्टरों को है––एक तो पूज्य महात्मा गांधी को जिनकी नीति, प्रेम, सत्य और अहिंसा और मानवता पर आधारित है और दूसरे महामानव थे डाक्टर अम्बेदकर, जिनकी भावना प्रतिशोध, द्वेष, घृणा आदि से भरी थी। दोनों ही ने समाज के उत्थान का कार्य किया। गांधी जी ने इस काम को इसलिये महत्व दिया कि देश की आजादी के लिये जरूरी था कि हरिजनों का उद्धार किया जाय। मैं नहीं कह सकता कि किसका महत्व ज्यादा है, यह तो माननीय सदस्यों को समझना चाहिये। जो अम्बेदकर साहब से ममत्व रखते हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि यदि वे उनके अनुयायी हैं वे देखें कि अन्त में उन्होंने क्या शिक्षा दी, क्या रास्ता दिखाया, वह रास्ता जो सत्य और प्रेम से पूरित है, जिसमें सत्य और अहिंसा दोनों के स्रोत बह रहे हैं वह रास्ता गौतम बुद्ध का था। कौन नहीं जानता कि गौतम बुद्ध के रास्ते में कहीं द्वेष और प्रतिशोध का नाम नहीं था ? मानवता को एक श्रेणी में लाने का अगर किसी ने बीते जमाने में प्रयत्न किया था तो वह पहले महात्मा गौतम बुद्ध थे और महामानव अम्बेदकर ने अपने समाज को उसी रास्ते पर अन्त में छोड़ा। तो जो डाक्टर अम्बेदकर के अनुयायी होने का दम भरते हैं उनका दावा तभी सार्थक हो सकता है जब वे उनके द्वारा बताये गये रास्ते पर चलें जो कि उन्होंने अन्त में बतलाया था। केवल पार्टी प्रचार के लिये अम्बेदकर साहब का नाम व्यवहार में न लाया जाय। महात्मा गांधी का भी वही रास्ता है जो उन्होंने अन्त में बतलाया था और अन्त में उनको उस पर जाना पड़ा। तो मैं मानता हूं कि महामानव अम्बेदकर अपने समय के अपने समान अकेले थे। उन्होंने अनुभव किया कि इस तरह से द्वेष और घृणा की भावना के द्वारा हरिजन समाज का उत्थान नहीं हो सकता। तभी उन्होंने यह रास्ता दिखाया।

[श्री ज्वालाप्रसाद कुरील]

कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने मनुस्मृति के श्लोकों का जिक्र किया। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ जाता हूं, यह तो उस भूली हुई चोट को याद दिलाना है जो दिल में लगी थी। जिस समाज ने हमारे साथ अमानवीय कृत्य किये थे वही समाज आज प्रायश्चित्त की भट्ठी में जल रहा है और जैसा कुछ प्रायश्चित है उससे कुछ यह नहीं कहा जा सकता कि आज उनके दिल में हमारे प्रति वही घृणा की भावना है। अगर हम उन मनुस्मृति के श्लोकों को बार-बार रखते हैं तो उसके लिये जरा भद्दी-सी मिसाल होगी कि कोई शख्स पिछले साल पीटा गया था और जब पीटने वाला कहता है कि मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो तब हम थाने में रिपोर्ट लिखाने जायं। इस तरह प्रतिशोध की भावना से उद्धार नहीं हो सकता। ऐसी बात कीजिये जिससे सुन्दर वातावरण पैदा हो और जन सहयोग प्राप्त हो। मैं मानता हूं कि करपात्री ने जो हमसे छीना है विश्वनाथ की रचना करके उसने हरिजनों का बहुत बड़ा अपमान किया है और हरिजनों का ही नहीं बल्कि उन्होंने हिन्दू धर्म का और देवताओं का भी अपमान किया है, वह हमें चाहिये करोड़ों और अरबों वर्षों के बाद भी .....।

श्री उपाध्यक्ष--श्री हरदेव सिंह !

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष--पहले श्री हरदेव सिंह बोल लें।

श्री हरदेव सिंह (जिला सहारनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूं और जो अनुदान आपके सामने पेश है मैं उसका अनुमोदन करता हूं। हरिजन समस्या आज से नहीं, बहुत दिनों से चल रही है। आपको मालूम है कि अंग्रेजी राज्य से जब से विधान बना, जब से आपकी सरकार हुई, सेंट्रल ऐक्ट बना उस समय से यह कहा जा रहा है कि हरिजनों को उभारा जाय। आपको मालूम है, लाला लाजपत राय और बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे महानुभाव उस समय से लगे हुए हैं कि हरिजनों का उत्थान हो। लाला लाजपत राय ने १९२१ में पास कराया था कि हरिजनों को हर स्कूल में प्रवेश दिया जाय और गवर्नमेंट से बड़े नम्र शब्दों में यह मांग की थी। सन् १९२१ में हरिजनों की वह मांग पेश हुई और सरकार ने माना कि हरिजनों की पढ़ाई हर स्कूल में हो। आपको यह मालूम है कि उसी समय से छुआछूत को दूर करने के लिये बड़े-बड़े प्रयत्न किये गये, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी; इसलिये नहीं हो सकी कि हमारा राज्य नहीं था। अंग्रेजी राज्य था और अंग्रेज यह बहाना ले लेते थे कि तुम्हारे हिन्दू-मुसलमान जानें। हम हरिजनों को ऐसा लगता था कि हमें भगवान करे, स्वराज्य मिले, हमारा देश आजाद हो, हमारा भला हो और हम आगे बढ़ें।

हमें स्वराज्य मिले १२ साल हो गये। इस समय से हरिजनों की बहुत उन्नति हुई है। वह कम नहीं है, लेकिन अब आगे नहीं होनी चाहिये यह बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि काफी उन्नति हुई है। हम में लिखे पढ़े लोग आज विधान सभाओं में हैं और संसद् में हैं। यह कांग्रेस सरकार की देन है; इस कांग्रेस ने किया है जो बापू की भावना थी आज वह पूरी हुई है। लेकिन इन प्रयत्नों के बाद भी पूरी समस्या हरिजनों की हल नहीं हुई। वह समस्या तब हल होगी जब १८ प्रतिशत नौकरियां हर डिपार्टमेंट में हरिजनों को दे दी जायं। इसके लिये भी आनाकानी हो रही है। मैं प्रार्थना करूंगा मंत्री जी से कि हरिजन शिक्षा पर और हरिजनोत्थान पर बहुत काफी रुपया मंत्री जी को देना चाहिये। मैं मांग करता हूं कि गवर्नमेंट बहुत अधिक रुपया दे और इनको आगे बढ़ाये। जिस समय १८ फीसदी नौकरियां हरिजनों को मिल जायेंगी उस समय इनका उत्थान हो जावेगा। इसके साथ ही जो बंजर भूमि है वह सारी की सारी हरिजनों को दे दी जाय तो इनका उत्थान हो जावेगा। हमारे जिले सहारनपुर में गंगा, यमुना

के खादर में लाखों बीघा जमीन पड़ी हुई है, लेकिन आज वह किसको दी जा रही है ? बड़े-बड़े लोगों को दी जा रही है, फार्म बनाये जा रहे हैं, लेकिन हरिजनों को नहीं दी जा रही है ।

श्री प्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान की महत्ता को देखते हुए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस अनुदान के लिये आध घंटे का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—मैं चाहता हूं कि १ घंटा बढ़ा दिया जाय, लेकिन प्रताप सिंह जी आधा घंटा चाहते हैं तो मैं उसका समर्थन करता हूं ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, ऐप्रोप्रियेशन बिल के लिये ५ बजे तक का टाइम रखा है । उसको देख लिया जाय कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं पैदा होती है ।

श्री उपाध्यक्ष—उसके लिये तो हो जायगा । स्पीकर को पूरा अधिकार है कि जैसे चाहे रेगुलेट करके कार्यवाही चलावें और ऐप्रोप्रियेशन बिल आज पास हो जाय । इसलिये आधा घंटा बढ़ाने में कोई एतराज किसी को नहीं होगा, शायद ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—लोग बोलना चाहते हों तो जैसे ५ बजे तक बैठेंगे वैसे ६ बजे तक बैठेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—अब श्री झारखंडेराय जी बोलेंगे, लेकिन आपके लिये १० मिनट हैं ।

***श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, इस समस्या की व्यापकता को देखते हुये सरकार की ओर से जितना अब तक किया गया है वह बहुत नाकाफी है और मेरा विचार है कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय आजादी के संघर्ष के दौरान में हरिजन और पिछड़ी जातियों की समस्याओं को उठाया । स्वामी दयानन्द जी के बाद इसी संस्था ने और महात्मा गांधी ने विशेष करके इस समस्या को देश की एक प्रमुख राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभाड़ करके रखा । उसी के अनुसार आज की मौजूदा सरकारें भी इस विषय में कुछ करती जा रही हैं । लेकिन जैसा मैंने कहा, जितनी बड़ी समस्या है और उसके हल के लिये जितने बड़े प्रयास की जरूरत है उसको देखते हुये जो कुछ हो रहा है वह बहुत ही कम है । मुख्यतः यह प्रश्न आर्थिक और सामाजिक है, लेकिन इसमें भी आर्थिक ज्यादा है । मेरा अपना विचार है कि अगर हरिजन, पिछड़ी जातियां और ऐसी जातियां जो अर्द्ध जंगली जातियां हैं उनकी आर्थिक समस्या का समाधान कर दिया जाय तो सामाजिक उत्थान में भी बड़ी सहायता मिलेगी ।

इधर कहा जाता है कि कानून के जरिये से ये सब चीजें सम्भव नहीं हैं । मैं भी नहीं कहता कि कानून की सहायता से ही उन समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन कानून की मदद के बगैर उधर हम बहुत तेज गति से बढ़ भी नहीं सकते हैं । कानून की सहायता निहायत जरूरी है । साथ ही साथ सामाजिक प्रचार और अन्य जो तथाकथित ऊंची जातियां हैं उनके मनोभाव में परिवर्तन करने के प्रयास की निहायत जरूरत है । दोनों की सम्मिलित सफलता से ही इस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं । हमसे पहले जो एक भाई ने कहा वह इसका सबसे पहला हल है– जमीन का बंटवारा । जो फाजिल जमीनें हैं, चाहे वह सरकारी कब्जे में हों, चाहे हदबन्दी के बाद जो बचे उस सबको निरसंकोच, बिना एक पैसा दाम लिये हुये हरिजन और पिछड़ी हुई भूमिहीन जातियों में बांट देना चाहिये । यह काम अब तक हो जाना चाहिये था, बहुत देर हो गयी है, क्रिमिनल लेट जिसे कहते हैं उस प्रकार का लेट इस सरकार ने किया है । मैं समझता हूं कि अब इस पाप का प्रायश्चित्त बहुत जल्दी हो जाना चाहिये और इससे हरिजन और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री झारखंडे राय]

पिछड़ी हुई जो गरीब जातियां हैं उनके विकास में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और आज जो कुछ भी सरकार को सुनने को मिल रहा है उसमें भी बहुत कमी हो जायगी ।

मैं यह भी देखता हूं कि बहुत से हरिजन जातियों के जो पुश्तैनी कार्य हैं जिनको करके वे सहस्राब्दियों से अपना जीवन निर्वाह करते चले आये हैं । जूते बनाने का तो उनमें से एक काम है वे अब मिटते जा रहे हैं जिसकी वजह से उनके अन्दर बेकारी पहले की अपेक्षा तेजी से बढ़ती जा रही है । और तो और, मैंने एक बार कहा था और आज फिर दोहराना चाहता हूं कि इस सरकार ने पिछले एक युग में १२ वर्ष का एक युग होता है, हरिजनों की पानी पीने की समस्या का भी समाधान नहीं किया है । मैं तो चाहूंगा कि हरिजन विभाग यह तय करे कि कम से कम हर हरिजन गांव में एक कुआं वह जरूर तैयार करायेगा । आज जो शर्तें पैसा देने की या और दूसरी कुंआं तैयार कराने के सम्बन्ध में हैं वे बिलकुल गलत हैं और उस तरीके से पचासों वर्षों में भी हरिजनों की पानी पीने की समस्या हल नहीं हो सकती है । ऐसे-ऐसे गांव हैं हरिजनों के जहां कोई कुआं नहीं है और वे पोखरे से, तालाब से, गड्ढे से पानी ला ला कर पीते हैं ।

दूसरी बात जो निहायत जरूरी है वह हरिजन बस्तियों के बारे में है । करीब-करीब सभी को अनुभव है, हमको भी इसका अनुभव है, कि हरिजनों की बस्तियों की जमीन बहुत थोड़ी होती है, छोटे-छोटे घर होते हैं, उनके आगे, पीछे दरवाजे तक बाबुओं के खेत होते हैं और अगर बाबू नाराज हो गया तो कांटे लगा दिये खेत के चारों तरफ जिससे उनका निकलना मुश्किल हो जाता है । तो हरिजनों की बस्तियों के आस-पास आप जमीन ले कर उनको दीजिये ताकि एक हाइजीनिक तरीके से उनका नवनिर्माण किया जा सके । पहले पानी और बस्ती का प्रबन्ध जरूरी है, बेकारी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान तो बाद में होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, छोटी नौकरियों के बारे में मैं चाहता हूं कि १८ फीसदी वाली बात पूरी की जाय । आई० सी० एस०, पी० सी० एस० और आई० ए० एस० सर्विसेज की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन जो छोटी नौकरियां हैं, जो १०० रुपये से नीचे की हैं उनमें हरिजनों को ले लिया जाय । अगर उनमें मैट्रिक, बी० ए० या एम० ए० की कैद है तो उनमें शर्तें जो हरिजन पूरी करते हों उनको ले लिया जाय चाहे उनका कुछ स्तर नीचा हो । कोई बात नहीं है शुरू में इन सबको ले लिया जाय तब आपकी १८ फीसदी की बात पूरी हो सकेगी, वरना यह चीज कभी भी पूरी नहीं होगी । इसलिये छोटी सर्विसेज में बिना किसी हिचक के इनको ले लिया जाय । बड़ी सर्विसेज की बात हम नहीं कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उनमें एफीशियेंसी की जरूरत होती है इसलिये उनमें पब्लिक सर्विस कमीशन तथा इंटरव्यू आदि को चालू रखा जाय । लेकिन जो छोटी सर्विसेज हैं जैसे चपरासी हैं, कंडक्टर हैं और मास्टर हैं इनमें हरिजनों के लिये जाने में जो दिक्कतें पड़ती हैं उनको दूर किया जाय । जैसा कि हमने अभी सुना, ग्राम सेवकों का जो चुनाव हुआ था उसमें एक भी हरिजन नहीं लिया गया । यह बड़ी हास्यास्पद और दुख की बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जो चुनाव की मतदाता सूची बनाई जाती है उसमें जाति का नाम बिलकुल ही मिटा दिया जाय । हमने देखा है कि बाहर हमें पानी पीना होता है तो यदि पानी पिलाने वाला कह देता है कि वह ब्राह्मण, क्षत्री या सक्सेना है तो को ; बात नहीं है, लेकिन अगर उसने कह दिया कि वह हरिजन है तो एक हिचक हो जाती है और हम पानी पीना नहीं चाहते हैं इसलिये हम चाहते हैं कि सरकारी कामकाज में या सरकारी सूचियों में जाति को बिलकुल मिटा दिया जाय ।

हमें अन्तर्जातीय विवाहों को भी प्रोत्साहन देना होगा । मैं चाहता हूं कि ऐसे लड़के जिन्होंने हरिजन लड़की से शादी की है या अन्तर्जातीय विवाह किया है और चीजों के बराबर होने पर उनको तरजीह दी जाय चाहे बड़ी से बड़ी नौकरी हो या छोटी से छोटी नौकरी हो । इसी के बल पर कास्टलेस सोसाइटी के लक्ष्य की जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है उसकी तरफ बढ़ा जा सकता है वरना आपकी यह पवित्र भावना अधूरी ही रह जायगी ।

एक बात हमारे एक माननीय साथी ने कही कि अगर इनकी नौकरियों की समस्या हल हो जाय तो हरिजनों की सारी समस्यायें अपने आप हल हो जायेंगी । ऐसी कोई बात नहीं है । मैं माननीय सदस्य से एक बात कहना चाहूंगा जो उसी वर्ग से आये हैं, हरिजन में से ही आये हैं, उन में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अन्दर माध्यमिक वर्ग के लोग पैदा हो रहे हैं जैसे शुरू-शुरू में बंगाल और मद्रास में हुआ था । जो लोग अंग्रेजी पढ़ गये थे वह अपने देश वालों से, अपनी जाति वालों से एक प्रकार से घृणा करने लगे थे और उनकी कोशिश यह होती थी कि वह अंग्रेजों के बीच में या ऐंग्लो इंडियन्स के बीच में ही बैठे-उठें और अपने देश के लोगों से अलग रहें । इसी प्रकार की मनोवृत्ति उन हरिजनों में पैदा हो रही है जो पढ़-लिख गये हैं या अच्छी नौकरियों में पहुंच गये हैं, वह अपनी बिरादरी वालों से या गांव के लोगों से दूर रहकर कोशिश करते हैं कि वह ऊंचे लोगों में मिले रहें । यह इंफीरियारिटी काम्पलेक्स है जो हमारे पढ़े-लिखे इन भाइयों को छोड़ना पड़ेगा और इस बात की कोशिश करनी होगी कि अगर वे ऊंचे उठ गये हैं तो अपनी बिरादरी वालों में बैठकर उनका उद्धार करने की विशेष कोशिश करें, जैसा कि अंग्रेजी जमाने में पूरी कोशिश की और एक मध्यम वर्ग पैदा हो गया था । हमको रोटी-बेटी के सम्बन्ध में बढ़ना चाहिये । बिना यह रैडिकल कदम बढ़ाये हुये इन जातिवादी भावनाओं को जिन्होंने बहुत ही रूढ़िवादी और प्रतिगामी स्वरूप धारण कर लिया है इनको मिटा नहीं सकते । इसलिये मैं चाहूंगा कि एक-एक कदम भी उधर बढ़ें, सरकार की ओर से भी नियम बनें और उनको प्रोत्साहन मिले । चूंकि समय करीब-करीब समाप्त हो गया है मैं चाहूंगा कि सरकार इन सुझावों पर गौर करे और खास-कर हरिजन बस्ती और पानी की समस्या को प्रथम स्थान दिया जाना चाहिये ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने मुझे समय देने की कृपा की । मेरे एक भाई कह रहे हैं कि केवल पांच मिनट हैं, मैं इसके अलावा तीन मिनट और चाहूंगा ताकि मैं उधर के माननीय सदस्यों का कुछ जवाब दे सकूं । जनसंघ के एक माननीय सदस्य ने कहा कि छुतछात भारतीय जन-संघ ही हटा सकता है । एक दूसरे माननीय सदस्य ने उदाहरण दिया कि हम बिजनौर से एक हरिजन को लाये जनरल सीट से । मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है कि हरि-जनों से जो छतछात है उसके प्रति उनका दृष्टिकोण कुछ मुलायम हो गया हो । यह भी हो सकता है कि उनके क्षेत्र में हजारों की संख्या में उनके बिरादरी के लोग हों । इस अदला-बदली के लालच से उन्होंने हरिजन को ले लिया हो । तो यह बात उनकी यहां पर घटती नहीं है । क्या किसी वाल्मीकि या मेहतर को किसी पार्टी ने हरिजन या जनरल सीट से खड़ा किया ? मैं एक उदाहरण देता हूं । हुसैनगंज में जनसंघ को मानने वाले एक सेठ जी रहते थे । सेठ जी के मकान का कुछ भाग खाली है । मेरे दामाद उस मकान के लिये गये । उनके घर में उनकी स्त्री ने पूछा कि आप ईसाई हैं या मुसलमान । तो उन्होंने कहा कि इन दोनों में कोई नहीं । तब उन्होंने कहा कि शाम को मकान का वह हिस्सा खोल कर दिखायेंगे । इत्तफाक से वह मुझे साथ में लेते गये । उन्होंने सोचा कि शायद इनके जरिये किराये में रियायत हो जायगी । मैं जब गया तो उन जनसंघ के मानने वाले सज्जन ने कहा कि भाई साहब आपकी जाति तो आपको देख कर ही पता लग जाती है आपका नाम चाहे कोई नहीं जानता हो लेकिन आपको लखनऊ का बच्चा-बच्चा जानता है कि आप बाल्मीकि हैं । उन्होंने कहा हमारे लिये बाल्मीकि नहीं हैं, लेकिन घर में स्त्रियों को मना नहीं सकते, इसलिये हमें क्षमा कीजिये, इस आधे मकान में हम रहते हैं और आपको देने में मजबूर हैं । ये बातें हैं उनमें जो आज यहां पर दावा करते हैं कि हम छतछात मिटायेंगे ।

एक सज्जन ने डाक्टर अम्बेदकर की तारीफ की । मैं निवेदन करूंगा कि यह चित्र महापुरुष बापू का जो लगा हुआ है उन्हीं की बगल में अगर स्वर्गीय डाक्टर अम्बेदकर का चित्र लगा दिया जाय तो किसी एक आदमी से जो विदेशों से आये, जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो उससे पूछा जाय कि यह वेश भूषा हरिजन कल्याण कर सकती है या वह कोट पेंट टाई-कालर कल्याण कर सकता है । एक सज्जन ने बताया कि ऊंची जाति वालों ने हरिजनों

[श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि]

के साथ अपनी लड़कियों की शादियां क्यों नहीं कीं । मैं पूछना चाहता हूं कि उनके नेता डा० अम्बेदकर ने किसी हरिजन लड़की से शादी क्यों नहीं की । जब उनका बुढ़ापा आ गया तो उन्होंने उच्च जाति की लड़की से शादी की । तो इस तरह की बात आकर यहां सदन में कहना समय नष्ट करना है और हरिजन उत्थान के काम में और इस तरह कहने में जमीन आसमान का फर्क है ।

श्रीमन्, मुझे दो तीन मिनट और दे दीजिये । माननीय मंत्री जी की सेवा में प्रार्थना है कि हरिजन उत्थान का कार्य, क्या राष्ट्रीय उत्थान का कार्य कभी पूरा नहीं होगा, वह अधूरा ही रहेगा जब तक कि इस देश की मेहतर बिरादरी नहीं उठाई जायगी, नहीं संभाली जायगी । माननीय मंत्री जी से गृह निर्माण वाली बात के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि खंधारी पुरवा जो कानपुर में है वहां ५० साल २०० साल के रहने वाले बाल्मीकियों को हटाकर बरबाद कर दिया गया है । उनको रहने के लिये कोई जमीन नहीं दी गई है । लखनऊ में निशातगंज में रहने वाले बाल्मीकियों को जहां उनकी झोपड़ियां पड़ी हुई हैं, ऐडमिनिस्ट्रेटर, म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से आदेश दिये गये हैं कि एक हफ्ते में झोपड़ियां खाली कर दी जायं ।

इसी तरह, श्रीमन्, हरिजन बस्तियों में कुंओं वाली बात कही गयी है । गांव की बस्तियों में हरिजन भाई ५०, ६० की आबादी में रहते हैं, लेकिन पूरे गांव में एक मेहतर रहता है वह प्यासा मरता है उसे पानी नहीं भरने को मिलता है । हरिजन भाई आज भी इस बात के लिये तैयार नहीं हैं कि उसे अपने कुंओं से पानी भरने दें । बैकवर्ड क्लास के जो लोगों ने अभी अनुदान के प्रति अपनी कठिनाई बतलाई है मैं बता दूं आज भी मेहतरों के बाल नाई नहीं काटते, ऐसी जगह मैं लिख कर के दे सकता हूं मंत्री महोदय कहें तो । धोबी कपड़े नहीं धोता । मेहतर आम होटल में आज भी चाय नहीं पी सकता । जो अधिकारी हो गये, सरकारी नौकरी में आ गये उन तक के बाल नहीं काटे जाते । एक मेहतर भाई इक्साइज इंस्पेक्टर थे लखीमपुर खीरी में, वह कभी नाई की दुकान में जाकर बाल नहीं कटवा सके । आज भी बरेली, सीतापुर और हरदोई ऐसी और भी जगहें हैं जहां मेहतर आम दुकानों पर जाकर चाय नहीं पी सकते ।

श्री बादाम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—मैं बहुत आभारी हूं कि आज इतने प्रयत्न के बाद मुझे मान्यवर ने समय दिया । मैं गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत हरिजन कल्याण अनुदान के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । कल से बड़े ध्यानपूर्वक मैंने सदस्यों के भाषण सुने । मैंने विरोधी दल के कई माननीय सदस्यों के भाषण सुने । उन्होंने बहुत संख्या में हरिजन कांग्रेस सदस्यों के लिये यह लांछन लगाया कि वे टुकड़े में भूल गये । मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वह भारतीय इतिहास को देखें और ध्यान से पढ़ें कि जब हुमायूं और अकबर हिन्दुस्तान में थे तो उन्होंने उस वक्त टुकड़े फेंके, उसको किसने उठाया किसने स्वीकार किया ? आज वह हरिजन हैं, उन्होंने अगर सवर्णों की तरह अगर टुकड़ा स्वीकार किया होता तो वे हरिजन न होते उनके पास रियासतें होतीं, सम्पत्ति होती, बड़ी बड़ी फैक्टरियां होतीं । मैं श्रीमन्, ज्यादा न कहकर इतना ही कहता हूं कि वह पिछड़े वर्ग के लोग हमेशा से अपने कर्म और धर्म में निष्ठुर रहे हैं, कभी अपने को विचलित नहीं किया है । हमारे साथ जो भी अन्याय हुये हमने बरदाश्त किये । फिर भी हम आज इस देश के नागरिक हैं ।

दूसरी बात माननीय सदस्यों ने डा० अम्बेदकर के बारे में कही । मैं उन माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि जब तक माननीय भीमराव अम्बेदकर कांग्रेस और केन्द्रीय सरकार में मंत्री रहे, क्या माननीय सदस्य बता सकते हैं कि उन दिनों में कितना संरक्षण हरिजनों को मिला और कितने अधिकारी हरिजन हुये । उनको यह भी याद होना चाहिये कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने जमींदारी उन्मूलन प्रथा को स्वीकार किया तो डा० अम्बेदकर ने जमींदारों की तरफ से उन्मूलन प्रथा के खिलाफ पैरवी की । मैं अपने माननीय सदस्यों को यह भी बता देना चाहता हूं कि भाई शिवराज सिंह जो बिजनौर से आते हैं, उन्होंने यह दावा किया कि हमने अपने जिले बिजनौर

में जनसंघ के नाते इतना सुधार किया। वह हमारे पुराने मित्र हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जिला बिजनौर में हरिजनों का जो उत्थान हुआ है वह पूज्य स्वर्गीय चौधरी बिहारीलाल जी और चौधरी गिरधारीलाल जी की अनुकम्पा से हुआ है। यह सौभाग्य जो हुआ है वह पूज्य बापू की छत्रछाया में कांग्रेस के ही नेतृत्व में हुआ है। वह माननीय सदस्य भी उस वक्त उसी संस्था में थे, आज भले ही वह जनसंघ से जीतकर यहां आये हैं। तो मैं उन बातों में ज्यादा न पड़कर माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैंने आज दो वर्षों में जिला स्तर पर जो हरिजन सहायक समितियां बनी हुई हैं उनके काम से कुछ अनुभव प्राप्त किये हैं। उसी आधार पर मैं निवेदन करूंगा कि जिला स्तर पर जो हरिजन कल्याण अधिकारी रखे गये हैं, मैं उनसे बिलकुल सहमत नहीं हूं। उस पोस्ट को बिलकुल हटा दिया जाय। कुछ थोड़े से आदमियों पर इतना रुपया खर्च करना कुछ उचित नहीं है। मेरे पास बहुत से जिलों से शिकायतें आयी हैं। उनके द्वारा जो अनुदान हरिजनों को दिया जाता है उसमें काफी गोलमाल होता है और वह रुपया हरिजनों तक बहुत कम पहुंच पाता है। इस रुपये को बचाया जा सकता है और उनको हटाकर लाखों रुपया बचाकर हरिजनों के उत्थान में लगाया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को माना कि हरिजनों को नौकरियों में संरक्षण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रथा के लिये भी गत वर्ष हरिजन सहायक समिति में मैंने इस बात को रखा था कि हरिजनों के प्रतिशत को जब तक पूरा न किया जाय तब तक दूसरा आदमी न रखा जाय। मेरी आज भी यही प्रार्थना है कि जब तक हरिजन सीटों पर कोई उपयुक्त हरिजन उम्मीदवार न मिले तब तक कोई दूसरा आदमी न रखा जाय, इसे अनिवार्य कर दिया जाय क्योंकि मैंने देखा है अपने जिले में भी कि बड़े-बड़े अधिकारी अपने मिलने वालों और रिश्तेदारों को रखने के लिये कोई बहाना तलाश कर लेते हैं और कहते हैं कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। इसलिये मेरा नम्र निवेदन माननीय मंत्री जी से है कि हर जिले में गवर्नमेंट यह आदेश जारी कर दे कि डी० एम० हर साल हर विभाग की यह रिपोर्ट भेजे कि हरिजन के स्थानों पर कितने आदमी नये रखे गये, उनमें हरिजन कितने रखे गये और जिस जिले में हरिजनों का प्रतिशत पूरा न हो वहां के अधिकारी के कैरेक्टर रोल में बैड एंट्री कर दी जाय। जब ऐसा होगा तब प्रतिशत पूरा न होने की सम्भावना नहीं रहेगी।

तीसरी बात यह है कि हरिजनों के रहने की बड़ी भारी समस्या है। देहातों में उनको रहने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। मैंने माननीय माल मंत्री महोदय से भी चकबन्दी कमेटी के समय निवेदन किया था और हरिजनों के लिए ऐक्ट में गांव वालों की मर्जी पर जमीन छोड़ना स्वीकार किया था। पर मैं आपको बताऊं कि मेरे जिले मजफ्फरनगर में मेरी तहसील में सब से पहले चकबन्दी हुई। किसी ने भी अपनी मर्जी से हरिजनों के लिए जमीन नहीं छोड़ी। तब मैंने माननीय मंत्री जी से कहा था।

श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)--श्रीमन्, इस ११ साल की आजादी के बाद यह बात साफ हो गई है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हमको जितना करना चाहिए था अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के लिए उतना नहीं कर पाये हैं। यह जाति कब उठ सकेगी? अगर मोटे तौर से अन्दाजा लगाये तो पिछड़े वर्ग में २० करोड़ आदमी आते हैं और यदि इसमें मोमिन और आदिवासी भी शामिल कर दिये जायं तो ३० करोड़ की तादाद होती है। यही ३० करोड़ आदमी हिन्दुस्तान में निर्माण और उत्पादन का कार्य करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि इन ११ वर्षों में, यह मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, बल्कि आंकड़े के अनुपात से और आबादी के अनुपात से हमको यह देखना होगा कि हम ३० करोड़ आदमियों को जो इस मद में आते हैं, जो उत्पादन व निर्माण करने वाली जनता है उसके लिये कितना कर पाये हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन हमको हिसाब सामने रखना

[श्री बुद्धी सिंह]

होगा कि उत्पादन और निर्माण करने वाले अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिये हम कितना कर पाये हैं। ३० करोड़ आदमियों का यह मसला है और इसी दृष्टि से इसको हल करना है। मैं यह समझता हूं कि कुछ अंश में इसकी दोषी सरकार भी है और कुछ भारतीय परम्परा रही है। वह परम्परा कुछ हमारे महान् महर्षियों ने भी डाली है जिसका कहीं-कहीं आज हम अन्दाजा लगाते हैं कि उसने मुगालते में डाला है। मनु ने मनुस्मृति में लिखा है कि यदि पिछड़ी जाति के लोग या हरिजन यदि वेद को सुनें तो उनके कान में गर्म सीसा डाल दिया जाय। मैं समझता हूं यह मुगालते में डालने वाली चीज पिछले इतिहास में हुई है। लेकिन आज हमको यह देखना है कि आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से ३० करोड़ आदमियों के लिये, जिनके लिये हमको स्वतन्त्रता गांव-गांव तक पहुंचानी है, हम कितना कार्य कर पाये हैं। अगर देखा जाय तो मनु जी ने तथा इतिहास ने हमारे साथ थोड़ी सी ज्यादती की है। मैं उन महान् पुरुषों पर इलजाम नहीं लगाता, मगर यदि आज के युग में इन चीजों को देखा जाय तो आज का समाज दो वर्गों म बंट गया है। एक वर्ग वह है जो उत्पादन और निर्माण करता है, चीजें बनाता है और खाद्य सामग्री पैदा करता है। उसमें लगभग ३० करोड़ जनता आती है। दूसरा वर्ग वह है जो दूसरों की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाता है। इन दो वर्गों में आज का समाज बटा हुआ माना जाता है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि अगर अगला इतिहास लिखा जायगा तो ब्राह्मणवाद की विचाराधारा के अगुवा लोगों में पहला नाम मनु जी का आयेगा, फिर शंकराचार्य का और तीसरा नाम आज के शासक दल के नेता जवाहरलाल जी का उसमें होगा जिन्होंने इतिहास को मुगालते में डाला है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार क्या होना चाहिये वह मैं यहां पर पढ़ देना चाहता हूं--"संविधान के अनुसार पिछड़ी जातियों के उत्थान क लिय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रथम श्रेणी की नौकरियों में २५ फीसदी, द्वितीय श्रेणी में ३३ प्रतिशत, और तीसरी तथा चौथी श्रेणी में ४० प्रतिशत जगहें सुरक्षित करने की सिफारिश भारत सरकार से की है। पिछड़े वर्ग को सविधा देने के सम्बन्ध में आयोग ने सिफारिश की है कि इस वर्ग की सामान्य प्रगति के लिये सरकार एक पंचवर्षीय योजना बनाय, जिसमें दो अरब रुपये खर्च हों। यदि इसके लिये अलग योजना सम्भव न हो तो इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करना चाहिये। इस तरह पिछड़े वर्ग के सुधार के पांच वर्षों तक हर साल ४० करोड़ रुपये खर्च किये जाने चाहिये।

इसके अतिरिक्त इन जातियों की शिक्षा की सुविधा के लिये ५४० लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च होने चाहिये। यह रकम ९०,००० विद्यार्थियों में छात्रवृत्ति के रूप में वितरित हो, साथ ही पिछड़ा वर्ग के १५० विद्यार्थियों को हर साल उच्च शिक्षा पाने के लिये विदेश भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिये।" इस तरह से यह रिपोर्ट, जो सरकार द्वारा स्थापित पिछड़े वर्ग के लिये कमीशन बनाया गया था, उसकी है। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं किन्तु यह निवदन करना चाहता हूं सुझाव की दृष्टि से कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा कि इन आदमियों का कोई ध्येय नहीं है जिससे यह पिछड़े वर्ग को उठाना चाहते हों--कृपा करके राजमद में इतना मत डूब जाइये। जरा हर पार्टी के मैनीफैस्टो देखिये, सोशलिस्ट पार्टी का, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का और कम्युनिस्ट पार्टी का देखिये। सामूहिक तरीके से इलजाम लगाने से मझे बड़ी तकलीफ हुई। यथार्थता भी सामने आनी चाहिये। मैं इस सरकार से निवेदन करता हूं कि भारत सरकार को लिखे कि वह पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट को कार्यान्वित करे।

धान के खेतन पै न परै जल, कैकिन ऊसर पै बरसाये।
बाग बगीचा सींचन छांड़, समुद्रै पै नीर उलीचन धाये॥

जब तक सभी साधन इस हरिजन और पिछड़ा वर्ग को नहीं दिये जायंगे तब तक समाजवाद कैसे कायम होगा? एक माननीय सदस्य महीलाल जी जो मेरे ही इलाके के हैं, मेरे सामने बैठे हैं, मैं हरिजनों के उत्थान के लिये सन् १९३० से प्रयत्न कर रहा हूं। मैं उन जल्सों में

शरीक हुआ हूं जहां बड़ी जात के लोगों ने हरिजन उद्धार करते हुये मुझे पानी पीने को ठुकरा दिया और मुझे मारने के लिये दौड़ते थे। तो डिप्टी मिनिस्टर साहब जरा महीलाल जी के कामों की जांच कर लें कि उनके इलाके में कितना अछूतोद्धार हुआ। मैं नया आदमी नहीं हूं, सन् १९३० से राजनीति में उतरा हूं। अब भी माननीय महीलाल जी भंगियों से घृणा करते हैं। कई-कई केस मैंने डिप्टी मिनिस्टर बलदेव सिंह आर्य जी के सामने पेश किये होंगे। लाठियां हरिजनों पर चलवाई गईं और कत्ल कराये गये, इन तमाम चीजों की पुलिस में से रिपोर्ट मंगा कर देखी जाय।

*श्री महीलाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना तो अपनी बात चाहता था परन्तु मुझे खेद है कि माननीय बुद्धीसिंह जी ने मेरा नाम लेकर मुझे कुछ और कहने के लिये बाध्य किया। जहां तक कत्लों, मारपीटों या हाथ पैर तोड़ने की बात है उसके लिये माननीय बुद्धीसिंह विचार करके देखें कि उनके गांव में ज्यादा ये चीजें हुईं या मेरे गांव में हुईं। मेरे गांव में एक भी कत्ल नहीं हुआ और उनके गांव में उनके रिश्तेदारों से कत्ल हुये और वे स्वयं जानते हैं कि कितने उनके रिश्तेदार उनमें मुलजिम रहे हैं। हाथ पैर तोड़ने की बात के लिये माननीय बुद्धीसिंह जी जानते हैं कि वह खुद भी...

श्री बुद्धीसिंह---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदारों ने कत्ल किये। मैं चाहता हूं कि जो भाषण मैंने किया है उसी का वे उत्तर दें और अगर कोई ऐसी बात कहें तो उसके लिये तैयार रहें।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य इसका उत्तर दें कि आप मेहतरों से घृणा करते हैं। और कोई उन्होंने विशेष बात नहीं कही, आगे अपनी बात कहें।

श्री महीलाल---यदि वह नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं भी उस चैप्टर को बन्द करना चाहता हूं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं आरोप और प्रत्यारोप में पड़ूं मान्यवर, मैं माननीय बुद्धीसिंह जी को दावत देता हूं कि वह होली पर मेरे गांव में आवें और यह देखें कि जाटवों के कुंवों पर भंगी पानी भरेंगे या नहीं, जाटव भंगियों के साथ चाय पीते हैं या नहीं और इस प्रकार होली खेलते हैं कि जैसे एक ही बिरादरी के लोग खेलते हैं। वे पुराने बुजुर्ग हैं और उन्होंने हमारा उद्धार किया है और हमको ऊंचा उठाया है। मैं उनसे यह भी निवेदन करता हूं कि वे मुझे दावत दें कि मैंने उनके गांव में जाकर देखूं कि उनके रिश्तेदार यादव लोग भंगियों को पानी भरवाते हैं या नहीं। इसी पर मेरा और उनका इम्तिहान हो जायगा। वह न आवें तो अपने किसी नेता को भेज दें और इस होली पर इसका फैसला हो जायगा। मुझे तो इस बात का फख्र है कि मैंने ऊपर से शुरू न करके नीचे से हरिजनोद्धार शुरू किया। मैं सिर उठाकर कह सकता हूं कि मेरे गांव के जाटव भंगियों को अपने कुंओं पर पानी भरवाते ही नहीं, बल्कि उनके यहां खाना भी खा लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं।

भाई कन्हैयालाल जी ने आरोप किया है कि हरिजन हरिजनों से घृणा करते हैं। उन्हें मैं मुरादाबाद की घटना की याद दिलाना चाहता हूं। बाबू जगजीवनराम जी जब वहां आये तो उन ६०० आदमियों में कितने हरिजन कहे जाने वाले जाटव थे जो अनपढ़ थे और उन्होंने वहां मेहतरों के यहां खाना खाया या नहीं? तो उनका यह आरोप कि हरिजन कहे जाने वाले ही मेहतरों से परहेज करते हैं बिल्कुल निराधार है और निर्मूल है। मैं पूरे प्रान्त के सारे हरिजनों का ठेका तो नहीं ले सकता। नीचे से लेकर ऊपर तक हमारे समाज में यह परहेज का रोग है, ब्राह्मण ठाकुर से परहेज करता है और उसके यहां का पक्का खाना यानी पूरी तो खा लेगा मगर कच्चा खाना नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महीलाल]

खावेगा। इस राष्ट्रीय समस्या पर हम सभी को विचार करना है। मुझे उस दिन सब से ज्यादा खुशी होगी जिस दिन इस बात की आवश्यकता न रहे कि इस सरकार के बजट में हरिजनों के लिये अलग से रुपया रखने की जरूरत पड़े और इस समस्या पर अलग से हमारे सदन को समय देने की आवश्यकता रहे और मैं समझता हूं कि वह दिन राष्ट्र के लिये बड़ा सौभाग्य-शाली होगा।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। इस समस्या को जितनी जल्दी और जिस ढंग से सुलझाना चाहिये था, जिस रफ्तार से हम इस समय चल रहे हैं उससे यह समस्या जल्दी हल होने वाली नहीं है। इस समस्या का सीधा-सीधा आधार बहुत कुछ आर्थिक है। हमारे प्रान्त की आर्थिक इकोनामी एग्रीकल्चरल इकोनामी है। इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि हरिजन कहलाने वाले लोगों में से बहुसंख्यक ऐसे हैं जो आज खेती पर जीवित हैं। हमारे माननीय माल मंत्री के आंकड़ों के मुताबिक जहां १,००० में ७४२ सामान्य लोग कृषि पर लगे हुये हैं, माननीय मालमंत्री जी के आंकड़ों में करीब १३ प्रतिशत हरिजन ऐसे हैं जो कि खेती पर निर्भर हैं यानी किसान हैं। इसके अलावा करीब साढ़े सात लाख खेतिहर मजदूर हैं और साधारण खेतिहर मजदूर ५७ फीसदी यानी १७२ हैं। इसलिये हम जल्दी से जल्दी इनमें आर्थिक क्रान्ति ला सकें, इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जो उनका नागपुर कांग्रेस का फैसला है, उसको जल्दी से जल्दी कार्यरूप में परिणित करने में वह प्रयत्नशील हों। इसी से हम हरिजनों का उद्धार कर सकते हैं। इसके सम्बन्ध में जितनी भी हमें इस तरह की समस्यायें दिखलाई पड़ती हैं, उसके लिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस समस्या में देश के दूसरे प्रान्त हमारे प्रान्त से आगे हैं।

माननीय मंत्री जी सौराष्ट्र के हरिजनों को देखें, बम्बई में देखें और वहां के कार्य को मंगाकर देखें तो यह पता चलेगा कि दूसरे प्रान्तों में इन लोगों के लिये जितना कार्य किया गया है, उतना इस प्रान्त में नहीं किया गया है। वहां हरिजनों के लिये सहकारी समितियां बनाई गई हैं जिससे कि उनकी आर्थिक अवस्था अच्छी हो सके और उसमें सुधार हो सके। बम्बई में तमाम वन विभाग की मजदूरी इस तरह के हरिजनों की समितियों को दे दी गई हैं। सौराष्ट्र और बम्बई में हरिजनों के लिये जिस तरह से कार्य हो रहा है, उसके लिये मैं आपके द्वारा सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस सदन का एक प्रतिनिधि मंडल बम्बई, सौराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश भेजे जो कि वहां देख कर आये कि किस तरह से उनके उद्धार और सुधार की बातें वहां पर की जाती हैं और किस तेजी से हरिजनों के उत्थान के लिये वहां कार्य हो रहा है। नागपुर अधि-वेशन में इसके लिये क्रान्तिकारी प्रस्ताव भी पास हुआ और हमारी प्रदेशीय सरकार को चाहिये कि वह एक आयोग की नियुक्ति करे जो कि इन हरिजनों के संरक्षण का कार्य करे और यह देखे कि सीलिंग कितनी जमीन की होगी और कितनी जमीन एक को मिलेगी। इस तरह से उसे चाहिये कि वह बेकार हरिजनों की समस्याओं को हल करें। आज हमारे प्रान्त में अगर आप ३० एकड़ की सीलिंग करेंगे, तो १ लाख २१ हजार खेतिहर मजदूरों के लिये भूमि का प्रबन्ध हो जायगा। साढ़े बारह एकड़ के लिहाज से अगर साढ़े बारह एकड़ सीलिंग की जाय, तो साढ़े सात लाख खेतिहर मजदूरों को, जिनका सम्बन्ध हरिजनों से है, उनकी आर्थिक परेशानी हल हो सकेगी और एक बड़ी संख्या जो इस तरह से बेकार हरिजनों की आज है, उन सबको काम मिल जायगा।

जहां तक १८ फीसदी रिजर्वेशन का सम्बन्ध है, इसके लिये मैं सौराष्ट्र सरकार का फैसला और उसके कमिश्नर द्वारा प्रशंसा को यहां पढ़ कर माननीय मंत्री जी को सुनाना चाहता हूं "कि जब तक अनुसूचित जातियों के संरक्षण का प्रतिशत पूरा न हो जाय, तब तक सभी नौकरियां अनुसूचित जातियों के प्रार्थियों से भरी जायं।"

जब तक इस तरफ कदम नहीं बढ़ाया जायगा, तब तक सरकार के सामने इनकी समस्या बनी रहेगी। इस सरकार के सामने यह समस्या बहुत लम्बी है, तो इसको छोटा करने के लिये यही उपाय है कि हमारे यहां का मंत्रिमंडल इस बात पर ध्यान दे और इस समस्या को इसी तरह से सुलझाये। यह विभाग आज जिस तरह से काम कर रहा है, उसके द्वारा हरिजनों का संरक्षण नहीं हो सकता है और यह विभाग इसमें अब तक असफल रहा है क्योंकि यह उनको वह संरक्षण नहीं दे पाया है जो कि उनको मिलना चाहिये। यह १८ फीसदी भी संरक्षण नहीं करते हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब चूंकि उनके हाथ में यह विभाग आ गया है इसलिये उनको चाहिये कि वे इस विभाग के लिये एक सीनियर आई० सी० एस० आफिसर मुकर्रर करें और वही इस विभाग का डायरेक्टर हो। वह कलेक्टरों को इस विभाग के आदेशों को ठीक तरह से बतलाये और यह न हो जैसे कि आज जूनियर किस्म के आफिसर तो ऊंची जगहों पर चले गये हैं और सीनियर आफिसर नीचे आ गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और साथ ही साथ हरिजन कल्याण मन्त्री जी को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इस सदन में ५ विरोधी दल हैं जिनकी संख्या करीब १४४ के है, लेकिन उनमें से केवल एक नेता विरोधी दल के हैं, बाकी चार गायब हैं क्या वह १४४ की दफा उन पर लागू हो गयी है? एक सदस्य ने यह कहा कि हमने एक हरिजन को जनरल सीट में खड़ा किया और जिताया। गत वर्ष इसी अनुदान पर नेता विरोधी दल ने हरिजनों के प्रति सहानुभूति दिखायी थी और उन्होंने कहा कि हमने एक हरिजन को जनरल सीट से जिताया। लेकिन उनके जीतने का कारण यह नहीं था। वह तो हमारे बिछड़े हुए साथी हैं। वह तो उस वातावरण के कारण कामयाब हुये जो हमारे प्रदेश में बना हुआ था। अगर वास्तव में विरोधी दलों को हमसे हमदर्दी होती, तो इन पांचों दलों की तरफ से कौंसिल में और राज्य परिषद् में हरिजन सदस्य चुन कर भेजे जाते। इसलिए मालूम होता है कि उनकी यह सहानुभूति थोथी है। लेकिन कांग्रेस दल ने हरिजन लोगों को विधान परिषद् और राज्य परिषद् में संरक्षण न होते हुए भी स्थान दिलाया।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् १९५२ से पहले जब माननीय गोविन्द वल्लभ जी पन्त यहां के मुख्य मन्त्री थे तो गृह मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि प्रदेश में जो हजारों की संख्या में चौकीदार हैं उस समय उन्हें केवल तीन रुपया मिलता था और बाद में उनको पांच रुपया कर दिया गया, उनको खादी की पोशाक भी दी जाय और जमींदारी समाप्त हो जाने के बाद उनको जमीन भी दिये जाने की बात थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हरिजन कल्याण मन्त्री, जो कि शिक्षा मन्त्री और गृह मन्त्री भी हैं, वह इसकी व्यवस्था करें। मैंने सुना है कि मेरे जिले में जो चौकीदार थे उनको हटाकर कांस्टेबिल रखे गये हैं। मेरा निवेदन है कि उनको न निकाला जाय और उनको जमीन दी जाय क्योंकि इस महंगाई में ५ रुपया देना बहुत थोड़ा है। दो मर्तबा तो उनको महीने में आना ही पड़ता है। अगर कहीं घटनायें हो जाती हैं तो उसको जल्दी भी आना पड़ता है। इस ओर मन्त्री जी ध्यान दें।

बहुत से सदस्यों ने संकेत किया कि हरिजन विभाग में बहुत सी त्रुटियां हैं, अधिकारियों में असन्तोष है, उनके साथ न्याय नहीं होता है। किसी व्यक्ति के शरीर में यदि हृदय रोग हो जाय तो वह किसी प्रकार से काम नहीं कर सकता है। शरीर नहीं चल सकता। यदि इस विभाग में न्याय नहीं होता तो काम किस प्रकार से चल सकता है। ऐशबाग के हरिजन छात्रावास में बहुसंख्यक विद्यार्थियों ने अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मारा। लड़कों के चोटें

[श्री रामकिंकर]

आयीं। एक लड़के को ज्यादा चोट आयी। लेकिन उसके प्रति हरिजन विभाग या जिला हरिजन कल्याण विभाग ने कोई परवाह नहीं की।

हरिजन विभाग की ओर से जुलाई में एक आदेश निकाला गया कि १०० रुपया वेतन पाने वाले अभिभावकों के बच्चों की फीस लगेगी। बारह महीने में १,२०० रुपये वेतन होते हैं। अधिकारियों को यह नहीं मालूम कि इन्कम टैक्स और ऐग्रीकल्चर टैक्स कितनी धनराशि पर लगता है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे हरिजन अधिकारी सोच समझ कर इस प्रकार के आदेश जारी करें।

एक सुझाव मेरा यह है कि करीब-करीब हर जिले में एक से अधिक हरिजन सुपरवाइजर रहते हैं जो और काम को देखते हैं, लेकिन इनके अलावा एजूकेशन सम्बन्धी भी एक सुपरवाइजर हर जिले में होना चाहिये जो एजकेशन के काम को देख सके। अगर आप एजूकेशन सुपरवाइजर नहीं रखते हैं तो एक हरिजन सुपरवाइजर पर दोहरी हुकूमत होगी जिसकी वजह से वह विद्यार्थियों की मदद कुछ भी नहीं कर सकेगा और प्लानिंग से उनकी सहायता के लिए रुपये के बटवारे आदि में ही सारा समय व्यर्थ चला जायगा जैसा कि अभी तक होता रहा है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ने जो इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, कल से इस महत्वपूर्ण विषय पर विवाद चल रहा है और यह बात तो निर्विवाद है कि इस पिछड़े वर्ग और हरिजन वर्ग की समस्या को सुलझाना सरकार के वश के बाहर की बात है। सरकार ही अकेले इसको नहीं सुलझा सकती है इससे मैं सहमत हूं, लेकिन सरकार जितना कर सकती है वह कर रही है या नहीं, इसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी से पूछूंगा और अपने सामने बैठने वाले उन मित्रों से पूछूंगा जो सरकार की दुहाई देते हैं।

श्रीमन्, बैकवर्ड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। उसमें जितनी चीजें मानने लायक थीं, क्या सरकार ने उन को माना? उसकी तरफ उन्होंने कदम उठाया है? अगर इस सहायता का मतलब या उस उत्थान का मतलब केवल इतना ही हो कि कुछ लोगों को मौका दिया जाय कि वे इस भवन में आ जायं, ऊंची नौकरियों में आ जायं, या वोट का जहां तक संरक्षण है वह हो जाय, तब तो मैं बड़े जोरदार शब्दों में कहूंगा कि इस में जरूर कामयाबी हुई है अपनी जगह हासिल करने में, लेकिन जहां तक सही माने में इस पिछड़े वर्ग, हरिजन वर्ग को ऊपर उठाने का सवाल है, वह इतना ही हुआ है जैसे समुद्र में पानी का एक कतरा।

श्रीमन्, इस सरकार ने एलान किया कि हरिजनों व पिछड़े वर्ग को नौकरियों में १८ प्रतिशत जगह देंगे, लेकिन आज तक वह परसेंटेज पूरा नहीं हो सका। कहा यह जाता है कि लोग मिलते नहीं हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए भी हरिजन और बैकवर्ड क्लास में लोग नहीं हैं? क्यों नहीं सरकार इस तरह की पाबन्दी लगा देती कि जब तक हरिजनों का प्रतिनिधित्व १८ परसेंट पूरा नहीं होगा, तब तक दूसरे वर्ग के लोग उन नौकरियों में नहीं लिये जायंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछड़ वर्ग और हरिजन वर्ग के लोग इन नौकरियों के लिए योग्य हैं, लेकिन चुनने वाले अधिकारियों द्वारा उनके अन्दर एक न एक ऐब लगा कर, उनके लिए अयोग्य या अयोग्यता का लफ्ज लगा कर उनको छांट दिया जाता है। मैं पूछता हूं कि क्या चपरासी भी, अर्दली भी उनके अन्दर से प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं?

श्रीमन्, इन लोगों की भर्ती में भी सवर्ण लोगों का स्वार्थ निहित है क्योंकि अगर वे सवर्ण जाति के चपरासी अर्दली नहीं रखेंगे तो उनका खाना कौन पकायेगा, उनको पानी कौन देगा, उनके बच्चों को कौन खिलायेगा तथा उनके बीबी बच्चों का काम कौन करेगा? आप के द्वारा मैं माननीय मन्त्री जी को यह सुझाव देता हूं कि सवर्ण आफिसरों के यहां तो हरिजन और मुसलमान चपरासी रखे जायं तथा हरिजन और मुसलमान आफिसरों के यहां सवर्ण जाति के

चपरासी तथा अर्दली रखे जायं ताकि यह छुआछूत और अस्पृश्यता की भावना दूर हो सके। सरकार को चाहिए कि वह इस तरह का आर्डर निकाल दे। तो आज जो हरिजनों के लिए १८ परसेंट सर्विस की बात कही जाती है वह भी अपने आप पूरी हो जायगी। मैं इस बात को मानता हूं, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा, कि सरकार १ करोड़ रुपया हरिजनों की पढ़ाई के लिए वजीफे पर खर्च कर रही है। यह बात ठीक है, लेकिन सिर्फ वजीफे से ही हरिजन बालक पढ़ सकते हैं, और हरिजन बालिकायें पढ़ सकती हैं जिनके खाने तक का ठिकाना नहीं है, जिनके बदन पर कपड़े तक ठीक नहीं हैं, जिनके पास किताबें और रोशनाई तक खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं? फिर वे कैसे पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है, होनी चाहिए।

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हरिजनों के लिए पानी पीने के लिए साढ़े १२ हजार कुओं की जरूरत है। श्रीमन्, यह जरा सोचने की बात है कि यह सरकार प्राथमिकता देना तो जानती ही नहीं है। अगर जानती होती तो माननीय मन्त्री जी ने कहा कि पानी पीने के लिए साढ़े १२ हजार कुओं की जरूरत है। जरूरत ईजाद की मां होती है। हवा के बाद दूसरी जो जरूरी चीज दुनिया में जीवन के हेतु जरूरी होती है वह पानी ही है। लेकिन इतने बड़े जरूरी काम को पसेपुश्त डाल दिया गया इस सरकार द्वारा। कह सकते हैं रुपया इतना कहां से आयेगा? इन साढ़े बारह हजार कुओं के लिए ५०,००,००० रुपये चाहिए। मैं सख्ती के साथ कहने के लिए तैयार हूं कि इस शहर में १,००,००,००० रुपये फिजूल खर्च किया गया। एक तरफ हरिजनों की मां, बहनें, गड्ढों से, नदियों से पीने का पानी निकालें और दूसरी तरफ ८,००,००० रुपये लगा कर इस विधान भवन की सजावट की जाय। १८,००,००० रुपये से म्युजियम बनाया जाय, १३,००,००० रुपये की लागत से सूचना भवन बनवाया जाय। मैं कहूंगा सरकार इन कामों की जगह हरिजनों के उद्धार के कामों को प्राथमिकता दे। यह विलासता बन्द करे।

*श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन को बताना चाहता हूं कि हरिजनों की यह समस्या विशुद्ध सामाजिक समस्या है। पूज्य बापू ने कहा था कि "टु सर्व हरिजन इज टु सर्व गॉड", हरिजन की सेवा ईश्वर की सेवा करना है। इसमें राजनीतिक पुट देना यह समस्या को नीचे गिराता है। लोगों को स्मरण होगा जब बापू अनशन कर रहे थे तो उस समय एक प्रकार का आदेश दिया गया था कि हरिजनों की समस्या पर बहुत ही संयम से बोलना चाहिए इसके अन्दर प्रतिहिंसा का प्रयास नहीं आना चाहिए। हरिजनों की समस्या के सम्बन्ध में दो प्रश्न आते हैं। एक तो मानसिक और दूसरे आर्थिक, मानसिक रोग में हिंसा के वश जो यह कहा जा रहा है कि इस देश के ग्रन्थों में और विशेष कर आचार्य मनु का नाम लिया जाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहुत भ्रान्ति है। शूद्र शब्द जो आचार्य मनु कहते हैं वह एक अवस्था का वर्णन है। वह ब्राह्मणों को भी शूद्र कहते हैं। समझ में नहीं आता जो आचार्य मनु लिखते हैं कि "लहसुनम् ग्रन्जनम् चैवः प्लान्डुम ख कान्चःअभक्षाः द्विजातिनाम्, भुक्तवा चान्द्रायणम् चरितः" लहसुन, प्याज खाने वाला ब्राह्मण चांडाल अवस्था को प्राप्त होता है। तो वह एक अवस्था का वर्णन करते हैं। जो पूर्व की दिशा में संध्या नहीं करता है और संध्या के समय पश्चिम दिशा की तरफ नहीं करता वह शूद्रत्व की तरफ बढ़ता है। तो उन्होंने एक अवस्था का वर्णन किया। उनके नाम को लेकर इस समस्या को जटिल बनाना है। कभी मनु ने यह नहीं कहा कि मनुष्य जन्म से शूद्र होता है। संस्कार से उसकी गति उत्पन्न होती है। तो शब्दों के अर्थ इधर बहुत ही भ्रान्त हो गये हैं। कौन नहीं जानता ब्राह्मण ब्राह्मण के यहां भोजन नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलखन मिश्र]

करता है, क्षत्री क्षत्री के यहां नहीं करता है। तो सब में एक प्रकार का रोग उत्पन्न हो गया है। हमारे यहां अध्यात्म साधनों में आत्म दर्शन करने में शुद्ध अवस्था में सहायता मिलती थी। चांडाल स्थिति में उनके हाथ का पकाया हुआ खाने में साधना में कठिनाई आती थी।

अब इसके बाद जब भौतिक सभ्यता के अन्तर्गत देश आया, तब ऐन्द्रियता बढ़ी। मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों की समस्या एक डाउन ट्राडेन समस्या है। अब तो हरिजन समस्या की परिभाषा को व्यापक रूप में होना चाहिए और मानसिक रोग में जहां तक मैंने पहले कहा, जो वह इन्फीरियारिटी कम्प्लेक्स है उसको हरिजनों को अपने मस्तिष्क में से निकाल देना चाहिए और सीना फुलाकर इस देश की भूमि पर उनको चलना चाहिए। किसी ग्रन्थ में नहीं लिखा हुआ है जैसी माननीय सदस्यों को भ्रान्ति है। सारी समस्यायें सिमट कर के आर्थिक समस्या के रूप में आ गयी हैं। आर्थिक समस्या ऐसी समस्या है जो एक Sanctity of individual property, एक व्यक्तिगत सम्पत्ति की पवित्रता रहते हुए समस्या साल्व ही नहीं हो सकती है क्योंकि इतनी इंद्रियता बढ़ गयी है कि कोई स्टेशन सामने दिखायी नहीं पड़ता।

श्री उपाध्यक्ष--समय समाप्त।

***श्री गरीबदास** (जिला जालौन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े समय में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा कि बीसवीं सदी में, आजकल के इस वैज्ञानिक युग में यह जो जातीयता की बीमारी है, यह हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए और दुनिया के लिए बहुत घातक रोग है। श्रीमन्, यह सत्य है कि किसी समाज को, किसी भी वर्ग को यदि गुलाम बनाना है, उसके ऊपर अधिकार कायम करना है तो सब से पहले जरूरी है कि उसको दिमागी गुलाम बनाया जाय। उसकी संस्कृति को और इतिहास को नष्ट किया जाय। और यही बात इतिहास में हुई है। मैं उन शब्दों को इस थोड़े से समय में दोहराना नहीं चाहता जो मनुस्मृति और पुराने ग्रन्थों में हैं। पाराशर स्मृति हो या और कोई स्मृति हो, उसमें समय-समय पर नियम बनाये गये। वह राष्ट्रों का निर्माण करते थे। उनमें यह बताया था कि बहुसंख्यक समाज को कैसे अपने कब्जे में किया जाय। जैसे नीति में कहा गया है "कि जाकी धन धरती हरै, ताहि न लीजै संग, जो संग लेवै ही बने, तो करि राखु अपंग"। बहुसंख्यक समाज को, जिसके ऊपर कब्जा किया है उसको साथ नहीं लेना चाहिए। अगर साथ लेना ही है तो उसको अपंग कर दिया जाय। वही नीति बरती जा रही है। हमको, इतिहास को नष्ट करने के लिए, परम्परा को नष्ट करने के लिए, नये-नये नामों से विभूषित किया। जिस समय प्राचीन काल में भारत में आर्य आये तो यहां के आदिम निवासियों को अनार्य कहा, राक्षस कहा, और नाना प्रकार के नाम रखे। इतना ही नहीं, ग्रन्थों में बन्दर और रीछ कहा, जैसे जामवन्त इत्यादि। इसके बाद जब और भी राज्य परिवर्तन हुआ तो उनको गुलाम कहा गया। उनको रजील कहा गया, अस्पृश्य कहा गया। आज फिर से उसको दोहराया जा रहा है। इन चार वर्णों की जातियों से ही समाज पीड़ित था, लेकिन आज हरिजन जाति और बनाई जा रही है। मैं कहूंगा कि हरिजन शब्द का प्रयोग करना--पिछली बार भी मैंने कहा था इस शब्द का प्रयोग चाहे सरकार में हो, चाहे जनता में हो--नयी जाति का निर्माण करना है। जिससे लोग समझें कि बीसवीं सदी में नयी जाति पैदा हुई है, और अपने पुराने इतिहास को भूल जायं।

कहा जाता है कि अछूतपन भारत के लिए कलंक है, हिन्दू समाज के लिए कलंक है। अछूतपन कलंक है, लेकिन हिन्दू धर्म की पवित्रता भी अछूतपन से ही है। यदि अछूतपन खत्म हो जाता है तो हिन्दू धर्म की कोई दूसरी परिभाषा है ही नहीं। हिन्दू धर्म का कोई आधार है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो वह यही है कि वह दूसरों को नीच समझता है, मनुष्य को पशु समझता है, पशुओं से भी बदतर समझता है। यदि अछूतपन समाप्त होता है तो हिन्दू धर्म की कोई कीमत नहीं रह जाती है। संसार में हिन्दू धर्म मिट जायेगा। इसलिए यह आशा करना कि अछूतपन खत्म किया जायगा गैर मुमकिन है। यह हिन्दू समाज सोच नहीं सकता और अगर सोचता है तो हिन्दूपन खत्म हो जायगा। अब इन तमाम बातों से पीड़ित होकर, जातिवाद से पीड़ित होकर देश में मवाद सड़ रहा है, विस्फोट होने को है उसे रोका नहीं जा सकता। बहुत से आदमियों को थोड़े समय तक मूर्ख बनाया जा सकता है लेकिन बहुत से आदमियों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। हजारों वर्ष से वेदशास्त्रों ने जो महल बनाया था वह ढहने लगा है। हिन्दू धर्म के लिए खतरा दीख रहा है। जनता मजबूर हो चुकी है, देश मजबूर है, देश मजबूर है इस बात के लिए कि यदि जातिवाद खत्म न होगा तो हिंसात्मक आन्दोलन होगा और वही लोग करेंगे कि जो जातिवाद से पीड़ित हैं। इसको रोका नहीं जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष––श्री विश्राम राय जी अब बोलेंगे। मैं समझता हूं कि उनको अब ज्यादा कहना नहीं है, ५ मिनट का थोड़ा सा आप भी लाभ उठा लें।

श्री बिश्राम राय (जिला आजमगढ़)––उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान और कटौती के प्रस्ताव पर कल से बहस हो रही है और काफी सदस्यों ने बहुत जोशोखरोश के साथ इसमें हिस्सा लिया और इस अनुदान और कटौती के प्रस्ताव को महत्वपूर्ण समझा। अभी जो सुझाव दिये गये हैं उन में से हर एक सदस्य ने जो कहा उस को दोहराना तो मुश्किल है लेकिन ४–५ बातें खास तौर से यहां कही गयीं।

पहली बात तो यह कही गयी कि जो काम जिले में होता है उसमें जो हरिजन वेलफेयर आफिसर साहब हैं उनको कोई अधिकार नहीं है और वह ए० डी० एम० प्लानिंग के पिछलग्गू हैं। जिलों में हरिजन वेलफेयर आफिसर तो मुकर्रर हो गये, लेकिन उनको रुपया खर्च करने का अधिकार नहीं है। इसलिए सरकार को इन हरिजन वेलफेयर आफिसर्स को अधिकार देने चाहिए।

दूसरे, वजीफों के सम्बन्ध में मैंने भी पहले कहा था और एक माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि बहुत जगह वह अब भी बरामद नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि वजीफा समय से पहले ही मिल जाया करे।

तीसरे, गांवों में आबादी की भी बड़ी भारी समस्या है, सदस्यों ने यह भी कहा कि चकबन्दी का जहां काम हो रहा है वहां पर इसी वक्त हरिजनों की आबादी का इन्तजाम होना चाहिए, गांवों में आबादी और स्कूलों के लिए सामूहिक जमीनें छोड़ी जा रही हैं और हरिजनों की जो आबादी है भी वह रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं, वह भी दूसरों के नाम लिखी है। इस लिए हरिजनों की आबादी की जमीन का प्रबन्ध होना चाहिए।

तीसरे, जहां पर भी प्लानिंग के काम होते हैं वहां इस तरह की शर्तें रखी जाती हैं कि दो-तिहाई वहां के लोग दें या आधा दें। मेरा कहना है कि हरिजनों के मामले में इस तरह की शर्तें न रखी जायं और इस तरह की कोई पाबन्दी न लगाई जाय क्योंकि उन पाबन्दियों के लगने पर वह काम पूरा नहीं कर सकते।

चौथी बात यह है कि जहां तक मेहतरों के वेतन का सम्बन्ध है वह सब से पिछड़े लोग हैं और वे ऐसा काम करते हैं जो कोई नहीं करता। इसलिए उनका वेतन बढ़ाया जाय और जिस तरह से बाहर के देशों में भंगियों का काम नहीं रहता और पाखाना किसी तरह से जला दिया जाता है वह पद्धति अपनाई जाय और यह प्रथा मेहतरों द्वारा सफाई की उठा दी जाय।

पांचवें, जो प्रचारक जिलों में हैं उनको स्थायी बनाया जाय, वह हरिजन वेलफेयर का काम करते हैं और छुआछूत को दूर करने का प्रचार कार्य करते हैं, उनको स्थायी बनाया जाय तभी

[श्री विश्राम राय]

काम ठीक हो सकता है । इसके अलावा इस अनुदान में बहुत सी रकम कम कर दी गई है जैसे स्वेच्छा से चलने वाली संस्थाओं के अनुदान, बस्तियों और कुओं के लिये सहायता में कमी की गई है । मेरी समझ में नहीं आता कि जब जनहित के लिये अधिक रुपए की जरूरत है तो बजट में कमी क्यों की गई है ? हर सदस्य ने दोहराया कि रुपये की जरूरत है । माननीय मंत्री जी, धर्मसिंह जी और एक सज्जन ने कहा कि रुपये देने से थोड़े ही उद्धार हो जायगा । हम कहते हैं कि जरूर होता है, नहीं तो पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो २,४०० करोड़ और ४,८०० करोड़ की थीं और अगली तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि १०,००० करोड़ की बनने जा रही है वह क्यों बनने जा रही है ? रुपया आखिर खर्च होगा ।

तो जैसा कि एक महिला सदस्या ने कहा कि यह इतनी बड़ी समस्या है जैसी कि शरणार्थियों की थी । उनकी समस्या हल हो गयी तो देश का एक खतरा दूर हो गया । इस समस्या को प्राथमिकता देकर हल करने की जरूरत है । मुझे दुःख है कि हमारा राष्ट्र सम्पूर्ण उन्नत नहीं हो रहा है हमारे राज्य में ४ करोड़ आदमी जो हैं वे पिछड़े हुए हैं, उनको समानता देने के लिए अगर रुपया खर्च होता है, बजट का ५० प्रतिशत भी हो, तो वह ज्यादा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--समय समाप्त हो गया ।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज इस अनुदान के सम्बन्ध में जो सभी दलों के माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं सुनने का अवसर मिला । बहुत सुझाव अपने जगह ठीक थे, लेकिन कुछ चर्चा ऐसी सुनकर अवश्य दिक्कत होती है जब कि बजाय इसके कि इस समस्या को हल करने में सहयोग हो, उसके विपरीत कुछ संकट पैदा करती है । हर एक सहमत है इस बात से कि हरिजनों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, समाज में उनका जो स्थान इस वक्त है उसमें उन्नति हो और यह आशा की जाती है कि ऐसी स्थिति लायी जाय जिससे हमारे समाज के अन्दर जो जरूरी अंग है, जो हमसे दूर रखा जाता है, वह निकट आ जाय । श्रीमन्, सरकार इसके बारे में हमेशा से प्रयत्नशील है ।

इस बात की जब चर्चा की जाती है कि कुछ लाख रुपया कम कर दिया गया, तो मैंने कागज तलाश किये, मेरी समझ में नहीं आया । मैं समझता हूं कि १९५८-५९ के आगामी बजट में ७ लाख रुपये का ज्यादा प्राविधान किया है । इस चीज का जिक्र था कि १२१ करोड़ रुपये के बजट में १ करोड़, ५१ लाख रुपये का ही अनुदान इस विषय के बारे में रक्खा गया, इसकी चर्चा काफी हुई । मैं नहीं समझ सका कि १५१ लाख रुपये के अलावा जो कुछ बजट में रुपया है वह क्या हरिजन या बैकवर्ड साथियों को छोड़कर जितने रहने वाले इस प्रदेश के हैं उनके लिए है ? यह रकम तो विशेष सुविधा एक वर्ग को देने के लिए है । जहां तक बाकी हिस्सा बजट का है वह सबके लिए है ही । क्या शिक्षा सम्बन्धी जो अनुदान है, प्लानिंग सम्बन्धी अनुदान है, सार्वजनिक निर्माण या जितने और भी हमारे विभाग हैं उनका फायदा परिगणित जाति या पिछड़े वर्ग के लोग नहीं उठा सकते हैं । लेकिन ऐसी बातें सिर्फ इस वजह से की जाती है कि उसको एक पोलिटिकल कैपिटल बनाया जाय । मुझे खेद जरूर होता है कि पिछले १ साल, ११ महीने से जब से यह मौजूदा विधान सभा चल रही है, अप्रैल, १९५७ में जो जिक्र नहीं था बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट का उसकी ओर कुछ न कुछ प्रगति होती जाती है । मैं देखता हूं कि कुछ होड़ सी हो रही है । अगर एक दल से थोड़ा सा प्रश्न उठेगा तो यह आवश्यक समझा जाता है कि दूसरा दल भी उसके बारे में चर्चा करे तिगुनी, चौगुनी, पचगुनी, इस वजह से नहीं कि उस कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाय, लेकिन सीधे-सीधे मालूम तो यह होता है कि इस वजह से चर्चा की जाती है कि कुछ मसाला मिलता है जिससे ऐसा न हो कि एक दल कुछ आगे बढ़ जाय बैकवर्ड लोगों की आंखों

में। मेरा तो खयाल है कि जिसने उस रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ा है और अच्छी तरह से शांति से विचार किया होगा वह सरकार से सहमत होंगे कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे प्रदेश या देश में विभाजन हो जाय। श्रीमन्, इस रिपोर्ट के बारे में तो मैं बाद में जिक्र करूंगा। मैं इस समय जो अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के बारे में काम हुए हैं इस साल और जो पिछली बार किये गये हैं उनके बारे में पहले निवेदन कर लूं।

श्रीमन्, इस प्रदेश में तीन ऐसे केन्द्र खोले गये हैं जहां पर टेक्निकल शिक्षा दी जाती है। नैनीताल, गोरखपुर और बख्शी के तालाब में। उनमें प्रयत्न यह किया जाता है कि लगभग ७५ प्रतिशत हरिजन जाति के लोग आवें, १५ प्रतिशत यह आशा की जाती है कि और बैकवर्ड जो अपने को कहते हैं वे आ जायं और १० प्रतिशत अन्य जातियों के लोग रखे जाते हैं। उनके लिये, श्रीमन्, निःशुल्क शिक्षा है। साथ ही साथ उनको ३५ रुपये का वजीफा भी दिया जाता है। जिससे कि वे अपनी ट्रेनिंग आसानी से पा सकें। बख्शी के तालाब, नैनीताल और गोरखपुर में काफी ऐसे टेक्निकल विषय रखे गये हैं जिससे वहां से प्रशिक्षण पाने के बाद इन जातियों के गरीब आदमी किसी न किसी उद्योग में लग सकें, जिससे उनके जीवन के लिये सहारा हो जाय। इसके साथ-साथ यह भी प्रयत्न किया जाता है कि जितने भी उन केन्द्रों से निकल कर आवें उनको सरकारी विभागों में कहीं गुंजायश हो तो ले लिया जाय।

श्रीमन्, रिक्लेमेशन सम्बन्धी सेटिलमेंट सेन्टर्स कई जगह कायम किये गये हैं। कुछ ऐसी जातियां हैं जो हमेशा ही बाहर रहती हैं, जिनके पास न कोई मकान है, न कोई व्यवसाय है। उन्हें आबाद करने के लिये, उनके लिये भूमि का प्रबन्ध करने के लिये और मकान बनाने के लिये काफी प्रबन्ध किया गया है जिससे वे स्थायी जीवन ले लें और एक अच्छे नागरिक की तरह रहने की कोशिश करें।

श्रीमन्, और भी बहुत सी योजनायें हैं। हमारे १० जिले हैं जिनमें मकान बनाने की योजना और बहुत सी और योजनायें इस वजह से प्रारम्भ की गयीं और यह प्रयत्न किया गया कि जहां पर ऐसी बस्तियां थीं कि जहां उनको आसानी से मकान की सुविधा नहीं है उनको सहायता दी जाय। बहुत से जिलों में यह भी प्रयत्न किया गया कि कुयें बनाने के लिये उनको अनुदान दिया जाय। माननीय मंत्री जी ने इस सदन में यह निवेदन किया था कि अभी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर कुयें बनवाने की आवश्यकता है। लेकिन वह कार्य सरकार के अनुदान से ही नहीं हो सकता। क्या हरिजन बस्तियों में एक अलग कुआं बनाकर जो हमारी अस्पृश्यता की समस्या है वह दूर हो सकती है? हम यह देखते हैं कि दूसरे आदमी जो उनको छूना नहीं चाहते उनके पास कुयें हैं। उन कुओं को हरिजनों के लिये काम में ले आने से काम होगा। वह काम हरिजनों के लिये अलग से कुंआ बनाकर किस तरह होगा? यह सही है कि कुंयें बनवाने की आवश्यकता है और ज्यादा से ज्यादा जो होगा वह किया जायगा, इस विभाग से उसके लिये अनुदान दिया भी जाता है।

इसके अतिरिक्त और भी विभागों से अनुदान दिये जाते हैं लेकिन कहीं-कहीं ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जैसे हमारे मेहतर भाई जहां आबाद हैं और उनकी संख्या उस गांव में में १ या २ परिवार होती हैं उनके लिये कुयें बनवाने की समस्या है और कई जगह जरूरी हो जाती है। मेरी निजी राय उसके लिये भी यही है कि जितना अनुदान देने से काम नहीं होगा उससे अधिक काम होगा यदि समाज में ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें ऊंच और नीच का, छुआछूत और भेदभाव दूर हो और इन वर्गों को गांवों के और दूसरी ऊंची जाति के लोगों के कुंओं पर पानी भरने का अधिकार मिल जाय। अगर हम इस चीज पर ज्यादा जोर दें तो यह समस्या आसानी से हल हो जायगी बजाय इसके कि हम हरिजनों के कुंयें अलग से बना दें।

[श्री रामस्वरूप यादव]

इससे तो उनकी दुनियां ही अलग बनकर चलती रहेगी और वह इन दिकक्तों को हल करने में सहायक नहीं होगी ।

श्रीमन्, छात्रवृत्ति के बारे में जिक्र कर दिया गया है कि लगभग ८० लाख रुपये के छात्र वृत्ति दी जाती है । एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया कि जो यह प्रदेशीय सरकार की ओर से प्रतिबन्ध लगाया गया है कि जिसकी आय ढाई सौ रुपये से ज्यादा हो उनको यह छात्र वृत्ति नहीं दी जाय, वे चाहते थे कि इसको हटा दिया जाय । मुझे दुख इस बात से हुआ कि यह सब मानते हैं कि हरिजनों की आर्थिक स्थिति खराब है लेकिन क्या यह उचित है ? उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति २५० से ८०० के ग्रेड में है और उसके ५ बच्चे हैं तो वह कैसे पढ़ा सकेगा । मुझे यह देखकर दुख होता है कि जिसको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिसको २५० से ८०० का स्थान प्राप्त हो गया है वह भी चाहता है कि उसके बच्चों की फीस माफ हो जाय । यह हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं और हमारे जो २० और २५ रुपये माहवारी वाले हैं उनके बच्चों की शिक्षा में रोड़ा हो सकता है क्योंकि कहा जा सकता है कि २५० रुपये से ८०० रुपये पाने वाले के पास धन है बनिस्बत इस देश के एक औसत परिवार की आमदनी के । जब हम ऐसे सुझावों पर भी विचार करेंगे तो उस गरीब की बात कैसे सोच सकेंगे ?

जीप वाली बात भी कही गयी कि हरिजन सहायक अफसर को जीप दे दी जाय । कुछ सदस्यों ने ऐसा भी सुझाव रखा कि हरिजन सहायक अफसर का रखना ही बेकार है । मैं नहीं कह सकता कि कहां तक यह बात ठीक होगी कि हरिजन सहायक अफसर किसी काम का नहीं है । हो सकता है कि हरिजन सहायक अफसर इस बात के इच्छुक हों कि उनको अधिकार जल्दी दिये जायं लेकिन हमें उसको रोकना चाहिये । जिला नियोजन अधिकारी का कर्त्तव्य है कि हरिजन अनुदानों का नियंत्रण करें । जिला शिक्षा निरीक्षक शिक्षा सम्बन्धी छात्रवृत्तियों का नियंत्रण करता है । हमें इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है । हरिजन सहायक अफसर को इसलिये रखा गया है कि उनके बीच में जाकर काम करे । अगर किसी को नौकरी की आवश्यकता है तो उसे नौकरी दिलाने में सहायक हो, भूमिहीन हो तो गांव समाज से सम्पर्क कायम करके भूमि दिलाने में सहायक हो । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ऐसे सुझाव देने से पहले जरा सोच लिया करें । जब कि आलोचना इस बात पर होती है कि बी० डी० ओ० को कार देना गलत है तो हरिजन सहायक अफसर को अगर हम कार दें तो कहां तक ठीक होगा ।

छात्रवृत्ति के बारे में यह ठीक है कि अधिक से अधिक मिलनी चाहिये, लेकिन शिक्षा निःशुल्क है । साथ ही साथ हमें बजट को भी देखना चाहिये कि कितनी सहायता हम दे सकते हैं । मेरी एक निजी राय है कि अगर अच्छे विद्यार्थियों को आप वजीफा दिलायेंगे तो दरअस्ल में आप उनको प्राप्त कर सकने में सहायता देंगे । अगर आपने यह सोच लिया कि हर परिगणित जाति के विद्यार्थी को अलावा इसके कि उसकी फीस माफ है छात्रवृत्ति भी मिले तो मैं नहीं समझ सकता कि यह कहां तक चल सकेगा । समस्या १०, २०, हजार, पांच सौ विद्यार्थियों की होती तो यह भी हो सकता था, लेकिन जहां पर ऐसे विद्यार्थियों की संख्या लाखों में होती हो वहां पर अगर सबको देना शुरू कर दिया तो उसका सदुपयोग भी नहीं हो सकता । वास्तव में जो छात्रवृत्ति पाने के पात्र हों, पहली और दूसरी श्रेणी के विद्यार्थी उन्हीं को ही मिलनी चाहिये । अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका दूसरा भी एक रूप हो सकता है । यदि पहली और दूसरी श्रेणी वाले विद्यार्थियों के समान तीसरी श्रेणी वाले विद्यार्थी भी छात्रवृत्ति पाने लगे तो पहली और दूसरी श्रेणी वालों को कोई उत्साह नहीं होगा । वे सोचेंगे कि चाहे कितना ही पढ़ें या फेल होते रहें वजीफा तो मिलेगा ही । इसलिये तीसरी श्रेणी वाले विद्यार्थियों के बजाय अगर उनके परिवार वालों को दिलाने की चेष्टा करें तो वह ठीक होगा । उन्हें उद्योग दिलाने में, उन्हें कोई काम शुरू कराने में अगर सहायता करें

तो ज्यादा अच्छा होगा। तीसरी श्रेणी वाले के लिये निःशुल्क शिक्षा ही ठीक है, उसे छात्र-वृत्ति नहीं मिलनी चाहिये।

जहां तक इस प्रदेश का सम्बन्ध है यह सरकार तमाम मौजूदा दिक्कतों को देखते हुये उन्हें अधिक से अधिक सहायता देने के लिये प्रयत्नशील है।

(इस समय ५ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, शुरू में मैं बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट के बारे में जिक्र कर रहा था। माननीय राजनारायण जी ने एक संकेत किया था किसी सज्जन को लखनऊ का रईस कह कर। अगर मैंने ठीक समझा है कि वे किसके बारे में कह रहे थे तो मेरा भी ऐसा खयाल है कि वे सज्जन बैकवर्ड क्लास के नहीं है क्योंकि किसी जाति में जन्म लेने से तो बैकवर्ड कोई हो नहीं सकता। मैं आज कहूं कि अगर यह परिभाषा है कि बैकवर्ड क्लास में अमुक जाति वाले हैं तो मैं भी आ जाता हूं। अन्यथा मुझे यह नहीं कहना चाहिये कि मैं बैकवर्ड क्लास का हूं। मेरे पास शिक्षा की योग्यता है और मेरा व्यवसाय भी ऐसा है कि रुपया पैसा कमा सकता हूं फिर भी मैं कहता रहूं कि मैं बैकवर्ड क्लास का हूं तो कैसे काम चलेगा? मैं बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था। मेरा उन उत्साही साथियों से निवेदन है कि वह इसको एक कैपीटल न बनायें। इसको पोलिटिकल कैपीटल न बनायें। मुझे व्यक्तिगत रूप से सलाह देने का आज मौका आया है वैसे मैंने कई बार जिक्र किया है कि अगर आप इसके पीछे पड़ेंगे तो हमारे जो नवयुवक हैं उनके साथ अन्याय करेंगे क्योंकि वे इसी रिपोर्ट की तरफ देखते रहेंगे और प्रगति न करेंगे।

श्रीमन्, जो बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन की बात करते हैं उनको मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूं कि सुरक्षित स्थान अल्पसंख्यक लोगों के लिये होते हैं। जहां तक हरिजनों का संबंध है होना चाहिये और हमें दुख है कि हम १८ फीसदी नहीं कर सके। अगर हम सफाई दें तो भी शायद नहीं मानी जायगी। हमारी कठिनाइयां हो सकती हैं और कोशिश करेंगे, वायदा करते हैं कि हम चेष्टा करेंगे कि जहां जहां चुनाव हों सरकारी आदेश का पालन ठीक तरह से हो। लेकिन एक निवेदन कर दूं कि जब मैं जिला परिषद् का चेयरमैन था तो मुझे भी मौका मिला है। मैं एक कमेटी का चेयरमैन था और मैंने आदेश कर दिया कि परगणित जाति के अलावा किसी जाति का सेक्रेटरी नहीं लूंगा। जब ११ आदमियों के पास नियुक्ति पत्र भेजे गये तो केवल ३ आये और मुझे सूचना मिली कि एक ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि हर जगह के लिये उम्मीदवार नहीं मिलते। क्लर्कों के लिये काफी संख्या में लोग मिलते हैं। लेकिन क्या वह हर स्थान पर काम कर सकते हैं? इसके लिये भी विचार किरना होगा। बहुत से ऐसे काम होते हैं कि उनका बौद्धिक विकास हो जाना चाहिये जिससे वे काम चला सकें। लेकिन यह जरूर है कि चपरासियों में १८ फीसदी होने चाहिये।

जहां तक बैकवर्ड क्लास की बात मैंने कही कि अगर वे इसको उठायेंगे तो अन्याय करेंगे और मेरा ऐसा खयाल है कि पिछड़ी जाति के लोगों में ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके लिये कहा जा सके कि वे शिक्षा में उन्नति नहीं कर सकते हैं। इस लिहाज से जैसा कि मैंने कहा कि मैं भी माना जाऊं। मैंने १९३६ में बी० ए० किया और भी साथी हैं जिन्होंने बी० ए० किया। वे लड़के निकले हैं जिनके दिमाग में यह भरा हुआ है कि सरकार उन लोगों के लिये स्थान सुरक्षित नहीं कर रही है। अगर उनके दिमाग में यह भर दिया जाय कि सरकार उनके लिये सुरक्षित स्थान कर देगी तो क्या उससे आपके बालक योग्य हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। बैकवर्ड क्लास के लोग श्रमिक हैं, कांश्तकार हैं, उनको कठिनाई नहीं होती है किसी चीज के मुकाबला करने में। सम्भव है ऐसे लोग हों जो नौकरी पा गये हों। वह बराबर

[श्री रामस्वरूप यादव]

सुरक्षित स्थान की बात करते हों। हमें इस बात का अपने दिमाग में लाना उचित नहीं है कि मेरा बालक सरकारी नौकरियों में स्थान पा ले, इस बात के होते हुये कि उसकी योग्यता अच्छी न हो। लेकिन जो बैकवर्ड क्लास का आदमी है वह मेहनत करना चाहता है। उसको उद्योग चाहिए। उसके हाथों में ताकत है। मुझे बड़ा खेद है होता है इस बात को सुन कर। न मैं पूर्वी जिले का हूं और न पश्चिमी जिले का, मैं बीच के जिले का हूं। लेकिन जब यह कहा जाता है कि यह बराबर खाट पर बैठते हैं यह किस तरह से बैकवर्ड हैं तो मुझे बड़ा संकोच होता है। मेरा अपना निजी अनुभव है। मेरी ही जाति के लोग आज से १५ वर्ष पहले अपनी ही जाति वालों को खाट पर नहीं बैठने देते थे। तो बैकवर्ड क्लास जाति के हिसाब से है या आर्थिक स्थिति के हिसाब से? बैकवर्ड क्लास के सामाजिक स्तर को ऊंचा करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अगर हम नक्शे को सामने लायेंगे कि हमारे स्थान सुरक्षित होने चाहिए तो हमारे योग्य बालक पीछे रह जायंगे। मेरा निजी अनुभव है कि योग्य बालक को अगर योग्यता का स्थान नहीं दिया जायगा तो जो सिफारिश से आना चाहते हैं, उससे ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब होगा और समाज का ह्रास हो जायगा।

जहां तक छात्रवृत्तियों का सम्बन्ध है बैकवर्ड क्लास की सूची १९५८ में दोहराई गयी है। उसके हिसाब से यह रख दिया गया है कि सुरक्षित स्थान तो नहीं रहेंगे लेकिन एक सी योग्यता के लिए बैकवर्ड क्लास जिसमें ५९ जातियां हैं, उनको प्रिफरेंस दिया जायगा। यह भी ठीक ही है क्योंकि उस के हिसाब से ठीक समझा जा सकता है। कुछ हद तक उनकी कमी है उसकी पूर्ति के लिए। सुरक्षित स्थान कहां तक कर सकते हैं। प्रदेश की आबादी ६ करोड़ से ज्यादा है अ.र १२० जातियां हैं बैकवर्ड क्लास में। उनकी २ करोड़ ७५ लाख आबादी है। इतनी बड़ी उनकी संख्या है कि अगर स्थान सुरक्षित किये जायंगे तो जिनके लिए स्थान सुरक्षित नहीं किये जायंगे उनकी संख्या बहुत थोड़ी रह जायगी। इसका नतीजा यह होगा कि यह प्रदेश बटता चला जायगा और बटना हम बरदाश्त नहीं कर सकते।

अब मैं जो कुछ सुझाव दिये गये उनके बारे में निवेदन कर दूं। यह भी प्रयत्न किया जायगा कि हमारे हरिजन सहायक विभाग में जितने क्लर्क्स और सुपरवाइजर्स रखे जायं उनमें ज्यादा से ज्यादा हरिजन और बैकवर्ड क्लास के रखें जिससे दूसरे विभागों को उदाहरण मिले।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---टाइम आज ६ बजे के बाद भी आप बढ़ा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष---यहां तो कोई प्रस्ताव हुआ नहीं। मैं समझता हूं कि अब समय समाप्त हो रहा है। आप खत्म कीजिये।

श्री रामस्वरूप यादव---लीगल एड का जिक्र किया गया। लीगल एड इतने बड़े समाज के लिये सम्भव नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। जहां तक उनको सुविधा देने की बात है, १९५२ में जो जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट बना उसके अन्दर अधिवासी बनाये गये और उनमें अगर प्रतिशत देखा जाय तो बहुत बड़ी संख्या हमारे बैकवर्ड और हरिजन काश्तकारों की है। इसी वजह से उन काश्तकारों को अधिवासी करार दिया कि सरकार की यह मंशा है कि जो समाज में सबसे कमजोर अंग हैं उनको किसी न किसी तरह से सुविधा प्रदान की जाय। जहां तक लीगल एड का सवाल है अब कोशिश यह है कि जहां तक हो मुकदमेबाजी कम की जाय। पंचायतों को अधिकार दिये गये हैं, वहीं पर वह रहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि कटौती के प्रस्ताव जो हैं वे, श्रीमन्, अस्वीकार किये जायं और यह अनुदान स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष---अब श्री विश्रामराय का कटौती का प्रस्ताव है।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है :

अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियों के लिये पर्याप्त मात्रा में सहायता का प्रबन्ध न करना तथा उनके लिये उद्योग धन्धे देने के लिये किसी विशेष योजना का अभाव उनके लिये नौकरियों में स्थान न सुरक्षित करना जिससे उनकी आर्थिक दशा में सुधार नहीं हो रहा है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री माता प्रसाद––मैं वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष––श्री ब्रजनारायण तिवारी का कटौती का प्रस्ताव है ।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

विभागीय खर्चा का बढ़ना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––अब श्री ताराचन्द माहेश्वरी का कटौती का प्रस्ताव है––

वह एक पत्र छोड़ गये हैं कि मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष––श्री रामशरण यादव का कटौती का प्रस्ताव है ।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान हेतु विभाग के बजट का अनियोजित रूप से प्रशासन किया जाना जिससे उत्थान नहीं हो रहा है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––श्री हरदयाल सिंह का कटौती का प्रस्ताव––

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है :

अनुदान की धनराशि का निश्चित अवधि में व्यय न होने के कारणों की आलोचना करना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––श्री ताराचन्द माहेश्वरी का कटौती का प्रस्ताव––

वह अपना वापस लेना चाहते हैं ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२–अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान–लेखा शीर्षक : ५७–प्रकीर्ण के अन्तर्गत १,५१,३९,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५९

श्री अध्यक्ष--सवा पांच बजे प्रारम्भ हो रहा है । सवा छः बजे समाप्त हो जाना चाहिये । जो बोलने वाले हैं उनके लिये मैं समय निश्चित करूंगा ।

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--मैं अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सैयदअली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५९, को पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ ठहरकर)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाय ।

इस सिलसिले में मुझे कोई तकरीर नहीं करनी है । सिर्फ यह अर्ज कर देना है कि वही मांगें जो माननीय सदस्य स्वीकार कर चुके हैं, उन्हीं को एक विधेयक की शकल में पेश किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि यह सदन उसे मंजूर करेगा ।

श्री अध्यक्ष--माननीय नारायणदत्त तिवारी, आप दस मिनट तक बोल सकते हैं ।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५९ विचारार्थ सदन के सम्मुख उपस्थित है । पिछले वर्षों का अनुभव यह बतलाता है.....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर, मैं समझता हूं कि समय मुकर्रर कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--वह मैंने कह दिया कि दस मिनट तक बोलें ।

अब अभी आप जो भूल कर गये हैं उसके ऊपर कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आप लोग मत उठाइयेगा । मैं आपको रोकता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, आप बोल रहे थे इसलिये मैं बैठ गया था ।

श्री अध्यक्ष--होली आ रही है, इसलिये थोड़ी सी बात मैंने मजाक में कही थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो जहां तक पिछले वर्षों का अनुभव है, यह सदन ही सरकार को अधिकार देता रहा है कि राज्य की संचित निधि से, कंसालिडेटेड फंड से, वह विधान सभा के द्वारा पारित बजट के अनुसार रुपया खर्च करे । लेकिन सदन का यह भी अनुभव है कि जितना रुपया खर्च करने का अधिकार इस सरकार को दिया जाता है उतना वह खर्च नहीं कर पाती । तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आज यह जानना चाहूंगा कि वह कारण बतलायें कि पिछले कई वर्षों से लगातार एप्रोप्रियेशन आडिट रिपोर्ट जो सदन के सामने संविधान के अनुसार प्रस्तुत होती रही हैं उसमें हमेशा हमें बतलाया गया है कि बीसियों करोड़ रुपये की सेविंग हमारे इस बजट में होती रही है और उसका सही इस्तेमाल करने में सरकार कोताही करती रही है । समय कम है । मिसाल के लिये मैं जो सबसे ताजी एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट सन् १९५६-५७ की और आडिट रिपोर्ट सन् १९५८ की पेश हुई है उससे दो तीन मिसालें देना चाहूंगा । श्रीमन्, आप जानते हैं कि ५१ ग्रान्टों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में यहां वोटिंग होती है, अब एकाध बढ़ गई है। तो ५१ वोटेड ग्रान्टस् जो सन् १९५७ में थीं उनमें से ४२ में सेविंग हुई और ८ में एक्सेस हुआ। आठ में जितना हमने अनुदान स्वीकृत किया था उससे ज्यादा खर्चा हुआ और ४२ में बचत हुई। तो ४२ और ८ यानी ५० ग्रान्ट इस तरह की हुईं और केवल एक ग्रान्ट ऐसी रही जिसमें जितना हमने किया उतना उसमें खर्च हुआ। तो ५१ में एक के मानी हुये १/५१ सरकारी एफिशियेंसी मानी जानी चाहिये यानी २ परसेंट एफिशियेंसी और नियम यह है कि जो सामान्य वित्तीय नियम हैं उनके अनुसार जितना रुपया हमने स्वीकृत किया है उतना ही खर्च किया जाना चाहिये। तो इस दृष्टिकोण से यह एप्रोप्रियेशन के सम्बन्ध में सरकार के जो अब तक नियम बने हैं वे बिलकुल अस्पष्ट हैं और इस सम्बन्ध में कंसालिडेटेड फंड जो है, संचित निधि, इसका कोई नियम नहीं है। कंसालिडेटेड फंड, जो हमारे राज्य की संचित निधि है इसका कोई अधिनियम नहीं। यह कांस्टीट्यूशन के अनुसार बनाया तो गया है लेकिन कंसोलिडेटेड फंड का क्या होगा और उसमें जो रुपया डाला जाता है उसके खर्च करने के क्या नियम होंगे, रिएप्रोप्रियेशन के क्या नियम होंगे यह सब बिलकुल स्पष्ट नहीं है। यहां संवैधानिक प्रश्न भी उठाना चाहता हूं कि रिएप्रोप्रियेशन करने का अधिकार यानी जिस मद के हेतु विधान सभा ने जो धन स्वीकृत किया है उसको यह सरकार दूसरी मद में स्वयं खर्च करती है। इसका अधिकार उसको संविधान में नहीं है। तो फिर इस रिएप्रोप्रियेशन करने की ताकत कहां से प्राप्त होती है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। ये रिएप्रोप्रियेशन के नियम न होने के कारण तथा संविधान में भी इसका उल्लेख न होने के कारण आज रिएप्रोप्रियेशन के द्वारा एक बहुत बड़ा दुरुपयोग उस धन का होता है। क्या कोई मिसाल ऐसी एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट की है कि जहां पर रिएप्रोप्रियेशन किया गया लेकिन फिर भी वह धन निरर्थक रहा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही, लेकिन फिर भी रिएप्रोप्रियेशन किया गया।

श्रीमन्, हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष दो पूरक बजट आते हैं। इस वर्ष जो हम यह विनियोग पास कर रहे हैं, इसकी सम्भावना है और भी विनियोग आयेगा और जो पूरक बजट का विनियोग होगा। अन्ततोगत्वा २०-३० करोड़ रुपये की ऐसी रकम होगी जिसको यह सरकार खर्च करने के लिये मांगेगी। जब कोई पूरक बजट आता है तो कभी कभी यह सरकार कहती है कि यह तो टोकन है और १०० रुपया बतौर मांग के है, उसमें यह लिखा जाता है कि हम जो रुपया मांग रहे हैं यह इसी मद में जो रुपया बचा हुआ है उसी से प्राप्त है। सवाल यह उठता है कि जब हमने अलग अलग मद के लिये रुपया खर्च करने के लिये दे दिया है तो फिर वह उस निश्चित योजना पर खर्च क्यों नहीं होता ? वह रुपया उन पुरानी योजनाओं से बचकर कैसे आता है ? इतनी बड़ी संख्या में इतना रुपया कैसे सम्भव हो सकता है, जब निश्चित योजना बनी हुई है तो कैसे बच जाता है ? हमारी प्लान्ड इकोनामी में इतने बड़े एमाउन्ट का, जो करोड़ों में जाता है, रिएप्रोप्रियेशन हर साल होता है। इससे मालूम होता है कि हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कोई न कोई कमी है। इसके पूर्व सन् १९५७ में जितना अनुपूरक बजट के लिये ११ करोड़ ४५ लाख रुपया मांगा गया था वह पूरा का पूरा निरर्थक निकला। उसको यदि पास न करते तब भी सरकार के पास धन ज्यादा था। इस किताब में लिखा हुआ है कि सप्लीमेंटरी बजट ११ करोड़ ४५ लाख का था। इसके पहले बचत सरकार के पास ६ करोड़ ९६ लाख की हो चुकी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि ११ करोड़ ४५ लाख तो अनुपूरक बजट का ज्यादा हुआ और ६ करोड़ ९६ लाख, जिसका मतलब हुआ कि १८ करोड़ ४५ लाख रुपया सरकार का पूरे बजट में पास करना व्यर्थ हो गया। यह जो एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है उससे यह पता चलता है।

मेरा सुझाव माननीय मंत्री के लिये यह है कि कंसालिडेटेड फंड के एकाउन्ट के लिये रूल्स बनाये जाने चाहिये जो कि संविधान के अन्दर नहीं हैं। दूसरे यह कि रिएप्रोप्रियेशन के भी नियम बन जाने चाहिये तब हम कुछ रिएप्रोप्रियेशन कर सकते हैं। इसी प्रश्न को मैंने माननीय मंत्री जी के सामने अपनी बजट के स्पीच में रखा था और यही एक मुख्य प्रश्न था जिसका माननीय वित्त मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि एप्रोप्रियेशन और रिएप्रोप्रियेशन के सम्बन्ध में जो बजट मैनुअल रिवाइज होने वाला था वह कब तक रिवाइज

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

होगा ? एक आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी इस सम्बन्ध में काम कर रहा था । इस सम्बन्ध में पता नहीं लगा कि क्या प्रगति हो रही है कि रिएप्रोप्रियेशन कौन अथारिटी कर सकता है ? मिनिस्टर कहां तक कर सकता है ? हैड आफ दि डिपार्टमेंट कहां तक कर सकता है और कौन सा कांस्टीट्यूशनल, हमारे संविधान का तरीका है जिससे हम रिएप्रोप्रियेशन कर सकते हैं ? यह बात स्पष्ट होनी चाहिये और इसके साथ ही साथ जो कंटिंजेंसी फंड है उसका भी दुरुपयोग होता है क्योंकि जब ग्रान्ट्स में एक्सेस एक्सपेंडिचर हम करते हैं तो उसको रेगुलराइज हमको करना पड़ता है । कंटिंजेंसी फंड के रूल्स भी अभी तक नहीं बने हैं, ऐक्ट बना हुआ है । एकाउन्टेन्ट जनरल ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की मांग की है कि कंटिंजेंसी फंड के रूल्स बनें । माननीय मंत्री जी आज तक चुप हैं । सदन में कई बार प्रश्न उठाया गया लेकिन वे उत्तर देने के लिये तैयार नहीं । तो समय कम होने के कारण मैं यही मांग करूंगा कि जब तक आप अपनी तिजोरी और बटुवे पर नियंत्रण नहीं करेंगे प्लानिंग की नीड्स के अनुसार, तब तक हम कितना ही रुपया दें यहां खर्च करने के लिये, उसका सदुपयोग नहीं हो सकता । तो सदन की यह भावना है कि जिस मद में हमने रुपया दिया है उसी में आप ठीक ढंग से रुपया खर्च करें और वह खर्च मार्च और फरवरी के महीनों में न करें । वह रुपया पहली अप्रैल से खर्च होना शुरू हो जाना चाहिये । एक पैसे की भी कटौती नहीं हुई है । क्या कारण है कि वह अभी से खर्च नहीं होता और फरवरी मार्च में खर्च होना शुरु होता है ? मैं चाहता हूं कि १ अप्रैल से ही खर्च होना शुरू हो जाय । इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे अपने विभाग में कुछ परिवर्तन करें, उसमें कुछ नवीनता लायें ताकि प्लान्ड इकोनामी ठीक ढंग से चल सके और हमारी तिजोरी भी सुरक्षित रहे ।

श्री अध्यक्ष--श्री राजनारायण जी, आप के लिये १० मिनट हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, अभी नारायणदत्त जी ने जिन बातों को सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है उनको भी सामने रखा जाय और जो बातें और यहां प्रस्तुत होंगी उनको भी सामने रखा जाय तो मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि पिछले १२ सालों से लगातार जो त्रुटियां, कमियां और खामियां बजट के बनाने में और रुपये के खर्च करने में और उस के बाद हिसाब-किताब को ठीक करने में हो रही हैं, यदि उनको रोकने के लिये इस सदन के सम्मानित सदस्य कोई बड़ा कदम नहीं उठायेंगे तो वह केवल इस सरकार से विनम्रतापूर्वक निवेदन करने से होने वाला नहीं है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सदन के सम्मानित सदस्य साहस और हिम्मत के साथ आज इस विधेयक को पास न होने दें और एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दें कि जिससे इस सरकार को आगे खर्च करने के लिये एक पैसा भी न रहे । फिर सोचना पड़ेगा, विचार मंथन होगा और बैठ कर सोचेंगे कि क्या किया जाय ताकि आगे चल कर समस्या ठीक हो सके ।

देखा जाय, श्रीमन्, अंग्रेजी हुकूमत बड़ी खराब हुकमत थी । साम्राज्यशाही हुकूमत थी । पाजी और बदमाश हुकूमत तक उसको कहा गया । चूंकि कई नये सदस्य आ गये हैं इसलिये उनकी जानकारी के लिये मैं पुनरावृत्ति करना चाहता हूं । १९४२-४३ में आडिटर की कुल ६ आपत्तियां थीं और केवल ५,००० रुपये की रकम उनमें इंवाल्व थी । १९४९-५० में १९,६४३ आपत्तियां थीं और १४,००,००,००० रुपये की रकम उनमें इंवाल्व थी । १९५३-५४ में ३४,००० आपत्तियां थीं और ३१,००,००,००० रुपये की रकम उनमें इंवाल्व थी । अब और आगे बढ़ा जाय । यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट १९५८ की हमारे सामने है । आपके द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि सदन के सम्मानित सदस्य इसको जरा पढ़ लें । "आपत्तियां जिनका निराकरण नहीं हुआ--१९५६-५७ के अन्त तक लेखा परीक्षा कार्यालय की बहियों में ऐसी आपत्तियों की जिनका निराकरण नहीं हुआ संख्या और मूल्य हमेशा की तरह अधिक रहा । मुख्यतया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ये इंजीनियरिंग विभागों से संबंधित हैं और इनमें इस प्रकार की प्रमुख आपत्तियां सम्मिलित ह—जैसे तखमीनों का न होना, तखमीनों के ऊपर व्यय-वृद्धि और ब्योरेवार बिलों, वाउचरों, उप-वाउचरों टिकटशुदा रसीदों आदि का न होना। ऐसा प्रतीत होता है कि बिना पर्याप्त कारणों—"बिना पर्याप्त कारणों"—ये जो शब्द हैं जरा इन पर ध्यान दीजिये—बिना पर्याप्त कारणों और औचित्य के इन आपत्तियों के निराकरण में देरी की गई और इनके समाधान किये जाने में देरी होने से अनियमिततायें बनी रहने की सम्भावना है। इसमें निम्नलिखित तालिका में कुछ ऐसे विभागों के ब्योरे दिये गये हैं, जिनमें इस प्रकार की आपत्तियों की धनराशि बहुत अधिक है। सिंचाई विभाग के लिये जो आपत्तियां सन् १९५६-५७ में दी गई हैं तो शायद उस समय दूसरे इसके मंत्री रहे हों, कमलापति जी रहे हों, तो इन आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया, उसके लिये २३,०९,५४,२०३ की धनराशि थी। विद्युत विभाग में ८,८९,६९,७७८ रुपये हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग में ६,९१,१९,६८४ रुपये की धनराशि है। इन सब का जोड़ करीब ३७ करोड़ के लगभग होता है। इतनी बड़ी रकम खर्च हो गई, मगर इनके प्रमाण पत्र हासिल नहीं हुये। इसके लिये इस सदन के सम्मानित सदस्य देखें कि यह सरकार किस तरह से रुपया खर्च करती है। वह इतनी धनराशि खर्च भी कर देती है, लेकिन उसको प्रमाण पत्र भी नहीं प्राप्त होते। मार्च, सन् १९५७ तक इतने विभागों के अनुदान सरकार को दिये गये। इसमें है राज्य के वित्तीय नियमों के अनुसार स्थानीय निकायों से भिन्न-भिन्न अन्य पक्षों को दिये गये कतिपय अनुदानों के उचित रूप से उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र मुख्य लेखा परीक्षा को भेजा जाना चाहिये। मार्च, १९५७ के अन्त तक जिन विभागों के अनुदान स्वीकृत किये गये उनसे उपयोगिता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रतीक्षा की जा रही है और अभी तक उन लोगों के प्रमाण पत्र नहीं मिल पाये हैं। यह बड़ी लम्बी योजना है। इसमें सामुदायिक परियोजना में ३,५४,६२,९६९ रुपये हैं, शिक्षा में २,००,७४,५०९, चिकित्सा में १,८२,२६,५७४ रुपया है। न मालूम इतना रुपया देते हुये भी कितने लोग हैजे और प्लेग से मर गये। चिकित्सा में जो इतना रुपया रखा गया है, तो वह किस तरह से खर्च हुआ। इसी तरह से सहकारिता में, कोआपरेटिव में ३३,०२,७०० रुपये खर्च हुये। इन सब रकमों को जोड़ दिया जाय, तो बहुत अधिक रकम हो जाती है, लेकिन इसका क्या किया जाय? सदन के सदस्य इस बात पर सोचें कि ३७ करोड़ रुपया जो इस तरह से खर्च हो रहा है, जिसके प्रमाण पत्र अभी तक न मिले हों, जिनका कोई तखमीना और ब्योरा न हो, वाउचर और उप-वाउचर न हों, तो यह कहां तक उचित है। अगर किसी संस्था या कम्पनी में इतने रुपये खर्च हो जायं, उस रुपये के खर्च होने के वाउचर न हों, तो दूसरे शब्दों में इसको क्या कहा जायगा? कहेंगे कि चोरी हुई, गबन हुआ या रुपया कहां चला गया। मेरे जैसे कम पढ़े-लिखे लोगों के शब्दों में तो इसी तरह से कहा जायगा, हां, सरकारी पक्ष के लोग जो शिक्षित हैं वे अगर इसके लिये दूसरे शब्दों का प्रयोग करें तो दूसरी बात है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—वकालत का सर्टिफिकेट कब से ले लिया?

श्री राजनारायण—हमारे मालवीय जी कहा करते थे कि जो वकालत में फर्स्ट डिवीजन में पास होता है, वह मूर्ख है। मैं इसीलिये इस तरह की बात कह रहा हूं, इस सदन के सम्मानित सदस्य देख लें, यह बहुत मोटी पोथी है। इसमें कई सवाल ऐसे हैं जिसमें कंटिंजेन्सी (Contingency) आकस्मिक कहा गया है। इसमें आकस्मिक बजट की बात होती है। अब आप देखिये वृहत जोत कर है, इस में ५५ हजार हैं। इसमें आकस्मिक व्यय के लाने की क्या आवश्यकता थी? इसी तरह की दूसरी मदें भी हैं जिनमें आकस्मिक व्यय लाने की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह से आकस्मिक व्यय में १,७०,३८,५१८ रुपये हैं।

[श्री राजनारायण]

इसी तरह से राज्य आबकारी में बिक्री-कर के कारण व्यय में ३६५ हजार रुपया और अन्य कर की उगाही में ३ लाख आकस्मिक व्यय रखा गया है । यह क्या है ? कर उगाही में यह आकस्मिक व्यय की गुंजाइश कहां से आ गयी ? बिक्री-कर में कहां से आ गयी ? एक अजीब हालत है, एक अजीब मनमानापन है, एक अजीब निरंकुशता है । हम लोग जन प्रतिनिधि कहलाते हैं । हम में जिस तत्परता और लगनशीलता के साथ जनता के धन को खर्च करने की मनोवृत्ति होनी चाहिये, वह इस सरकार में नहीं पायी जाती है । मैं आपको ही साक्षी बनाना चाहूंगा कि क्या उनमें तनिक भी तत्परता और लगनशीलता दिखायी देती है ? ऐसा लगता है कि मानो उनके घर का ही पैसा हो । अगर उनके घर का पैसा होता तो शायद ज्यादा लगन-शीलता और तत्परता से खर्च किया जाता । अपना पैसा तो चाहे जैसे खर्च कर दें, मगर यह जनता का पैसा है, खून को चूस-चूस कर वसूल किया जाता है । रावण तो टैक्स नहीं लगाता था लेकिन जब रावण के राज्य में हनुमान जी गये तो उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया था "अस रिस होय दसों मुख तोरों" । लेकिन जब सरकार टैक्स लगाती है और हम कुछ कह देते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, आपके कोपभाजन हो जाते हैं । कहां तो चारों तरफ लोग भूखों मर रहे हों, कहीं अन्न का संकट हो, किसी के पास कपड़े न हों, किसी के पास रहने को घर न हो, भूख से तिलमिला रहे हों और लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूल किया जा रहा हो और उस रुपये का अपव्यय इस प्रकार से किया जा रहा हो । तो ऐसी हालत में मैं माननीय सदन के सदस्यों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह एक दृढ़ कदम इस बारे में उठायें और एक पैसा भी खर्च करने की सरकार को अनुमति न दें ।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, आपके इस बिल में जो अनुसूचित जातियों का अनुदान रखा गया है उसमें ३०० रुपये अधिक रख हुए हैं । अभी जो मद हमने पास की है उसमें अन्त में ४०० रुपया है लेकिन इसमें ७०० रुपया लिखे हुए हैं । जब इसी में ऐसी गलती है तो मेरे खयाल से प्रत्येक अनुदान में ऐसी ही गलती होगी । अतः मैं व्यवस्था चाहता हूं कि इसको दुरुस्त किया जाकर पुनः उपस्थित किया जाय । यह नम्बर ४२ पर है । जो ग्रान्ट पास हुई है वह १,५१,३९,४०० रुपये की है और इस बिल में वह रखी हुई है १,५१,३९,७०० रुपये की ।

श्री अध्यक्ष—वह ३०० रुपये तो राज्य की संचित निधि पर भारित हैं । इसलिये आपका एतराज ठीक नहीं है ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, यह स्वाभाविक ही है कि अनुदान पास होने के बाद सरकार सदन के सामने आये और उससे इस बात की आज्ञा चाहे कि उन अनुदानों के मुताबिक धन को खर्च करने की आज्ञा दी जाय ।

मान्यवर, मुझसे पहले मेरे मित्र माननीय तिवारी जी ने कुछ बातों की तरफ संकेत किया । समय के अभाव के कारण मैं उनमें तो नहीं जाऊंगा लेकिन मैं उनकी बात पसंद करता हूं और उनका समर्थन करता हूं । मैं चाहता हूं कि बजट के संबंध में कई बार हमारे इस हाउस में इस बात की चर्चा हुई कि बजट के तैयार किये जाने के तरीके में सुधार किया जाय ताकि बजट एक आइने की तरह से सामने आ जाय । मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे ।

दूसरी तरफ मैं चाहता हूं कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट की ऐक्टीविटीज में विकेन्द्रीय-करण किया जाय । उसके बारे में मेरा एक सुझाव यह है कि जब बजट यहां से पास हो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाता है उसके बाद छोटी-छोटी बातों को लेकर फाइनेन्स डिपार्टमेंट उसकी स्क्रटिनी न करे। अ वल तो उसको यह स्क्रटिनी अगर करनी ही है तो वह बजट पास होने के पहले ही करनी चाहिये लेकिन एक बात तय होने के बाद छोटी-छोटी बातों के लिये विभागों को फाइनेंस विभाग की आज्ञा लेनी पड़े, इसमें समय का बड़ा भारी अपव्यय होता है। तीसरी बात की तरफ तिवारी जी ने जो संकेत किया वह टोकेन ग्रांट के सम्बन्ध में है। जिसे टोकेन ग्रांट कहा जाता है इसके अन्दर हम देखते हैं कि नया खर्च उसकी बचत से पूरा कर दिया जाता है। इसके लिये एप्रोप्रियेशन सम्बन्धी कानून जब सरकार बनायेगी तब उसके नियमादि बनेंगे परन्तु एप्रोप्रियेशन का अधिकार डिपार्टमेंट को नहीं होना चाहिये। साथ ही बजट के अन्दर एक मेमोरेंडम इस किस्म का आना चाहिये कि वह बचत क्यों हुई, किस किस्म से हुई, एकोनामी की वजह से बचत हुई या डिपार्टमेंट की इन-एफिशिएंसी से वह पैसा खर्च नहीं किया जा सका। तो मैं चाहता हूं कि टोकिन ग्रांट्स के साथ एक मेमोरेंडम इस किस्म का आना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि विभागों की तरफ से इस प्रकार की शिकायत होती है कि ६, ६ महीने बीत जाते हैं और उनका डिस्बर्समेंट नहीं पहुंच पाता हो तो मैं चाहता हूं कि हर विभाग के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जल्दी से जल्दी डिस्बर्समेंट पहुंच जाना चाहिये ताकि उनको इस सिलसिले में कोई परेशानी न हो। जैसा कि मैंने कहा कि एस्टीमेट की जांच करने की भी जरूरत पड़ती है लेकिन उतना समय नहीं मिल पाता है लिहाजा मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस बात पर सोचे और मेरा तो यह आग्रह है कि एक स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी बननी चाहिये। श्रीमन्, लोकसभा के स्पीकर ने भी इस पर जोर दिया है कि ऐसा होना चाहिये क्योंकि उसमें फाइनेंस कमेटी को मौका मिलेगा कि वह तमाम अनुदान को देख सके, वरना डिपार्टमेंट को छूट हो जायगी कि वे जिस तरह से चाहें करें और उसे देखें।

एक बात मैं अनुदानों के संबंध में यह कहना चाहता हूं और मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि अनुदान पास हो जायं तो फिर उनकी स्क्रूटनी की जाय क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सी ऐसी ग्रांट्स हैं जिन पर अभी खर्च नहीं होना चाहिये। संकेत के तौर पर मैं तीन, चार का नाम लेना चाहता हूं।

कौंसिल हाउस के डेकोरेशन के लिये ८ लाख की रकम खर्च करने की योजना है जिसमें से सवा लाख की रकम इस साल के बजट में खर्च करने के लिये रखी गयी है। मैं समझता हूं कि ऐसी गरीबी हालत में अभी उसके लिये इन्तजार किया जा सकता है।

इसके अलावा इनफारमेशन डिपार्टमेंट में एक ड्रामेटिक स्टेज के लिये ४४ हजार की रकम रखी गयी है। मैं इस बात को मानता हूं कि कल्चरल एजूकेशन में नाचने-गाने का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन फिर भी यह ऐसी ग्रांट है जिसके लिये इन्तजार किया जा सकता है।

इसके अलावा कृषि के संबंध में एक संगठन बनाने की योजना है जो इस बात की जांच करेगा कि किस तरह के यंत्र, औजार आदि का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके लिये डेढ़ लाख रुपये की रकम रखी गयी है। इसी तरह से एनीमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट में एक संगठन बनाने की बात है जिसमें ४ डिप्टी डाइरेक्टर आदि रखने की बात है। संकेत मात्र मैंने कुछ का नाम ले लिया जिनके ऊपर अभी खर्च नहीं किया जाय तो कोई नुकसान नहीं है।

श्रीमन्, एस्टीमेट के बारे में मैं कई बार कह चुका हूं कि एस्टीमेट बनाने का जो तरीका है वह निहायत गलत है, इनएफिसिएंट है जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट आदि बनते हैं उसमें न टाइम शेड्यूल को ही मेंटेन किया जाता है और न खर्च को ही मेंनटेन किया जाता है। मैं मानता हूं कि ५, १० परसेंट का फर्क खर्च में हो जाय तो कोई बात नहीं है लेकिन जब एस्टीमेट का दुगुना, चौगुना और पांचगुना तक खर्च पहुंच जाता है जो समझ में नहीं आता कि जो एक्सपर्ट कहाने वाले लोग इस काम को करते हैं उनमें और हमारे जैसे लेमैन में क्या

[श्री नवल किशोर]

अन्तर है। सरकार की तरफ से इस बात की तरफ ध्यान होना चाहिये कि इरीगेशन डिपार्टमेंट पर या हाइडल डिपार्टमेंट पर जो पैसा खर्च हो वह एस्टीमेट से ५,१० परसेंट से ज्यादा न हो और यदि होता है तब उसकी जांच होनी चाहिये। इसके अलावा श्रीमन्, हम यह भी देखते हैं कि इरीगेशन और हाइडेल का जितना कपिटल आउट ले बढ़ता चला जाता है उतना ही उसका रवेन्यू घटता जाता है। इस बात की भी जांच करने की जरूरत है कि इसकी वजह क्या है।

साथ ही साथ यह भी देखन की जरूर है कि हाइडल पावर के जेनरेशन की जो कैपिसिटी है तथा जो उत्पादन होती है उसका अनुपात क्या है तथा उसका इस्तेमाल कितना होता है ताकि हम अपनी स्कीम को आग बढ़ा सकें। श्रीमन्, इंडस्ट्री और पावर का बहुत बड़ा संबंध है। मैं समझता था कि ज्यों ज्यों स्टेट के अन्दर पावर मिलता जायगा हम अपने यहां इंडस्ट्री के लिये लोगों को पावर देते चले जायंगे। एक बात और है, मैं जानता हूं, मेरी इत्तला है और मैंने अखबारों में भी देखा है यह उम्मीद की जाती है कि १ लाख ५ हजार किलोवाट फर्म पावर हमको रिहेन्ड डैम से मिलेगी। एक बड़ी भारी आशा थी हमारे प्रदेश को। हमको बताया गया था कि रिहैन्ड डैम के बनने से हमारे प्रदेश के पूरब के जिले स्वर्ग बन जायंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में क्रान्ति पैदा हो जायगी। मुझको मालूम हुआ कि उस १ लाख ५ हजार किलोवाट पावर में १० हजार किलोवाट का मध्य प्रदेश के लिये कमिटमेंट है और ५५ हजार एक इंडस्ट्री के लिये बिरला को और ४० हजार एक दूसरी इंडस्ट्री के लिये कमिटमेंट है, जो केन्द्रीय सरकार को रेलवेज के लिये दे दी है। १ किलोवाट पावर भी नहीं बचेगी किसी और को देने के लिये चूंकि समय कम है उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट अपने उन कमिटमेंट्स को करने से पहल एक दफा इस बात पर ध्यान दे। मैं यह भी चाहता हूं और प्रायः कहा भी गया है, आपका बजट पास हो गया लेकिन हम यह उम्मीद करते हैं कि एक एक पाई जो सरकार की तरफ से खर्च होगा उसका पूरा सही इस्तेमाल होगा। वह तभी हो सकता है जब कि पूरी इकोनामी की जाय और उसके लिये अब तक इकोनामी कमेटी की रिपोर्ट जो आयी है या और रिपोर्ट जो ऐस्टीमेट्स कमेटी की इस सिलसिले में आयी है, उन सब के ऊपर सरकार ध्यान दे।

दूसरी बात यह है कि हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा इतना हैवी है कि वह काबिले बरदाश्त नहीं है। सरकार को मजबूर होना पड़ेगा आज नहीं तो कल, इतना ज्यादा जो पे स्ट्रक्चर है उसको लेकर इस प्रदेश को आगे नहीं चला सकते। वह आपको बदलना पड़ेगा।

एक बात और कहना चाहता हूं कई बार मैंने इस बात की अपील की, सरकार को थोड़ा-सा इस बात में संकोच होता है कि तनख्वाहें न काटी जायं, लेकिन योजना के नाम पर, इकोनामी के नाम पर प्रत्येक अफसर जिनकी तनख्वाह १,००० रु० से ऊपर है वे १० प्रतिशत की कटौती कर दें। फिर भी मैं दुबारा इसके लिये अपील करता हूं।

अन्त में नागपुर के अन्दर हमने कुछ फैसले किये हैं। मैं सरकार से इस बात की दरख्वास्त करता हूं वे बड़े महत्व के हैं। आपकी जो मौजूदा प्रशासन की मशीनरी है उसके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है। लेकिन, अगर आपने इसकी जहनियत को नहीं बदला, एफीशियंसी को नहीं बढ़ाया तो कठिन हो जायगा कि वे उस काम को कर सकें। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि मंत्रियों की जो एक्स्ट्रा ऐक्टीविटीज होती है उनको थोड़ा काट कर अपने दफ्तरों में बैठ कर वह इस बात को सोचने की कोशिश करें कि किस तरह से शासन की मशीनरी को अच्छा कर सकते हैं।

*श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, बाज एतराजात जो आज किये गये वे वही हैं जो बजट के सिलसिले में भी किये गये थे और उस वक्त भी मैंने उनका जबाब देने की कोशिश की थी और संक्षेप में इस वक्त भी कुछ कह देना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहला सवाल था बजट के फार्म का और कंटिन्जेंसी फंड से कोई खर्च जो किया जाता है उसके लिये रूल्स न बनने का। जहां तक बजट की शकल है मैंने संविधान की उस दफा का हवाला दिया था जिसमें यह लिखा हुआ है कि बजट की शक्ल वही होगी जैसी कि केन्द्रीय सरकार मंजूर करेगी और उसी तरह से हिसाब हमको रखना पड़ता है। हेड्स वगैरह सब वही कायम करते हैं। उसी के साथ मैंने यह भी हवाला दिया था कि हमारा एक ऐक्सप्लेनेटरी नोट होता है जिसमें जो तबदीलियां खर्चे में होती है, जिस हैड में ज्यादा खर्च होता है या कम खर्च होता है उसकी तफसील उसमें लिख दी जाती है और उसकी वजह बता दी जाती है। १२१ करोड़ रुपये का बजट है यह कह देना कि सारा बजट इतनी अच्छी तरह से, दुरुस्त तरीके से बने उसमें किसी किस्म की कमो बेशी आखिर में न पड़े, जितने खर्चे हों उन सब का पहले से इंतजाम हो यह गालिबन एक ऐसी बात कहना है या उम्मीद करना है जो बिल्कुल गैर मुमकिन है। इकोनामी बदलती रहती है। अखराजात की जरूरियात बदलती रहती है। दौराने साल में चीजों को बदलना पड़ता है। आपको याद होगा कि जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी तो पांच वर्ष के लिये कुछ स्कीमें बनायी थीं, लेकिन उस तजुर्बे के बाद यह मालूम हुआ कि जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी तो पंचवर्षीय योजना तो बन गयी लेकिन उसमें यह शर्त रक्खी गयी कि इसको हर साल फिर से रिवाइज किया जायगा और इसमें जो कुछ तब्दीली करना आवश्यक होगा, की जाएंगी। चुनांचे इसी के ऊपर कार्य बन्द है। उसी सिलसिले में हम बहुत सी स्कीम जिस वक्त हमारे सामने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से आती हैं, मुनासिब समझते हैं, मंजूर करते हैं। लेकिन उसके बाद वह रकूटिनाइज की जाती है, देखी जाती हैं, उसमें कहीं वह बदली जाती हैं, कहीं पर घटाई जाती हैं, कहीं पर बढ़ाई जाती हैं और हस्बे जरूरत उनमें कुछ फर्क पड़ जाता है। कभी-कभी यह होता है कि दाम बढ़ जाते हैं। कभी कोई चीज बाहर से मंगायी है उसकी कीमत बढ़ गयी, फ्रेट बढ़ गया। इस तरह से बहुत से चेन्जेज होते हैं। इस तरह के चेन्ज लाजमी है जो कि होंगे। सिर्फ देखना यह होता है कि किसी खास मामले में अगर आप तफसील चाहें तो आपको पूरी-पूरी तफसील मिल सकती है कि इसमें देर क्यों हुई या तब्दीली क्यों हुई। अगर वह काबिले एतराज होगी तो उस पर एतराज करना वाजिब है। लेकिन जनरल एतराज कर देना कि इसको इस तरह से क्यों बदला, बारबार क्यों तब्दीली होती है, इस तरह के एतराजात का जबाब देना मेरे खयाल में मुश्किल है।

कहा गया कि रूल्स क्यों नहीं बने। दफा २८३ को जो कांस्टीट्यूशन की है उसमें कंटिजेन्सी फंड और कंसलीडेटेड फंड के मुताल्लिक कुछ शरायतें लिखी हुई हैं। उ यह लिखा है:—

"The custody of the Consolidated Fund of a State and the Contingency Fund of a State, the payment of moneys in to such Funds, the withdrawal of moneys therefrom, the custody of public moneys other than those credited to such Funds received by or on behalf of the Government of the State, their payment into the public account of the State and the withdrawal of moneys from such account and all other matters connected with or ancillary to matters aforesaid shall be regulated by law made by the Legislature of the State....."

यह सही है कि कोई अब तक नहीं बना। लेकिन इसके साथ ही दूसरा प्राविजन यह है कि:—

"and, until provision in that behalf is so made, shall be regulated by rules made by the Governor".

श्री अध्यक्ष—इसकी हिन्दी कर दीजिये।

श्री सैयद अली जहीर—इसमें यह लिखा हुआ है कि कांटिजेन्सी फंड और कंसालीडेटेड फंड जो है इनके मुताल्लिक कि किस तरह से निकाला जाएगा और इसमें क्या तरीका बरता जाएगा, इन बातों के मुताल्लिक एक कानून होगा और उस कानून में यह सब लिखा जायगा और

[श्री सैयद अलीजहीर]

तफसील होगी कि कैसे आपरेशन फंड के ऊपर आपरेशन किया जायगा। इसके मुताल्लिक जब तक कि कानून बने उस वक्त तक रूल्स के जरिये से रेग्यूलेट होगा। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं यह रूल्स इस किस्म के उत्तर प्रदेश में बने हुऐ थे और पहले से लागू थे। चुनांचे जनवरी १९५० से कब्ल इस कांस्टीट्यूशन के आने के गवर्नमेंट आफ इंडिया के मशविरे से वही रूल्स जो पहले से लागू थे, उनको हमने फिर से लागू किया और हमारे सूबे में वह लागू हो गये और आज तक लागू हैं। जैसे रूल्स चल रहे हैं उन्हीं की बुनियाद पर सारे फंड के ऊपर आपरेशन किया जाता है और इसका कारोबार उसी तरह से हो रहा है। जहां तक कानून का ताल्लुक है, आप जानते है यह जो बजट वग़ैरह के मामले हैं इनमें यह बेहतर होता है कि तमाम सूबों में एक यूनीफार्म पालिसी हों, एक तरह का कानून हो। उसके लिये हमसे केन्द्रीय सरकार से वार्ता हुई है और हम इस इंतजार में हैं कि वह कोई माडल कानून बना कर भेजेंगे, जो महज उत्तर प्रदेश के लिये नहीं बल्कि हर सूबे के लिये होगा। क्योंकि इस तरह के कानून अगर हर सूबे में अलग-अलग तरह के हों तो नतीजा होगा कि कंफ्यूजन हो जाएगा और उसकी वजह से एक ऐसी चीज जो एक ढंग से चल सके वह बात बाकी नहीं रह जाएगी तो यह जो आडिटर जनरल है वह पूरे देश की जितनी स्टेट्स हैं और जो सेन्टर हैं सब के अकाउन्ट्स को वह देखते हैं और उसकी जांच करते हैं इसलिये जैसा वह चाहते हैं उसके करने में बहुत दिक्कतें पड़ जायंगी। इसलिये बजट एक ही नमूने पर तमाम स्टेट्स में तैयार होता है और पास कराया जाता है और कोई स्टेट बगैर उनकी मंजूरी के उसमें तब्दीली नहीं कर सकती, जो कि सेन्टर से होती है। इसलिये एक ही पैटर्न पर हिसाब रखने के लिये यह जरूरी है कि तमाम देश के लिये कानून यकसा रहे और यह हो कि हर स्टेट अपनी जगह पर अलग तरीका अख्तियार करे। हमारे यहां पहले भी अंग्रेजों के जमाने में पाबन्दियां थीं और रूल्स बने थे और उन्हीं में कुछ तब्दीली बाद में हुई और तब्दीली के बाद जो रूल्स रखे हैं उनका नोटिफिकेशन हो चुका है और वही लागू हैं और उन्हीं के बेसिस पर हम चल रहे हैं। इस वास्ते यह एतराज सही नहीं है कि कोई नियम या कायदा नहीं बरता जाता।

इसी तरह से रिएप्रोप्रियेशन के बारे में एतराज किया गया, इसके मुताल्लिक भी नियम बने हैं। उसमें एक ही बजट में एक जगह से दूसरी जगह हिसाब का ले जाना होता है, वित्त विभाग की मंजूरी से वह खर्च होता है और जब एप्रोप्रियेशन होता है तो सपलीमेंटरी बजट के द्वारा वह लाया जाता है और टोकेन ग्रान्ट मांगी जाती है। इस तरह से जो रुपया खर्च होता है उसकी सदन से मंजूरी ली जाती है। यह कहना कि मनमानी चीज है जैसे चाहे कर दो, ऐसा कोई एतराज सही नहीं है।

आडिट रिपोर्ट के मुताल्लिक भी कहा गया। बहरहाल यह खुली बात है कि जब हजारों तरह के लाखों रुपए के इखराजात होंगे तो कुछ न कुछ आडिट के भी एतराज होंगे लेकिन अगर कोई जानना चाहे कि वह एतराजात कहां तक सही, टेक्निकल या फार्मल हैं तो पता चल जायगा कि क्या बात है। जहां तक एतराज देख कर कह देने की बात है, तो आडिट में तो एतराज होंगे, मजबूरी है जो कुछ भी पब्लिक अकाउन्ट्स उनके पास जाते हैं वह अपना फर्ज समझते हैं कि कुछ न कुछ नुक्ताचीनी जरूर करें और हिसाब में लिखें कि फलां चीज सही है या सही नहीं है। होता यह भी है कि जहां कहीं कोई फार्मल या टेक्निकल डिफेक्ट भी होता है उसको वह प्वाइंट आउट करते हैं। कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि किसी चीज का एस्टीमेट बनाया गया और एक्चुअल में तय हुआ कि खर्च बढ़ाया जाय, तो उसको जायज करने के लिये एक एक्सप्लेनेशन जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो आडिट करने जाते हैं तो उनकी आदत होती है गलती निकालने की। तो जो सदन के सदस्य न हों और एक विभाग के अधिकारी हों उनके लिये ऐसा आक्षेप क्या मंत्री जी कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं उनका यह मतलब नहीं है कि वह झूठे आक्षेप निकालते हैं। आदतन का मतलब उनका यह होगा कि टैक्निकल एतराज भी हो तो वह उसको कर देते हैं। मंत्री जी बता दें कि वे यह तो नहीं कह रहे हैं कि माननीय सदस्य जानबूझ कर गलत आक्षेप करते हैं, ऐसी बात तो नहीं है ?

श्री सैयद अलीजहीर---जो मैंने कहा उसको वह समझते और उस पर खुद अमल करते तो वह यह एतराज ही न करते। जो सदन में मौजूद नहीं है उनके एतराज को तो वही मानते हैं, लेकिन आये दिन जितने एतराज होते हैं।

श्री अध्यक्ष---आप तो ऐसा नहीं करेंगे ?

श्री सैयद अलीजहीर---एतराज तो ऐसे ही लोगों पर हुआ करते हैं जो यहां नहीं होते हैं। आडिट करने वाले तो इस नुक्तेनजर से देखते हैं कि जहां तक हो सके, जो भी छोटी-बड़ी किसी किस्म की खराबियां हों अकाउंट में उसमें उनकी नुक्ताचीनी करें। यही उनकी अप्रोच हमेशा होती है। कहीं पर फार्मल, मामूली किस्म के होते हैं, कहीं ज्यादा सीरियस होते हैं जो एक्सप्लेनेशन के बाद साफ हो जाते हैं। तो यह तो रिवाज है, तरीका है। इसे हम भी जानते हैं, हर शख्स जानता है और इसीलिये वह मुकर्रर किये जाते हैं। इसीलिए उनके वास्ते हमने कांस्टीट्यूशन में एहतमाम किया है कि आडीटर्स का जो डिपार्टमेंट होगा वह किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होगा। इसी वजह से उसको कम्पलीट इंडिपेंडेंस दी गयी है कि वह वगैर किसी असर के, दबाव के अकाउंट को चेक करे और उसी से हमें मालूम होता है कि कहां गलती है और कैसे उसको दूर किया जाय। उसी फर्ज का मैं हवाला दे रहा था। जब तक कि कोई खास शिकायत आडीटर्स की स्पेसिफिक लेकर कोई शख्स उसको फालो अप न करे कि यह एतराज हुआ और उसके लिए क्या कार्यवाही हुई, कहां तक वह एतराज सही था, कहां तक जवाब सही था और कहां तक वह शिकायत बाकी रह गयी, तभी आप पता लगा सकते हैं कि वाकई कहीं गलती हुई या नहीं। जैसा कि यहां एक जनरल रिपोर्ट उनकी लेकर पढ़ दी गयी कि इतने एतराजों का जवाब नहीं आया और आपने ऐसा किया जो नहीं होना चाहिए था जिससे मालूम होता है कि कहीं हिसाब गलत रखा गया, मैं समझता हूं इस तरह से जनरलाइजेशन कर देना सही नहीं होगा।

उसके बाद दो-एक खास बातों का जिक्र किया गया कि ८ लाख रुपया डेकोरेशन के लिए क्यों रखा गया जब कि एक गरीब सूबा है और ये शो की चीजें हैं। तो ८ लाख रुपया जो खर्च किया जा रहा है यह ५ बरस में किया जायगा, एक साल में सिर्फ एक लाख, कुछ सौ आता है। तो जाहिर है कि वह कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है अगर ८ लाख को ५ से तकसीम कर दिया जाय। हम तो चाहते हैं कि विधान सभा में कुछ ऐसी तस्वीरें हों जो कि हमारी कल्चर को, जो हमारी फाइट आफ फ्रीडम थी उसकी कुछ यादगारें हमारे यहां भी कायम हों। यह कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है जिसके ऊपर जायज तौर से एतराज किया जाय। आप जाकर देखें दिल्ली में दूसरे सूबों में, हर जगह इस किस्म के अखराजात हुए हैं और इसको हमेशा जायज समझा गया है।

इसी तरह से ड्रामैटिक स्टेज के लिए ४०,००० रुपये का खर्चा। इतनी बड़ी स्टेट के लिए १२१ करोड़ का जहां बजट है ४०,००० रुपया ड्रामा के लिए ऐसी चीज है जिसकी कि हमको जरूरत है कि उसका प्रयोग करें सूबे में। ड्रामा की कल्चरल वैल्यू है, प्रोपेगेंडा वैल्यू है, हमको उसे रिफार्म करना है और हमारे यहां ड्रामा कितना पिछड़ा हुआ है और कितनी जगह ले ली है सिनेमा ने कि ड्रामा को रिप्लेस कर दिया है मुल्क में। तो इतने बड़े डेवलपमेंट के लिए जो यह रकम रखी गयी है उसमें क्या एतराज हो सकता है।

[श्री सैयद अली जहीर]

कुछ एलेक्ट्रिसिटी के मुताल्लिक एतराज किया गया कि उसके अखराजात की जांच के लिए कोई कमेटी हो। मैं यह इत्तला देना चाहता हूं और अखबारों में भी आ चुका है कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया जा रहा है और गालिबन पहली अप्रैल से वह आ जायगा और अपनी इस जिम्मेदारी को सम्भालेगा, पूरे इन्तजमात को देखेगा। तो मैं समझता हूं कि उसके आ जाने के बाद कोई इस किस्म की मांग की अहमियत बाकी नहीं रहेगी।

इन थोड़े से अल्फाज के साथ मैं अर्ज करता हूं कि जो मैंने यह बिल पेश किया है, इसे मंजूर किया जायगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कहा गया कि पहली अप्रैल से एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आ जायगा तो शायद फूल्स डे की वजह से कहीं लागू होगा या नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष---माननीय वित्त मंत्री जी, क्या पहिली अप्रैल से डेफिनिटली आ जायगा एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यह वह जानना चाहते हैं।

श्री सैयद अलीजहीर---जहां तक मुझे खयाल है यही तय हुआ है कि पहली अप्रैल से लागू होगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५९, (The U. P. Appropriation Bill, 1959) पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री मोतीलाल अवस्थी की मांग पर हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---१३८,
विपक्ष में---७।)

खण्ड २ तथा ३

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५९-६० के लिये २,४९,७६,७७,१०० रु० का दिया जाना।

२---ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९६० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग २,४९,७६,७७,१०० रु० (दो सौ उन्चास करोड़ छियत्तर लाख, सतहत्तर हजार एक सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३---इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१				
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत् जोतों पर कर की उगाही पर व्यय ..	३,८२,२००	..	३,८२,२००
२	(मालगुजारी) ..	६,१८,१३,५००	१३,०००	६,१८,२६,५००
३	राज्य आबकारी ..	१,०९,००,७००	२,०००	१,०९,०२,७००
४	स्टाम्प ..	७,३२,४००	५००	७,३२,९००
५	वन ..	२,६८,७९,५००	२९,४००	२,६९,०८,९००
६	(रजिस्ट्री) ..	१७,२९,१००	..	१७,२९,१००
७	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण परिव्यय	१,८९,७३,६००	..	१,८९,७३,६००
८	बिक्री-कर के कारण परिव्यय ..	४०,९९,७००	५,०००	४१,०४,७००
९	अन्य करों और शुल्कों के कारण परिव्यय	५,७६,८००	३,०००	५,७९,८००
१०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य ..	४,२६,०७,८००	४,६४,५७,९००	८,९०,६५,७००
११	सिंचाई अधिष्ठान पर परिव्यय ..	४,०९,५३,५००	२,०००	४,०९,५५,५००
१२	अभियंत्रण संस्थायें	२९,१५,१००	..	२९,१५,१००
१३	सामान्य प्रशासन के परिव्यय ..	३,०६,९१,९००	१३,६४,४००	३,२०,५६,३००
१४	कमिश्नरों और जिला प्रशासन के परिव्यय	३,१६,४४,०००	५,०००	३,१६,४९,०००
१५	गांव-सभायें और पंचायतें	१,०५,३८,७००	१,०००	१,०५,३९,७००
१६	न्याय-प्रशासन ..	१,५२,५८,५००	२८,९१,५००	१,८१,५०,०००
१७	जेल ..	१,६५,६७,०००	२,०००	१,६५,६९,०००
१८	पुलिस ..	९,४१,८४,६००	५,०००	९,४१,८९,६००
१९	वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक कार्य	१८,६७,४००	३००	१८,६७,७००
२०	शिक्षा ..	१६,२०,०७,८००	१,०००	१६,२०,०८,८००
२१	चिकित्सा ..	४,७९,१७,६००	१,०००	४,७९,१८,६००
२२	जन-स्वास्थ्य ..	३,२२,८५,६००	५००	३,२२,८६,१००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
२३	कृषि-संबंधी विकास, अभियंत्रण और गवेषणा	३,५२,४७,७००	७२,२००	३,५३,१९,९००
२४	उपनिवेशन ..	४९,८६,९००	२,०००	४९,८८,९००
२५	पशु पालन ..	१,८८,८१,०००	२,०००	१,८८,८३,०००
२६	विद्युत योजनाओं पर व्यय जो रास्व से पूरे किये जाते हैं ..	..	१,०१,७५,०००	१,०१,७५,०००
२७	विद्युत योजनाओं के अधिष्ठान के परिव्यय	१,४९,३३,०००	..	१,४९,३३,०००
२८	सहकारिता ऋण ..	१,५५,०६,२००	२,०००	१,५५,०८,२००
२९	उद्योग ..	५,५०,६२,४००	२,०००	५,५०,६४,४००
३०	श्रम ..	१,५६,१०,१००	१,०००	१,५६,११,१००
३१	परिवहन विभाग ..	६,७४,२६,५००	५६,०००	६,७४,८२,५००
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	६,०८,८७,२००	२,२५,६ ०	६,११,१२,८००
३४	यातायात सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त-पोषित)	१८,३४,३००	..	१८,३४,३००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के अधिष्ठान पर व्यय ..	८१,१२,२००	२,०००	८१,१४,२००
३६	नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान ..	१,१५,५७,५००	..	१,१५,५७,५००
३७	दुर्भिक्ष सहायता ..	३५,६७,१००	३२,००,०००	६७,६७,१००
३८	प्रादेशकि और राजनैतिक पेंशनें और शासकों के संबंधियों तथा सेवकगणों के भत्ते ..	१८,०६,०००	..	१८,०६,०००
३९	बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें ..	२,२९,४८,२००	१३,१३,९००	२,४२,६२,१००
४०	लेखन-सामग्री और मुद्रण ..	१,३४,५९,४००	१,०००	१,३४,६०,४००-
४१	विधि परिव्यय ..	६,५५,७८,४००	७८,०००	६,५६,५६,४००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
४२	अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का सुधार और उत्थान ..	१,५१,३९,४००	३००	१,५१,३९,७००
४३	समाज कल्याण ..	४०,९६,२००	..	४०,९६,२००
४५	योजना और समन्वय	८,९७,७३,६००	१,०००	८,९७,७४,६००
	ऋण और अन्य दायित्वों पर व्याज ..	..	१०,४०,०१,८००	१०,४०,०१,८००
	ऋण को कम करना या उससे बचना ..	..	२५,०१,९५,८००	२५,०१,९५,८००
४६	राजस्व-लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन ..	७,५२,५९,३००	..	७,५२,५९,३००
४७	कृषि-योजनाओं पर पूंजी की लागत ..	१०,१३,७५,०००	११,१६,२००	१०,२४,९१,२००
४८	औद्योगिक विकास ..	१,४९,०५,१००	..	१,४९,०५,१००
४९	राजस्व-लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत ..	९,७३,७२,५००	१०,०००	९,७३,८२,५००
५०	विद्युत-योजनाओं पर पूंजी की लागत	६,२७,९६,५००	..	६,२७,९६,५००
५१	कृषि-अभियंत्रण, सरकारी बस-सेवाओं, सहायता और पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत ..	२,५०,०६,४००	१,००,०००	२,५१,०६,४००
५२	पेंशनों की संराशि (कम्यूटेड वैल्यू)	१८,७५,०००	२५,०००	१९,००,०००
५३	राज्य-व्यापार की योजनायें ..	३८,८०,१५,०००	५००	३८,८०,१५,५००
५४	व्याज वाले ऋण और अग्रऋण ..	१२,७७,६४,२००	..	१२,७७,६४,२००
	योग ..	२,०७,६३,०९,३००	४२,१३,६७,८००	२,४९,७६,७७,१००

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश विनयोग विधेयक, १९५९

३१ मार्च, १९६० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९६० ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव, भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्ष नाम

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५९, पारित किया जाय।

श्री राजनारायण--श्रीमन, मैं इसका विरोध करता हूं और मैंने अपना कारण पहले ही बता दिया कि जिस सरकार को हम नालायक और निकम्मी समझते हैं फिर उस निकम्मी और नालायक सरकार के हाथ में पैसा खर्च करने के लिये कैसे दे सकते हैं। इसलिये अपनी कथनी और करनी में एकरूपता स्थापित करने के लिये और प्रदेश की जनता के हित के लिये हमारा यह कर्त्तव्य है कि जनता के पैसे का गलत उपयोग न होने दें और जो भी हमारी यहां पार्लियामेंटरी शक्ति है उससे हम इस प्रस्ताव का विरोध करें।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५९, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री मोतीलाल अवस्थी की मांग पर हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१३२,
विपक्ष में--१३।)

श्री अध्यक्ष--अब हम उठते हैं और सोमवार, तारीख ३० मार्च को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १३ मिनट पर सोमवार, ३० मार्च, १९५९ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२१ मार्च, १९५९।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--१९ एल० ए० --१९५९--८४५।